लोक-सभा

शुक्रवार,
१९ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १– प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

Friday 19, August, 1956

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On 11.11.83
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	४८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से ११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७–२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२–२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . — २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . — ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ — ३५८–३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . — ३८३–४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . — ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . — ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . — ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . — ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . — ४८५–४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . — ४८९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . — ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . — ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ — ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५ | स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२६, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ... ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . . ६२५-६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ... ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ... ६४३-६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . . ६८९-६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ... ६९५-७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ... ७०५-७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५, ५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ... ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५९८, ५९२ ५९३, ५९१ और ५९३ . ... ७८१-८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४-८२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९ ... ८२६–८३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३ ... ८३२–८४८

अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . . ८४९–८९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०. ... ८९२–९०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ . ९०६–९१८

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . . ९१९ ९६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२ . . . . . ९६१–९६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ . ९६९–९९४

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२ ... ९९५–१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १०३२ १०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ . १०३५–१०४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ . १०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १६५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८६, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४६७ और ७६४. — १०५१-१०६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . — १०६७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . — ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ — १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०६, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ — ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ — ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ — ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . — १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . — १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . — १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . — १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६० से ८९२, ८६६, ६०१, ६११, ६१८, ६१६, ६२१, ६२२, ६२५ और ६२६ . . . १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ४७२ . . . १३४५ १३५८

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ से ६३५, ६४०, ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७, ६४८, ६५० से ६५३, ६५७, ६५६ से ६६२, ६६८, ६७०, ६७१, ६७४, ६७५, ६३१, ६३८, ६३६, ६४६, ६५४, ६६५ और ६७२ . . . १३५६-१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२, ६३७, ६३६, ६४२, ६४६, ६५५, ६५८, ६६३, ६६४, ६६६, ६६७, ६६६ और ६७३ . . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . . १४१४-१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार १९ अगस्त, १९५५

———

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित विद्यार्थी

*८८९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में कितने विस्थापित विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां बन्द की गई थीं; और

(ख) इस के कारण ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) पुनर्वास मंत्रालय विस्थापित विद्यार्थियों को भत्ता देता है, छात्रवृत्तियां नहीं देता। उन विस्थापित विद्यार्थियों की संख्या के बारे में जिन का भत्ता १९५४ में बन्द किया गया था जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि भत्ते बंद किये जाने के क्या कारण थे। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १]

श्री डी० सी० शर्मा : यदि भत्ते के नवीकरण के लिये कोई विद्यार्थी नियत समय पर प्रार्थनापत्र न दे सके, तो क्या इस नियम को ढीला किया जाता है? मैं ने देखा है कि कभी कभी विद्यार्थियों को मालूम नहीं होता—स्कूल और कालेज बंद होते हैं—इस लिये इस प्रविधिक नियम के उल्लंघन से उन्हें बहुत कठिनाई होती है। क्या इस प्रविधिक नियम के उल्लंघन की सूरत में, कोई ढील दी जाती है ?

श्री जे० के० भोंसले : भत्ते की मंजूरी वास्तव में प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक आदि देते हैं। किन्तु यदि इस विशिष्ट मामले में विद्यार्थी को कठिनाई है, तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री डी० सी० शर्मा : "माता पिता की वित्तीय स्थिति में सुधार" से मंत्रालय का क्या अभिप्राय है ? जहां तक छात्रवृत्तियां देने का सम्बन्ध है, आय की एक सीमा निश्चित है, किन्तु यह बहुत अस्पष्ट शब्द हैं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने बता दिया है कि इस का क्या अर्थ है।

श्री जे० के० भोंसले : मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में, यदि माता पिता या अभिभावक की आय १०० रुपये से कम हो, तो यह लागू होता है। हाई स्कूलों के विद्यार्थियों के मामले में, उनके माता पिता या अभिभावकों की आय १५० रुपये से कम होनी चाहिए।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण में बताया गया है कि यदि अभिभावक कोई प्रतिकर ले ले, तो भत्ता बन्द कर दिया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि अधिकतम प्रतिकर

कितना है जिसके लेने पर भत्ता बन्द कर दिया जाता है ?

श्री जे० के० भोंसले : बूढ़े और अशक्त व्यक्तियों और अनाथालयों में रहने वाली स्त्रियों के मामले में, यदि उन्हें ३००० रुपये से कम प्रतिकर मिला है, तो सरकार उनके लड़कों और लड़कियों को मैट्रिक तक पढ़ाने में सहायता देती है। अन्य लोगों के मामले में, हम उन विद्यार्थियों को केवल उस वर्ष अपनी पढ़ाई समाप्त करने में सहायता देते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या शरणार्थियों के बच्चों को उन स्कूलों में प्रविष्ट कराने के लिए जिनमें उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता कोई सहायता दी जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, भारत सरकार से नहीं।

बांडुंग सम्मेलन

*८९३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** १२ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांडुंग सम्मेलन बुलाने पर कुल कितना खर्च हुआ था ; और

(ख) प्रत्येक बुलाने वाले देश ने अब तक कितना अंशदान दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख) बांडुंग सम्मेलन पर हुए खर्च के हिसाब को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु सम्मेलन सचिवालय ने अब तक जिस व्यय की स्वीकृति दी है, उससे अनुमान है कि कुल व्यय लगभग ४० लाख इण्डोनेशियन 'रुपिये' होगा। बुलाने वाले ५ देशों में से प्रत्येक को ८ लाख 'रुपिये' देने पड़ेंगे, जो कि लगभग ३,३३,००० रुपये के बराबर हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : इसके आफिस के एक्सचेंसेज़ क्या होंगे ?

श्री सादत अली खां : जैसा मैंने अभी अर्ज किया यह सब बातें अभी तय की जा रही हैं।

श्री कामत : क्या यह सच है कि भारत ने सम्मेलन पर जितना रुपया खर्च किया है उसकी तुलना में विचार विमर्श में उतना भाग नहीं लिया जैसा कि प्रधान मंत्री के निजी मंत्रणादाता श्री वी० के० कृष्ण मेनन द्वारा फिलिप्पीन्ज़ के जनरल रोम्युलो को कही गई इस बात से प्रकट होता है कि :

"आप को यह नहीं देखना चाहिए कि मेरे नेता यहां कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वास्तव में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का कोई अनुभव नहीं है।"

क्या यह ठीक बताया गया था और यदि हां तो क्या यह एक ऐसे व्यक्ति को शोभा देता है जिसका सम्बन्ध महत्वपूर्ण राजनयिक कार्यों से है ?

श्री सादत अली खां : खर्च की तुलना इस बात से नहीं की जा सकती कि राजनयिक रूप से हमने कितना योग दिया है। जहां तक माननीय सदस्य के उद्धरण का सम्बन्ध है यह गलत है।

श्री कामत : मैंने एक गम्भीर समाचार पत्र "दी हिन्दू" का उद्धरण दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो श्री कृष्ण मेनन की बातों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि बांडुंग सम्मेलन में जो कुछ हुआ

उससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतवर्ष का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है ?

श्री सादत अली खां : यह बिल्कुल ठीक है ।

श्री कामत : कितना ऊंचा हो गया है ?

सिक्किम

*८९८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** २२ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित **प्रश्न** संख्या २४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम के वकास के लिये सातवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : सिक्किम विकास योजना को पूरा करने के लिये खास कर सड़कों, मकानों, सड़क यातायात, जंगलों, डाक्टरी, जन स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में काफी तरक्की की जा रही है। खेती बाड़ी, पशु पालन, बागवानी और बिजली पैदा करने के विकास के लिये, कई स्कीमें शुरू की जा चुकी हैं। १९५४-५५ के दौरान में इन कई योजनाओं पर ८,३०,००० रु० का कुल खर्च किया जा चुका है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना पर कुल कितने खर्चे का अनुमान लगाया गया है और उसमें सिक्किम दरबार का कितना हिस्सा है ?

श्री सादत अली खां : सिक्किम दरबार को टैकनिकल सहायता के रूप में २२३ लाख रुपये का ऋण दिया जायगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि सिक्किम दरबार के निमंत्रण पर हमारे बहुत से भारतीय कर्मचारी वहां पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन को किन शर्तों पर वहां दिया गया है । और क्या यह सच है कि बहुत से कर्मचारियों को वहां जाने के बाद वापिस कर दिया गया है ?

श्री सादत अली खां : नहीं, वापस करने का सवाल नहीं है। लोग वहां जा रहे हैं और वह मुख्तलिफ कामों में लगाये जा रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : सिक्किम के रास्ते भारत से तिब्बत का जो मुख्य व्यापार मार्ग है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अन्दर उसे उन्नत करने के लिये कौन कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ताकि कलिम्पांग से लासा तक यातायात की पूरी सुविधा प्राप्त हो सके ?

श्री सादत अली खां : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

रेशमी कपड़ा

*९००. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने रेशम व्यापारी संघ, बम्बई की इस मांग के सम्बन्ध में कि रेशमी कपड़े के आयात पर इस समय लगे हुए प्रतिबन्ध को हटा दिया जाये और कोटा प्रणाली शुरू की जाये, कोई निर्णय किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी हां। यह निर्णय किया गया था कि कोई परिवर्तन न किया जाये ।

श्री राधा रमण : क्या इस प्रतिबन्ध के कारण देश में रेशम के उत्पादन में कोई सुधार हुआ है , यदि हां, तो किस तरह ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कहना बहुत कठिन है कि इस प्रतिबन्ध से देशी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है। स्पष्ट है कि यदि रेशमी कपड़े की मांग सस्ते कपड़े के आयात से पूरी नहीं होती, तो भारतीय कपड़े की मांग

अवश्य होगी । किन्तु हम इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकते ।

श्री राधा रमण : भारत में रेशम का उत्पादन आवश्यकता से कितना कम है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में इस प्रश्न का इस मामले से सम्बन्ध नहीं है । किन्तु हमारी आवश्यकता ५० लाख से ६० लाख पौंड तक रेशम की है । भारत में इसका केवल ४० प्रतिशत भाग उत्पन्न होता है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार प्रतिबन्ध हटाने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है, जिससे कि भारत में रेशम उद्योग नष्ट हो जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझा । क्या माननीय सदस्य फिर कहेंगे ?

डा० रामा राव : 'निहित स्वार्थों' के प्रार्थनापत्रों पर विचार करते समय क्या सरकार भारतीय रेशम उद्योग पर इस प्रतिबन्ध के हटाये जाने के प्रभाव को ध्यान में रखेगी, क्योंकि इसे हटाने से भारतीय उद्योग नष्ट हो जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम सदा इन बातों को ध्यान में रखते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि चीन से रेशम के आयात के कारण पिछले दो मासों से कोया के मूल्य काफ़ी गिर गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मझे मालूम है ; ये मूल्य इतने नहीं गिरे जिनसे कि उत्पादन अलाभप्रद हो जाये ।

खादी

*९०२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जबसे खादी के विक्रय पर छूट दी गई है, खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : लगभग १६५ %

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या बड़े बड़े नगरों में वाणिज्यस्थान (एम्पोरियम) खोलने से फेशनेबल लोगों को खादी की ओर आकर्षित करने में सहायता मिली है ?

श्री आर० जी० दुबे : इन वाणिज्य-स्थानों (एम्पोरिया) में बढ़ती हुई बिक्री को देखते हुए यह अनुमान ठीक मालूम होता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इन वाणिज्य स्थानों (एम्पोरिया) के विक्रय विभागों में कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक है और इस कारण व्यय बढ़ जाता है ?

श्री आर० जी० दुबे : अभी यह कहना समय से पूर्व होगा । अभी हमें कुछ दिन स्थिति को देखना चाहिये ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना

*९०३. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिए योजना शुरू होने के समय से कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : माननीय सदस्य का निर्देश संभवतः उस योजना की ओर है जो कि मार्च, १९५४ में योजना आयोग ने छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिये बिजली की सुविधाओं का प्रसार करने के लिये शुरू की थी। यदि ऐसा है तो, १९५४-५५ और १९५५-५६ में अनुमोदित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने आंध्र को १२७.८२३ लाख रुपये का ऋण देना स्वीकार किया था । इस में से ४० लाख रुपये के ऋण की मंजूरी १९५४-५५ में दी गई थ

सिंचाई और जल विद्युत् परियोजनाएं

*६०४. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड ने सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के विषय में किस प्रकार गवेषणा की है ;

(ख) इस गवेषणा कार्य से कितनी संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है ;

(ग) टेक्निकल गवेषणा के परिणामों का किस तरह प्रचार किया गया था; और

(घ) १९५४-५५ में केन्द्रीय बोर्ड के पुस्तकालय और संग्रहालय में और क्या वृद्धियां की गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री एस० सी० सामन्त : क्या बोर्ड की गवेषणा समिति की बैठक १९५२ से हर साल हुई है और यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

श्री हाथी : मैं स्थान ठीक ठीक नहीं बता सकता किन्तु सामान्यता उस की बैठक साल म तीन बार होती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या दिल्ली के संग्रहालय में विदेशों की नहरों और बांधों के नकशे भी है ?

श्री हाथी : संभवतः केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग और केन्द्रीय सिचाई और विद्युत् बोर्ड में जो भेद है, उसे समझा नहीं जा रहा है । प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड से है, जो कि एक गैर-सरकारी निकाय है । माननीय सदस्य ने जिस संग्रहालय की ओर निर्देश किया है, वह केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग का है ।

श्री एस० सी० सामन्त : विभिन्न राज्य सरकारों के कौन कौन से गवेषणा केन्द्र और संस्थाएं इस बोर्ड के नियन्त्रणाधीन हैं ?

श्री हाथी : वास्तव में ये गवेषणा केन्द्र इस बोर्ड के नियन्त्रणाधीन नहीं हैं । यह राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन हैं । यह बोर्ड तो जानकारी और आंकड़े इकठ्ठे करता है और फिर इन गवेषणा केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं पर चर्चा करता है । यह एक गैर-सरकारी निकाय है और इन गवेषणा केन्द्रों के लिये प्रभारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस वर्ष इस बोर्ड की रजत जयन्ती मनाई गई थी और इस पर कितना खर्च हुआ था?

श्री हाथी : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

विस्थापित स्त्रियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

*९०६. **श्री बी० के० दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और चुनारगढ़ में पूर्वी पाकिस्तान की विस्थापित स्त्रियों को शिल्पों में प्रशिक्षण देने के लिये कक्षाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) मई, **१९५१ में** चुनारगढ़ में एक आश्रम खोला गया था जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई विस्थापित तथा निराश्रित स्त्रियों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता था । यह अक्टूबर, १९५४ में बन्द कर दिया गया और अब लखनऊ, इलाहाबाद और

मिर्ज़ापुर में इन प्रशिक्षित स्त्रियों के लिए उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें योजना का ब्यौरा दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री बी० के० दास : इन ५ केन्द्रों को या इन में से किसी एक को चलाने का व्यय क्या है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरे पास यह जानकारी नहीं है किन्तु मैं बाद में दे सकता हूं।

श्री बी० के० दास : इन ५ केन्द्रों में या इन में से किसी एक में कितने मूल्य का उत्पादन होता है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ये केन्द्र राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं और इन का प्रबन्ध भी राज्य सरकार करती है । पहले ये तीन स्थानों पर चलाये जाते थे और उत्पादन व्यय बहुत था । हाल में यह निर्णय किया गया है कि इन सब केन्द्रों को बन्द करके एक केन्द्र बनाया जायेगा जिसका प्रबन्ध अधिक अच्छा होगा और उत्पादन व्यय भी कम हो जायेगा।

श्री बी० के० दास : क्या इन केन्द्रों को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई अनुदान दिया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जी हां।

श्री बी० क० दास : राशि क्या थी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं तत्काल नहीं बता सकता ।

श्रीमती जयश्री : क्या पश्चिमी पाकिस्तान की विस्थापित स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए कोई केन्द्र खोला गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : पश्चिमी प्रदेश में बहुत से केन्द्र खोले गये हैं ।

पत्रकार

*९०७. **श्री कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल उन्हीं भारतीय पत्रकारों को प्रधान मंत्री के हाल की सोवियत रूस की यात्रा सम्बन्धी समाचार भेजने की अनुमति दी गई थी जिनके लिए 'तास' से स्वीकृति मिल गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ पत्रकारों के लिए 'तास' ने स्वीकृति नहीं दी थी; और

(ग) क्या अन्य अवसरों पर इस प्रकार की प्रक्रिया प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा में अपनाई गई थी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ऐसी बात नहीं है । 'तास' ने सोवियत यूनियन के नई दिल्ली स्थित दूतावास के द्वारा और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के द्वारा १० भारतीय पत्रकारों और २ समाचार अभिकरण प्रतिनिधियों को प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के समय रूस आने के लिए आमंत्रित किया था जिन व्यक्तियों को ये निमंत्रण जारी किए जाने को थे, उनकी सूची सम्बन्धित मंत्रालयों के बीच बातचीत द्वारा बनाई गई थी और उसी के अनुसार निमंत्रण जारी किए गए थे ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के अवसर पर अखिल चीनी पत्रकार संघ ने भारत के तीन पत्रकार संघों को निमंत्रित किया था और उनसे अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा था

श्री कामत : क्या यह सच है कि हमारे देश के समाचार पत्र जिन्हें चाहें उन्हें चुनने के लिये स्वतन्त्र नहीं थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, जैसा कि मैं उत्तर में कह चुका हूं, सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा सूची तैयार की गई थी।

श्री कामत : क्या निमंत्रण सीधे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे गये थे अथवा 'तास' से परामर्श करके मंत्रालय द्वारा ?

श्री अनिल के० चन्दा : 'तास' से परामर्श नहीं किया गया था। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने सूची तैयार की थी और हमें पहले ही बता दिया गया था कि हम जिसका भी नाम निर्देशन कर देंगे, 'तास' उसे स्वीकार करने के लिये तैयार रहेगी।

श्री कामत : क्या यह सच है कि बम्बई के एक प्रसिद्ध अंगरेजी दैनिक के सम्पादक का नाम पहले स्वीकृत हो गया था और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने भी उसे स्वीकार कर लिया था किन्तु बाद को किन्हीं कारणोंवश उसे अस्वीकार कर दिया गया और यदि हां, तो क्या इस कारण कि 'तास' ने उसे अस्वीकार कर दिया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इन दस पत्रकारों में से कितने पत्रकार भारतीय भाषा के पत्रों के थे और कितने अंग्रेजी पत्रों के ?

श्री अनिल के० चन्दा : इनमें एक प्रतिनिधि 'जन्मभूमि' का था, जो मैं समझता हूं भारतीय भाषा का पत्र है। कुछ अन्य भी थे ; यद्यपि प्रतिनिधि थे अंग्रेज़ी पत्रों के ही किन्तु उनके सम्बद्ध भारतीय भाषा के पत्र भी हैं। इस प्रकार कलकत्ता का 'आनन्द बाज़ार पत्रिका' भी उनमें था जिसका एक भारतीय भाषा का समाचार पत्र भी है। इसी प्रकार दिल्ली का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' है जिसका भी हिन्दी संस्करण निकलता।

श्री कामत : क्या 'टाइम्स आफ इण्डिया' नामक अंग्रेज़ी दैनिक के सम्पादक को पहले निमंत्रण भेजा गया था और बाद में मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

कच्चा रेशम (मूल्य)

*९०८. **श्री तिम्मय्या :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशुल्क आयोग द्वारा कच्चे रेशम का क्या आर्थिक मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या किसी समय यह मूल्य अधिक रखा गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) ३१ रुपया प्रति पाउण्ड।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री तिम्मय्या : पिछले कई वर्षों से प्रशुल्क आयोग द्वारा रेशमकीट पोष उद्योग को संरक्षण दिया जा रहा है तो फिर उत्पादन लागत में कोई स्पष्ट कमी क्यों नहीं की गई है ?

श्री आर० जी० दुबे : इसमें कठिनाइयां थीं। प्रारम्भ में इस उद्योग का बड़ा लाभप्रद निर्यात बाज़ार था। बाद में, चीन जापान आदि में इस उद्योग के विकास हो जाने के कारण परिस्थितियां बदल गईं। इस कारण प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर १९५३ में कुछ अग्रेतर कार्यवाही की गई। अब स्थिति में सुधार हो रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच नहीं है कि युद्ध के पश्चात् किसी भी समय

रेशम का मूल्य प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुरूप नहीं रहा ?

श्री आर० जी० दुबे : यह ठीक है, किन्तु हाल ही में जुलाई के महीने से और उससे आगे प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य स्तर का अनुसरण करने का प्रयत्न किया गया है ।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार को विदित है कि प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्यों से कपास के वास्तविक उत्पादक को लाभ न होकर केवल बड़ी मात्रा के उत्पादकों और कारखाने के मालिकों को ही लाभ होता है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता । इस पर अलग प्रश्न रखा जा सकता है ।

स्थानीय विकास कार्य

*६०६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय विकास कार्यों के लिये १९५३-५४ और १९५४-५५ में नियत की गई सम्पूर्ण धनराशियों का उपयोग किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या १९५५-५६ में इस कार्यक्रम के लिये बांट में वृद्धि करने का विचार है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) १९५३-५४ और १९५४-५५ के लिए ८ १/२ करोड़ रुपए की नियत राशि में से राज्य सरकारों ने ६·०७ करोड़ रुपये के अनुदान लिये हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सच है कि स्थानीय विकास कार्य विशेषकर भारत के गावों में अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : बिल्कुल यही बात है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कार्यक्रम के अधीन निधियों का प्रशासन व्यय सामुदायिक परि-योजना प्रशासन अथवा राष्ट्रीय विस्तार योजना के अधीन होने वाले व्यय से कहीं कम है क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अधीन निधि में वृद्धि करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको स्थायी रूप देना है ?

श्री एस० एन० मिश्र : यद्यपि मैं प्रश्न को पूर्णतया समझ नहीं सका हूं फिर भी मेरा विचार है कि माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि स्थानीय विकास कार्यों के लिये अनुदान में वृद्धि होनी चाहिये जहां तक सम्पूर्ण कार्यक्रम का सम्बन्ध है । इस समय उसके कुल अनुदान में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं जान पड़ता है किन्तु अलग अलग राज्यों को जिन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा कार्य किया है दिये जाने वाले अनुदानों में कुछ वृद्धि की जा सकती है । जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है सारी चीज़ विचाराधीन है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में सीमेंट और इस्पात के न मिलने के कारण स्थानीय विकास कार्यों के अधीन निर्माण कार्यों में बाधा पहुंची है और यदि हां, तो क्या स्थानीय निर्माण कार्य विभाग और सरकार के संभरण विभाग—इन दो उपविभागों का समन्वय करने के लिए कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : हमें विदित है कि कुछ मामलों में उचित समय पर सामान न मिलने के कारण कुछ योजनाओं को हानि पहुंची है किन्तु यह प्रश्न तो यातायात आदि के प्रश्न से अधिक सम्बद्ध है ।

श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य के कुरनूल जिले में कुछ विकास कार्यों पर कलक्टर की स्वीकृति मिल जाने पर भी सरकार द्वारा राजनीतिक कारणों से कार्य रोक दिया गया है ? यदि यह सच है तो क्या सरकार फाइलें मंगवा कर जांच करेगी और उचित आदेश देगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : कुरनूल ज़िले में कुछ कार्यों के लिये कलक्टर ने अनुमति दे दी थी किन्तु फिर भी राजनीतिक कारणों से सरकार द्वारा मँजूरी वापस ले ली गई । यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : हमें इसकी सूचना नहीं मिली है ।

श्री जांगड़े : जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि स्थानीय विकास योजना देहाती क्षेत्रों में लोकप्रिय हो रही है तो फिर क्या कारण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये आगामी वर्ष में आठ करोड़ रुपया रखने के बजाय खर्च को बढ़ाया नहीं जा रहा है ? क्या यह भी कारण है कि सिंचाई और दूसरे कार्यों के लिये विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : विशेषज्ञों का अभाव इसमें ज़रूर खलता है लेकिन माननीय सदस्य ने यहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ कहा और साथ ही साथ खर्चा कम हुआ है उसकी भी चर्चा की है । मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों का मिलान कहां होता है ?

श्री विश्व नाथ रेड्डी : क्या यह सच है कि इस कार्यक्रम ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के किसी भी अन्य विकास कार्यक्रम की तुलना में जनता को सहयोग देने के लिए अधिक प्रोत्साहित किया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस समय विचार यह जान पड़ता है कि वास्तव में इसने लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया है और मैं किसी अन्य सरकारी कार्यक्रम से इसकी तुलना नहीं करना चाहूंगा ।

आंभोरा बांध

*९१०. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैनगंगा नदी पर आंभोरा बांध के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नन्दीकोंडा में सीमेंट का कारखाना

*९१२. **श्री एस० बी० एल० नरसिंहम्** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य सरकार ने आन्ध्र राज्य के नन्दीकोंडा में एक सीमेंट का कारखाना खोलने के लिये अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां तो क्या कारखाने को राज्य उपक्रम के रूप में चलाने के लिये अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी दहीं, श्रीमान् ।

श्री मात्तन : क्या माननीय मंत्री इन सार्थों में विदेशी कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय कर्मचारी रखे जाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति से सन्तुष्ट हैं क्योंकि उनकी प्रतिशतता बहुत कम है ? माननीय मंत्री ने इस बात की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि क्या ये सार्थ विदेशों से नये तथा बिना अनुभव के लोगों को भर्ती करने में उपयुक्त भारतीय कर्मचारियों की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस सम्बन्ध में प्रवृत्ति तो निश्चय ही सन्तोषजनक है परन्तु सरकार यह नहीं निर्णय कर सकती कि किसी सार्थ विशेष के किसी कर्मचारी का किसी पद पाने का दावा ठीक है अथवा नहीं ।

श्री मात्तन : जब विदेशों से अनुभवहीन तथा गैर-टैक्निकल लोग बुलाये जा रहे हैं तो माननीय मंत्री किन कारणों से ऐसा होने दे रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यहां प्रश्न यह नहीं है । चीज़ वास्तव में यह है कि जिन सार्थों के मालिक राष्ट्रमण्डलीय देशों के अतिरिक्त किसी अन्य देश के लोग हैं, उनके सम्बन्ध में हम बाहर से आने वाले लोगों के दृष्टांकों की जांच करते हैं। परन्तु जो लोग राष्ट्रमंडलीय देशों से आते हैं उन्हें रोकने के लिये तो वास्तव में कोई व्यवस्था ही नहीं है । हां, जैसा कि मेरे साथी ने अभी कहा, जहां तक बड़े बड़े सार्थों का सम्बन्ध है, सरकार ने उन्हें इस बात पर राजी कर लिया है कि वे विदेशियों की भर्ती एक विशेष आधार पर करेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : भारत स्थित विदेशी सार्थों में ऐसे भारतीय कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं जिन्हें १००० रुपये या इससे अधिक वेतन मिल रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आंकड़े दे दिये गये हैं, प्रतिशतता फैलाई जा सकती है ।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

*९१७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के उत्पादन का कुल मूल्य कितना था; और

(ख) क्या उसी कारखाने ने उस वर्ष कोई लाभ दिखाया था ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) कारखाने ने १९५४ से उत्पादन आरम्भ किया था । ३१–१२–५४ तक कुल ७.६ लाख रुपये की कीमत के केबल तैय्यार किये गये ।

(ख) उत्पादन काल इतना कम था कि कोई लाभ नहीं हुआ ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन केबलों का किस प्रकार विक्रय किया गया ?

श्री सतीश चन्द्र : भारत सरकार के डाक और तार विभाग द्वारा इन केबलों को ले लिया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस कारखाने के लिये उत्पादन का कोई वर्ष वार लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और यदि हां तो आगामी तीन वर्षों में उत्पादन का क्या लक्ष्य रहेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : कारखाने के उत्पादन का लक्ष्य ४०० से कुछ अधिक मील लम्बाई के केबल प्रतिवर्ष रखा गया था । उत्पादन के आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर पूरा उत्पादन होने लगने की सम्भावना है । परन्तु डाक व तार विभाग की कुल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये एक अधिक पाली चलाये जाने का विचार है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि इन केबलों की कुछ मांग भारत के बाहर

भी है, और यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित करते समय भारत सरकार इस बात को भी ध्यान में रख रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : नहीं । अभी हमारा इरादा निर्यात की बात सोचने के पूर्व अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : तांबे के तार की जितनी आवश्यकता पड़ती है उसमें से कितना स्थानीय रूप से तय्यार किया जाता है और कितना आयात किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : बिना सूचना के मैं यह नहीं बता सकता हूं । जब तक कि हम उसके स्थान पर स्थानीय वस्तु का निर्माण करने में असमर्थ हैं विदेशों से तांबे का आयात आवश्यक है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस कारखाने द्वारा हमारी मांग की कितनी प्रतिशतता की पूर्ति की जाती है और जब कारखाना अधिकतम उत्पादन करने लगेगा तब यह प्रतिशतता कितनी होगी ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी तक उत्पादन केवल २४५ मील केबल का हुआ है । प्रविधिक परामर्शदाताओं के साथ किये गये मूल करार में भी इस बात का उपबंध था कि पूरा उत्पादन तीन वर्ष के बाद ही होगा । हम एक से अधिक पाली चलाकर मूल लक्ष्य के भी आगे बढ़ जाने की आशा करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : देश की आवश्कताओं के साथ इसका अनुपात क्या है ।

श्री सतीश चन्द्र : आगामी दो तीन वर्षों में हम डाक और तार विभाग की कुल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे । मैं केवल कवचित केबलों के बारे में कह रहा हूं जिनका इस कारखाने में निर्माण किया जा रहा है अन्य प्रकार के केबलों के सम्बन्ध में नहीं ।

होटल तथा होस्टल

*९२०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार नई दिल्ली में कुछ होस्टल तथा होटल निर्माण करने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो कितने होटलों अथवा होस्टलों का निर्माण करने का विचार है ; और

(ग) इन के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). चाणक्यपुरी में ३५० कमरों वाला एक आधुनिक होटल निर्माण किया जा रहा है । इस होटल का निर्माण करने वाले सार्वजनिक सीमित समवाय की एक प्रवर्तक सरकार भी है और पूर्वाधिकार अंशों के रूप में एक करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी में पच्चीस लाख रुपये का अंशदान देगी । क्वीन्सवे, नई दिल्ली में एक होस्टल निर्माण करने का विनिश्चय भी सरकार द्वारा किया गया है ।

(ग) प्रस्थापित होस्टल की अनुमानित लागत ५७ लाख रुपये है ।

डा० राम सुभग सिंह : चाणक्यपुरी का होटल तथा क्वीन्सवे का होस्टल कब तक बनकर तय्यार हो जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : क्वीन्सवे का होस्टल कोई एक वर्ष में बन कर तय्यार हो जायेगा । चाणक्यपुरी के होटल के निर्माण में कुछ अधिक समय लग सकता है ।

श्री जयपाल सिंह : सरकार अब जिस होटल को बनाने जा रही है क्या इस होटल के निर्माण का काम पहले ईस्ट इण्डिया होटेल्स लिमिटेड को सौंपा गया था और क्या संविदा

को पूरा करने के लिये उसे किसी प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं है । इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि कांस्टीट्यूशन हाउस के भाग्य का क्या निर्णय किया गया है । क्या इस पुरानी इमारत को ऐसा ही रहने दिया जायेगा या इसके बारे में भी कुछ विचार किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसी की फ़िक्र की वजह से क्वीन्सवे पर नया होस्टल बनने लगा है । कांस्टीट्यूशन हाउस के कमरे पुराने हो गये हैं और वह ज्यादा समय नहीं चल सकते । इसी लिये यह नया होस्टल बनाया जा रहा है ।

श्री कामत : क्या वर्तमान सरकारी होस्टलों, विशेषतः कान्स्टीट्यूशन हाउस, के सम्बन्ध में क्या ऐसे कोई विशिष्ट नियम हैं जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों तथा संसद् सदस्यों के लिये आवास स्थान की परिमात्रा निर्धारित की गई है, और यदि हां, तो क्या यह लोग कांस्टीट्यूशन हाउस में सरकारी कर्मचारियों तथा संसद् सदस्यों को आवंटित स्थान से अधिक स्थान पर क़ब्ज़ा किये हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

राष्ट्रीय श्रमबल

*९२३. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में एक राष्ट्रीय श्रम बल स्थापित करने का विचार करती है ; और

(ख) निर्माण कार्य के लिये कितने दक्ष तथा अदक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्या इसका अनुमान करने के लिये कोई राष्ट्रीय परिमाप किया जाने वाला है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). यह प्रस्थापना अभी विचाराधीन है।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या कम से कम परियोजना क्षेत्रों के श्रमबल का अनुमान लगने के लिये कोई परिमाप किया गया है और जहां तक सरकार द्वारा आरम्भ किये गये निर्माण कार्यों का सम्बन्ध है संविदा प्रणाली को समाप्त करने के लिये कौन से उपाय किये गये हैं ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : जहां तक हमारी निर्माण परियोजनाओं का सम्बन्ध है इस बात के निश्चित प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कार्य ठेकेदारों के बजाय मजूर सहकारी समितियों द्वारा किया जाये और इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति भी हुई है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*९२४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में डा० बी० सी० राय मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल, द्वारा की गई आलोचना पर उचित रूप से विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हुए ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रुपरेखा की तय्यारी में डा० बी० सी० राय की आलोचना तथा सुझावों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : अभी हाल में जब डा० बी० सी० राय यहां आये थे तो क्या उन्होंने योजना आयोग से कोई परामर्श किया था ?

श्री एस० एन० मिश्र : उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया था और समिति ने उन के परामर्श से लाभ उठाया था।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या केवल डा० बी० सी० राय के छपे हुए व्याख्यान और राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ही ध्यान दिया गया है अथवा भारत के उद्योगपतियों के सम्मेलन के समक्ष जो व्याख्यान उन्होंने दिये थे उन पर भी विचार किया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : डा० बी० सी० राय जैसे विख्यात नेता के विचारों पर तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य होने की हैसियत से उन पर ध्यान दिया जाना अवश्यम्भावी है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रत्येक सदस्य को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने के लिये आमंत्रित किया गया है परन्तु विनिश्चय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया जाता है और विनिश्चय सर्व सम्मति से किया गया था।

नाहन फाउन्ड्री लिमिटेड

*९२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाहन फाउन्ड्री में मज़दूर सम्बन्धी गड़बड़ फिर हो गई है और जिसके फलस्वरूप मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां। ज्ञात हुआ है कि २५ जुलाई, १९५५ को अधिकांश मजदूरों ने "काम बन्द" हड़ताल कर दी।

(ख) स्थानापन्न जनरल मैनेजर ने एक मजदूर का नाहन से बाहर के लिये ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसी पर २५ जुलाई, १९५५ को हड़ताल की गई।

(ग) फाउन्ड्री के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सरकार इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य बात है कि इस नाहन फाउन्ड्री में पिछले बहुत समय से झगड़ा चल रहा है और इसके बारे में एस्टिमेट्स कमेटी की एक विशेष समिति भी नियुक्त की गई थी, मैं जानना चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : फरवरी मास में एक हड़ताल हुई थी और उसके बारे में एक कमेटी मुकर्रर की गई है और कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को कोई इस आशय का सुझाव मिला है कि इस झगड़े की वजह से तथा दूसरे अन्य कारणों से इस फाउन्ड्री को नाहन से हटा दिया जाय या तो उसे हिमाचल प्रदेश सरकार के सुपुर्द कर दिया जाय और क्या इस सुझाव पर सरकार

द्वारा विचार किया गया है और कोई फैसला किया गया है ?

श्री कानूनगो : जब तक उसके बारे में रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उस बारे में कोई फैसला नहीं हो सकता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इन अधिकांश झगड़ों का कारण वहां के जो मैनेजर या इंजीनियर इनचार्ज हैं, उनके बारे में है और क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कानूनगो : नहीं, पिछली दफ़ा उन्होंने चाहा था कि इसकी इनक्वायरी हो और गवर्नमेंट ने एक इनक्वायरी कमेटी मुक़र्रर कर दी थी।

चीन को गया हुआ इंजीनियरों का शिष्टमंडल

*९२७. **श्री कामत** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का अध्ययन करने के लिये चीन को भेजे गये इंजीनियरों ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी हां।

श्री कामत : क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रख दी गई है या रखी जाने वाली है ?

श्री हाथी : रखी जायेगी।

श्री कामत : कब ? आज या कल ?

श्री हाथी : इसमें कुछ समय लगेगा।

वृत्त चित्र

*९२८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में प्रदर्शनार्थ विदेशों को भेजे गये भारतीय वृत्त चित्रों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन वृत्त चित्रों से प्राप्त आय की कुल राशि कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५४–५५ में वाणिज्यिक वितरकों द्वारा ५९ वृत्त चित्र विदेशों को भेजे गये थे। इसके अतिरिक्त, मध्यपूर्व तथा एशियाई देशों के भारतीय दूतावासों को मासिक संस्करण भेजे गये थे।

(ख) आलेखन लागत, भाड़ा इत्यादि के अतिरिक्त ३३५७ रुपये ८ आने।

श्री डी० सी० शर्मा : यह वृत्त चित्र किन देशों को भेजे गये थे ?

डा० केसकर : पूर्वी अफ्रीका, केन्या यूगैन्डा, एथीओपिया, रोडेशिया, बेल्जियम कांगो, मैडागास्कर, पश्चिमी द्वीप समूह फिजी तथा नेपाल।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन वृत्त चित्रों को वाणिज्यिक समवायों द्वारा उन देशों में जहां भारतीय भारी सख्या में निवास कर रहे हैं कोई बाजार प्राप्त हो जाते हैं ?

डा० केसकर : जिन देशों के मैंने नाम लिये हैं वे ऐसे ही देश हैं जहां भारतीय भारी संख्या में रह रहे हैं और उन देशों में वाणिज्यिक वितरण किये जाने के कारण में से एक कारण यह भी है।

श्री डी० सी० शर्मा : स्वामित्व कितना वसूल किया जाता है क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा कि केवल ३००० रुपया या उसके लगभग वसूल किया गया है ?

डा० केसकर : यह बात स्पष्ट है कि प्रलेखीय चल चित्रों की अपेक्षा वृत्त चित्रों के लिये बाज़ार बहुत कम है क्योंकि हमारे प्रलेखीय चलचित्रों का वाणिज्यिक वितरण बहुत से यूरोपीय देशों में हो रहा है। परन्तु वृत्त चित्र ऐसे समाचार विषयक मदों के सम्बन्ध में होते हैं जो कि मुख्यतः भारतीयों के ही रुचिकर होते हैं। इसलिये हम उन क्षेत्रों में जहां पर भारतीय भारी संख्या में नहीं हैं इनका बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वितरण नहीं करा सके हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : उन न्यूज़ रील्स की भाषा क्या होती है ? जिस देश में आप न्यूज़ रील्स भेजते हैं वहां की भाषा में आपको उसको भेजना चाहिये।

डा० केसकर : जब हमारी न्यूज़ रील्स के लिये डिमांड बढ़ेगी तो हम वहां की भाषा में भी अपनी न्यूज़ रील्स बनायेंगे।

नन्दीकोंडा परियोजना

*९३० **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दीकोंडा परियोजना में कंकरीट का बांध बनाया जायेगा अथवा ईंटों आदि का ;

(ख) दोनों की तुलनात्मक लागत क्या होगी और नियोजन की दृष्टि से कौनसा लाभदायक रहेगा ; और

(ग) नहरों का कार्य आरम्भ करने के लिये कौनसा समय निश्चित है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ईंटों से बना बांध बनाने का विचार है।

(ख) हैदराबाद सरकार के अनुसार कंकरीट के बांध पर ईंटों आदि के बांध की अपेक्षा अधिक लागत आयेगी और ईंटों के बांध से अधिक व्यक्तियों को काम मिल सकता है।

(ग) अभी तक नियंत्रण बोर्ड ने बांध तथा नहरों पर किये जाने वाले कार्य की निर्माण अनुसूची तैयार नहीं की है। किन्तु, हैदराबाद सरकार नहरों तथा बांध पर एक साथ ही काम आरम्भ करने का विचार करती है।

डा० रामा राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नन्दीकोंडा बांध ईंटों आदि का होगा, क्या सरकार वहां पर एक ऐसे मुख्य इंजिनियर को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी जिसे कि ईंटों आदि के बांध के काम का अनुभव हो, न कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसे सीमित अनुभव हो और वह भी कंकरीट बांध का अधिक हो और जो कि ईंटों आदि के बांध के विरुद्ध भावना रखता हो ?

श्री हाथी : जब इंजीनियर नियुक्त किया जायगा तो नियंत्रण बोर्ड इन सब बातों पर विचार करेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सच है कि इस बांध के लिये मुख्य इंजीनियर की नियुक्ति के बारे में हैदराबाद तथा आंध्र सरकार द्वारा की गई सिफारिश को नामन्जूर कर दिया है ?

श्री हाथी : जी नहीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई ऐसी सिफारिश नहीं की गई थी।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

*४८२. **श्री तुलसीदास** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा **अध्ययन** तथा जांच किये जाने के लिये कौन से **उद्योग** चुने गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग नौ उद्योगों का आरम्भिक अध्ययन किया जा चुका है और इन पर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् की अगली बैठक में अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

श्री तुलसीदास : क्या मैं उन उद्योगों के नाम जान सकता हूं जिन पर निगम विचार करेगा ?

श्री कानूनगो : मुख्यतया वे उद्योग यह होंगे : लकड़ी का गूदा, कार्बन ब्लैक, इस्पात की ढलाई, रंगने की सामग्री की मध्यवर्ती वस्तुयें, रिफैक्ट्रीज़, आंशिक अश्व-शक्ति मीटर, मुद्रण मशीनरी, गन्धक पाइराईट्स, मशीनी औज़ार, डीज़ल इंजिन, तथा जेनरेटर्ज़ ।

श्री तुलसीदास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य क्षेत्र में स्थित इन उद्योगों पर कोई प्रभाव पड़ेगा जबकि उसी प्रकार के उद्योग इस निगम द्वारा लिये जायेंगे ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हम केवल यही कह सकते हैं कि जब निगम किसी उद्योग विशेष को लेने का निर्णय करता है, तो अवश्य ही गैर-सरकारी क्षेत्र पर इस का प्रभाव पड़ता है । यह प्रभाव ऐसा भी हो सकता है जिससे कि उद्योग अधिक उत्पादन आरम्भ कर दे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस जांच का क्षेत्र क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पूंजी के ढांचे की जांच की जा रही है अथवा श्रमिकों की निर्वाह अवस्था की जांच की जा रही है अथवा दोनों की जांच की जा रही है, या इस के किसी और ही पहलू की जांच की जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का उत्तर मैं किस प्रकार दूं । किसी उद्योग का विस्तार उस उद्योग के उत्पादों के हमारे उपभोग करने की सीमा तक होता है । दूसरे प्रश्न तभी उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि एकक आरम्भ कर दिये जायें ।

पंजाब विश्वविद्यालय

***८९९. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय को चंडीगढ़ में पुनर्वासित करने के लिये भारत सरकार से ऋण दिये जाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण के रूप में कितनी रक़म मांगी गई है ; और

(ग) क्या उस ऋण की मंजूरी दे दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से अनुदान दिये जाने के बारे में एक आवेदन अवश्य प्राप्त हुआ है ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रार्थना कब प्राप्त हुई थी और इस सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय करेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : यह विषय योजना आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय और पुनर्वास मंत्रालय के विचाराधीन है ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उस सरकार ने कितनी रक़म की मांग की है ?

श्री जे० के० भोंसले : विश्वविद्यालय ने ७५ लाख रुपये के अनुदान की मांग की है ।

भेषजिक (औषधि) जांच समिति

*८९४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २५ फरवरी १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भेषजिक जांच समिति की सिफारिशों पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४**]

श्री झूलन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भेषजिक जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप क्या नक़ली तथा अप्रमापित औषधियों के विक्रय की स्थिति में कोई सुधार हुआ है और क्या औषधियों के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता प्राप्त हो जाने में कोई प्रगति हुई है ?

श्री कानूनगो : अभी से इसका अनुमान लगाना कठिन है ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि भेषजिक जांच समिति की विभिन्न सिफारिशों में अफीम तथा इस के प्रभावों के सम्बन्ध में भी कोई सिफारिशें हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन वस्तुओं के निर्माण के प्रोत्साहन देने तथा इनके प्रमापन और इनका प्रचार करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कानूनगो : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री एन० बी० चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम एक नई समवाय विधि पारित कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विदेशी व्यापारिक संस्थाओं के बारे में, जिन्हें गवेषणा सम्बन्धी एक योजना आरम्भ करने अथवा स्वदेशी फर्मों को सुविधायें देने के लिये कहा गया है भेषजिक जांच समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया है, तथा क्या इस नई समवाय विधि को दृष्टि में रखते हुए, भविष्य के लिये अनुज्ञप्तियां देने अथवा वर्तमान विदेशी व्यापारिक संस्थाओं को जिनका सम्बन्ध भेषजिक उद्योग से है जारी रखने के बारे में जैसा कि भेषजिक जांच समिति ने सुझाव दिया है, कोई कार्यवाही की जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह तो कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है । इससे जानकारी जानने वाला कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय

*८९७. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ७ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय के प्रसार की योजना अब तैयार कर ली गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : नहीं श्रीमान्, यह ज्ञात हुआ है कि अभी यह तैयार की जा रही है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की सहायता से टाटा वाले अमेरिका में गैर-सरकारी ऋण लेने जा रहे हैं और क्या सरकार उनकी प्रतिभूति देने को तैयार है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : गैर-सरकारी ऋण के लिये सरकार कोई प्रतिभूति नहीं देती है । यदि लोग विदेशी मुद्रा चाहते हैं, तो अवश्य ही उन्हें ऋण लेने

की स्वतन्त्रता है, किन्तु गैर-सरकारी ऋणों के लिये सरकार कोई प्रतिभूति नहीं देती है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या टाटा वालों ने विश्व बैंक से ऋण के लिये प्रार्थना की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर एक पूर्व अवसर पर दिया जा चुका है। जहां तक हम जानते हैं, इसका उत्तर "नहीं" है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या टाटा वालों ने सरकार को कोई प्रसार योजना भेजी है, और यदि हां, तो प्रसार का स्वरूप क्या होगा और इस समवाय का उत्पादन कितना बढ़ जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकारी पदाधिकारियों के सहयोग से एक प्रयोगात्मक योजना तैयार की गई थी और आशा यह है कि उनका उत्पादन दस लाख टन धातु खंडों तक बढ़ जायेगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : श्रीमान्, क्या मैं प्रश्न संख्या ८९५ पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके पास अधिकार-पत्र है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : हां, श्रीमान् अधिकार-पत्र यह है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे सचिव को भेज सकते थे। मुझे यह देखना होता है कि अधिकार-पत्र नियमित है। हां, वह प्रश्न पूछ सकते हैं ?

रोज़गार पुस्तिका

*८९५. **पंडित डी० एन० तिवारी (श्री विभूति मिश्र की ओर से)** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी वैज्ञानिक रोज़गार पुस्तिका है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति देश की बेरोज़गारी की वास्तविक स्थिति जान सके ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) एक श्रम-बल सांख्यकीय पुस्तिका—रोजगार तथा बेरोजगार के आंकड़ों से सम्बन्धित—केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा राज्य सांख्यकीय कार्यालयों की सलाह से तैयार की जा रही है। जब प्रारूप पुस्तिका में प्रस्थापित सावधिक सर्वेक्षण समानाधार पर किये जायेंगे तो देश में समय समय पर बेरोजगारी की स्थिति को मालूम करना सम्भव हो जायगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : जो स्टैटिस्टिक्स तैयार हो रहा है वह केवल एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के जरिये हो रहा है या सारे देश का नक्शा दृष्टि में रख कर बनाया जा रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : अभी कोई स्टैटिस्टिक्स तैयार नहीं हो रही हैं। स्टैटिस्टिक्स तैयार करने का एक मैनुअल तैयार हो रहा है, उस मैनुअल का यह काम होगा कि उससे लोगों को मार्ग दर्शन मिले। राज्य सरकारों द्वारा या और तरह से भी जो सर्वे किया जाय उसमें इससे गाइडेन्स मिलेगी।

पंडित डी० एन० तिवारी : जो मैनुअल तैयार हो रहा है वह किस आधार पर हो रहा है, एमप्लायमेंट एक्सचेंज के फिगर्स से हो रहा है या देश में जो बढ़ती हुई बेकारी है, उसके ज़रिये हो रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जरिये की बात तो साफ माननीय सदस्य ने नहीं बताई। इस में जरिये का कोई सवाल नहीं है। इस के लिये जो कमेटी बनी है वह इस पर विचार कर रही है। कमेटी में प्लैनिंग कमीशन के लोग भी हैं, सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गेनाइज़ेशन के लोग हैं और डाइरेक्टोरेट आफ़ नैशनल सैम्पुल सर्वे वगैरह के लोग हैं। यह सब लोग मिल कर इस मैनुअल को तैयार करने में लगे हुये हैं।

सोडा

*९०५. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी (डा० सत्यवादी की ओर से)** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, १९५५ की कालावधि में सरकार को कॉस्टिक सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट के आयात की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने आवेदन पत्र स्वीकृत हुए ; और

(ख) उक्त कालावधि में प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसी) को कितने मूल्य के आयात के लिये अनुज्ञप्ति दी गई ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सदन की मेज पर एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५**]

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : क्या में पूछ सकता हूं कि जिन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं उन्होंने पूरा माल बरामद कर दिया है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, में नहीं कह सकता ।

चौधरी मुहम्मद शफी : क्या में पूछ सकता हूं कि जो दरख्वास्तें मंजूर नहीं की गईं उनकी नामंजूरी के क्या असबाब थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे और लोगों से उन शर्तों का व्यौरा मांगा गया था जिनके आधार पर वे क्रय कर सकते हैं और उन लोगों को जो कि कम से कम मल्य पर खरीद कर सकते थे अनुज्ञप्ति दी गई थीं ।

श्री वी० पी० नायर : या में जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इम्पीरियल केमिकल उद्योग ने जिसको ब्रिटिश निर्मित कॉस्टिक सोडा के विक्रय का एकाधिकार प्राप्त है, अन्य आयतकों से बहुत अधिक मूल्य प्रस्तुत किये थे और साथ ही सरकार को अपनी प्रस्थापनाओं में न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत किये थे जिसका परिणाम यह हुआ इम्पीरियल केमिकल उद्योग के अतिरिक्त भारत में कोई अन्य संभरणकर्ता ब्रिटिश निर्मित सोडा कास्टिक का संभरण करने का काम नहीं ले सका ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा होना सम्भव है । उनकी एक शाखा यहां है और अपनी शाखा के द्वारा वे न्यून मूल्य प्रस्तुत करते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि ब्रिटिश निर्मित कास्टिक सोडा के भारत में विक्रय के सम्बन्ध में भी इम्पीरियल केमिकल उद्योग को ही एकाधिपत्य प्राप्त है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है । हमने १६ व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां दी हैं और इम्पीरियल केमिकल उद्योग उन १६ में से एक है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं उस कास्टिक सोडा की प्रतिशतता जान सकता हूं जो कि भारत में इम्पीरियल केमिकल उद्योग द्वारा वेचा जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि अब मैं माननीय सदस्य की सहायता कैसे करूं । मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूं जब कि वह एक पृथक प्रश्न रखेंगे।

आवास स्थान

*९१४. **सरदार इकबाल सिंह (सरदार अकरपुरी की ओर से)** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में गत १२ से १५ वर्षों तक काम करने वाले कई

सरकारी कर्मचारियों को अभी तक सरकारी आवास-स्थान नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग १४०० ।

(ग) यद्यपि सरकार ने आवास के लिये पर्याप्त संख्या में मकान बनाये हैं और अभी बना रही है, तथापि सरकार का यह आशय तो कदापि नहीं रहा है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा ही निवास-स्थान दिया जायेगा। तथापि मुझे पूर्ण आशा है कि जिस गति से सरकार की ओर से तथा निजी व्यक्तियों की ओर से मकान निर्माण का कार्य चल रहा है, आगामी कुछ एक वर्षों में ही यदि सभी नहीं तो अधिकतर सरकारी कर्मचारी अपने लिये संतोषजनक आवास-स्थान प्राप्त कर सकेंगे ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये जाने वाले मकानों को आवंटित करते समय उन सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता देगी जो कि कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये जाने वाले मकान उन कर्मचारियों को उसी क्रम से दिये जायेंगे जिस क्रम से वे आवास स्थान प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में किराये बहुत ज्यादा हैं, कोई वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इनमें से बहुत से सरकारी कर्मचारियों को, और विशेषतः कम वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को पहले ही आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । इस समय तो इस आर्थिक सहायता की मात्रा बढ़ाने का कोई अवसर नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

*८९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार अथवा ब्रिटिश कपड़ा हितों ने भारत सरकार के विचारार्थ इस आशय की कोई प्रस्थापना भेजी है कि उस देश को निर्यात किये जाने वाले भारतीय कपड़े के अभ्यंश को प्रतिबन्धित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्थापनाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सामुदायिक रेडियो सैट

*८९१. { **श्री गिडवानी** :
श्री बाल्मीकी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य क्षेत्रों में अभी तक कितने सामुदायिक रेडियो सैट लगाये गये हैं ; और

(ख) ये रेडियो सैट किन अभिकरणों के द्वारा ग्रामों में चलाये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इस योजना के अधीन ३१ मार्च १९५५ तक १,२२० रेडियो सैट लगाये गये थे क्योंकि राज्यों ने केवल इतने ही सैटों के मूल्य के सम्बन्ध में अपना भाग दिया था।

जहां तक सूचना प्राप्त हुई है, विभिन्न राज्य सरकारों के लिये १३३४० सैटों की आवश्यकता है। इन सैटों के संभरण के लिये संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के द्वारा आर्डर दे दिये गये हैं, और आशा है कि उनका संभरण इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जायगा।

(ख) अधिकतर राज्यों में तो ग्रामों में लगाये गये सैट ग्राम पंचायतों अथवा सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाते हैं; अन्य राज्यों में वे सैट या तो सरकार द्वारा नियुक्त किसी कार्यवाहक द्वारा अथवा शिक्षा संस्थाओं द्वारा अथवा ग्राम विकास समितियों द्वारा चलाये जाते हैं।

काली मिर्च

***८९२. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष काली मिर्च के निर्यात व्यापार में पर्याप्त कमी हो गई है ;

(ख) १९४७ और १९४८ में काली मिर्च के निर्यात की तुलना में इस वर्ष कुल कितनी कमी हुई है ; और

(ग) इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ; और निर्यात को उन्नत करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). चालू वर्ष के जून मास के अन्त तक के निर्यात आंकड़े यह बताते हैं कि १९५५ में औसत मासिक निर्यात १९४७ के औसत मासिक निर्यात की अपेक्षा कुछ कम रहा है, परन्तु १९४८ के औसत मासिक निर्यात की तुलना में कुछ अधिक रहा है।

(ग) इस कमी का मुख्य कारण सारावाक और हिन्देशिया से आने वाली काली मिर्च के कारण विदेशी मंडियों में होने वाली प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगीय स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने इस वर्ष के प्रारम्भ में ही काली मिर्च पर निर्यात शुल्क को ३० प्रतिशत यथा मूल्य से घटा कर १५ प्रतिशत यथा मूल्य कर दिया है।

काली मिर्च के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार इन विभिन्न अन्य उपायों की प्रस्थापना करती है :

(१) काजू तथा काली मिर्च के लिये शीघ्र ही एक निर्यात वृद्धि परिषद स्थापित किये जाने की आशा है; इस परिषद का एक कार्य भारतीय काली मिर्च के लिये प्रचार करना होगा।

(२) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद द्वारा भारतीय काली मिर्च के विज्ञापन के सम्बन्ध में कुछ योजनायें बनायी गयी हैं जिनमें प्रलेखीय चल चित्रों इत्यादि का निर्माण भी सम्मिलित है, और उन पर प्रस्थापित निर्यात वृद्धि परिषद द्वारा विचार किये जाने की अपेक्षा है।

(३) काली मिर्च को भेजने से पूर्व उस पर फंफूंदी लगने से बचाने और उसके पैकिंग की देखभाल के

लिये उसे सुखाने और पालीथ-लीन के थैलों में बन्द करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

कोरबा कोयला क्षेत्र

*८९६. { **श्री के० पी० सिन्हा :** **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** }

क्या उत्पादन मंत्री २२ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा (मध्य प्रदेश) के कोयला क्षेत्रों को विकसित करने के सम्बन्ध में सरकार का मध्य प्रदेश की सरकार से कोई अन्तिम समझौता हो गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा तथा उसके लिये चलाये जाने के हेतु जो क्षेत्र सुरक्षित किये गये हैं, वहां पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से काम किया जाय। इस प्रकार से कार्य किये जाने के लिये अन्य क्षेत्रों को लेने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के सम्मिलित हित में किये जाने वाले ऐसे कार्य के लिये प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबन्ध अभी विचाराधीन हैं। इस बीच खोज सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

हाथ करघा उद्योग

*९०१. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माहे में हाथ करघा-उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उस क्षेत्र में इस उद्योग की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ; और

(ग) क्या यह सत्य है कि हाथ करघा उपकर निधि से इसको कोई सहायता नहीं दी गयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) माहे में हाथ करघा-उद्योग के विकास के लिये २३,८१२ रुपये ८ आने तक की एक आर्थिक सहायता दी गयी है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

*९११. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाज़ों की लागत को कम करने के लिये जहाज़ों के प्रमापीकरण के हेतु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस सुझाव को क्रियान्वित करने से जहाज़ों की लागत में अनुमानतः कितने प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). शिपयार्ड के अधिकारियों ने केवल विशेष प्रकार के ही जहाज़ बनाने के सम्बन्ध में जहाज़ों के मालिकों से जो बातचीत की है उससे विदित होता है कि वे इस प्रस्ताव के अधिक पक्ष में नहीं हैं। इस विषय पर जहाज़ की कम्पनियों में आपस में भी मतभेद है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जहाजों के बनाने का कार्यक्रम तय करने को

सिलसिले में सरकार इस विषय पर फिर विचार विमर्श करने के लिये जहाज़ों के मालिकों को निमन्त्रित करने का इरादा रखती है।

(ग) जहाज़ों की लागत में कितनी कमी होगी यह ठीक ठीक बताना कठिन है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस आकार के और कितने प्रकार के जहाज़ बनाने का निश्चय किया जाता है। विशेष प्रकार के ही जहाज़ बनाने से लागत में इकट्ठी सामग्री खरीदने और मज़दूरी में बचत होने के कारण निश्चय ही कमी होगी। "जल" प्रकार के कई जहाज़ों को बनाने से यह अनुभव हुआ है कि मज़दूरी में १० से १५ प्रतिशत कमी हो जाती है। ऊपरी खर्च का हिसाब लगा कर कुल लागत में ५ प्रति शत बचत होती है।

चलचित्र-उद्योग

*९१८. **श्री गिडवानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चल चित्र उत्पादक सन्था के प्रधान द्वारा एक प्रैस सम्मेलन में भारतीय चलचित्र उद्योग के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रधान द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया है ; और

(ग) सरकार द्वारा इनमें से कौन से सुझाव मान लिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). सरकार को भारतीय चल चित्र उत्पादक सन्था के प्रधान से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने तो केवल समाचार पत्रों में ही एक वक्तव्य देखा है।

अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा

*९१९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अखिल भारतीय सिंचाई और विद्युत् इंजीनियर सेवा की स्थापना के लिये सभी प्रारम्भिक बातों के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित की जायगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी नहीं, श्रीमान। कुछ एक राज्य सरकारों से अन्तिम उत्तरों की प्रतीक्षा है।

(ख) इस सम्बन्ध में इस स्थिति में कुछ बताना सम्भव नहीं है।

मूंगफली

*९२१. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश से निर्यात के लिये मूंगफली के कुछ अभ्यंश के मुक्त किये जाने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के लिये कितना अभ्यंश निश्चित किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) उत्तर प्रदेश से निर्यात के लिये मूंगफली का कोई अभ्यंश मुक्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

माही

*९२२. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माही (मालाबार में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्ती) की जनता और संघों की ओर से वहां पर नये उद्योग प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). माही कांग्रेस समिति के प्रधान की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें माही में मछेरों और जुलाहों के लिये सहकारी संस्थाएं प्रारम्भ करने और क़लई करने, डिब्बों में बन्द करने तथा रस्सी बनाने के उद्योग की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं।

पांडिचेरी सरकार ने स्थानीय निकायों के परामर्श से माही तथा राज्य के अन्य भागों के लिये कई विकास योजनायें बनायी हैं। इसके परिणाम स्वरूप मछेरों के लिये माही में एक सहकारी समिति का शीघ्र ही उद्घाटन किया जायेगा। अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त होते ही एक जुलाहा सहकारी संस्था भी शीघ्र ही प्रारम्भ कर दी जायगी। एक बहुप्रयोजनीय सहकारी संस्था के बारे में एक अन्य योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है और उसके शीघ्र ही कार्यान्वित किये जाने की आशा है।

इसके अतिरिक्त पांडिचेरी राज्य में नये उद्योगों की स्थापना की सम्भावना का प्रश्न भारत सरकार के अविलम्बनीय रूप से विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

*९२५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कारखाने के सिलसिले में इस्पात संयंत्र (पलांट) के रूपांकन (डिज़ाइन) का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने भारतीय इंजीनियरों को जर्मनी भेजा गया है ; और

(ख) इन इंजीनियरों का चुनाव किस प्रकार किया गया ; तथा इनके प्रशिक्षण प्राप्त करने की कालावधि कितनी है और वहां से लौटने के उपरांत ये कहां कार्य करेंगे ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २५।

(ख) इन स्थानों का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने विज्ञापन निकाला था। आवश्यक योग्यता वाले आवेदन-कर्त्ताओं में से १० को इसी कार्य के लिये बनाई गई समिति ने चुना था। शेष १५ इंजीनियरों को कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य दो डायरेक्टरों ने ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका से चुना है। इन इंजीनियरों को शिक्षा दी जायगी जिसकी अवधि का निश्चय टेक्निकल-परामर्शदाता (मैसर्स क्रप डेमाग) करेंगे। इसके बाद वे कम्पनी की नौकरी करने के लिये भारत लौट आयेंगे।

प्रौद्योगिक संस्था

*९२९. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने आगरा में छोटे पैमाने के उद्योगों की प्रौद्योगिक संस्था की एक शाखा एकक स्थापित

करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ;

(ख) सन् १९४७ के उपरांत से केन्द्रीय सरकार के समक्ष ऐसी कितनी प्रस्थापनायें रखी गई हैं, और किन किन राज्यों ने उन प्रस्थापनाओं को प्रस्तुत किया है ; और

(ग) सरकार ने कितनी प्रस्थापनायें स्वीकृत की हैं तथा कितनी रद्द की हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मध्यभारत, मैसूर तथा जम्मू और काश्मीर राज्य सरकारों से प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) अभी तक केवल उत्तर प्रदेश की प्रस्थापना सरकार द्वारा स्वीकार की गई है ।

सड़कों की लम्बाई

४५२. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक मध्य प्रदेश के सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में कुल कितनी मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं और प्रतिवर्ष कितने मील लम्बी सड़कें तैयार की गई हैं ; और

(ख) यह सड़कें किन स्थानों पर बनाई गई हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]

ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना

४५३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पंजाब के सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में भूमिविहीन मजदूरों के लिये ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना के अधीन कुल कितनी धन राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ख) अब तक उन क्षेत्रों में कुल कितने मकान बनाये गये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ३१ मार्च, १९५५ तक २८३४ ।

तांबे का तार

४५४. **श्री इब्राहीम** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तांबे का नंगा तार (बिजली के काम में आनेवाला) तैयार किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना और कितने मूल्य का ऐसा तार तैयार किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख)

वर्ष	अनुमानित उत्पादन	अनुमानित मूल्य
१९५२	५,९३० टन	३·१ करोड़ रुपये
१९५३	७,३७२ टन	३·७५ करोड़ रुपये
१९५४	७,५८० टन	४·५ करोड़ रुपये

अभ्रक अयस्क

४५५. **श्री इब्राहीम** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४-५५ में देश में कुल कितने अभ्रक अयस्क का उत्पादन हुआ है और उसका मूल्य रुपयों में कितना है ;

(ख) उक्त अवधि में भारत में कुल कितने प्रतिशत की खपत हुई है और कितने प्रतिशत का निर्यात हुआ है ;

(ग) कौन सा मुख्य भारतीय उद्योग इस अयस्क को खपाता है और वार्षिक खपत की प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) कौन से मुख्य विदेशी उद्योग भारतीय अभ्रक को काम में लाते हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५४-५५ के उत्पादन के ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य खान निरीक्षक को प्राप्त हुये विवरणों के अनुसार, १९५४ में उत्पादन इस प्रकार था :—

	हंडरवेट में
साफ़ किया हुआ अभ्रक	१०३३८१
बेकार अभ्रक	३,२६४
कच्चा अभ्रक	४,७५६

इन उत्पादों के मूल्य को आंकना कठिन है।

(ख) और (ग). प्रायः समस्त अभ्रक का निर्यात किया जाता है और बहुत थोड़ी मात्रा में अभ्रक, जो देश में ही काम में लाई जाती है, मुख्यतया माईकेनाइट उद्योग में काम में ली जाती है।

(घ) अधिकतर बिजली सम्बन्धी उद्योग।

सिगरेट

४५६. **श्री इब्राहीम** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में भारत में कुल कितनी और कितने मूल्य की सिगरेटें तैयार की गईं और उनमें किस प्रकार का तम्बाकू प्रयोग में लाया गया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : लगभग २०,००,०० लाख सिगरेटें, जिनका मूल्य लगभग ४५ करोड़ रुपये होता है, १९५४ में भारत में तैयार की गई थीं। काम में लाये गये तम्बाकू की किस्म के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

साबुन

४५७. **श्री इब्राहीम** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में भारतीय सार्थों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में साबुन की कुल कितनी परिमात्रा तैयार की गई ; और

(ख) उसी अवधि में विदेशी सार्थों द्वारा भारत में कितना साबुन तैयार किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) संगठित क्षेत्र में हुए उत्पादन के विषय में एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७**]

(ख) १९५२ में ५१,४३५ टन, १९५३ में ५०,५६१ टन और १९५४ में ५०,३८१ टन।

अमोनियम सल्फेट

४५८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५४ से मार्च, १९५५ तक देश में अमोनियम सल्फेट (उर्वरक) का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया है ;

(ख) देश में कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है ;

(ग) कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है ; और

(घ) आज कल कितनी मात्रा बची है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३,६४,६३६ टन।

(ख) ४,७०,२०० टन जिसमें विदेशों से मंगाये गये ६४,००० टन भी शामिल हैं।

(ग) सिन्दरी के स्टॉक से नेपाल को भेजे गये २०० टन अमोनियम सल्फेट को छोड़ कर और कुछ नहीं।

(घ) १ अप्रैल, १९५५ को २३,४४१ टन।

सामुदायिक रेडियो सैट

४५९. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को अब तक कितने सामुदायिक रेडियो सैट दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १९५४-५५ में केन्द्रीय सरकार की अर्थ-सहायता योजना के अधीन राज्य सरकारों को १२२० रेडियो सैट दिये गये थे, उनका व्यौरा इस प्रकार है :

१. उत्तर प्रदेश	१०००
२. हिमाचल प्रदेश	५०
३. विन्ध्य प्रदेश	२०
४. त्रावनकोर-कोचीन	५०
५. आसाम	१००
कुल	१२२०

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अब तक १९५५-५६ के लिये १३३४० सामुदायिक रेडियो सैटों की जो आवश्यकता बताई है, उसके लिये संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक नई दिल्ली को आर्डर दिये जा चुके हैं; चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व इनके संभरित कर दिये जाने की आशा है।

आकाशवाणी के कलाकार

४६०. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के प्रत्येक स्टेशन पर स्थायी कलाकारों की संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें अनसूचित जातियों से सम्बन्ध रखने वालों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) आकाशवाणी के स्टेशनों पर कोई स्थायी कलाकार नहीं हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये उद्योग

४६१. { **श्री बी० के० दास :**
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार दिलाने के लिये पश्चिमी और उत्तरी मंडलों में अब तक खोले गये उद्योगों (फैक्टरी के स्थानों के नाम के साथ) के क्या नाम हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक उद्योग को कितना ऋण दिया गया है और विस्थापित व्यक्तियों द्वारा स्वयं कितना धन विनियोजित किया गया है ; और

(ग) उनके द्वारा कितने विस्थापित व्यक्ति पहले से ही सेवायुक्त किये जा चुके हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनु-

बन्ध संख्या ८] शरणार्थी बस्तियों में उद्योग स्थापित करने की सुविधायें सभी उद्योगपतियों को दी जाती हैं और इस बात का कोई विचार नहीं किया जाता कि वे विस्थापित व्यक्ति हैं अथवा नहीं। उन्हें प्रायः मशीनों की लागत का ५० प्रतिशत और समस्त कार्य संचालन पूंजी लगानी पड़ती है।

तिब्बत और लद्दाख के मध्य व्यापार

४६२. { **श्री हेडा :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९५५ से लेकर तिब्बत और लद्दाख के बीच कितने व्यापार मिशनों का आदान-प्रदान हुआ है ; और

(ख) क्या गत तीन वर्षों में दोनों प्रदेशों के मध्य व्यापार कम हुआ है या बढ़ा है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार ने अप्रैल १९५५ से लेकर तिब्बत और लद्दाख के बीच व्यापार मिशनों के किसी आदान-प्रदान को प्रवर्त्तित नहीं किया है।

(ख) लद्दाख और तिब्बत के बीच हुए व्यापार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये यह कहना सम्भव नहीं है कि लद्दाख तिब्बत व्यापार में वृद्धि हुई है या कमी।

पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयुक्त का कार्यालय

४६३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कर्मचारियों को कूटनीतिक विमुक्ति दे दी गई है ; और

(ख) पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालयों में कुल कितने व्यक्ति सेवायुक्त हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, श्रीमान्। उन कर्मचारियों को जो पाकिस्तानी राष्ट्रीयता रखते हैं और जिन्हें स्थानीय रूप से भर्ती किया गया है, ऐसी विमुक्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं।

(ख) १६६।

जर्मन युद्ध क्षतिपूर्ति मशीनरी

४६४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा कुल कितनी जर्मन युद्ध क्षतिपूर्ति मशीनरी प्राप्त की गई है ;

(ख) १९५४–५५ में कितनी मशीनें बेची गई थीं ;

(ग) अभी और कितनी मशीनें बेचना शेष है ; और

(घ) न बेची गई मशीनों का कुल अनुमानित मूल्य क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १०४३१।

(ख) २५१

(ग) ३६६

(घ) पुस्त मूल्य २८·६ लाख का अनुमान लगाया गया है परन्तु बिकने पर इनका मूल्य मिलेगा, इन मशीनों की अवस्था और क़िस्म के कारण इसका अनुमान लगाना कठिन है।

त्रिपुरा को विस्थापित व्यक्तियों का प्रव्रजन

४६५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों ने त्रिपुरा में प्रव्रजन किया है ;

(ख) उनमें से कितनों को आर्थिक सहायता दी गई है ; और

(ग) उनमें से कितनों को ऋण मिले हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जुलाई, १९५५ के अन्त तक ११,७५२ व्यक्ति।

(ख) ११८६ व्यक्ति।

(ग) ४९० व्यक्ति।

सीमा निर्धारण

४६६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने पर कुल कितना धन व्यय किया गया, तथा पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर अलग अलग से कितना धन व्यय किया गया ; और

(ख) सीमा निर्धारण करने के आरम्भ से अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). अब तक पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में सीमा स्थिर करने पर कुल खर्च २०,७३ ४७४ रुपये हुआ है। इसमें से १९५४-५५ में पूर्वी इलाके में ५,३४,७०० रुपया खर्च हुआ था और उसी वर्ष पश्चिमी इलाके में हुआ खर्च १,८०६ रुपये था।

चन्दन की लकड़ी का निर्यात

४६७. **श्री एन० राचय्या** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ में मैसूर राज्य से अमरीका स्थित सर्वश्री बुश एण्ड कम्पनी को कुल कितनी चन्दन की लकड़ी निर्यात की गई ; और

(ख) उससे प्राप्त हुई कुल धनराशि ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

निवास स्थान

४६८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिकारियों को, जो निवास स्थान दिये जाने के लिये आवेदन करते हैं, एक सूची जो कि 'क्रम बाह्य' सूची कहलाती है रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सूची में दी गई प्राथमिकता के अनुसार निवासस्थान दिये जा रहे हैं ;

(ग) क्या इस 'क्रम बाह्य' सूची में उल्लिखित किन्हीं अधिकारियों को अधिभावी प्राथमिकता दी जाती है और मकान आवंटित किये जाते हैं ; और

(घ) ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है और उन्हें अधिभावी प्राथमिकता दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). ३१ जुलाई, १९५५ को समाप्त होने वाले बारह महीनों में केवल ५० अधिकारियों को अधिभावी प्राथमिकता दी गई जबकि ७९८ अधिकारियों को मकानों का क्रम बाह्य आवंटन किया गया । ऐसी प्राथमिकता केवल अतीव क्लेश (उदाहरण के लिये परिवार में अतिशय रुगणता होने की दशा में इत्यादि) के मामलों में, जिन में तुरन्त ही निवास स्थान की व्यवस्था करना आवश्यक समझा जाता है, दी जाती है ।

दामोदर घाटी निगम

४६९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम अपने स्टोर को संभरण तथा उत्सर्जन निदेशालय के द्वारा खरीदता है ;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) अब तक संभरण तथा उत्सर्जन निदेशालय के द्वारा न खरीदे गये स्टोर का कुल मूल्य कितना है ; और

(घ) सीधे ही खरीद करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

निवास स्थान

४७०. **सरदार अकरपुरी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५०० रुपये और उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की गृह आवंटन सम्बन्धी स्थिति क्या है ; और

(ख) किस प्रस्थिति तक इन वर्गों को निवास स्थान दिये जा चुके हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली और नई दिल्ली में ५०० रुपये और इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या ३१८७ है । इनमें से १५०९ अधिकारियों को उन्हीं की श्रेणी के निवास स्थान दे दिये गये हैं, और ११८८ अधिकारी, होस्टलों में दिये गये निवास स्थान समेत, सरकारी निवास स्थानों में, जो कि यद्यपि उनकी श्रेणी के नहीं हैं, निवास कर रहे हैं ।

कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र

४७१. **श्री दशरथ देब** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा के कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र में कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) इस केन्द्र में एक ही समय में कितने विद्यार्थी प्रशिक्षित किये जा सकते हैं;

(ग) उनके प्रशिक्षण के विषय क्या हैं ; और

(घ) इस प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है

यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

४७२. श्री एच० जी० वैष्णव : क्या **निर्माण, अवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक हैदराबाद राज्य में औद्योगिक तथा अन्य प्रकार के श्रमिकों के लिये राज्य-सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों की संख्या क्या है ; और

(ख) अब तक इस पर कितनी रक़म खर्च की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०]**

अनुक्रमणिका

लोक-सभा वाद-विवाद—भाग १

दशम सत्र, १९५५

(खंड ३—अंक १ से २०)

(२५ जुलाई १९५५ से २० अगस्त, १९५५)

अ

अंग्रेजी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वायु बल अकादमियां ४०८—०९

अंडमान तथा निकोबार द्वीप—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र १२१०–१२

अन्दमान ८२७, १०३६–३७

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह १०२४—२५

अन्दमान द्वीप समूह ४२२–२३–८३५

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ४०–४२

वैध शालायें १२००

अंदुल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे आय ९२९—३१

अं[illegible]ित (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंधों की शिक्षा ७९९—८०१

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३५५, ७८०

अकरपुरी, सरदार—

के द्वारा प्रश्न—

निवास स्थान १३५६

रेलवे इंजीनियरिंग सेवायें ११७२–७३

अखबारी कागज—

देखिये "कागज"

अखिल भारतीय आम प्रदर्शनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय आम प्रदर्शनी ५८१–८२

अखिल भारतीय आम प्रदर्शनी ९६२

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् १००७–०८

क्रीड़ा संघ १२३४–३५

भारतीय ओलम्पिक संस्था १०२०–२१

भारतीय हाकी फेडरेशन १२५९—६१

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अम्बर चर्खा २८६

खादी वाणिज्य स्थान ६१६–१७

खादी वाणिज्यकक्ष (एम्पोरिया) १७–१८

ढाके की मलमल ५८

प्रशिक्षण संस्थायें ४६८–६९

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति १३८५—८७

अखिल भारतीय मलनाड सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय मलनाड सम्मेलन १०६१—६३

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—बंगलौर ९६५–६६

अखिल भारतीय शिल्पी शिक्षा परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय शिल्पी शिक्षा परिषद् ८०२—०३

अखिल-भारतीय श्रम संगठन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ११७७–७८

अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस ७५९

अखिल भारतीय सेवा (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को आयु सम्बन्धी रियायतें १५३–५४

अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अपहृत स्त्रियां १५–१७

अखिल भारतीय हाथ करघा कपड़ा विपणन सहकारी समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हाथ-करघा कपड़ा विपणन समिति ८४९—५१

अगरतला—

के सम्बन्ध में प्रश्न

—में पेचिश का व्यापक रोग ७३७–३८

अगरतला-सियना सड़क १२१९–२०

अग्नि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गंगा पुल योजना में आग लगना ११९२-९३

अग्रवाल, श्री एम० एल०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
पीलीभीत बस्ती योजना ६३५
के द्वारा प्रश्न—
काश्मीर ६८४—८६
कोसी परियोजना ८७६
गन्ना ५८४
चीनी का स्टाक ५७४
चीनी के नये कारखाने ९८६—८७
दूसरी पंचवर्षीय योजना २७३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १०७०—७२
भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १८४—८५
रेल दुर्घटना ३८०—८१
मुस्लिम विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ७०४
सम्पदा शुल्क ८४४
स्वास्थ्य कैंटीन १२२५

अचल सिंह, सेठ—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
खाद्यान्नों का क्रय ५३१
छोटे पैमाने के उद्योग ६६५
जाली मुद्रा १२५७
डाक-घर ७१६
तिलैया बांध ८५६
बन्दरों का निर्यात ४३९
सिलाई की मशीनों के पुर्जे ४
के द्वारा प्रश्न—
आगरा में काम दिलाऊ दफ्तर १२१६—१७
लोहा ८७८—७९

अचित राम, लाला—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
विस्थापितों के लिये मकान ४७४

अच्युतन, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
कोचीन में धूमन स्थान १३९९
चिकित्सा की देशी प्रणाली ५१०
झींगा मछलियों का निर्यात ३१७—१८
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १०७२
स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास १०३१

अजमेर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे अस्पताल ११७६—७७

अणुशक्ति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अणु-गवेषणा ४२—४४
अणु-शक्ति २४१—४२, ४५८—५९

अदोनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
करनूल तथा—रेलवे स्टेशन १०८

अधिक अन्न उपजाओ योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन ७३१—३३
अधिक अन्न उपजाओ योजना ११९७
अन्न उत्पादन ७३४—३५
नलकूप ५६४

अधिक कार्य योजना (ग्रामोद्योग)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ग्रामोद्योग २५१—५२

"अधिक चारा उपजाओ", आन्दोलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
"अधिक चारा उपजाओ" आन्दोलन ९४१—४२

अध्यापक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह १०२४—२५
असैनिक स्कूल—की छंटनी ८०६–०८
पांडिचेरी का प्रशासन १११८–१६
पोस्ट मास्टर १४१५
मुख्य अध्यापकों की गोष्ठी १०३७
शिल्प शिक्षकों का प्रशिक्षण २१६

अनन्नास—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
त्रिपुरा में—१४८

अनाथ बालक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
समाज कल्याण केन्द्र ८२८

अनावृष्टि—
के सम्बन्ध में इन—
प्राकृतिक संकट में सहायता ४०३–०४
राजस्थान में अभाव परिस्थिति ६५३–५४

अनिरसित केन्द्रीय अधिनियम —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनिरसित केन्द्रीय अधिनियम १०४०

अनिरुद्ध सिंह, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
आयकर १८२–८४
गंग-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन १४१४—१५

अनिरुद्ध सिंह ,श्री
के द्वारा प्रश्न— (जारी)
चीनी मिल १३५–३६
नोट आदि का कागज़ बनाने का कारखाना ७८३–८४
परिवहन परिशीलन संघ ११९४—९५
बैंकों की नयी शाखायें ८३३
यात्रियों को सुविधायें १४१५–१६
रेल दुर्घटना ५३९–४०
रेलवे वर्कशाप १२२—२३
रेलों का देरी से चलना १२१८
सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटिड १११४

अनुज्ञप्ति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कपास के वायदे के सौदे ११२५–२६
गुड़ और खांडसारी ११३३–३४
राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम १०४३
रेडियो—७५२–५३, १३८८–८९
रेडियो की—९६१, १३३६

अनुज्ञप्ति शुल्क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तम्बाकू उत्पादन शुल्क ६३३

अनुज्ञा-पत्र (त्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गोआ के लिये— ९१२-१३

अनुदान (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित आदिम जातियां ३९५–९६, ८३१–३२, ८४०-४१, १०२८-२९

अनुदान (नों)–(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

आदिमजातियों का कल्याण ४३४

आदिम जातियों का पुनर्वास ७७९–८०

आसाम की सड़कें ३२९–३०

इलाहाबाद विश्वविद्यालय १२३२ ३३

ऋण तथा—१२६५–६६

क्रीड़ा संघ १२३४–३५

खेल के अखाड़े तथा व्यायाम शाला २०७

गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल) ६७–६८

"गांधी महापुराण" १८१–८२

चीनी का परिवहन ९४६—४८

जनता कालिज १६६—६७

धर्मशाला को पर्यटक [illegible] ७५८

पुस्तकालय आन्दोलन का विकास ८४८

प्राकृतिक संकट में सहायता ४०३—०४

भारत में डाक्टरी शिक्षा के कालिज ९९०

भूमि अधिरक्षण ९७९–८०

मंत्री की स्वविवेकात निधि ८४५

युवकों के आवास २१८

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना ४८१–८२

रेशम उद्योग ४४२—४४

रेशम कृमि पालन २७६

विस्थापित स्त्रियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण १३०२–०३

शिक्षितों की बेकारी १७९–८०

संगीत नाटक अकादमी ८३६

स्थानीय विकास कार्यक्रम ५९

स्वास्थ्य कैंटीन १२२५

अनुवाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

"अमृतारा सन्तान" २२२

अनुसूचित आदिम जातियों—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां ३९५–९६, ४३१, ९९२–९३, ८३१–३२, ८४०–४१, १०२८–२९

अनुसूचित जातियां और—२१९, ४२०–२१

भारत में डाक्टरी शिक्षा के कालेज ९९०

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय तथा पुलिस सेवा २१२—१३

अनुसूचित जाति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित जातियां २११

—और अनुसूचित आदिमजातियां २१९, ४२०–२१

—तथा आदिम जातियों को आयु सम्बन्धी रियायतें १५३–५४

आकाशवाणी के कलाकार १३५०

उत्तर रेलवे में भरती ३६२–६३

काम दिलाऊ दफ्तर १३९

काम दिलाऊ दफ्तर, खड़गपुर १२१८–१९

काम दिलाऊ दफतर, हावड़ा १२२०

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी ५९

केन्द्रीय सचिवालय सेवा ४२५–२६

गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग (होम इकानोमिक्स डिपार्टमेंट) ७९—८१

छात्रवत्तियां २१४

अनुसूचित जाति यां--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

दिल्ली पुलिस ४२८

भारत में डाक्टरी शिक्षा के कालिज ६६०

भारतीय प्रशासन सेवा, तथा भारतीय पुलिस सेवा २१२–१३

भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा १८५–८६

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति आयुक्त--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ४२०–२१

अन्तरिक्ष विज्ञान केंद्र--

देखिये "विज्ञान केन्द्र"

अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें--

देखिये "वैधशाला (यें)"

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार ११०१–०२

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हिन्द चीन ११०६—०७

अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (नियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां ११२०

अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस तार (रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

—की दरें ३०६–०८

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन १४१३—१४

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ६६६–७००

अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा शिविर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा शिविर ६६५–६७

अन्नपूर्णा भोजनालय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

—की शाखायें ७७०

अन्नपूर्णा भोजनालय डिब्बा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

जनता रेलगाड़ी १४३८

अपंग व्यक्ति (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई ३४१–४२

अपमिश्रण--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

शहद ११६३–६४

अपहरण--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अपहरण १२८४–८५

अपहृत स्त्रियां १५—१७

व्यपहरण ५४३–४५

अफगानिस्तान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय प्रैस तारों की दरें ३०६—३०८

—के साथ व्यापार ८९७

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली १४०

डकोटा विमान ११७६

विमान द्वारा निर्यात ११२०–२१

अफीम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का चोरी छिपे लाना ले जाना १२८६

भेषजिक (औषधि) जांच समिति १३२९–३०

अफ्रीका, पूर्वी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के साथ व्यापार १११८

अफ्रीकी संघ, केंद्रीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जाति-विभेद ६७३—७५

अब्दुल्लाभाई, मुल्ला—

के द्वारा प्रश्न—

काम दिलाऊ दफ्तर १४३५—

मध्य प्रदेश में बी० सी० जी० का टीका १४३५–३६

सड़कों की लम्बाई १३४५

अभ्रक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भूतत्वीय सर्वेक्षण १२८५–८६

अभ्रक अयस्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अभ्रक अयस्क १३४६—४७

अमरावती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—और नागार्जुन कोंडा ११९१

पर्यटन उद्योग ७२८

अमरीका, दक्षिण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोरिया युद्ध के बंदी ८६४–६६

अमरीका, संयुक्त राज्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अणु-गवेषणा ४२—४४

अणु शक्ति ४५८–५९

अमरीका में एक भारतीय की हत्या ६७५–७६

अमरीकी सहायता १५४—५६, १६९–७१

इंजिन ११७–१८

औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८—९०

गेहूं का आयात १४३७

घी का आयात १८७

चांदी परिष्करणों परियोजना १२४५—४८

नस्ल वृद्धि के लिये सांड ५७३–७४

श्री वी०के० कृष्णमेनन का चीन, इंगलिस्तान और अमरीका का दौरा ११०५–०६

साल्क पोलियो वैक्सीन ४९९—५०१

अमरीकी प्रविधिक सहयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सांख्यकीय गुण नियंत्रण पाठ्यक्रम ४२७

अमलापुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लिग्नाइट के निक्षेप १०४४

अमलाबाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—कोयला खान ९८—९९

अमोनियम सल्फेट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अमोनियम सल्फेट १३४८—४९

असीनगांव—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलगाड़ी सर्विस १२२२

"अम्बर चर्खा"—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अम्बर चर्खा २८६

अम्बाला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मैंगनीज की खानें २९२

अम्बाला छावनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अम्बाला छावनी ४२४

अम्बाला छावनी बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अम्बाला छावनी बोर्ड ४२१—२२

अभ्रु तारा सन्तान (पुस्तक)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
"अभ्रु तारा सन्तान" २२२

अय्युण्णि, श्री सी० आर०—
के द्वारा प्रश्न—
झींगा मछलियों का निर्यात ३१६—१९

अरब सागर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पाक जल डमरू मध्य १३८

अरुमुगनेरी नमक क्षेत्र (मद्रास)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मालडिब्बों की कमी ११५१—५२

अलगेशन समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अलगेशन समिति १४०८

अलीगढ विश्वविद्यालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल) ९७—९८

अल्प-आय वर्ग आवास योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३४, ३८—३९, ५३—५४
अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना २८५—८६

अलमोडा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सीसा ३९४—९५

अवर स्नातक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
काम दिलाऊ दफ्तर १३७—३८

अवैध आप्रवासी अधिनियम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अवैध आप्रवासी ४९१

असैनिक सम्भरण विभाग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के भूतपूर्व कर्मचारी ६३६

अहमदाबाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
एक्सप्रेस रेल १२२०
टेलेक्स सेवा ११४०—४२

आ

आंगुलीयक चिन्ह कार्यालय केन्द्रीय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) ४१३—१५

आंध्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— को ऋण १०६८—७०
— में कल्याण परियोजनायें १२८८–८९
— में ग्राम्य जल-संभरण योजना [illegible]१८
— के छोटे पत्तन ११४७—४९
— में पुस्तकालय १२५४–५५
उर्वरक ११२४–२५, १३७८–७९
ऋण तथा अनुदान १२६५–६६
औद्योगिक वित्त निगम ४३३
कच्ची मेंगनीज ११२६
कुरनूल मुख्य डाकघर ५०८
कोयले की खानें १६८–६९
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना १३००
ग्रामोद्योग २५१–५२
चूने का पत्थर २१३
छात्र सेना निकाय २०६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ९६—९८
नन्दीकोंडा परियोजना २३–२४
नन्दीकोंडा में सीमेंट का कारखाना १३१०—१२
भूतत्व शास्त्री तथा खनिज विज्ञानवेत्ता २९०—९२

आंध्र—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
भूमि संरक्षण केन्द्र १३८९–९०
भूमि संरक्षण बोर्ड ९३—९६
मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७५—७८
मूंगफली की खली ६१
युवक शिविर ४३२
राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना ४८१–८२
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ३८५–८६
राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय २१०–११
वंशधरा परियोजना ४८४
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ४०—४२
शिक्षितों की बेकारी १७९–८०
साधारण निर्वाचन ४०१–०२
सामुदायिक परियोजना २८७–८८
स्थानीय विकास कार्य १३०७—१०
हथकरघा उद्योग ६२–६३
हिन्दी छात्रवृत्तियां १६४—६६
'हरोन विमान' ३२०—२२

आंध्र विश्वविद्यालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोयले की खानें १६८–६९

आंभोरा बांध—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आंभोरा बांध १३१०

आगरा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में काम दिलाऊ दफ्तर १२१६–१७
औद्योगिक संस्था १३४४–४५
भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १८४–८५

आजाद, श्री भागवत झा--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
औद्योगिक वित्त निगम १२४०
खादी १०६६
चलती गाड़ी में डाके ११२६, ११३०
पुर्तगाली बस्तियों के लिये पाकिस्तानी चावल ६८१
बिहार में बाढ़ १४०६
भारतीय उर्वरक ११४५
विद्युत् परियोजनायें ६५८
संचार का विकास ३४०
सेना छात्र निकाय ४४६
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड १३१७
के द्वारा प्रश्न--
अणु शक्ति ४५८-५६
अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण २०६-१०
उत्तुंग शिखिर गवेषणा ६०१-०२
कानपुर की हड़ताल १४५
कैंटन (चीन) में भारतीय २६८
चीनी के कारखाने ११३-१४
छोटे पैमाने के उद्योग ६६४-६५
टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय १३३०-३१
देशी दवाइयां ११३५--३७
पासपोर्ट १०७७--७६
बागान जांच आयोग १०५७-५८
बाढ़ें ११८८-८६
बुनियादी शिक्षा ८२६
भूतपूर्व आजाद हिन्द सेना के सैनिक ८२६
महात्मा गांधी की समाधि २७५-७६
रानी लक्ष्मीबाई का महल १७८-७६
वन-आयोग ५१८--२०
वायु सेवायें ७७५-७६
विद्युत् चालित रेल के सवारी डिब्बे ७५०

आजाद, श्री भागवत झा--(जारी)
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
विस्थापितों के लिये मकान ४७३--७५
विस्थापितों के विश्वविद्यालय-प्रमाण-पत्र ३६६-६७
शिल्प प्रदर्शनी ६०२
श्रम मंत्रियों का सम्मेलन १३६१--६५
सेना पदाधिकारी १६६-६७
हस्तशिल्प ८६३
हिरोन विमान ३२०--२२

आजाद हिन्द सेना, भूतपूर्व--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
आजाद हिन्द फौज की आस्तियां ४५६--६१
भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज अधिकारी ६१५-१६
-- के सैनिक ८२६
भूतपूर्व भारतीय नेशनल आर्मी (आजाद हिन्द फौज) के सैनिक ८३८

आदिमजातियों--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अनुसूचित जातियों तथा--को आयु सम्बन्धी रियायतें १५३-५४
--का कल्याण ४३४
--का पुनर्वास ७७६-८०
आसाम की सड़कें ३२६-३०
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण २७८, ६४६--५२
त्रिपुरा में आदिमजातीय परिवार ११२७-२८
नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण) ३६--३८
मनीपुर में कैदी ६३१
मनीपुर में बंजर भूमि ३७६-७७

आदिवासी (सियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित आदिमजातियां ९३१

गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग (होम इकानोमिक्स डिपार्टमेंट) ७९—८१

आम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय —प्रदर्शनी १२६, ९६२

आय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३५५

आकाशवाणी की पत्रिकायें २८९

किराया तथा भाड़ा संरचना समिति ३४८

पत्तन ३७४–७५

पर्यटक यातायात ११९

बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ३१०–११

मीन-क्षेत्र ७७२

रेलवे की— १३५९–६०

रेलवे की ओर आने वाली सड़कें १३०–३१

वृत्त चित्र १३२४–२५

आयकर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—आयकर १८२—८४

केन्द्रीय कर १९३–९४

आयव्ययक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—बनाने में दोष ८१८—२०

आयात—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखबारी कागज के कारखाने २५३–५४

—किये गये दुग्ध उत्पाद ४३१

— नीति ८९७–९८

इंजन तथा डिब्बे ५४१—४३

इस्पात का मूल्य ४९–५०

उर्वरक ५५३–५४, १३८४–८५

कच्चा रेशम ६७९–८०

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ४६२—६४

खाद्य और कृषि संगठन ५२३–२४

खाद्य भंडार ९८५–८६

खाद्यान्नों का—५०९

गेहूं का — १४३७

घी का— १२७

चांदी परिष्करणी परियोजना १२४५—४८

चावल का — १३९६–९७

चित्तरंजन इंजिन कारखाना १३६

चीनी ९८७–८८

चीनी का— ५५२–५३

टेलीफोन उपकरण १४२

ट्रैक्टर ५५८–५९

तम्बाकू का — २४४–४५

तेल के कुएं १०३६

नमक ८९६

नये विमान १४९–५०

बर्मा का चावल ३१९–२०

भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां २८८

मुर्गी के बच्चों का— १४८–४९

मोटर कारें ६९९

रेल के यात्री डिब्बे ९२५–२६

रेशमी कपड़ा १२९८–९९

सिलाई की मशीनों के पुर्जे ३–५

सोडा १३३३–३४

[प्रा]प्ति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जूट के थैले ३३–३४

आयात शुल्क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में छुट ८३९–४०

आयुर्वेद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ५५१

आयुर्वेदिक मंत्रणा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आयुर्वेद मंत्रणा समिति ९२२–२३

आयुर्वेदिक संस्था (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आयुर्वेदिक संस्थायें ७६६–६७

आराम बाग सब-डिवीजन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खनिज तेल २९२–९३

आर्थिक स्थिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विश्व की — ४९५–९६

आलवा, श्री जोकीम—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
चाय १०८२
जाति-विभेद ६७४
बम्बई-मंगलौर रेलवे लाइन ९४०–४१
भारतीय नौसेना ६०८
वाष्पपोत "सर टी वाहनी" १३९९
शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी १०२२
के द्वारा प्रश्न—
आयव्ययक बनाने में दोष ८१८—२०
करारोपण सम्बन्धी गवेषणा १०२७–२८
व्यापार प्रबन्ध तथा औद्योगिक प्रशासन ८२०—२२

आसाम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित आदिम जातियां ८४०–४१
आदिम जातियों का कल्याण ४३४
—की सड़कें ३२९–३०
—में टैलीग्राफ लाइन ११८६
—में नदी सर्वेक्षण १३१२—१४
—में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १०५१—५३
तार घर ५७५
तेल के कुएं १०३६
युद्ध प्रतिकर ८४७–४८
राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय २१०–११
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ४०–४२
सामुदायिक रेड़ियो सैट १३४९–५०
हिन्दी छात्रवृत्तियां १६४—६६

आसाम आयल कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नहरकटिया तेल क्षेत्र १८१

आसाम राइफल्स—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण) ३६—३८

आट्रिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इंजन ११७–१८

आस्ट्रेलिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोलम्बो योजना १६१–६२
प्लास्टिक सर्जन १४२३–२४
यूनेस्को ७८१–८२

आस्तियां—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आज़ाद हिन्द फौज की — ४५९—६१

इ

इंगलैंड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ७६०

इंजन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७५—७८

सड़क कूटने के— ४८६–८७

इंजीनियर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की गोष्ठी १०७४—७६

चीन को गया हुआ —का शिष्टमंडल १३२३

दूर-संचार गवेषणा केन्द्र ११७१–७२

नन्दीकोंडा परियोजना १३२५–२६

रेलवे जीनियरिंग सेवा में–११७२–७३

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड १११४

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड़ १३४४

इंजीनियर पार्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्टाक की जांच पड़ताल ५८९—९१

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ११५२–५३

भारतीय विमान निगम के विमान की दुर्घटना ५५५–५६

विमानों का विवश हो कर उतरना ७३६–३७

'हीरोन विमान' ३२०—२२

इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इस्पात का प्रतियारण मूल्य ८९१–९२

इस्पात मूल्य ८७१—७६

"इण्डियन लिसनर"—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

इण्डियन लिसनर १८–१९

इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट, लन्दन—

देखिये "भारत भण्डार विभाग, लन्दन"

इकबाल सिंह, सरदार—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

रेलों में बिजली लगाना ७९

के द्वारा प्रश्न—

अतिरिक्त सैनिक शिविर ६३८–३९

आयात किये ग े सामान की खरीद ९१४–१५

आवास स ान १३३४—३६

इंजिन, डिब े, आदि ९८४

उड्डयन क्लब १४२८–२९

औंगनागर रेलवे स्टेशन १२१५–१६

कपास के वायदे के सौदे ११२५–२६

केन्द्रीय आंगुलियक चिन्ह कार्यालय (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) ४१३—१५

गांजा ६३७–३८

'गौआ और हम' नामक पुस्तिका ९९६—९७

ग्राम्य डाक घर ५८३

चलचित्र संगीत का प्रसारण ६८१—८३

जगाधरी का वर्कशाप ५३५–३६

इकबाल सिंह, सरदार—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
टेलीफोन ११५९—६१
तस्कर व्यापार ४१०—११
तिब्बत और लद्दाख के मध्य व्यापार १३५१
दया याचिकायें २२२—२३
नमक के कुएं ६९४—९५
नये विमान १४९—५०
पंजाब में कृषि कालिज ७४१
पत्रिकाएं ५८२—८३
पर्यटक यातायात ११९
पानी ठंडा करने की मशीन ३७९
पुस्तकालय आन्दोलन का विकास ८४८
प्रमाप एकड़ ४६५-६६
प्रलेख चित्र तथा समाचार फिल्म ९१३—१४
भारत-पाकिस्तान यात्रा ८३४—३५
भारत—पाकिस्तान रेल यातायात ३५०
भारतीय विमान बल के दया के मिशन १०४६
भारतीय सैनिक अकादमी १२८६—८७
मध्यपूर्व को व्यापार प्रतिनिधि मंडल ११००—०१
मार्ग परिवहन निगम ७७४—७५
यूरोपीय देशों को रेलवे शिष्ट मंडल ९६३—६४
राष्ट्रीय छात्र सेना ६२९-३०
राष्ट्रीय योजना-पत्र ८४३—४४
विदेशी सहायता १०४६—४७
विद्युत् चालित रेल के सवारी डिब्बे ७५०
शस्त्रों का तस्कर व्यापार ४०२
सशस्त्र दलों के कर्मचारियों का विदेशों में प्रशिक्षण ६३७

इकबाल सिंह, सरदार—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
सीमान्त घटनायें ६५-६६
सीमान्त पुलिस ६९३—९४
सूडान को सहायता १०७९
स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास १२८५

इज्जतनगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पशु-चिकित्सा अन्वेषण संस्थायें ११६—१७

इटली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विद्युत् चालित रेल के सवारी डिब्बे ७५०

इटारसी रेलवे स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इटारसी रेलवे स्टेशन १२२२—२३,१२२३

इतिहास—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वानस्पतिक — १२८१—८२
स्वातंत्रय आन्दोलन का— २०६

इन्दौर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—दोहद रेलवे ११८—१९

इबोनायड ब्लाक निर्माण सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इबोनायड ब्लाक ६९२

इब्राहीम, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

अंदमान द्वीप समूह ८३५

अतिरेक भंडार ९०९–१०

अनुसूचित आदिम जातियां ४३१

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ६९९–७००

अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह १०२४–२५

अभ्रक अयस्क १३४६–४७

अमरीकी सहायता १६९—७१

आयात किये गये दुग्ध उत्पाद ४३१

इलाहाबाद विश्वविद्यालय १२३२–३३

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश १२८३

केन्द्रीय कर १९३

कोचीन में धूमन स्थान १३९९

कोयला खान भविष्य निधि ९७४

खाद्य तथा जल का अभाव ११२

खाद्यान्नों का आयात ५०९

खाद्यान्नों की कृषि ३७१

जन्म-दर ७६१

टेलीफोन उपकरण १४२

ट्रैक्टर ११९९

डाक सेवायें १४१९

डाक-घर ७१५–१६

तम्बाकू उत्पादन शुल्क ६३३

तांबे का तार १३४६

तिब्बत में भारतीय डाकघर ११३२–३३

तिलैया बांध ८५५–५६

नजरबन्द १०४४

नमक ६९९

नौ-सेना के अस्पताल १००२–०३

न्यायाधीश १०४५

पटसन की बनी हुई वस्तुयें ४४९—५१

पुनर्नियोजन १०१८–१९

पूर्वी नौवहन निगम ५५५

इब्राहीम, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

पौण्ड पावना १२५८–५९

प्रलेख चित्र ६२

प्रौढ़ अंध-प्रशिक्षण-केन्द्र ५९८–९९

फालतू सामान ८९८

फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब ११९९–१२००

बन्दरों का निर्यात ९१०

बम्बई पत्तन से माल का यातायात ३४५

बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४५—४७

बिजली के भारी सामान का संयंत्र १०५४–५५

बिहार में डाक तथा तार कार्यालय ३७१

बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षण ६२२—२४

ब्रिटिश इस्पात मिशन २७३–७४

भूतत्वीय सर्वेक्षण ८३५–३६

भूमि पर खेती ७४२–४३

मशीन औजार २८७

माल के डिब्बे ५७०

मीन-क्षेत्र के लिये आर्थिक सहायता १३६०–६१

मोटर कारें ६९९

युनीसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि) १२८

रेडियो सेट ४९४

रेलवे दुर्घटनायें १४१९–२०

रेलवे में अपराध ११८१

वस्त्र निर्यात २८७

विकास परियोजनायें ९०९

विदेशी समवाय ४३०–३१

विद्युत परियोजनायें ६५७—५९

इब्राहीम, श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण १११५–१६

विस्थापितों को भरण-पोषण भत्ता ४९३–९४

वैधशालायें १२००

समुद्र पार के देशों में विद्यार्थी ७८७—८६

साबुन १३४८

सिगरेट १३४७–४८

सिन्द्री उर्वरक कारखाना ४९२–९३, ११९८

सूती मिलें ४९३

हथकरघे के उत्पाद ६१

हिन्दुस्तान एयरक्राफट, लिमिटेड ६१६–१७

इमारती लकड़ी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—सुधारने का संयंत्र ९६१–६२

इम्पीरियल केमिकल उद्योग—

के सम्बन्ध मे प्रश्न—

सोडा १३३३–३४

इम्पीरियल बैंक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के हिस्से १०४२

भारत का राज्य बैंक १०४०

इम्फाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—तेंमिगलौंग सड़क ३५३

—में चावल के भाव ९९१

इलमनाइट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टिटानियम (रंजातु) २५७—५९

इलाहाबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आकाशवाणी १११६

स्टाक की जांच पड़ताल ५८९—९१

इलाहाबाद विश्वविद्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय १२३२–३३

इस्पात—

देखिये "लोहा तथा इस्पात"

इस्पात प्रतिनिधि मंडल, भारतीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूस के लिये इस्पात प्रतिनिधि मंडल ८७९–८०

इस्पात संयंत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इस्पात संयंत्र २६३–६४

धुला हुआ कोयला १०९५–९६

पैप्सू में — १०९२

भीलाई— ४६९—७१

रूसी— ११०२

इस्पात समकारी निधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इस्पात समकारी निधि २८९

इस्लामुद्दीन, श्री एम०—

के द्वारा प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन १४१३–१४

अफगानिस्तान के साथ व्यापार ८९७

ऊन १४२९

इस्लामुद्दीन, श्री एम०—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना ७३५—३६
कोचीन में धूमन स्थान १३९९
कोरवा कोयला क्षेत्र १३३९
गुड़ के प्रमाप ११७८—७९
चावल की खेती का जापानी तरीका १४३८
नाभिकीय रीएक्टर ११०८—०९
पेट्रोल संयंत्र ९००—०१
भारतीय प्राणकीय सर्वेक्षण १२७९—८०
लिग्नाइट की खानें ६४२
श्रीलंका में भारतीय ६९१—९२

ई

ईंट (टों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उष्मरोधक—का कारखाना २५—२६
उष्मरोधक—फैक्टरी ९०२

ईयाचरण, श्री आई०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां ४२१
के द्वारा प्रश्न—
असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी ६३६
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ५३४—३५
मुर्गी के बच्चों का आयात १४८—४९

ईसाई मिश्नरी (रियों)
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अस्पताल ३७२

ल

उच्च न्यायालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के न्यायाधीश १२८३
न्यायाधीश १०४५

उड़ीसा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—की नमक फैक्ट्रियां २६४—६६
—को ऋण २०७
—में डाक सम्बन्धी सुविधायें ३७९—८०
— रेलवे लाइनें ५३६—३७
उष्मरोधक ईंट फैक्टरी ९०२
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०१४—१६
"गांधी महापुराण" १८१—८२
दक्षिण-पूर्वी रेलवे विभाग १३७५—७७
विशेष विवाह अधिनियम ४०४—०५

उड्डयन क्लब—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उड्डयन क्लब १४२८—२९

उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर ८७६—७८

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण २७८, ६४९—५२, ८८४—८६

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण तावंग मठ १११८

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १०६६—६८

ट्रैक्टरों की महंगी खरीद ७१०

नेफा (---) ३६—३८, १०८४—८५, १०८५—८६, ११२५

उत्तर प्रदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें १२०५—०९

— बाढ़ें ५४५—४९

गन्ने की कृषि की भूमि ११३४—३५

गोचर हवाई अड्डा ९६७

छोटे पैमाने के उद्योग ८५७—५८

डाक-घर ७१५--१६

दूसरी पंचवर्षीय योजना २७३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १०७०—७२

पर्यटक केन्द्र,— ११६५—६७

पीलीभीत बस्ती योजना ९३३—३५

बद्रीनाथ धाम हवाई अड्डा ८३—८४

बुनियादी स्कूल ८०१

भूमिहीन श्रमिक ९६७

मीन-क्षेत्र के लिये आर्थिक सहायता १३६०—६१

मूंगफली १३४२

म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ४८२

सामुदायिक रेडियो सेट १३४९—५०

सीमान्त क्षेत्रों का विकास ८६७—६९

सीसा ३९४—९५

उत्तुंग शिखर गवेषणा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तुंग शिखर गवेषणा ६०१-०२

उत्पादन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखबारी कागज के कारखाने २५३—५४

अखिल भारतीय ग्राम प्रदर्शनी ५८१—८२

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन ७३१—३३

अन्न— ७३४—३५

अभ्रक अयस्क १३४६—४७

अमोनियम सल्फेट १३४८--४९

इस्पात ५३, ८६०—६१, १०८९—९०

उद्योगों का विकास १०९३—९४

उर्वरक ११२४—२५

ऊन १४२९

कच्ची मेंगनीज ११२६—२७

कुनीन १३७

खली ११८५—८६

खादी १२९९—१३००

चीनी— ३०८—१०

डी० डी० टी० कारखाना ६५४—५७

तम्बाकू १४१—४२

तांबे का तार १३४६

दूसरी डी० डी० टी० कारखाना ६५४

नंगल म उवरक कारखाना ६४३—४५

पैनिसिलीन २८४

पैनिसिलीन कारखाना ६६०—६३

उत्पादन--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

फासफेट उर्वरक ९०५

भूमि पर खेती ७४२-४३

मशीन औजार २८७

मूंगफली का तेल ४६४-६५

युद्ध सामग्री के कारखाने ६०४--०६

रासायनिक उर्वरक १०९०-९१

रेलवे उपकरण ३०३--०५

रेशम ९१२

रेशमी कपड़ा १२९८-९९

वनस्पति दूध १२७६-७७

साबुन १३४८

सिगरेट १३४७-४८

सीमेंट १०५५--५७

सैनिक फार्म १९०

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ४१६-१७

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड १३१६-१७

उत्पादन शुल्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चीनी-- ३१३-१४

तम्बाकू-- ६३३, ८०९--११

दियासलाई-- १५५७-५८

उदयपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे सर्वेक्षण ११६७-६८

उद्योग (गों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--का विकास १०९३-९४

--का वैज्ञानिकन २७०

औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग ७५६

औद्योगिक वित्त निगम १२३९--४१

कपड़ा-- ६८९-९०

कुटीर तथा दस्तकारी -- २९१

गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र ६२०--२२

ग्रामोद्योग ५४

चलचित्र-- १३४१-४२

छोटे-- २८४

छोटे पैमाने के-- २७७

तिलहन पेरने का-- ११३१-३२

पट्टा-- ५९

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति ६२९

माही १३४३

रंग -- ६०

रबड़ -- ६३५

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम १३२६--२७

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण १२६८-६९

रेडियो-- ११०४-०५

रेशम-- ४४२--४४

वस्त्र--११०३

विस्थापित व्यक्तियों के लिये -- २३५०-५१

हीरे की खानें २१६

उपाधि--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राजस्थान महाराजप्रमुख १०४३-४४

उलबेरिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे आय ६२६—३१

उर्वरक—

देखिये "कृषिसार"

उष्मरोधक ईंट फैक्टरी—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

उष्मरोधक ईंट फक्टरी ६०२

उष्मरोधक ईंटों का कारखाना २५–२६

उस्मानिया विश्वविद्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

उस्मानिया विश्वविद्यालय १२६६—६८

उस्तरे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उस्तरे ८६६–६००

ऊटकमंड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इमारती लकड़ी सुधारने का संयंत्र ६६१–६२

ऊन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ऊन १४२६

ऋ

ऋण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय ग्रामीण —सर्वेक्षण समिति १३८५—८७

अमरीकी सहायता १६६—७१

अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३४, ३८–३६, ५३–५४

अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना २८५–८६

आंध्र को — १०६८—७०

आंध्र में पुस्तकालय १२५४–५५

इस्पात १०८६–६०

उड़ीसा को ऋण २०७

ऊपरी पुल ११८४

—तथा अनुदान १२६५–६६

कृषि— ६४३–४४

कृषि सम्बन्धी— ५६३—६५, १४३४–३५

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १३६३—६५

गांवों में बिजली लगाना २१—२३

चीनी का परिवहन ६४६—४८

टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय १३३०–३१

तुंगभद्रा परियोजना २४७–४८

त्रिपुरा को विस्थापित व्यक्तियों का प्रव्रजन १३५३

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति ५५

दिल्ली जल तथा नाली बोर्ड १३६६–१४००

दिल्ली नगरपालिका समिति ६६५

दिल्ली परिवहन सेवा ५४०–५४१

दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी ६२८–२६

ऋण—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

देहातों में विद्युतीकरण ६७१–७२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८६३–६४
नौवहन समवाय १३९७–९८
पंजाब विश्वविद्यालय १३२८–२९
पीलीभीत बस्ती योजना ९३३—३५
प्राकृतिक संकट में सहायता ४०३–०४
बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४५—४७
भूतपूर्व फौजी ८१३–१४
भूमि अधिरक्षण ९७९–८०
भूमि संरक्षण बोर्ड ९३—९६
विभाजन— १५७—५९
विस्थापित व्यक्तियों के लिये उद्योग १३५०–५१
विस्थापित व्यक्तियों को— १११५–१६
सिंचाई की छोटी योजनायें ३७८
सिक्किम १२९७–९८
हैदराबाद को— १०१६–१७

ए

एकीकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बैंकों का— १२४४–४५

एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ऐतिहासिक स्मारक ६१७–१८

एमोनियम सल्फेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उर्वरक १३४–३५

एम्पायर आफ इंडिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बीमा समवाय ४१८—२०

एयर-इंडिया इंटरनेशनल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वायु सेनायें ७७५–७६

एयर लाइन निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण ९९—१०२

एयरलाइंस क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एयरलाइंस क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण ११६४–६५

एलोपैथिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

होमियोपैथी १०३—१०६

एशियाई चल-चित्र संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय चल-चित्र समारोह ४५२—

एशियाई देशों के लोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में एशिया के लोग १११०–११

ओ

औद्योगिक गृह-निर्माण योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

अभिन्न रेल डिब्बों का कारखाना ७३८–३९
राज सहायता प्राप्त — ४८१–८२
सहायता प्राप्त— २७९

औद्योगिक न्यायाधिकरण—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

अपीलीय न्यायाधिकरण ३७३–७४

एयर लाइन्स क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण ११६४–६५

औद्योगिक प्रदर्शनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८–९०

औद्योगिक प्रशासन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

व्यापार प्रबन्ध तथा— ८२०–२१

औद्योगिक विकास—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राजस्थान में — ४९०

औद्योगिक वित्त निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक वित्त निगम ४३३, १२३९—४१, १२९०

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ ५०२

तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९७–११००

औरफनगंज मार्केट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—, कलकत्ता ९०७–०८

औषधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—नियंत्रण ९६४–६५

क्षय नाशक — ९७२–७३

देशी —११३५—३७

पेनिसिलीन २८४

रुओवोलफिया सर्पेंटाइना २२५—२७

औषधि (जहरीली) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली ९७६

औषधि अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औषधि नियंत्रण ९६४–६५

क

कंगलाटोंगबी (मनीपुर)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

समाज कल्याण केन्द्र ८२८

कच्छ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लिग्नाइट (लगुजांगार) २१९

कटक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, ११९–२०

कटिहार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना ११९०

कपड़ा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—उद्योग ६८६
—की मिलें ९१०–११
कानपुर की हड़ताल १४५
ढाके की मलमल ५८
पांडिचेरी में—की मिलें ९११
ब्रिटेन को—का निर्यात १३३६
रेशमी—१२९८–९९
वस्त्र निर्यात २८७
हथकरघा १११६–१७

कपड़ा जांच समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वस्त्र जांच समिति ३१–३२

कपड़ा मिल—
देखिये "कारखाना (ने)"

कपास—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के वायदे के सौदे ११२५–२६
कोचीन में धूमन स्थान १३९९

कर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कराधान जांच आयोग प्रतिवेदन ११७३–७४
करारोपण सम्बन्धी गवेषणा १०२७–२८
केन्द्रीय—१९३
नमक ४७७–७८
परिवहन मंत्रणा परिषद् ५५९–६०

कर जांच आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सम्पत्ति शुल्क १०१७–१८

करनपुरा (बिहार)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अस्पताल ९६६

करनाल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रादेशिक गवेषणा संस्थायें ५०२–०४
राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था,—३३६–३८
साहीवाल के ढोर २९६—९८

कराधान जांच आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कराधान जांच आयोग १२५२–५३
—प्रतिवेदन ११७३–७४

करार—
देखिये "समझौता (ते)"

कर्णी सिंहजी, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
राजस्थान में अभाव परिस्थिति ९५५
के द्वारा प्रश्न—
काम दिलाऊ दफतर ५६५
जिला मुख्यालयों वाले नगरों को टेलीफोन द्वारा जोड़ना ७६३–६४
देहातों में विद्युतीकरण ६९५
नलकूप ५६४
भाखड़ा परियोजनाओं में राजस्थान का अंश ४९०–९१
राजस्थान की पलना कोयला खदान १२८२
राजस्थान में औद्योगिक विकास ४९०
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों सड़क निर्माण ४८९
शयन-स्थान ९६९

कर्मचारी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र १२१०–१२
खादी १०६५–६६
छावनी बोर्ड ८११—१३
दामोदर घाटी निगम के— ७००
पत्तन समुद्रीय जांच समिति ६३१–३२
बीमा कम्पनियों के — ५०४–०५
म्युनिसिपल — के लिये क्वार्टर ४८२
रक्षित बैंक के—का दल ६२८–२९
राष्ट्रीय श्रमबल १३१९–२०
वायुबल अकादमियां ४०८–०९
विदेशी सार्थों में भारतीय—का रखा जाना १३१४–१६
विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण ९९—१०२
विमान समवाय ११५३–५४

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ ९४८–४९

कर्मचारी राज्य बीमा निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ५३४–३५

कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना ७३५–३६

कलकत्ता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर पूर्वी रेलवे ५५९
उपनगरीय रेलवे सेवा ९३८—४०
औरफनगंज मार्केट,—९०७–०८
—पत्तन ५५४, ११६८–६९
गोदी श्रमिक संघ,—पत्तन ९९४
चांदी परिष्करणी परियोजना १२४५—४८
जनता गाड़ी ९८४–८५
जूट जांच आयोग ८८०–८१
पत्तन ३७४–७५
प्रादेशिक रुपांकन केन्द्र ८९४
बटन दबा कर टिकट प्राप्त करने की मशीन १३६५–६६
माल डिब्बे ११३७—३९
वस्तु भाड़े पर अधिभार ७४३—४६

कलाईकुंडा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—हवाई अड्डा ८२२–२३
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना ६३९
रेलवे दुर्घटना १४३–४४

कलाकार (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आकाशवाणी १११६
आकाशवाणी के—१३५०
चीन को भेजा गया सांस्कृतिक मंडल १६२—६४
शिमला का आकाशवाणी केन्द्र ४८७—८९

कलिंगपटनम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आंध्र में छोटे पत्तन ११४७—४९

कल्याण परियोजना (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आंध्र में— १२८८–८९

कसौली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय गवेषणा संस्था,—१४०, ३६५, ९७४–७५, ९७६, १२००—०२
वैक्सीन ३६६—७१

कांगड़ा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—जिले में डाक घर ७६७–६८
तेल की खोज ६३५–३६
हवा और पानी से कटाव ९६८–६९
—डाक घर १४१७

कांगपोकपी (मनीपुर)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चुंगी ८३०–३१

कांडला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—पत्तन ११५

कांस्टीट्यूशन हाउस, नई दिल्ली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
होटल तथा होस्टल १३१८–१९

काकिनाडा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—कोटिपल्ली रेल-सम्पर्क ३८१–८२

कागज—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अखबारी—के कारखाने २५३–५४

काजरोल्कर, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
दिल्ली जल तथा नाली बोर्ड १३९९–१४००
पत्र-पत्रिकाएं १२८९
पोस्ट कार्ड ११८०

काजू—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
निर्यात संवर्द्धन परिषद् २२९—३१

कानपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—की हड़ताल १४५
घड़ियों का तेल ४१५

काफी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय काफी बोर्ड २७२

काफी के बागान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के मज़दूर ७६८

काम के घण्टे—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
काम के घण्टे ३७२–७३

कामत, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अणु-गवेषणा ४४
अणु-शक्ति २४२
'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन ७३२
अन्तर्राज्यीय गोष्ठियां ६,७
अभिन्न रेल डिब्बों का कारखाना ७३९
अमरीकी सहायता १५६

कामत, श्री--(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)
असैनिक पदाधिकारी ६२५
आज़ाद हिन्द फौज की आस्तियां ४६०
आयकर १८३
आसाम की सड़कें ३३०
काश्मीर ६८६
कृषि ऋण ६४३
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १३६५
कोरिया युद्ध के बन्दी ८६५-६६
कोसी परियोजना २६
गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग (होम इकोनोमिक्स डिपार्टमेंट) ८०, ८१
गेहूं का मूल्य ६२
चाय २६१
चीन को भेजा गया सांस्कृतिक मंडल १६३, १६४
छावनी बोर्ड ८१२
जापान में भारतीय व्यापारी ४४५
झींगा मछलियों का निर्यात ३१८
टेलीफोन ११६१
डी० डी० टी० कारखाना ६५६
तेल और गैस डिवीजन १२५१
दुर्घटना समितियां १०७
नदी घाटी योजनायें ३
निष्क्राम्य सम्पत्ति करार ८१६
नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण) ३७-३८
पौधा ६२७
बांडुंग सम्मेलन १२६६
भाण्डार स्थान ३६०
भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र १२६४-६५
भ्रष्टाचार विरोधी विभाग १२३१
युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मिले हुए जर्मन यन्त्र ८७०, ८७१

कामत, श्री--(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला १६०
रेलवे सुरक्षा संस्था २६६
रेलवे स्टेशन ६३८
वनमहोत्सव ७०
विदेशों में भारतीय मिशन ३५-३६
विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण १००, १०१, १०२
विस्थापितों के लिये मकान ४७४-७५
शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं १७५
श्रीलंका में भारतीय २३६-३७
संयंत्र और मशीनरी ८
सैनिक कर्मचारियों को शिक्षा १२७०
हिन्द चीन में घटनायें २०२, २०३
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड ४१७, ६१७
होटल तथा होस्टल १३१६
होमियोपैथी १०४

के द्वारा प्रश्न
अनुसूचित आदिम जातियां १०२८-२६
इटारसी रेलवे स्टेशन १२२२-२३, १२२३
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ५३२-३३
गोआ में सत्याग्रही ६०६-०७
घी का आयात १२७
चीन को गया हुआ इंजीनियरों का शिष्टमंडल १३२३
ट्रैक्टर ५५८-५६, ५७६--८१
नर्मदा पर पुल ११६५-६६
पंच शील ६७६--७६
पत्रकार १३०४--०६
भारतीय फिल्में ४६८
रेल लाइनें ११६५
विदेशों में शिष्ट मंडल ८४४-४५
विदेशों से शिष्टमंडल ६१६
साधारण निर्वाचन ४०१-०२

ामत, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

सूर्यग्रहण ५६३

सोदेपुर कांच कारखाना, लिमिटेड ८८६--८८

स्टेशनों पर सुधार १४३४

कारखाना (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अखबारी कागज के — २५३-५४

अभिन्न रेल डिब्बों का — ७३८-३९

औद्योगिक वित्त निगम १२३९—४१

उड़ीसा की नमक फैक्ट्रियां २६४—६६

उर्वरक उत्पादन समिति ८—१०

ऊष्मरोधक ईंटों का — २५-२६

कपड़ा उद्योग में हड़ताल १४२-४३

कपड़े की मिलें ९१०-११

कोयला धोने के कारखाना सम्बन्धी समिति २६९-७०

गन्ने की कृषि की भूमि ११३४-३५

चांदी परिष्करण परियोजना १२४५-४८

चीनी के -- ११३-१४

चीनी के नये — ९८६-८७

चीनी मिल १३५-३६

जूट मिल ८७५-७६

डी० डी० टी० — ६५४--५७

दूसरी डी० डी० टी० — ६५४

देशी भाण्डारों का क्रय ५१२-१३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८५४-५५

नंगल में उर्वरक — ६४३—४६

नन्दीकोंडा में सीमेन्ट का — १३१०—१२

नोट आदि का कागज़ बनाने का — ७८३-८४

पांडिचेरी में कपड़े की मिलें ९११

पैनिसिलीन — ६६०—६३

कारखाना (नों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

बिजली के भारी सामान का संयंत्र १०५४-५५

बिजली के सामान का भारी संयंत्र २७९

भविष्य निधि अधिनियम, १९५२, ९४८-४९

मैसूर चीनी — १२३-२४

मोटर गाड़ियों, आदि के लिये ट्यूब २४-२५

रबड़ का -- ४८, ७९३--९५

रेलवे उपकरण ३०३—०५

वनस्पति दूध १२७६-७७

सड़क कूटने के इंजिन ४८६-८७

सहकारी चीनी — १४१४

सीमेंट के — १११३

सूती मिलें ४९३

सोदेपुर कांच —, लिमिटेड ८८६-८८

हड़ताल १२१३

कार्प--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कार्प मीनक्षेत्र ७२२-२३

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ८८२—८४

कालका--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इंजनों की मरम्मत १४१

कालका-शिमला सैकशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पहाड़ भत्ता ५६९

रेल कारें ५६९-७०

कालकाजी, नई दिल्ली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कालकाजी स्थित हाई स्कूल की इमारत ४९२

कालिमपोंग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र १२६३—६५

काली मिर्च—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
काली मिर्च १३३७—३९
निर्यात संवर्धन परिषद् २२९—३१

काले, श्रीमती ए०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
हाथ-करघा कपड़ा विणन समिति ८५१
सोने के डिब्बे ३२७

काश्मीर—
देखिये "जम्मू तथा काश्मीर"

कासलीवाल, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
बैंकों का एकीकरण १२४५
रुओवोलफिया सर्पेंटाइना २२६
तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९७—११००
राजस्थान में अभाव परिस्थिति ९५३—५५

किरकी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, — १०२१–२२

किराया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अतिरिक्त सैनिक शिविर ६३८–३९

किराया तथा भाड़ा संरचना समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
किराया तथा भाड़ा संरचना समिति ३४८

किला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुंभलगढ़ — १२८२–८३

कीनिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— में भारतीय २७१
पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार १११२

कुंड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बारापोल जल-विद्युत योजना २६–२७

कुंभलगढ़—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुंभलगढ़ किला १२८२–८३

कुटीर उद्योग (गों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुटीर उद्योग ४९६—९८
— के लिये अग्रगामी परियोजनाएं १०५३–५४
— प्रशिक्षण केन्द्र १३५६–५७
कुटीर तथा दस्तकारी उद्योग २९१
छोटे उद्योग २८४
सिलाई की मशीनों के पुर्जे ३—५

कुढ़नी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल दुर्घटना ७१९–२०

कुनीन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुनीन १३७

कुरनूल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— तथा अदोनी रेलवे स्टेशन १०८–०९

— तथा हैदराबाद में डाकघर ११७८

— मुख्य डाक-घर ५०८

— रेलवे स्टेशन ७५५

स्थानीय विकास कार्य १३०७—१०

कुशेश्वर शाखा डाकघर —

देखिये "डाकघर"।

कुष्ट रोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुष्ट ७४–७५

— की रोकथाम ७३–७४

कोढ़ियों की बस्तियां ९९०-९१

कुही रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुही रेलवे स्टेशन १४३१–३२

कृपलानी, श्रीमती सुचेता—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

तृतीय श्रेणी के क्लर्क ११००

के द्वारा प्रश्न –

माल डिब्बों का संभरण ११८७–८८

रेलवे अस्पताल ११७६–७७

कृषक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृषि ऋण ९४३–४४

मनीपुर में बंजर भूमि ३७६–७७

सिंदरी उर्वरक ११९८

सीमेन्ट लोहा तथा इस्पात आवंटन १३९०–९१

कृषि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृषि ४५४–५५

— ऋण ९४३–४४

— फार्म ९१९—२२

— विकास कार्यक्रम ५०५–०६

— सम्बन्धी ऋण ५९३—९५ १४३४–३५

— सम्बन्धी गवेषणा १४२४–२५

खाद्यान्नों की — ३७१

गन्ने की — की भूमि ११३४–३५

गन्ने की खेती १४०९

भूमि कृष्यकरण ३६०

भूमि पर खेती ७४२–४३

भोपाल में भूमि का — योग्य बनाया जाना ७४६–४७

मनीपुर में चावल की खेती ५७५–७६

कृषि अनुसंधान परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

"अधिक चारा उपजाओ" आन्दोलन ९४१–४२

कृषि कालिज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय कृषि कालिज ११३

पंजाब में — ७३९—४१

कृषि गवेषणा केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण ५१०—१२

कृषि विभाग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पौधा ६२७

कृषिसार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उर्वरक १३४–३५, ५५३–५४, ११२४–२५, १२२५–२६, १३७८–७९, १३८४–८५
नंगल में उर्वरक कारखाना ६४३—४५
फासफेट उर्वरक ९०५
भारतीय उर्वरक ११४३—४६
भारी जल संयंत्र ६८६—८८
रासायनिक उर्वरक १९०–९१
सिंदरी उर्वरक ११९८
सिन्दरी उर्वरक कारखाना ४९२–९३

कृषिसार उत्पादन समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उर्वरक उत्पादन समिति ८—१०

कृष्ण मेनन, श्री वी० के०—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—का चीन, इंगलिसतान और अमरीका का दौरा ११०५–०६

कृष्ण, श्री एम० आर०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
भारत कार्यालय पुस्तकालय ९९८, १०००
विमानों का वाध्य होकर उतरना ३१५

कृष्ण, श्री एम० आर०—(जारी)
के द्वारा प्रश्न(जारी)
काली मिर्च १३३७—३९
तृणक नियन्त्रण ३०१–०२
पाकिस्तानी राष्ट्रजन १२७७
भारत कार्यालय पुस्तकालय ९९७–९८
भारतीय नागरिकता १२८०
मध्यपूर्व के देशों के साथ व्यापार ११०१
महात्मा गांधी की समाधि २७५–७६
राइफलें ६२५–२६
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना १५९—६१

कृष्णा जिला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चूने का पत्थर २१३

के० इ० एम० अस्पताल, बम्बई—
देखिये "चिकित्सालय (यों)"

केन्द्रीय आंगूलियक चिन्ह कार्यालय (फिंगर प्रिंट व्यूरो)—
के सम्बन्ध में प्रश्न —
केन्द्रीय आंगूलियक चिन्ह कार्यालय (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) ४१३–१४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय कर १९३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०१४—१६, १०३५–३६

केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—, लखनऊ ६०८—०९

केन्द्रीय कृषि कालिज—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय कृषि कालिज ११३

केन्द्रीय क्रय संगठन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सामान क्रय समिति (स्टोर्स परचेज कमेटी) २७६—७७

केन्द्रीय गन्ना समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गुड़ के प्रमाप ११७८—७९

केन्द्रीय गवेषणा संस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—, कसौली १४०, ३६५, ९७४—७५, ९७६, १२००—०२
वैक्सीन ३६६—७१

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—, कटक ११९—२०

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विद्युत विकास योजनाएं ११२१

केन्द्रीय टिड्डी नाशक संगठन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
टिड्डियां २९३—९५

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ५३२—३३-३४ ७१६—१८, ७४१—४२, ७५१, १०६६—६८, १३९३—९५, १४३२
—प्रशिक्षण योजना १२०—२१,१३३-३४
केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था १२२१
ट्रैक्टर ५५८—५९, ५७९—८१
भोपाल में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना ७४६—४७

केन्द्रीय पर्यटक मंत्रणा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पर्यटन उद्योग ७२६—२८

केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड १३८१—८२

केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, जम्मू—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, जम्मू ३५३—५४

केन्द्रीय रेशम बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड ४६२—६४
रेशम १०५८—६०
रेशम उद्योग ४४२—४४

केन्द्रीय लवण गवेषणा केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जिप्सम (आचूर्ण) २११—१२

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— के कर्मचारी ५९
डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ११७९–८०

केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इमारती लकड़ी पर भाड़े की दरें ९६६–६७
इमारती लकड़ी सुधारने का संयंत्र ९६१–६२

केन्द्रीय सचिवालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आशु लिपिक १०४७–४८
केन्द्रीय सचिवालय १२८०–८१
केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारिवृन्द ४२८
केन्द्रीय सचिवालय सेवा ४२५–२६

केन्द्रीय सचिवालय पुनर्गठन योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९७—११००

केन्द्रीय सचिवालय सेवा चुनाव बोर्ड —
के सम्बन्ध में प्रश्न
केन्द्रीय सचिवालय १२८०–८१

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ४३०, ४३६, ५८५—८७

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सिंचाई और जल विद्युत् परियोजनाएं १३०१–०२

केन्द्रीय स्थापना बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय सचिवालय १२८०–८१

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औषधि नियंत्रण ९६४—९५
चिकित्सा की देशी प्रणाली ५०९–१०

केलप्पन, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
नन्दीकोंडा में सीमेंट का कारखाना १३१२

केशवैयंगार, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
सेना छात्र निकाय ४४६
के द्वारा प्रश्न —
असैनिक स्कूल अध्यापकों की छंटनी ८०६—०८
डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ११७९–८०

कैंटन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—(चीन) में भारतीय २९८

कैदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मनीपुर में—६३१

कैनाडा——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

इंजिन डिब्बे आदि ९५९–६०

कैन्टीनें——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

कैन्टीनें ११७४

कैरल——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

प्रलेख चित्र तथा समाचार फिल्में ५२

कोचीन——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

——में धूमन स्थान १३९९

पत्तन ३७४–७५

सैनिक इंजीनियरी सेवा पदाधिकारी १०४१

देखिये "त्रावनकोर-कोचीन" भी

कोटा——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

रेलवे सर्वेक्षण ११६७–६८

कोटा हाउस——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

कोटा हाउस ८५८-५९

कोटिपल्ली——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

काकिनाडा——रेल-सम्पर्क ३८१–८२

कोडक——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

चिकित्सा छात्रसेना उड़ान दल १२४१—४४

कोयला——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

कपड़ा उद्योग ६८९–९०

कोयला ८९२–९३

——का नियंत्रण ४५१

——की चोरी ७७६

——की लागत ८९३–९४

——धोने के कारखानों सम्बन्धी समिति २६९–७०

कौरबा——क्षेत्र १३३९

जम्मू और काश्मीर में——२०९

धुला हुआ——१०९५–९६

कोयला आयुक्त का विभाग——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

कोयला आयुक्त का विभाग ११२३

कोयला खान——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अमलाबाद——९८-९९

कोयला ८९२-९३

कोयले का विनियंत्रण ४९५

कोयले की खानें १६८-६९

धुला हुआ कोयला १०९५–९६

राजस्थान की पलना कोयला खदान १२८२

कोयला खान भविष्य निधि——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

कोयला खान भविष्य निधि ९७४

कोरबा (मध्य प्रदेश)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोरबा कोयला क्षेत्र १३३९

कोरिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—युद्ध के बन्दी ८६४—६६

कोलम्बो योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलम्बो योजना १६१–६२, ५९९–६००

तृणक नियन्त्रण ३०१–०२

नेपाली विद्यार्थियों के लिए स्थानों का रक्षण ८४६

बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण १२७५-७६

कोला घाट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे आय ९२९—३१

कोलार स्वर्ण क्षेत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलार की सोने की खदानें १२६-२७

कोलार स्वर्ण क्षेत्र ११४९–५०

—में दुर्घटनायें ९८०-८१

कोसी परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोसी परियोजना २७२९–८७९

सेना छात्र निकाय ४४५—४७

क्रय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ११५२–५३

खाद्यान्नों का—५२९—३१

देशी भाण्डारों का—५१२–१३

क्रीडा संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

क्रीड़ा संघ १२३४-३५

क्विलोन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चावल भांडार ७३३–३४

क्ष

क्षति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इण्डियन लिसनर १८–१९

उत्तर प्रदेश में बाढ़ ५४५—४९

कानपुर की हड़ताल १४५

गंगा पुल योजना में आग लगना ११९२–९३

तार के खम्भे १३५

नौघाट सेवा १४११

फफूंदी ५१३–१४

बिहार में बाढ़ १४०३—०८

रेलवे पर डकैती १२१४

क्षतिपूर्ति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १४३२

ग्यान्त्सी दुर्घटना ११२३–२४

जर्मन युद्ध—मशीनरी १३५२

प्रतिकर ११११–१२

प्रतिकर दावे ७५५

युद्ध—के रूप में मिले हुए जर्मन यन्त्र ८६९—७१

युद्ध प्रतिकर ८४७–४८

रेलवे दुर्घटनायें १४१९–२०

विदेशों से संविदाएं ३५१–५२

क्षति पूर्ति--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण ९९—१०२
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर २८८, ६९३, ८७६—७८
सीमा प्रदेशीय घटना १२—१४

क्षय रोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
क्षय नाशक औषधि ९७२-७३
क्षय रोग ७५८
—के मरीज़ ३६२
नर्सों का प्रशिक्षण ११४२–४३
मध्य प्रदेश में बी० सी० जी० टीका १४३५–३६

ख

खंडवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—हिंगोली रेल सम्पर्क ५५०-५१

खडकवासला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय सैनिक अकादमी १२८६-८७

खडगपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
काम दिलाऊ दफतर—१२१८-१९

खनिज तेल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खनिज तेल ७९२-९३
—के निक्षेप १०३८
देखिये "तेल" भी

खनिज निक्षेप—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खनिज निक्षेप १०५०

खनिज विज्ञानवेत्ता—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूतत्वीय शास्त्री तथा—७९०–९१

खरघोदा रेलवे साइडिंग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेल दुर्घटना ५१४-१५

खरबूजा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खरबूजा ७६२-६३

खांडसारी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गुड़ और—११३३–३४, १२०२-०३

खादी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खादी १०६५–६६, १२९९–१३००
खादी वाणिज्य कक्ष १७–१८, ९१६–१७
वर्दियों के लिये —५८७—८९

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खाद्य अपमिश्रण अधिनियम ७५४

खाद्य तथा कृषि संगठन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खाद्य और कृषि संगठन ५२३–२४

खाद्य फसल (लों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खाद्य फसलें ९७८-७९

खाद्यान्न (न्नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्न उत्पादन ७३४-३५
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १०६६—६८
खाद्य और कृषि संगठन ५२३—२४
खाद्य का उत्पादन १२१
खाद्य तथा जल का अभाव ११२
—उपभोग १२०४—०६
—का आयात ५०९
—का क्रय ५२९—३१
—की कृषि ३७१
गेंहू का मूल्य ९०—९३
गोदाम १२४
नेपाल को सहायता ६६३—६४
बिहार में अन्न के भाव में वृद्धि १२१७
भंडारागार ५१६—१८
भूमि पर खेती ७४२—४३
"मूल्य संरक्षण" नीति १४०९—१०

खान (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अकलुष इस्पात ६३४
कोलार की सोने की—१२६—२७
— का निरीक्षण ३७३
— दुर्घटनायें १३६६—६७
चूने का पत्थर २१३, २१३—१४
पोरबिलिया कोयला — में आग ३१५—१६
मंडी की नमक की — २२७—२८
मैंगनीज की — ४३२, ३९३
लिगनाइट की — ६४२
वैदूर्य अयस्क की — ९१५—१६
हीरे की — २१६

खान निरीक्षक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का प्रतिवेदन ५५८

खुदाई—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तामलुक में — १००९—१०
पश्चिमी बंगाल में — ३९८—९९

खेल (लों)—
के सम्बन्ध में इन—
अखिल भारतीय — परिषद् १००७—०८
खेल तथा क्रीड़ा २०४

खेल के अखाड़े—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— तथा व्यायामशालायें २०७

खोंगमेन, श्रीमती—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिरण ६५१

खोज-विषयक नल कूप—
देखिये "नलकूप"

ग

गंगा खादर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सामुदायिक परियोजनाओं का विकास १००४—०६

गंगा पुल योजना (शिव जेटी)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— में आग लगना ११९२—९३

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन १४१४—१५

गंगूवाल विद्युत केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली बिजली सम्भरण ६०–६१
नंगल विद्युत् संभरण ४५५–५६

गणपति राम, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
भर्ती १२२१–२२

गन्ना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गन्ना ५८४, ६३२–३३
— का मूल्य ११८२
— की कृषि की भूमि ११३४–३५
— की खेती १४०९
— के दाम ३१
— सम्बन्धी गवेषणा ३६४
चीनी उत्पादन ३०८—१०

गया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बिजली लगाना १३५

गवेषणा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अणु-गवेषणा ४२—४४
आयुर्वेदिक मंत्रणा समिति ६२२–२३
आयुर्वेदिक संस्थाएं ७६६–६७
करारोपण सम्बन्धी — १०२७–२८
कृषि सम्बन्धी — १४२४–२५
केन्द्रीय औषधि — संस्था, लखनऊ ६०८–०९
गन्ना सम्बन्धी — ३६४
ग्रामोद्योग — केन्द्र २४२—४४
चारे सम्बन्धी — ७७०
दूर-संचार — केंद्र ११७१–७२
बाल पक्षाघात (पोलियो)— केन्द्र, बम्बई ५६८

गवेषणा—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
प्रादेशिक-संस्थायें ५०२—०४
रेशम १०५८—६०
सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं १३०१–०२
सीसा ३९४–९५

गव्यशाला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— सम्बन्धी प्रशिक्षण ३४८–४९

गांगूली, प्रोफसर जे० एन०—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पश्चिमी बंगाल में खुदाई ३९८–९९

गांजा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गांजा ६३७–३८

गांधी नेत्र औषधालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल) ६७–६८

गांधी महापुराण, पुस्तक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
"गांधी महापुराण" १८१–८२

गांधी, श्री एम० एम०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
जापान में भारतीय व्यापारी ४४५

गाडगील, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
इस्पात का प्रतिधारण मूल्य ८९२

गार्डिलिंगन गौड, श्री--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
भूमि संरक्षण बोर्ड ९५
रेल परिवहन ८९
स्थानीय विकास कार्य १३०९
के द्वारा प्रश्न--
आंध्र में कल्याण परियोजनाएं १२८८-८९
आंध्र में पुस्तकालय १२५४-५५
ऋण तथा अनुदान १२६५-६६
औद्योगिक वित्त निगम ४३३
करनूल तथा अदोनी रेलवे स्टेशन १०८-०९
कुटीर उद्योगों के लिये अग्रगामी परियोजनाएं १०५३-५४
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १३९३--९५
खोज-विषयक नल कूप ३२४-२५
गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन १३७९-८०
ग्रामोद्योग २५१-५२
छात्र सेना निकाय २०६
तुंगभद्रा पुल १२९-३०
दूर-संचार गवेषणा केन्द्र ११७१-७२
निवास स्थान १३५४-५५
बैंकों का एकीकरण १२४४-४५
भूमि संरक्षण केन्द्र १३८९-९०
राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना ४८१-८२
रेलगाड़ियों में सोने का स्थान १२२३-२४
वस्त्र जांच समिति ३१-३२
शिक्षितों की बेकारी १७९-८०
सामुदायिक परियोजनायें २८७-८८
हथकरघा उद्योग ६२-६३
गारो पहाड़ियां--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
गारो पहाड़ियां ७६१-६२
गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- (होम इकानोमिक्स डिपार्टमेंट) ७९--८१
गिडवानी, श्री--
के द्वारा अनपूरक प्रश्न--
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक २५७
प्राकृतिक संकट में सहायता ४०४
विभाजन ऋण १५८-१५९
के द्वारा प्रश्न--
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३५५
आयव्ययक बनाने में दोष ८१८--२०
करारोपण सम्बन्धी गवेषणा १०२७-२८
केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ४३०
कैन्टीनें ११७४
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास ९१२
चर्चगेट रेलवे स्टेशन ३०५-०६
चलचित्र-उद्योग १३४१-४२
जापान में भारतीय व्यापारी ४४४-४५
टूटे फूटे यात्री डिब्बे १४२१
डाक व तार विभाग की बिना दावे की वस्तुएं ३४२--४४
दामोदर घाटी निगम ९०३-०४
दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ४८५
निष्क्रान्त सम्पत्ति ८९५
नौघाट सेवा १४११
पौष्टिक भोजन ६१४-१५
प्रतिकर ११११-१२
प्रशिक्षण संस्थायें ४६८-६९
प्रेस आयोग प्रतिवेदन १९--२१
बम्बई पत्तन ७५६-५७
बीमा कम्पनियों के कर्मचारी ५०४-०५
भाण्डार स्थान ३८८--९०

गिडवानी, श्री—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
माल डिब्बों की कमी ७७०–७१
मुद्रण यंत्र ७६४–६५
रक्षा बचत बैंक लेखा ५६१
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
रेलवे का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ११८१
लागत लेखा आगणन प्रणाली ४०७–०८
वाष्पपोत "सर टी० वाहनी" १३९८–९९
विस्तार तथा प्रशिक्षण निदेशालय ७६०
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर ६९३
व्यपहरण ५४३—४५
व्यापार प्रबन्ध तथा औद्योगिक प्रशासन ८२०–२१
श्री एस० ए० वेंकटरामन् २१६–१७
सामान क्रय समिति (स्टोर्स परचेज़ कमेटी) २७६–७७
सामुदायक रेडियो सेट १३३६–३७
सुरक्षा युक्ति ७५०–७५१
सूखे की हालत ८४—८६
सैनिक गाड़ियां ११८९
सैनिक फार्म १९०
स्टाक की जांच पड़ताल ५८९—९१
हिन्दी छात्रवृत्तियां १६४—६६

गुड़—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गुड़ ३४९
— और खांडसारी ११३३–३४, १२०२–०३
— के प्रमाप ११७८–७९
चीनी तथा — ३५५

गुन्टूर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गाड़ियों का देर से चलना ९८९
— रेलवे लाइन के ऊपर पुल ९५२–५३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८५४–५५

गुप्त, श्री साधन—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अन्धों की शिक्षा ८००
खनिज तेल ७९३
तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९९
पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३५
के द्वारा प्रश्न—
कोयला आयुक्त का विभाग ११२३
बैंक पंचाट ८२४—२६
विशेष रेलें १२२४

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
कच्चा रेशम ६८०
कच्चा रेशम (मूल्य) १३०६–०७
कृषि सम्बन्धी ऋण ५९४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड ४६३
चलचित्र संगीत का प्रसारण ६८२–८३
चामाराजानगर–सत्यमंगलम रेलवे लाइन ११५८
पत्रकार १३०५
पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३३
पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास १०१३
पुनर्नियोजन १०१९
बीमा समवाय ४१९–२०
रेशमी कपड़ा १२९९
के द्वारा प्रश्न—
अनुसूचित आदिम जातियां १०२८–२९
अभिन्न रेल डिब्बों का कारखाना ७३८–३९
नौवहन निगम ३४६–४७
पत्तन ३७४–७५

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०--(जारी)
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
प्रिंसेज़ और विक्टोरिया गोदियां, बम्बई ३५८
बम्बई पत्तन ५२८-२९
मूंगफली का तेल ४६४-६५
राज्य व्यापार निगम ४७८-७९
लाख ८९४-९५
श्रीलंका में भारतीय ६९१-९२
हवाई अड्डे ३५३

गुलमर्ग गवेषणा केन्द्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
उत्तुंग शिखर गवेषणा ६०१-०२

गृह-कार्य मंत्री--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
काश्मीर ६८४--८६

गेआनखली--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कलकत्ता पत्तन ११६८-६९

गेहूं--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खाद्य भंडार ९८५-८६
खाद्यान्नों का क्रय ५२९--३१
गेहूं ७६९, ७७१-७२
-- का आयात १४३७
-- का मूल्य ९०--९३
फफूंदी ५१३-१४

गोआ--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- के लिये अनुज्ञा-पत्र ९१२
-- के सत्याग्रही ९०६-०७
लोंडा-मार्गगोवा रेल सम्पर्क १३७०-७१
पुर्तगाली बस्तियों के लिये पाकिस्तानी चावल ६८१

"गोआ और हम" नामक पुस्तिका--
देखिये "पुस्तक"

गोचर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- हवाई अड्डा ९६७

गोदाम--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
गोदाम ५४९

गोदावरी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कोयले की खानें १६८-६९

गोदी कर्मचारी जांच समिति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
गोदी कर्मचारी जांच समिति ३५६-५७

गोदी श्रमिक संघ--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- कलकत्ता पत्तन ९९४

गोधरा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रतलाम-- रेलवे १३२-३३

गोपालन, श्री ए० के०--
के द्वारा प्रश्न--
इमारती लकड़ी पर भाड़े की दरें ९६६-६७
इमारती लकड़ी सुधारने का संयंत्र ९९१-९२
काम के घण्टे ३७२-७३
गाड़ियों का देर से चलना ५७२-७३

गोपालन, श्री ए० के०—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
दुर्घटना समितियां १०६—०८
द्वितीय पंच वर्षीय योजना ८६३
नारियल और टेपियोका ७५१—५२
निर्यात संवर्धन परिषद् २२९—३१
पांडीचेरी का प्रशासन १११८—१९
पैट्रोल संयंत्र ९००—०१
लेख चित्र तथा समाचार फिल्में ५२
बहुरंगा चलचित्र संयंत्र ४३९—४०
बारापोल जल-विद्युत योजना २६—२७
ब्रिटिश जेट लड़ाकू विमान ११०९—१०
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां १११९—२०
भारत स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ४८५—८६
भूतपूर्व फ्रांसीसी भारत के सरकारी कर्मचारी ७०१—०२
माही १३४३
यात्री यातायात १२०३—०४, १२०४
रेलवे वर्कशापों में सुरक्षा प्रथम समितियां ५१५—१६
शिल्पिक कर्मचारियों की भर्ती ७५७—५८
हाथ करघा उद्योग १३३९-४०

गोरखपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर पूर्वी रेलवे ५५९
गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना ११९०
सम्पत्ति का प्राप्त करना ९८१—८२

गोरखा (खों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गोरखे ३९९—४०१

गोविन्द दास, सेठ—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
इस्पात २५०
ज्ञान गंगा (इनसाईक्लोपीडिया) ४१२
छावनी की भूमि ६०४
दूध वालों की बस्तियां ५३८
पैनिसिलीन कारखाना ६६१, ६६२
बांडुंग सम्मेलन १२९६—९७
वर्दियों के लिये खादी ५८८-८९
संस्कृत शिक्षा १०११
हिन्दी ८०४, ८०५
हिन्दी एनसाईक्लोपीडिया ४०६
हिन्दी छात्रवृत्तियां १६५
हिन्दी पाठ्य पुस्तक (रीडर) ३८७—८८

के द्वारा प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां ११२०
अमोनियम सल्फेट १३४८-४९
इस्पात ५३
उप-निर्वाचन ८३८
कानपुर की हड़ताल १४५
खाद्य फसलें ९७८—७९
तिब्बती याक ९११
प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र १८९
बेकारी ५७४
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ६३—६४, २८८
युवकों के लिये होस्टल २२१
राष्ट्रीय छात्र सेना २२०—२१
वन्य पशु ५२४—२५
विमान द्वारा निर्यात ११२०—२१
शेर १४६
संचार का विकास ३४१
हड़तालें १२१३

गोष्ठि(यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्त र्ज्यीय — ५—७
जीनियरों की — १०७४—७६
मुख्याध्यापकों की — ८१७-१८

ग्यान्सी व्यापार एजन्सी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्यान्सी दुर्घटना ११२३—२४

ग्राम(मों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आंध्र को ऋण १०६८—७०
आंध्र में ग्राम्य जलसंभरण योजना १४१८
गां ों में डाक घर ३२७—२८
गांवों में बिजली लगाना २१—२३
ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाना १३००
ग्राम्य जल संभरण योजना ५०६—०८
ग्राम्य डाक घर ५८३
टेलीफोन ११५६—६१
देहातों में विद्युतीकरण ६७१—७२, ६६५
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ३८५—८६
सामुदायिक रेडियो सेट १३३६—३७

ग्रामसेवक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग (होम का-नोमिक्सि डिपार्टमेंट) ७६—८१

ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ामीण आवास तथा कृषि योजना १३४५—४६

ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति ४१३

ग्रामीण उद्योग (गों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्रामीण उद्योग ८६८—६६
ग्रामोद्योग ५४, २५१—५२
छोट पैमा े के उद्योग ८६१—६३

ग्रामोद्योग गवषणा केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्रामोद्योग गवेषणा केन्द्र २४२—४४

"ग्राम्य गृह निर्माण" कार्यक्रम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामुदायिक विकास कार्यक्रम ५१

ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रैस—

देखिये "रेलगाड़ी (ड़ियों)"

ग्लाइडिंग क्लब (बों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उड्डयन क्लब १४२८—२६

घड़ियों का तेल—

देखिये "तेल"

घरेलू नौकर संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

घरेलू नौकर संघ ११६६

घी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का आयात १८७

च

चंडीगढ़—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— रेडियो स्टेशन ८५१–५२
पंजाब विश्वविद्यालय १३२८–२९

चकूर मणिस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पौधा ९२७

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अणु शक्ति ४५९
अनुसूचित आदिम जाति ३९६
अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस तारों की दरें ३०७–०८
जाति-विभेद ६७४
झींगा मछलियों का निर्यात ३१८-१९
पटसन की बनी हुई वस्तुएं ४५०–५१
पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति ३३३
पांडिचेरी ८७४, ८७५
प्रशिक्षण संस्थायें ४६९
बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४६
भारत-जापान विमान संचालन समझौता ३०१
भारत-पाकिस्तान रेल यातायात १३७४
भारतीय चल-चित्र समारोह ४५२–५३
भूतत्वीय शास्त्री तथा खनिज विज्ञान वेत्ता ७९१
मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७६–७७
रेडियो की अनुज्ञप्तियां १३६९

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु—(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—जारी
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ४१
हिन्द चीन में घटनायें २०२
हिन्दी ८०५
के द्वारा प्रश्न—
ब्रिटिश जेट लड़ाकू विमान ११०९–१०

चक्रवात—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— में रेडियो सक्रियता ९०१

चटर्जी, श्री तुषार—
के द्वारा प्रश्न—
उद्योगों का वैज्ञानिकन २७०
जूट मिल ८७५–७६
पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति ३३१—३३
भविष्य निधि अधिनियम, १९५२, ९४८–४९
सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २७९

चट्टोपाध्याय, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ६५१–५२
ज्ञान गंगा (इन्साईक्लोपीडिया) ४१३
ग्रामोद्योग गवेषणा केन्द्र २४३
पटसन की बनी हुई वस्तूएं ४५०
बद्रीनाथ धाम हवाई अड्डा ८४
बनावटी हीरे ६६९
बहुरंगा चल चित्र संयंत्र ४४०
भाग 'ग' राज्य ५९२–९३
वर्दियों के लिये खादी ५८९
वायुबल अकादमियां ४०८–०९
हिन्दी पाठ्य पुस्तक (रीडर) ३८८

चना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गेहूं का मूल्य ९०—९३
चन्दा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
झंडा दिवस २०३
चमड़ा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— उतारना ५६२–६३
चर्चगेट रेलवे स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चर्चगेट रेलवे स्टेशन ३०५–०६
चलचित्र (त्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— उद्योग १३४१–४२
— विवचिन २६६
प्रलेख चित्र ६२
प्रलेख चित्र तथा समाचार फिल्में ५२, ६१३–१४
भारतीय — (निर्यात) ४८
भारतीय फिल्में ४९८
वृत्त चित्र १३२४–२५
समाचार चित्र ५७
सशस्त्र सेना — ६६६—६८
चलार्थ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फ्रांसीसी सिक्के ६९०, ७०३–०४
चांदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— परिष्करणों परियोजना १२४५—४८
चाणक्यपुरी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
होटल तथा होस्टल १३१८–१९
चामराजानगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— सत्यमंगलम रेलवे लाइन ११५६—५८
चाय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय — करार ११०१–०२
चाय २६०–६१, ४९५, १०८१–८२
— का निर्यात २८५
रबड़ और — के बागान ६९२
चाय नीलाम समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय — २७२
चाय बागान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चाय बागान ४७–४८
रबड़ और — ६९४
चारा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
"अधिक — उपजाओ आन्दोलन" ९४१–४२
चारे सम्बन्धी गवेषणा ७००
राजस्थान में अभाव परिस्थिति ९५३—५५
चावल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इम्फाल में — के भाव ९९१
केन्द्रीय — गवेषणा संस्था, कटक ११९–२०
खाद्य भंडार ९८५–८६
चावल ३७३, ५२७–२८, ५७६, ७७८

चावल—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

— का आयात १३९६–९७

— का निर्यात ९२३—२५

— की खेती का जापानी ढंग ७०१

— भांडार ७३३–३४

पुर्तगाली बस्तियों के लिये पाकिस्तानी — ६८१

बर्मा का — ३१९–२०

मनीपुर में — की खेती ५७५–७६

विदेशी व्यापार २३३–३४

चावल की खेती का जापानी ढंग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चावल की खेती का जापानी ढंग ३६३, ५५१–५२, ७७१

चावल की खेती का जापानी तरीका १४३८

चिकित्सक छात्रसेना दल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चिकित्सक छात्रसेना उड़ान दल १२४१—४४

चिकित्सा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली ९७४–७५

— की देशी प्रणाली ५०९–१०

चिकित्सालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

असैनिक अस्पताल १२१४–१५

अस्पताल ३७२, ९६६

के० इ० एम० अस्पताल, बम्बई ३४१–४२

चिकित्सालय (यों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

कोसी परियोजना २७—२९

गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल) ६७–६८

टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई ७३०–३१

नौ-सेना के अस्पताल १००२-०३

रेलवे अस्पताल ११७६–७७

विलिंगडन अस्पताल ११२–१३

संसद् सदस्यों के लिये चिकित्सा सुविधाएं ११५–१६

चिकित्सालय (यों), तपेदिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तपेदिक के अस्पताल १२०२

चिंगलपुट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुष्ट रोग की रोकथाम ७३–७४

चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंजिन ११९७–९८

इंजिन डिब्बे आदि ९८४

चित्तरंजन इंजिन कारखाना १३६

चित्तौड़गढ़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे सर्वेक्षण ११६७–६८

चिदाम्बरम्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विशेष गाड़ियां ९८८–८९

चिनाब नदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्लीपर ११०२–०३

चिरामल, फारर जौन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अमेरिका में एक भारतीय की हत्या ६७५–७६

चिल्का झील—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चिल्का झील १०४१

चीन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ४६२—६४

कैंटन (—) में भारतीय २६८

— को गया हुआ इंजीनियरों का शिष्टमंडल १३२३

— को डाक भेजना ६६६

— को भेजा गया सांस्कृतिक मंडल १६२—६४

— नेपाल संधि १११४

तिब्बत में भारतीय डाकघर ११३२–३३

भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र १२६३—६५

रेशमी कपड़ा १२६७—६६

विश्व की आर्थिक स्थिति ४६५–६६

श्री वी० के० कृष्णा मेनन का इंगलिस्तान और अमरीका का दौरा ११०५–०६

चीनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी ६८७–८८

— उत्पादन ३०८—१०

— उत्पादन-शुल्क ३१३–१४

— का परिवहन ६४६—४८

— का भाव २६५–६६

— का स्टाक ५७४

— की आयात ५५२–५३

चीनी—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

चीनी की खपत ६७७

— के कारखाने ११३–१४

— के नये कारखाने ६८६–८७

चीनी तथा गुड़ ३५५

— मिल १३५–३६

मैसूर — कारखाना १२३–१२४

सहकारी —कारखाने १४१४

चीनी मिट्टी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लिगनाइट (लगुजागार) २१६

चीनी मिट्टी कारखाना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८५४–५५

चीनी मिट्टी के दांत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी मिट्टी के दांत ११०५

चुंगी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चुंगी ८३०–३१

चुनारगढ़ (उत्तर प्रदेश)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विस्थापित स्त्रियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण १३०२–०३

चुर्क रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल दुर्घटना ११६३–६४

चूने का पत्थर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चूने का पत्थर २१३, २१३–१४

चेट्टियार, श्री टी० एस० ए०—

के रा अनुपूरक प्रश्न—

अखिल भारतीय शिल्पि शिक्षा परिषद् ८०३
औद्योगिक वित्त निगम १२४१
कुष्ट ७५
खोये हुये कागज ३८५
चाम राजानगर-सत्यमंगलम रेलवे लाइन ११५८
छोटे पैमाने के उद्योग ८५८
जनता कालिज १६७
भंडारागार ५१७
मीन-क्षेत्र के लिये आर्थिक सहायता १३६१
युद्ध क्षतिपूर्त्ति के रूप मे मिले हुए जर्मन यन्त्र ८७०
राज्य औद्योगिक उपक्रम ६४८
रेलवे उपकरण ३०५
वस्त्र जांच समिति ३२
समुद्र पार के देशों में विद्यार्थी ७८९
सूत कातने के और सावयव मिल ८६०

चैम्पियन रीफ सोने की खानें—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलार स्वर्ण क्षेत्र ११४९–५०

चोरी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयले की — ७७६
भारत सिक्यूरिटि प्रेस १०३९–४०

चौधरी, श्री आर० के०—

के द्वारा प्रश्न—

चाय बागान ४७–४८
भारत-पाकिस्तान रेल यातायात ३५०
स्काईमास्टर विमान ११६

चौधरी, श्री एन० बी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

"अधिक चारा उपजाओ" आन्दोलन ९४२
अन्न उत्पादन ७३५
आसाम में नदी सर्वेक्षण १३१३
कृषि सम्बन्धी ऋण ५९५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०१५
कोलम्बो योजना ६००
खनिज तेल ७९२
गन्ना ९३३
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था ६५३
चावल ५२८
चीनी उत्पादन-शुल्क ३१३–१४
छोटे पैमाने के उपयोग निगम ४७६
टिड्डियां २९४
तम्बाकू उत्पादन शुल्क ८११
दिल्ली जल तथा नाली बोर्ड १४००
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८६३, १३२१
बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४६
बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षण ६२३
भंडागार ५१८
भूतत्वीय परिमाप १२५०
भूमि संरक्षण बोर्ड ९४–९५
भेषजिक (औषधि) जांच समिति १३२९–३०
राज्य व्यापार निगम ४७९
राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें २४०

चौधरी, श्री एन० बी०—(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)
लोक साहित्य समिति १२७२
सम्पत्ति शुल्क १०१८
हिन्दी प्रबोध परीक्षा ६२५
हेज़ा ७१४–१५
के द्वारा प्रश्न —
उर्वरक १२२५–२६
केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड १३८१–८२
झाडग्राम परियोजना खण्ड ८८१–८२
डम्बारू जल प्रपात ११११३
पश्चिमी बंगाल में पेट्रोलियम ८३२
पोस्ट मास्टर १४१५
फासफेट उर्वरक ६०५
बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ३११
भूकम्प किरणवक्रता सर्वेक्षण ८४५–४६

चौधरी, श्री सी० आर०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
चावल का निर्यात ६२५
डाक-घर ७१६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १०८६
नन्दीकोंडा परियोना १०७७
भूमि संरक्षण बोर्ड ६५
रेल के यात्री डिब्बे ६२६
के द्वारा प्रश्न—
आंध्र में ग्राम्य जल-संभरण योजना १४१८
आंध्र में छोटे पत्तन ११४७—४६
इस्पात का प्रतिधारण मूल्य ८६१–६२
कुरनूल मुख्य-डाक घर ५०८

चौधरी श्री सी० आर०—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
कोयले की खानें १६८–६६
ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाना १३००
घी का आयात १२७
तम्बाकू १४१–४२
तम्बाकू का आयात १४४–४५
तृणक नियन्त्रण ३०१–०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६६—६८, ८५४–५५
नन्दीकोंडा परियोजना २३–२४, १३२५–२६
मूंगफली की खली ६१
राष्ट्रीय श्रमबल १३१६–२०
लिग्नाइट के निक्षेप १०४४
सीसा निक्षेप ५६७–६८

चौर्यानयन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अफीम का चोरी छिपे लाना ले जाना १२८६
चोरी-छिपे लाया गया सोना ६४०–४१
तस्कर व्यापार ४१०-११ ८३३–३४
शस्त्रों का तस्कर व्यापार ४०२
सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना २१०

छ

छंटनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
असैनिक स्कूल अध्यापकों की — ८०६—०८

छपाई—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छपाई का काम ७६५–६६

छात्रवास—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
युवकों के लिये होस्टल २२१

छात्रवृत्ति (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोलम्बो योजना १६१–६२
छात्रवृत्तियां २१४, ८२७–२८
योग्यता — ६३०–३१
विदेशी भाषा — २२१–२२
विस्थापित विद्यार्थी १२९३—९५
समुद्र पार के देशों में विद्यार्थी ७८७—८९
सांस्कृतिक — ७८९–९०
साहित्य-गवेषणा — १७५–७६
हिन्दी — १६४—६६

छावनी (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— की भूमि ६०२—०४

छावनी बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छावनी बोर्ड ८११—१३

छुट्टी (ट्टियां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय — १४३६–३७

छोटा नागपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बिहार में सूखे की स्थिति १३८२—८४
मिशनरी संस्थायें ६३३–३४

छोटे पैमाने के उद्योग (गों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आयात नीति ८९७–९८
उद्योगों का विकास १०९३–९४
छोटे पैमाने के उद्योग ४४१–४२, ६६४–६५, ६९१, ८५२—५४, ८५७–५८, ८६१—६३, १०९२
दियासलाई उत्पादन शुल्क १२५७–५८

छोटे पैमाने के उद्योग निगम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छोटे पैमाने के उद्योग निगम ४७५—७७

जंजीबार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार १११२

ज

जगाधरी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का वर्कशाप ५३५–३६
टेलीफोन तथा तारघर १३८–३९

जड़ी बूटियां—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औषधीय — ५५६–५७

जन संख्या—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नीलोखेड़ी उपनगर २९१–९२

जनगणना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जनगणना ८३६

जनगांव—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रतिकर दावे ७५५

जनता कालिज—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जनता कालिज १६६–६७

जन्म-दर—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जन्म-दर ७६१

जमशेदपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न--

जम्मू तथा काश्मीर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें १२०५–०६
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३४
आज़ाद काश्मीर २५२–५३
उत्तुंग शिखर गवेषणा ६०१–०२
काश्मीर ६८४—८६
केन्द्रीय कर १६३
केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, जम्मू ३५३–५४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड ४६२—६४
गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल) ६७–६८
--में ऐतिहासिक स्मारक १६३—६५
-- में कोयला २०६
प्रौद्योगिक संस्था १३४५
रक्षित बैंक के कर्मचारियों का दल ६२८–२६
सीमा प्रदेशीय घटना १२—१४
सीमान्त घटनाएं ६५–६६

जयपाल सिंह, श्री--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
औद्योगिक प्रदर्शनी ८८६
क्रीड़ा संघ १२३५
तिलैया-बांध ८५५–५६
नोट आदि का कागज़ बनाने का कारखाना ७८३
प्रेस आयोग प्रतिवेदन २०–२१
भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा १८६
भारतीय हाकी फेडरेशन १२६१
'हीरोन' विमान ३२२
होटल तथा होस्टल १३१८–१६

जयपुर—
के सम्बन्ध में इन--
बचत बैंक में जालसाजी का मामला ३७८–७६

जयश्री, श्रीमती—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
अपहृत स्त्रियां १६–१७
यात्री सुविधायें १३८८
विस्थापित स्त्रियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण १३०३

जर्मन यंत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मिले हुए -- ८६६—७१

जर्मन सार्थ—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम १०४३

जर्मनी, पश्चिमी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उष्मरोधक ईंटों का कारखाना २५–२६
रेलवे इंजिन, आदि १४१
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड १३४४

जर्मनी, पूर्वी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चीनी का आयात ५५२–५३

जल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खाद्य तथा — का अभाव ११२
पश्चिमी बंगाल में भूमिगत — ६२७
राजगढ़ रेलवे बस्ती ३३०–३१

जल ठंडा करने की मशीनें—
देखिये "मशीन (नें)"

जल-विद्युत परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आसाम में नदी सर्वेक्षण १३१२–१४
जल-विद्युत परियोजनायें ४५–४६

जल संभरण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आंध्र में ग्राम्य — योजना १४१८
ग्राम्य—योजना ५०६—०८
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६०
हैदराबाद में नगरीय — योजनायें १४२७

जलपोत (तों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खाद्यान्नों का आयात ५०६
जलपोत ५६२
जहाज निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण २८२–८३

जलपोत (तों)— (जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
जहाज़ से भेजे गये माल का बीमा १२३३–३४
नौवहन ७७३
पाक जल डमरू मध्य १३२
यात्री जलयान ६७७
विध्वंसक जहाज़ों की दुर्घटना १२३५—३७
विलम्ब शुल्क ५७१–७२
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड १३४०–४१

जलालपुर मंडवा फ्लैग स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे पर डकेती १२१४

जवाहरात—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तस्कर व्यापार ४१०–११

जसवन्त कालिज, जोधपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सूखे क्षेत्र मंत्रणा समिति १०२६–२७

जसवन्त सिंह, श्री—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोरिया में भारतीय २७१

जस्ती लोहे की—चादर (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जस्ती लोहे की चादरें ७०२–०३

जांगड़े, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
पिछड़े वर्ग आयोग १६५
स्थानीय विकास कार्य १३०६

जांच न्यायालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अमलाबाद कोयला खान ९८–९९

जाति-विभेद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जाति-विभेद ६७३—७५

जापान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— में प्रविधिक मिशन पदाधिकारी ६४५–४६
— में भारतीय व्यापारी ४४४–४५
भारत — विमान संचालन समझौता ३००–०१
भारतीय पुस्तकों की भेंट ८३७
युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मिले हुए जर्मन यन्त्र ८६९—७१

जामनगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ५५१

जाली नोट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जाली मुद्रा १२५५—५७

जिप्सम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— (आचूर्ण) २११–१२

जट—
देखिये "पटसन"

जेकोस्लोवेकिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८—९०

जेट चालित वैम्पायर विमान—
देखिये "वायुयान (नों)"

जेना, श्री लक्ष्मीधर—
के द्वारा प्रश्न—
उड़ीसा में डाक सम्बन्धी सुविधायें ३७९–८०
कुटीर तथा दस्तकारी उद्योग २९१
प्राकृतिक संकट में सहायता ४०३–०४

जोशी, श्री एन० एल०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
कृषि ऋण ९४४
राजेन्द्र नगर में मकान ४५७

जोशी, श्री एम० डी०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७७

जोशी, श्री कृष्णाचार्य—
के द्वारा प्रश्न—
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३५५
अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा १३४२
अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था बंगलौर ९६५–६६
अण्दमान द्वीप समूह ४२२–२३
अफ्रीकी विद्यार्थी ८४०
अलगोशन समिति १४०८
इंजन ७७०
इम्पीरियल बैंक के हिस्से १०४०
खंडवा-हिंगोली रेल सम्पर्क ५५०–५१
ग्रैंडट्रंक एक्सप्रेस १४१२
जन गणना ८३६
झंडा दिवस २०३

जोशी, श्री कृष्णाचार्य—(जारी)

के द्वारा पश्न—(जारी)

निष्क्राम्य सम्पत्ति करार ८१५—१७
न्यायालय की भाषा १०४८–४९
पठानकोट-माधोपुर सम्पर्क ११८१–८२
पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयुक्त का कार्यालय १३५१–५२
प्रतिकर दाव ७५५
बद्रीनाथ जाने वाली सड़क ५८३
भारत-पाकिस्तान रेल यातायात ३५०
भारत-बर्मा स्टीमर सेवा ७७३–७४
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ६८९
मुख्याध्यापकों की गोष्ठी ८१७–१८
रूसी इस्पात संयंत्र ११०२
रेडियो की अनुज्ञप्तियां ९६१
रेडियो तथा केबिल बोड ११७४–७५
लोहा और इस्पात मंत्रालय ४९८
विलिंगडन अस्पताल ११२–१३
श्रीलंका में भारतीय २६६--६७, ६९१–९२
संयुक्त राष्ट्रीय संघ का निःशस्त्रीकरण आयोग १११२–१३
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में एशिया के लोग १११०–११
संविदाओं के वैज्ञानिकन सम्बन्धी समिति ८९९
सामान क्रय समिति (स्टोर्स परचेज़ कमेटी) २७६–७७
स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास १०३०—३२

जोशी, श्री कृष्णाचार्य—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

स्वास्थ्य योजनायें ११८९–९०
हिन्दी की पुस्तकों, नक्शों तथा रेखाचित्रों की प्रदर्शनी ६२६
हिन्दी शब्द २१५
हिन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक समितियां ४२४

जोशी, श्री जेठालाल—

के द्वारा श्न—

अखिल भारतीय ग्राम प्रदर्शनी ९६२
अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति १३८५—८७
कपड़ा उद्योग ६८९–९०
पटेल भाषण ४८०–८१
पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार १११२
प्रतिकर दावे १४३
भंडारागार ५१६—१८
राज्य पुनर्गठन आयोग २०२
रेडियो अनुज्ञप्तियां ७५२–५३
रेडियो उद्योग ११०४–०५
रेल गाड़ियों की गति ३८०
रेल सामान प्रदर्शनी ५५७
स्टोरों का क्रय ४६१–६२

ज्योतिर्मठ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बद्रीनाथ जाने वाली सड़क ५८३

ज्वार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खाद्यान्नों का क्रय ५२९—३१

ज्वालामुखी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भूतत्वीय परिमाप १२४९–५०

ज्ञान सरोवर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ज्ञान गंगा (इन्साईक्लोपीडिया) ४११—१३

झ

झंडा दिवस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
झंडा दिवस २०३

झराड़घाट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बेटवा नदी का पुल ५६१–६२

झांसी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रानी लक्ष्मीबाई का महल १७८–७९

झाड़ग्राम परियोजना खण्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
झाड़ग्राम परियोजना खण्ड ८८१–८२
प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र २९—३१

झाबुआ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूतत्वीय सर्वेक्षण १२८५–८६

झींगा मछली (लियां)—
देखिये "मछली (लियां)"

ट

टर्की—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जूट के थेले ३३–३४

'टाइम्स आफ इंडिया'—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पत्रकार १३०४—०६

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इस्पात १०८९–९०
इस्पात मूल्य ८७१—७३
टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय १३३०–३१
रूस के लिये इस्पात प्रतिनिधिमंडल ८७९–८०
रेल दुर्घटना ११९०–९१

टाटा स्मारक अस्पताल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—बम्बई ७३०–३१

टिटानियम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— (रंजातु) २५७–५९

टिड्डियों—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
टिड्डियां २९३—९५, ३५८–५९

टिहरी गढवाल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पर्यटक केन्द्र, उत्तर प्रदेश ११६५—६७

टेक चन्द, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
देशी दवाइयां ११३६
वन विद्या ११४७

टेलीफोन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जिला मुख्यालयों वाले नगरों को—
द्वारा जोड़ना ७६३–६४

टेलीफोन ११५९—६१

टेलीफोन कनैक्शन ५७१

सार्वजनिक — कार्यालय
१४२९–३०

स्वयं चालित—प्रणाली ११४–१५

टेलीफोन उपकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टेलीफोन उपकरण १४२

टेलीफोन एक्सचेंज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टेलीफोन तथा तारघर १३८-३९

बिहार में — १३७४–७५

टलक्स सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टेलेक्स सेवा ११४०—४२

टैपीयोका—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

नारियल और — ७५१-५२

टैलीग्राफ लाइन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आसाम में — ११८६

टैलीप्रिंटर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— की लाइनें ९५७—५९

टूटी कोरीन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नाविक संघ, — ३६१

ट्यूनसांग खंड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण)
१०८५—८७

ट्यूब (बों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मोटर गाड़ियों, आदि के लिये —
२४–२५

ट्राम्बे लाइन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी का परिवहन ९४६—४८

ट्रैक्टर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय — संगठन ७१६—१८,
७४१–४२

ट्रेक्टर ५५८–५९, ५७९–८१, ११६९,
१२१३–१४, १४०१–०२

— की महंगी खरीद ७१०

रूसी सहायता ५९५—९७

ठ

ठेका (के)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भोजन व्यवस्था १२१०

ड

डकेती (तियां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चलती गाड़ी में डाके ११२९—३१

त्रिपुरा में — १२८०

'डफरिन' पोत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय नौवहन ९५५–५६

डम्बारू जल प्रपात—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डम्बारू जल प्रपात १११३

डाक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चीन का — भेजना ९६९

डाक कर्मचारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुरनूल मुख्य डाक-घर ५०८
ग्रामीण डाक घर ९७६–७७
डाक तथा तार विभाग ५२१—२३
डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ११७९–८०
डाक विभाग के कर्मचारी १४२७–२८
राष्ट्रीय छुट्टियां १४३६–३७
व्यापहरण ५४३—४५

डाक तथा तार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अपीलीय न्यायाधिकरण ३७३–७४
— के फार्म ५६०–६१
— विभाग ५२१—२३
— विभाग की इमारतें १४२२–२३
डाक व तार विभाग की बिना दावे की वस्तुएं ३४२—४४
डाक व तार विभाग के भवन ९७८
डाक सेवायें १४१९
बिहार में — कार्यालय ३७१
बेतार दस्युता-विरोधी कार्य १३९२–९३
रेडियो अनुज्ञप्तियां १३८८–८९
व्यपहरण ५४३—४५

डाक सुविधा (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उड़ीसा में डाक सम्बन्धी सुविधायें ३७९–८०

डाकघर (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अतिरिक्त विभागीय — ७२३—२६
कांगड़ा ज़िले में — ७६७–६८
कांगड़ा — १४१७
कुरनूल तथा हैदराबाद में — ११७८
कुरनूल मुख्य — ५०८
कुशेश्वर शाखा — ३६४
गावों में — ३२७–२८
ग्रामीण क्षेत्रों में — ३७५–७६
ग्रामीण — ९७६–७७
ग्राम्य — ५८३
टेलीफोन तथा तारघर १३८–३९
डाक तथा तार घर ९७६
डाक घर ७१५–१६
तार की सुविधायें ७६९
तिब्बत में भारतीय — ११३२–३३
पंजाब में — १४२८
बिहार में डाक तथा तार कार्यालय ३७१
मनीपुर — ९९१
मेचदा संयुक्त डाक तथा तारघर १४५–४६
रक्षा बजत बैंक लेखा ५६१
लाहौल में— १४२५–२६
स्पीती में — १४२६–२७
होशियारपुर ज़िला — १४१६

डाक्टरी गवेषणा परिषद्—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हैज़ा ७१३—१५

डाक्टरी शिक्षा के कालिज—
देखिये "महाविद्यालय"

डाभी, श्री—
द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
कुटीर उद्योग के लिये अग्रगामी परियोजनायें १०५४
ग्रामोद्योग गवेषणा केन्द्र २४३
शहद ११६३
संस्कृत शिक्षा १०१२
सोने के डिब्बे ३२७
के ारा प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस तारों की दरें ३०६—०८
आकाशवाणी ४८१
इण्डियन लिसनर १८–१९
औषधि नियंत्रण ९६४–६५
कृषि विकास कार्यक्रम ५०५–०६
कृषि सम्बन्धी ऋण ५९३—९५
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७४१–४२
क्षय नाशक औषधि ९७२–७३
ट्रैक्टरों की महंगी खरीद ७१०
तम्बाकू उत्पादन शुल्क ८०९—११
तिलहन पेरने का उद्योग ११३१–३२
दियासलाई उत्पादन शुल्क १२५७–५८
दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा ९७२
दिल्ली सड़क दुर्घटनायें १०००–००१
पौधा ९२७
भ्रष्टाचार विरोधी विभाग १२२९—३२
महात्मा गांधी की समाधि २७५–७६
यात्री सुविधायें १३८७–८८
रेल परिवहन ८६—९०
रेलवे की आय १३५९–६०
वाऊचरों का खोया जाना ६३१–३२
संघ लोक सेवा आयोग ६१३–१४
सम्पत्ति शुल्क १०१७–१८
साधारण निर्वाचन ७८४–८५

डामर, श्री अमर सिंह —
के द्वारा प्रश्न—
अफीम का चोरी छिपे लाना ले जाना १२८६
आकाशवाणी की पत्रिकायें २८९
इन्दौर-दोहद-रेलवे ११८–१९
कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १४९
नौवहन ७७३
प्रसूति तथा शिशु कल्याण योजनाये ९६३
भूतत्वीय सर्वेक्षण १२८५–८६
मध्य भारत में मलेरिया नियंत्रण ११७५–७६
रतलाम-गोघरा रेलवे १३२–३३
वन महोत्सव १०४५–४६
सिंचाई की छोटी योजनाएं ३७

डालमियां नगर—
के सम्बन्ध में श्न—
दामोदर घाटी निगम ५८

डिब्रूगढ़—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ब्रह्मपुत्र में बाढ़ ९०५–०६

डी० डी० टी० कारखाना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
डी० डी० टी० कारखाना ६५४—५७
दूसरा — ६५४

डे० एस० सी०, श्री—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जापान में प्रविधिक मिशन पदाधिकारी ६४५–४६

डेनमार्क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नर्सों का प्रशिक्षण ११४२–४३
शिक्षा विशारदों का विशेषज्ञ दल ६०९–१०

डेहरा साहिब--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
पाकिस्तान को सिख यात्री ४४७-४६

ढ

ढाके की मलमल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
ढाके की मलमल ५८

त

तम्बाकू--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कृषि ४५४-५५
तम्बाकू १४१-४२
-- उत्पादन शुल्क ६३३, ८०९--११
-- का आयात २४४-४५

तांबे का तार--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तांबे का तार १३४६

ताजमहल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
पर्यटक परिवहन ११९६

तामलुक--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- में खुदाई १००९-१०

ताम्रलिप्ता--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तामलुक में खुदाई १००९-१०

तार (रों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अन्तर्राष्ट्रीय प्रैस -- की दरें ३०६--०८
भारतीय भाषाओं में -- १४२४

तार के खम्भे--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तार के खम्भे १३५

तार सुविधा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तार की सुविधायें ७६९

तारघर (रों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
उड़ीसा में डाक सम्बन्धी सुविधायें ३७९-८०
टेलीफोन तथा -- १३८-३९
तारघर १४०, ५७५
-- (बीनपुर) ६९१-९२

तालाब (बों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- का बैठ जाना ४२४-२५

तावंग मठ--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में -- १११८

तास--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
पत्रकार १३०४--०६

तितिलागढ़--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
सम्बलपुर-बालनगीर -- रेल लाइन ५६३-६४

तिब्बत—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में तावंग मठ १११८
— और लद्दाख के मध्य व्यापार १३५१
— में भारतीय डाकघर ११३२–३३
ब्रह्मपुत्र में बाढ़ ९०५–०६
भारत— गवेषणा केन्द्र १२६३—६५
सीमान्त क्षेत्रों का विकास ८६७—६९
तिब्बती छात्र—
देखिये "विद्यार्थी"
तिब्बती भाषा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र १२६३—६५
तिब्बती याक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तिब्बती याक ९११
तिम्मय्या, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
कोटा हाउस ८५९
ट्रैक्टर १४०२
डाक तथा तार विभाग ५२३
भूमि संरक्षण केन्द्र १३९०
रेशम उद्योग ४४३, ४४४
विधि आयोग १८९
संस्कृत शिक्षा १०११
के द्वारा प्रश्न—
कच्चा रेशम ६७९–८०
कच्चा रेशम (मूल्य) १३०६–०७
रेशम ९१२
तिलहन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— पेरने का उद्योग ११३१–३२
तिलैया बांध—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तिलैया बांध ८५५–५६
तिवारी, पंडित डी० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
आज़ाद काश्मीर २५३
ऊष्मरोधक ईंटों का कारखाना २६
कृषि सम्बन्धी ऋण ५९५
गन्ने का दाम ३१२
टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय १३३१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १७८८
नौवहन समवाय १३९८
बर्मा का चावल ३१९–२०
बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४७
बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज १३७५
बिहार में बाढ़ १४०७
मोटर गाड़ियों, आदि के लिये ट्यूब २५
राजनैतिक पीड़ित १२३८
रेल परिवहन ८८
रेलवे इंजीनियरिंग सेवायें ११७३
शिक्षा विशारदों का विशेषज्ञ दल ६१०
श्रीलंका में भारतीय २३७–३८
संयंत्र और मशीनरी ८
सहकारी दूध संघ ९३६
सीमेंट १०५६
के द्वारा प्रश्न—
उत्तर-पूर्व सीमा अभिकरण २७८
उप-निर्वाचन ८३८
काम दिलाऊ दफ्तर ५२५—२७
कोयले की लागत ८९३–९४
खराब हुए इंजिन १४६–४७
खादी १०६५–६६, १२९९–१३००
खान दुर्घटनायें १३६६–६७

तिवारी, पंडित ड़ी० एन०--(जारी)
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
गांवों में डाक घर ३२७-२८
गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना ११६०
गेहूं ७६६
चाय २६०-६१
चीनी का स्टाक ५७४
छात्रवृत्तियां ८२७-२८
छापेखाने ११२१
जूट के थैले ३३-३४
ट्रैक्टर १४०१-०२
दरभंगा मैडिकल कालेज १४०२-०३
नज़रबन्द १०४४
नव साक्षरों के लिये पुस्तकें ८३१
बिहार में अन्न के भाव में वृद्धि १२१७
बेकारी ११८२
भारतीय उर्वरक ११४३--४६
यात्रा सम्बन्धी रियायतें ६१९-२०
यात्री डिब्बे ५५७-५८
युद्ध सामग्री के कारखाने ६०४--०६
रबड़ उद्योग ६३५
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ४३३-३४
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ८३०
रेलवे की ओर जाने वाली सड़कें १३०-३१
रेलवे की जमीन १२१९
रेलवे प्लेटफार्म १४२५
रेलवे स्टेशन ६३७-३८
रोजगार पुस्तिका १३३१-३२
विदेशों से संविदाएं ३५१-५२
वैदेशिक सेवायें ६६९--७१
स्टीमर सेवा ७५३
स्वयं चालित टेलीफोन प्रणाली ११४-१५
हिन्दी पुस्तकों पर पुरस्कार २२१

तिवारी, श्री आर० एस०--
के द्वारा प्रश्न--
रेल दुर्घटना ११८४-८५
श्रीलंका में भारतीय

तिस्ता नदी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४५--४७

तुकराल गांव--
के सम्बन्ध में प्रश्न --
विशेष रेलें १२२४

तुंगभद्रा नदी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तुंगभद्रा पुल १२९-३०

तुंगभद्रा परियोजना--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
ऋण तथा अनुदान १२६५-६६
तुंगभद्रा परियोजना २४७-४८

तुर्की--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेल दुर्घटना ७१९-२०

तुलसीदास, श्री--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
मशीनी औज़ार २३२
के द्वारा प्रश्न--
आयात शुल्क में छट ८३९-४०
उद्योगों का विकास १०९३-९४
पाकिस्तान में भारतीय विनियोजन ४२६-२७
पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास १०१३-१४
माल-डिब्बों की कमी ९८३-८४

तुलसीदास, श्री --(जारी)
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम १३२६--२८
सड़क कूटने के इंजिन ४८६-८७
सम्पदा शुल्क ८४१-४२
तूतीकोरिन पत्तन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तूतीकोरिन पत्तन ११८७
तूतीकोरिन-श्रीलंका चालू निर्यातक तथा आयातक चैम्बर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विदेशी व्यापार २३३-३४
तृणक नियन्त्रण--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तृणक नियंत्रण ३०१-०२
तेजपुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--रांगिया रेल लाइन १४३३-३४
रेलगाड़ियां १४३३
रेलगाड़ी सर्विस १२२२
रेलवे इंजन डिब्बे इत्यादि ११६९-७०
तेमिलौंग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
इम्फाल -- सड़क ३५३
तेल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खनिज -- ७९२-९३
खनिज -- के निक्षेप १०३८
घड़ियों का -- ४१५
तेल १७२--७४
-- की खोज ६३५-३६
-- के कुएं १०३६
नहरकटिया -- क्षेत्र १८१
मूंगफली का -- ४६४-६५
तेल और गैस डिवीजन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तैल और गैस डिवीजन १२५०--५२
त्यूनसांग परगना--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण) ३६--३८
त्रावनकोर-कोचीन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह १०२४-२५
गहरे समुद्र में मस्य ग्रहण १२४-२५
टिटानियम (रंजातु) २५७--५९
नारियल और टेपियोका ७५१-५२
मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७५--७८
लोहे की सलाखें ४८-४९
वैज बैंक ११४
सामुदायिक रेडियो सैट १३४९-५०
त्रिपाठी, श्री के० पी०--
के द्वारा अनुपुरक प्रश्न--
गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन १३८०
गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र ६२१
चाय २६१
पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३३
बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण १२७६
बैंक पंचाट ८२६
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम १३२७
श्रम मंत्रियों का सम्मेलन १३६५
के द्वारा प्रश्न--
आसाम में टेलीग्राफ लाइन ११८६
आसाम में नदी सर्वेक्षण १३१२--१४
तेजपुर-रांगिया रेल लाइन १४३३-३४

त्रिपाठी, श्री के० पी०—— (जारी)
के द्वारा प्रश्न——(जारी)
रेलगाड़ियां १४३३
रेलगाड़ी सर्विस १२२२
रेलवे इंजिन डिब्बे इत्यादि ११६९—७०

त्रिपाठी, श्री वी० डी०——
के द्वारा प्रश्न——
हिन्द चीन में घटनायें १९७—२०३

त्रिपुरा——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
अगरतला में पेचिश का व्यापक रोग ७३७—३८
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३८—३९
आदिम जातियों का पुनर्वास ७७९—८०
उत्पीड़ित व्यक्तियों की सहायता १२८१
कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र १३५६—५७
डम्बारू जल प्रपात १११३
तारघर ५७५
—— को विस्थापित व्यक्तियों का प्रव्रजन १३५३
—— में अनन्नास १४८
—— में आदिम जातीय परिवार ११२७—२८
—— में डकैतियां १२८०
—— में विस्थापित व्यक्ति ५५
दाण्डिक मामले १२८७—८८
दाम्बरू जल-प्रपात २६३
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक २५५——५७
सहकारी संस्थायें १४१०

त्रिवेदी, श्री यू० एम०——
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न——
अपहृत स्त्रियां १७
आयकर १८४
चांदी परिष्करणों परियोजना १२४७
चावल भांडार ७३४

त्रिवेदी, श्री यू० एम०—— (जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न——(जारी)
भोपाल में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना ७४७
रेल दुर्घटना ८२

त्वेनसांग——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
नेफा (उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण) ११२५

थ

थाईलैंड——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
मन्दिर ८६०

थामस, श्री ए० एम०——
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न——
अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा शिविर ९९७
आंध्र में पुस्तकालय १२५५
उर्वरक १३७९
काम दिलाऊ दफ्तर ५२६—२७
झींगा मछलियों का निर्यात ३१८
टेलीफोन ११६१
डी० डी० टी० कारखाना ६५६
दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस १३६८
दिल्ली सड़क दुर्घटनायें १००१
निर्यात संवर्धन परिषद् २३०—३१
निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन १००४
पनिसिलीन कारखाना ६६१
वित्त निगम १०२४
हैदराबाद को ऋण १०१६—१७

थिरुवनमपुर कुप्पम——
के सम्बन्ध में प्रश्न——
अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा शिविर ९९५——९७

द

दक्षिण अर्काट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लिगनाइट का खनन २७८–९

दया याचिकायें—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दया याचिकायें २२२–२३

दरभंगा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नया रेलवे स्टेशन १४३०

रेल दुर्घटना ५३९–४०

दरभंगा मैडिकल कालेज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दरभंगा मेडिकल कालेज १४०२–०३

दशरथ देव, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

उत्पीड़ित व्यक्तियों की सहायता १२८१

कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र १३५६–५७

कृषि सम्बन्धी ऋण १४३४–३५

त्रिपुरा में आदिम जातीय परिवार ११२७–२८

त्रिपुरा में डकैतियां १२८०

सहकारी संस्थायें १४१०

दस्तावेज (जों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खोये हुए कागज़ ३८३—८५

दस्युता-विरोधी कार्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बेतार — २३३–४३

दाण्डिक मामले—

सम्बन्ध म प्रश्न—

दाण्डिक मामले १२८७–८८

दांत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी मिट्टी के — ११०५

दाई (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दाइयां ३५९

दामोदर घाटी निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तिलैया बांध ८५५–५६

दामोदर घाटी निगम ५८, ९०३-०४, १३५५

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी ७००

दामोदर घाटी परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विद्युत परियोजनाएं ६५७—५९

दामोदरन, श्री नेत्तर पी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ९७

बारापोल जल-विद्युत योजना २७

दाम्बरू जल प्रपात—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दाम्बरू जल-प्रपात २६३

दाल (लों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

व्यापार विदेशी –२३३-३४

दास, श्री एस० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
टिड्डियां २६४
निवृत्ति-वेतन १७७
बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४६
भूमि संरक्षण बोर्ड ६५
रेल दुर्घटना ३२३
वनमहोत्सव ६६]
शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं १७४

के द्वारा प्रश्न—
अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी १८६
अणु-शक्ति २४१-४२
अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार ११०१–०२
अपहृत स्त्रियां १५—१७
अबाध व्यापार क्षेत्र ५१–५२
इंजन ११६७–६८
के० इ० एम० अस्पताल, बम्बई ३४१–४२
कुशेश्वर शाखा डाक-घर ३६४
कोलम्बो योजना १६१–६२
गंगा पुल योजना में आग लगना ११६२–६३
तार घर १४०
दृष्टि सहाय २१५
पशु पालन १४०८
ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात १३३६
भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना २८०
भारत–ब्रिटेन व्यापार करार २७५
भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास १०५०
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम १०४३
रेल दुर्घटना ८१—८३
रेलवे उपकरण ३०३—०५
वनस्पति दूध १२७६–७७

दास, श्री एस० एन०—जारी
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
वानस्पतिक इतिहास १२८१–८२
वायु मार्ग ११६३
विधि आयोग १८८–८६
श्रव्य-दृश्य शिक्षा १०४२
सहकारी चीनी कारखाने १४१४
सीमेंट के कारखाने १११३
हिन्दी शब्द २१५
हीरे की खानें २१६

दास, श्री बी० के०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १०५२
खाद्यान्नों का क्रय ५२६—३१
पासपोर्ट १०७६
प्रादेशिक गवेषणा संस्थायें ५०३–०४
भारत–पाकिस्तान रेल यातायात ३५० १३७२—७४
राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था, करनाल ३३७–३८
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर २८८
विस्थापित स्त्रियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण १३०२–०३
सम्पत्ति शुल्क १०१८
सामुदायिक परियोजनाओं का विकास १००५

के द्वारा प्रश्न—
"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन ७३१—३३
"अधिक चारा उपजाओ" आन्दोलन ६४१–४२
विस्थापित व्यक्तियों के लिये उद्योग १३५०–५१

दास, श्री बी० सी०—
के द्वारा प्रश्न—
उड़ीसा में रेलवे लाइनें ५३६–३७
राष्ट्रीय छुट्टियां १४३६–३७
रेलवे आय १२१५
रेलवे लाइन ७७५
विशेष विवाह अधिनियम ४०४–०५

दास, श्री सारंगधर—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन ७३२–३३
इंजन डिब्बे आदि ९६०
इस्पात मूल्य ८७३
केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड १३८२
कोटा हाउस ८५९
चावल का निर्यात ९२५
बम्बई में गहरे समुद्र म मछली पकड़ने का केन्द्र ७०८
वन विद्या ११४७
वस्तु भाड़े पर अधिभार ७४५
हिन्दी शब्दावली १२७४

के द्वारा प्रश्न—
इस्पात १०८९–९०
धला हुआ कोयला १०९५–९६
नदी गेज (मापक) ६८३–८४
राष्ट्रीय छुट्टियां १४३६–३७

दियासलाई—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दियासलाई उत्पादन शुल्क १२५७–५८

दिल्ली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ७८०
अपहरण १२८४–८५
आवास स्थान १३३४–३६
औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८–९०
केन्द्रीय शिक्षा कार्यालय २०३–०४

दिल्ली—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
खादी वाणिज्य (एम्पोरिय) १७–१८
ग्रामीण उद्योग ८९८–९९
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था ६५२–५४
छोटे पैमाने के उद्योग ८५७–५८
जनता गाड़ी ९८४–८५
डी० डी० टी० कारखाना ६५४–५७
— उपनगरीय सेवा ७०५–०७
— के लिये विकास बोर्ड ११३९–४०
— बिजली सम्भरण ६०–६१
— मार्ग परिवहन सेवा ७७४
— में विस्थापितों की बस्तियां ६५९–६०
—रिवाड़ी रेल सम्पर्क ५५०
— सड़क दुर्घटनायें १०००–०१
—स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ४८५
नंगल विद्युत् संभरण ४५५–५६
नई रेलवे ला नें ५६५–६६
प्रादेशिक रूपांकन केन्द्र ८९४
बम्बई—वायु-चर्या १४१०–११
बम्बई पुलिस अधिनियम ४१६
भाग 'ग' राज्य ५९१–९३
यात्री शेड ५६८–६९
यात्री सुविधायें ७४८–४९
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ८३०
राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र १९१–९३
वित्त निगम १०२३–२४
विस्थापित हरिजन ८९८
विस्थापित हरिजन व्यक्ति १४–१५
विस्थापितों के लिये मकान ४७३–७५, ८९२
विस्थापितों को बसाना ४९२
सी० टी० ओ प्रशिक्षण योजना १३३–३४
होटल तथा होस्टल १३१८–१९

दिल्ली उपनगरीय रेलगाड़ी सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली उपनगरीय रेलगाड़ी सेवा ३५६

दिल्ली नगरपालिका समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली नगरपालिका समिति ६६५

दिल्ली परिवहन सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली परिवहन सेवा ५४०--४१, ७११--१२, १२०२
दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी ६२८–२६
दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा ७७४, ६७२, ६७३, ११६८

दिल्ली पुलिस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली पुलिस ४२८

दिल्ली–मद्रास जनता एक्सप्रेस—
देखिये "रेलगाड़ी (यों)"

दिल्ली विश्वविद्यालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छात्रवृत्तियां २१४

दिल्ली, संयुक्त जल तथा नाली बोर्ड
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली जल तथा नाली बोर्ड १३६६–१४००

दीघवाड़ा रेलवे स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेल की जमीन १२१६

दीवान, श्री आर० एस०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण ५११
कृषि विकास कार्यक्रम ५०६
केन्द्रीय ओषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ ६०६
गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र ६२२
ग्रामोद्योग गवेषणा केन्द्र २४३

दुग्ध संभरण योजना, दिल्ली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिष —११६२

दुर्घटना (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १४३२
कोलार स्वर्ण क्षेत्र ११४६–५०
कोलार स्वर्ण क्षेत्र में — ६८०–८१
खान —१३६६–६७
दिल्ली सड़क —१०००–०१
न्यूटन चिकोली कोयला खान की — ५५२
भारतीय विमान बल की— १८४–८५
विध्वंसक जहाजों की — १२३५–३७
हिन्द चीन में घटनायें—१६७—२०३

दुर्घटना समिति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दु टना समितियां १०६—०८

दूतावास (सों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विदेशों में भारतीय मिशन ३५–३६

दूध—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आयात किये ग दुग्ध उत्पाद ४३१.
दूध वालों की बस्तियां ५३७—३६

दूध--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
सहकारी -- संघ ६३५-३६
साहीवाल के ढोर २९६--९८

दूध, वनस्पति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
वनस्पति दूध १२७६-७७

दूर-संचार गवेषणा केन्द्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न --
दूर-संचार गवेषणा केन्द्र ११७१-७२

दृष्टि सहाय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
दृष्टि सहाय २१५

देव, श्री आर० एन० एस०--
के द्वारा प्रश्न--
निर्वाचक नामावली ६४०
पैट्रोल सं त्र ९००-०१
भयप्रद प्रहसन ८२९
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना ६३९
सम्बलपुर-बालनगोर तितिलागढ़ रेल लाइन ५६३-६४

देवनागरी लिपि--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारतीय भाषाओं में तार १४२४

देशनांक--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
नि हि व्यय -- १२६१--६३

देशमुख, श्री के० जी०--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
भीलाई इस्पात संयंत्र ४७१
के द्वारा प्रश्न--
अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी ९६२
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७५२
केन्द्रीय शिक्षा कार्यालय २०३-०४
पशुमरी नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्रीय समिति ५५६
फफूंदी ५१३-१४
वस्त्र उद्योग ११०३

देहरादून--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
प्रौढ़ अंध-प्रशिक्षण केन्द्र ५९८-९९
भारतीय सैनिक अकादमी १२८६-८७
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ३९०-९१

दोहद--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
इन्दौर -- रेलवे ११८-१९
कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १४९

द्विवेदी, श्री एम० एल०--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
कृषि ऋण ९४३
तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९९, ११००
प्रेस आयोग ४५
भाग 'ग' राज्य ५९२
भारतीय उर्वरक ११४४, ११४५
भ्रष्टाचार विरोधी विभाग १२३०, १२३१
यात्री यातायात की गणना ७२
रासायनिक उर्वरक १०९१
विमान समवाय ११५४
हिन्दी छात्रवृत्तियां १६५-६६
हिन्दी पाठ्य पुस्तक (रीडर) ३८७
के द्वारा प्रश्न
कृषि फार्म ६१९--२२
खोये हुए कागज़ ३८३--८५

द्विवदी, श्री एम० एल० —(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल) ६७—६८

छपाई का काम ७६५—६६

जाली मुद्रा १२५५—५७

जापान में प्रविधिक मिशन पदाधिकारी ६४५—४६

टिड्डियां २६३—६५

टेलीप्रिंटर की लाइनें ६५७—५६

दुर्घटनायें ५७६—७६

नदी घाटी योजनाएं १—३

बन्दरों का निर्यात ४३७—३६

मिस्टियर लड़ाकू विमान ८२८—२६

मुद्रण यंत्र ७६४—६५

ओवोलफिया सर्पेंटाइना २२५—२७

रूस से सहायता १०८३—८४

विद्युत् चालित रेल के सवारी डिब्बे ७५०

संचार का विकास ३३८—४१

साल्क पोलियो वेक्सीन ४६६—५०१

हाथ-करघा कपड़ा विणन- समिति ८४६—५१

ध

धनकार (पंजाब)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्पीती में डाकघर १४२६—२७

धर्मशाला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— को पर्यटक यातायात ७५६

धान कूटने सम्बन्धी समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

धान कूटने सम्बन्धी समिति ३३३—३५

धुलेकर, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह १०२५

रानी लक्ष्मीबाई का महल १७८—७६

होमियोपैथी १०५

धूसिया, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

वैदेशिक सेवाएं ६७१

धौलपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का शासक ४२३

न

नंगल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नंगल विद्युत् संभरण ४५५—५६

नई दिल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोटा हाउस ८५८—५६

भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना २०८०

भारतीय प्राणकीय सर्वेक्षण १२७६—८०

यात्री सुविधायें ७४८—४६

राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन १११

नक्शा तथा रेखा चित्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी की पुस्तकों, — की प्रदर्शनी ६२६

नजरबन्द (दो)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नज़रबन्द १०४४

नटेशन, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

पेट्रोल २४८

नदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आसाम में — सर्वेक्षण १३१२—१४

नदी-गवेषणा केन्द्र १०—१२

नदी गेज (मापक)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नदी गेज (मापक) ६८३–८४

नदी घाटी परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

इंजीनियरों की गोष्टी १०७४—७६

कोसी परियोजना २७—२९, ८७९

नदी घाटी योजनाएं १—३

संयंत्र और मशीनरी ७–८

संयंत्र और मशीनरी समिति ५०

नन्दीकोंडा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में सीमेंट का कारखाना १३१०—१२

नन्दीकोंडा परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नन्दीकोंडा परियोजना २३–२४, ९०४, १०७६–७७, १३२५–२६

नमक—

के कुए ७९४ ६४

उड़ीसा की — फैक्टरियां २६४—६६

नमक ४७७–७८, ६९९, ८९६, ९०३

—के कुएं ६९४-९५

मंडी की — की खानें २२७–२८

माल डिब्बों की कमी ११५१–५२

नरसरावपेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का देर से चलना ९८९

नरसिंहन्, श्री सी० आर०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

डी० डी० टी० कारखाना ६५६

भूतत्वीय परिमाप १२५०

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ७९७

सूखे की हड़ताल ८५, ८६

के द्वारा प्रश्न—

अखिल भारतीय शिल्प शिक्षा परिषद् ८०२–०३

गोदाम ११६२

तूतीकोरिन पत्तन ११८७

महिला शिक्षा १०३९

नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

नन्दीकोंडा में सीमेंट का कारखाना १३११

के द्वारा प्रश्न—

अनिरसित केन्द्रीय अधिनियम १०४०

उर्वरक ११२४–२५

गाड़ियों का देर से चलना ९८९

गुन्टूर रेलवे लाइन के ऊपर पुल ९५२–५३

नन्दीकोंडा में सीमेंट का कारखाना १३१०—१२

भारत में डाक्टरी शिक्षा के कालिज ९९०

नर्मदा नदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नर्मदा पर पुल ११९५–९६

नर्स (र्सों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— का प्रशिक्षण ११४२-४३

नलकूप (पों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खोज-विषयक — ३२४-२५

नल-कूप १३३, ५६४, १२२६, १४२१-२२

नव साक्षरों--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— के लिये पुस्तकें ८३१

नहर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तुंगभद्रा परियोजना २४७-४८

नन्दीकोंडा परियोजना १३२५-२६

नहरकटिया तेल क्षेत्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

तेल के कुएं १०३६

नहरकटिया तेल क्षेत्र १८१

नहरी जल विवाद--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नहरी जल विवाद २७१

नागपुर डिवीजन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

माल डिब्बों का संभरण ११८७-८८

नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

हिन्दी एन्साईक्लोपीडिया ४०५--०७

नागा (गों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण) १०८५—८७

नागा पहाड़ियों--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ८८४--८६

नागा राष्ट्रीय परिषद्--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

उत्तर-पूर्व सीमा अभिकरण २७८

नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण) १०८५—८७

नागार्जुन कोंडा--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

पर्यटन उद्योग ७२७

अमरावती और — ११९१

नन्दीकोंडा परियोजना २३-२४

नानादास, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ४२०

अन्न उत्पादन ७३५

उड़ीसा की नमक फैक्ट्रियां २६६

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ५३४

कुरनूल मुख्य डाक-घर ५०८

नानादास, श्री—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

केन्द्रीय आंगूलियक चिह्न कार्यालय (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) ४१४
छोटे पैमाने के उद्योग ८५४
तम्बाकू का आयात २४५
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८५५
नमक ४७८
भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा १८६
भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज अधिकारी ६१६
भोपाल के नवाब ६०६
मत्स्य ग्रहण शिल्प प्रशिक्षण ५२१
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ३८६
वस्त्र जांच समिति ३१

के द्वारा प्रश्न—

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां २१६
उर्वरक उत्पादन समिति ८—१०
खाद्य और कृषि संगठन ५२३–२४
गंदी बस्तियों की समाप्ति (मद्रास) ४८४–८५
चूने का पत्थर २१३–१४
छोटे पैमाने के उद्योग २७७
ढाके की मलमल ५८
नंगल विद्युत् संभरण ४५५–५६
नौवहन ७२१–२२
पर्यटक यातायात १२८–२६
बनावटी हीरे ६६८–६६
बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं ६३
भाग 'ग' राज्य ५६१—६३
मकालू अभियान ८६६–६७

नाना दास, श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७५—७८
मोटर सर्विस स्टेशन ४७२–७३
रेडियो के पुर्जे ५०–५१
लोह अयस्क सर्वेक्षण १५६–५७
विदेशी व्यापार २३३–३४
सीसा ३६४–६५
हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी संस्था ७०१

नाभिकीय रीएक्टर—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

नाभिकीय रीएक्टर ११०८–०६

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न —

अणु-शक्ति २४२
टिटानियम (रंजातु) २५६
निर्यात संवर्धन परिषद् २२३०

नायर, श्री वी० पी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न —

अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण ५११
अगरतला में पेचिश का व्यापक रोग ७३७–३८
अमेरिका में एक भारतीय की हत्या ६७६
कैटिकीय सर्वेक्षण ७६६
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था ६५३
चावल भांडार ७३३, ७३४
दिल्ली परिवहन सेवा ५४१
दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी ६२६

नायर, श्री वी० पी०--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

देशी दवाइयां ११३७
नदी गेज (मापक) ६८४
बहुरंगा चलचित्र संयंत्र ४४०
रेलवे वर्कशापों में सुरक्षा प्रथम समितियां ५१५-१६
शहद ११६३
सीसा निक्षेप ५९८
स्टाक की जांच पड़ताल ५९१
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट, लिमिटेड ६१७

के द्वारा प्रश्न--

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् १००७-०८
कार्प मीनक्षेत्र ७२२-२३
क्रीड़ा संघ १२३४-३५
खाद्यान्न उपभोग १२०४--०६
खेल के अखाड़े तथा व्यायामशालायें २०७
खेल तथा क्रीड़ा २०४
गन्ना ९३२-३३
चाय ४९५
भारतीय औलिम्पिक संथा १०२०-२१
भारतीय हाकी फेडरेशन १२५९---६१
मत्स्य ग्रहण जलयान ७४७-४८
मत्स्य ग्रहण शिल्प प्रशिक्षण ५२०-२१
रबड़ का कारखाना ७९३--९५
विश्व की आर्थिक स्थिति ४९५-९६
वैज बैंक ११४
सामुदायिक विकास परियोजनायें ४६
सोडा १३३३-३४

नारियल--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

-- और टैपियोका ७५१-५२

नारियल जटा बोर्ड--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

नारियल जटा बोर्ड १०८०

नार्वे का सहायता कार्यक्रम--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

नार्वे का सहायता कार्यक्रम १२५-२६

नाविक संघ, ट्यूटीकोरीन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नाविक संघ, ट्यूटीकोरिन ३६१

नाहन ढलाईघर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नाहन ढलाईघर २७४
नाहन फाऊंड्री १११७
नाहन फाउन्ड्री लिमिटेड १३२१--२३

निक्षेप--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कच्चा लोहा ८४६-४७
खनिज तेल के -- १०३८
खनिज -- १०५०
लिग्नाइट के -- १०४४

निजी-थैली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राजस्थान में महाराज प्रमुख १०४३-४४

नियंत्रक महालेखा परीक्षक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नियंत्रक महालेखा परीक्षक ८०१-०२

निर्यात--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अखिल -- भारतीय ग्राम प्रदर्शनी ५८१-८२

निर्यात—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

अबोध व्यापार क्षेत्र ५१–५२
अभ्रक अयस्क १३४६–४७
अमोनियम सल्फेट १३४८–४९
कच्ची मैंगनीज ११२६–२७
काली मिर्च १३३७—३९
गुड़ और खांडसारी ११३३–३४
चन्दन की लकड़ी का — १३५४
चाय का — २८५
चावल का — ९२३—२५
झींगा मछलियों का — ३१६—१९
डकोटा विमान ११७६
तम्बाकू १४१–४२
तिब्बती याक ९११
नमक ६९९
पटसन की बनी हुई वस्तुएं ४४९—५१
पान ११०७
पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार १११२
बन्दरों का — ४३७—३९, ९१०
ब्रिटेन को कपड़े का — १३३६
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां २८८
भारतीय चलचित्र (—) ४८
मनीपुर में चावल की खेती ५७५–७६
मूंगफली १३४२
मूंगफली का तेल ४६४–६५
मूंगफली की खली ९१
यूरोपीय पटसन निर्माता संघ ६६६
रुओवोलफिया सर्पेंटाइना २२५—२७
लाख ८९४–९५
वस्त्र निर्यात २८७
विदेशी व्यापार २३३–३४
विमान द्वारा — ११२०–२१
वृक्ष चित्र १३२४–२५
शीरा १११७
सीमेंट १०५५—५७
हथकरघा १११६–१७

निर्यात प्रत्यय प्रत्याभूति निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निर्यात प्रत्यय प्रत्याभूति निगम १०९३

निर्यात वृद्धि परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काली मिर्च १३३७—३९

निर्यात शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय १०८१–८२
पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३२—३५

निर्यात संवर्धन परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निर्यात संवर्धन परिषद् २२९—३१

निर्वाचक नामावली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निर्वाचक नामावली ६४०

निर्वाचन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अम्बाला छावनी बोर्ड ४२१–२२
उप-निर्वाचन ८३८
निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन १००३–०४
साधारण — ४०१–०२, ७८४–८५

निर्वाह व्यय देशनांक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निर्वाह व्यय देशनांक १२६१—६३

निवारक निरोध अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नजरबन्द १०४४

निवृत्ति वेतन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
असैनिक पदाधिकारी ६२४—२५
आय-कर पदाधिकारी ४०२—०३
निवृत्ति-वेतन १७६—७८, २०४—०६
पुर्नानियोजन १०१८—१९
सेना पदाधिकारी १९६—९७

निष्क्रान्त सम्पत्ति —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
निष्क्रान्त सम्पत्ति ८९५
निष्क्राम्य सम्पत्ति करार ८१५—१७

नीलोखेड़ी उपनगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नीलोखेड़ी उपनगर २९१—९२

नीवेली लिग्नाइट परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नीवेली लिग्नाइट परियोजना १०६३—६५

नेत्र विज्ञान संस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल) ६७—६८

नेपाल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें १२०५—०९
चीन—सन्धि १११४
— को सहायता ६६३—६४
नेपाली विद्यार्थियों के लिये स्थानों का रक्षण ८४६
मकालू अभियान ८६६—६७
सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना २१०

नेमाड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूतत्वीय सर्वेक्षण १२८५—८६

नैरोबी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कीनिया में भारतीय २७१

नोट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—आदि का कागज़ बनाने का कारखाना ७८३—८४

नोबल प्राइज़—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हिन्दी ८०३—८०५

नौका—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मत्स्य ग्रहण जलयान ७४७—४८

नौघाट सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नौघाट सेवा १४११

नौपरिवहन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन १३८९—९० १४१४—१५
तटीय नौवहन ३५५—५६
नौवहन ७२१—२२, ७७३
नौवहन भाड़ा ८३७
भारतीय नौवहन ९५५—५६
भारतीय नौवहन टन भार ९६८, ९७०—७१ लक्कद्वीप से बाध्य नौका सेवा ७२८—२९
स्टीमर सेवा ७५३

नौपरिवहन आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नौवहन आयोग ७१२-१३

नौपरिवहन निगम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नौवहन निगम ३४६-४७
पूर्वी नौ-वहन निगम ५५५

नौपरिवहन महानिदेशालय, बम्बई—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नाविक संघ, ट्यूटीकोरीन ३६८

नौपरिवहन समवाय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नौवहन समवाय १३९७-९८
वस्तुभाड़े पर अधिभार ७४३—४६

नौ-सेना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— के अस्पताल १००२-०३
भारतीय — ६०७-०८
भारतीय — का बेड़ा १००६-०७
लागत लेखा आगणन प्रणाली ४०७-०८

न्यायाधिकरण—
देखिये "औद्योगिक न्यायाधिकरण"

न्यायाधीश—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उच्चन्यायालयों के न्यायाधीश १२८३
न्यायाधीश १०४५

न्यायालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— की भाषा १०४८-४९

न्यूजी लैंड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय हाकी फेडरेशन १२५९—६१

न्यूटन चिकोली कोयला खान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— की दुर्घटना ५५२

प

पंच वर्षीय योजना, प्रथम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आंध्र में छोटे पत्तन ११४७—४९
आवास योजनायें २९०
इबोनायड ब्लाक ६९२
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७१६—१८
खेल के अखाड़े तथा व्यायामशालायें २०७
गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र ६२०—२२
ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर ३७५-७६
दिल्ली परिवहन सेवा ७११-१२
पहली — २७४-७५
पौण्ड पावना १२५८-५९
बुनयादी तथा सामाजिक शिक्षण ६२२-—२४
महिला शिक्षा १०३९
मीन क्षेत्र ७७२
राजस्थान में औद्योगिक विकास ४९०
विद्युत विकास योजनायें ११२२

प्रथम पंच वर्षीय योजना--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ८८२-८४

सीमान्त क्षेत्रों का विकास ८६७--६६

स्टेशनों पर सुधार १४३४

स्वास्थ्य योजनायें ११८६-६०

पंच वर्षीय योजना, द्वितीय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अखबारी कागज़ के कारखाने १५३-५४

अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण २५३-५१०--१२

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ४२०-२१

इस्पात संयंत्र २६३-६४

कराघान जांच आयोग १२५२--५३

काकिनाडा कोटिपल्ली रेल-सम्पर्क ३८१-८२

कार्प मीन क्षेत्र ७२२-२३

कुष्ट ७४-७५

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७१६--१८

कृषि विकास कार्यक्रम ५०५-०६

क्षय रोग ७५८

खादी १०६५-६६

खेल तथा क्रीड़ा २०४

दूसरी पंचवर्षीय योजना २७३

द्वितीय पंच वर्षीय योजना ६०, ६६--६८, ८५४-५५, ८६३-६४ १०७०--७२, १०७२, १०८७-८६, १३२०-२१

नदी घाटी योजनायें १--३

पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास १०१३-१४

पंच वर्षीय योजना, द्वितीय--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न-- (जारी)

पेट्रोल संयंत्र ६००-०१

बिजली लगाना १२२१

भाखड़ा-नंगल परियोजना ६१३

मत्स्य ग्रहण जलयान ७४७-४८

रेल परिवहन ८६--६०

रेल लाइनें ११६५

रेलवे यातायात ६६४

लोहा ८७८-७६

वन विद्या ११४६-४७

स्टेशनों पर सुधार १४३४

स्थानीय विकास कार्य १३०७--१०

हस्तशिल्प ८६३

होल्नमु परियोजना ८६५-६६

पंच शील--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पंच शील ६७६--७६

पंचकुरा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे आय ६२६--३१

पंचाट--

बैंक सम्बन्ध में प्रश्न--

बैंक -- ८२४--२६

पंजाब --

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण २०६-१०

अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें १२०५--०६

कांगड़ा डाकघर १४१७

काम दिलाऊ दफ्तर १३६

कुटीर उद्योग ४६६--६८

ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना १३४५-४६

ग्रामीण उद्योग ८६८-६६

पंजाब (जारी) --
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
ग्राम्य डाक घर ५८३
चंडीगढ़ रेडियो स्टेशन ८५१-५२
चावल की खेती का जापानी ंग ३६३
चीनो के कारखाने ११३-१४
छोटे पैमाने के उद्योग ४४१-४२, ८५७-५८
जगाधरी का वर्कशाप ५३५-३६
तस्कर व्यापार ८३३-३४
तार की सुविधायें ७६९
दाइयां ३५९
देहातों में विद्युतीकरण ६७१-७२
नल-कूप १२२६
-- में कृषि कालिज ७३९--४१
-- में डाक घर १४२८
फफूंदी ५१३-१४
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण १२६८-६९
राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण प्रोग्राम ५६७-६८
राष्ट्रीय ोजना ऋण २२४
लाहौल में डाकघर १४२५-२६
वित्त निगम १०२३-२४
सीमान्त घटनायें ६५-६६
सोमान्त दुर्घटनायें ४६
सीमेंट, लोहा तथा इस्पात आवंटन १३९०-९१
स्थानीय विकास कार्यक्रम ५९
स्पीती में डाकघर १४२६-२७
होशियारपुर ज़िला डाकघर १४१६

पंजाब विश्वविद्यालय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
पंजाब विश्वविद्यालय १३२८-२९

पटना--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस ७५९

पटना--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
टेलीफोन कनैक्शन ५७१
बिजली लगाना १३५

पटनायक, श्री यू० सी०--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
भारतीय नौसेना ६०७
युद्ध सामग्री के कारखाने ६०६
सैनिक कर्मचारियों को शिक्षा १२७०

पटसन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जट के थैले ३३-३४
जूट मिल ८७५-७६
-- की बनी हुई वस्तुएं ४४९--५१
-- सम्बन्धी औद्योगिक समिति ३३१--३३
पाकिस्तानी रूपये का अवमूलन १०३२--३५

पटसन उद्योग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
उद्योगों का वैज्ञानिकन २७०

पटसन उद्योग सम्बन्धी समिति--
के सम्ब श्न--
पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति ३३१--३३

पटसन जांच आयोग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जूट जांच आयोग ८८०-८१
पटसन जांच आयोग ९०४-०५

पटियाला तथा पूर्वी ंजाब राज्य संघ--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
काम दिलाऊ दफ्तर १३९
कुटीर उद्योग ४९६--९८

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ — (जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
ग्रामीण उद्योग ८६८–६६
चंडीगढ़ रेडियो स्टेशन ८५१–५२
छोटे पैमाने के उद्योग ८५७–५८
दाइयां ३५६
— में इस्पात संयंत्र १०६२
भूतपूर्व फौजी ८१३–१४
पटेल नगर, नई दिल्ली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली उपनगरीय सेवा ७०५—०७
'पटेल भाषण'—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पटेल भाषण ४८०–८१
पठानकोट-माधोपुर रेलवे लाइन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पठानकोट-माधोपुर रेल समपर्क ११८१–८२
पत्तन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आन्ध्र में छोटे— ११४७—४६
कलकत्ता — ५५४, ११६८–६६
कांडला— ११५
तूतीकोरिन— ११८७
नौ-सेना के अस्पताल १००२–०३
पत्तन ३७४–७५
बम्बई — ५२८–२६, ७५६
बम्बई — से माल का यातायात ३४५
वस्तुभाड़े पर अधिभार ७४३—४६
पत्तन समुद्रीय जांच समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पत्तन समुद्रीय जांच समिति ६३१–३२
पत्रकार (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पत्रकार १३०४—०६
प्रेस आयोग प्रतिवेदन १६—२१
पत्रिका (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आकाशवाणी की — २८६
इण्डियन लिसनर १८–१६
पत्रिकाएं ५८२–८३
पत्रिका, उद्योग और व्यापार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विश्व की आर्थिक स्थिति ४६५–६६
प्राधिकारी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी ६२८-२६
पनडुब्बी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय नौसेना ६०७–०८
पनीर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आयात किये गये दुग्ध उत्पाद ४३१
परिवहन परिशीलन संघ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
परिवहन परिशीलन संघ ११६४–६५
परिषद्—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अखिल भारतीय शिल्प शिक्षा— ८०२–०३
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा— ७६६–६७

परिसीमन आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

परिसीमन आयोग ३९७–९८

परीक्षा (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी प्रबोध — ६२५

पर्यटक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—टपरिवहन ११९६

— यातायात ११९, १२८, १२८–२९

पर्यटक कार्यालय समिति, धर्मशाला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

धर्मशाला की पर्यटक यातायात ७५९

पर्यटक केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— उत्तर प्रदेश ११६५—६७

पर्यटक सूचना कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्यटक सूचना कार्यालय १२०५

पर्यटन उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्यटक उद्योग ७२६—२८

परियोजना मंत्रणा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियां ५—७

पलना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राजस्थान की — कोयला खदान १२८२

पल्लेल (मनीपुर)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चुंगी ८३०–३१

पशु (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली १२०० ०२

पशु-चिकित्सा अन्वेषण संस्थाएं ११६–१७

पशु पालन १४०८

प्रादेशिक गवेषणा संस्थायें ५०२—०४

वन्य — ५२४–२५

साहीवाल के ढोर २९६—९८

पशुमरी नियंत्रण संबंधी केन्द्रीय समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पशुमरी नियंत्रण संबंधी केन्द्रीय समिति ५५६

पश्चिमी कमान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पश्चिमी कमान प्रधान कार्यालय ६१०-१२

पश्चिमी बंगाल

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां ३९५–९६

अन्तरिक्ष शास्त्रीय वेधशालायें १२०५—०९

पश्चिमी बंगाल,—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ५३–५४
खनिज तेल ७९२–९३
खाद्य का उत्पादन १८१
गावों में बिजली लगाना २१—२३
चावल ५२७–२८
जूट मिल ८७५–७६
तारघर (बीनपुर) ९९१–९२
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति ५५
— में खुदाई ३९८–९९
— में पैट्रोलियम ८३२
— में भूमिगत जल ६२७
पोस्ट मास्टर १४१५
बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४५—४७
भूकम्प किरणवक्रता सर्वेक्षण ८४५–४६
रेलगाड़ी सर्विस १२२२
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ४०—४२
होमियोपैथी १०३—०६

पहलेजा घाट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना ११९०

पहाड़ी भत्ता—
देखिये "भत्ता"

पांडीचेरी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पांडिचेरी ८७३—७५
— का प्रशासन १११८–१९
— में कपड़े की मिलें ९११
फ्रां[illegible] सिक्के ७०३–०४

पांडे, श्री सी० डी०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण १०१

पाइरिल्ला रोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गन्ना सम्बन्धी गवेषणा ३६४

पाक जल डमरू मध्य—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पाक जल डमरू मध्य १३२

पाकिस्तान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अपहृत स्त्रियां १५—१७
अफगानिस्तमान के साथ व्यापार ८९७
असैनिक पदाधिकारी ६२४–२५
आज़ाद काश्मीर २५२–५३
आयकर १८२—८४
काश्मीर ६८४—८६
नमक ६९६, ८९६
नहरी जल विवाद २७१
पटसन की बनी हुई वस्तुएं ४४९—५१
— को सिख यात्री ४४७—४९
— में अल्पसंख्यक २५५–५७
— में भारतीय उच्च आयुक्त का कार्यालय १३५१–५२
— में भारतीय विनियोजन ४२६–२७
पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३२–३५
पासपोर्ट १०७७—७९
पुर्तगाली बस्तियों के लिये पाकिस्तानी चावल ६८१
भारत कार्यालय पुस्तकालय ९९७–९८

पाकिस्तान (जारी)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

भारत-पाक कार्यसंचालन समितियां ४६६--६८

भारत-पाकिस्तान यात्रा ८३४-३५

भारत--रेल यातायात ३५०, १३७२--७४

रेल के यात्री डिब्बे ६२५-२६

विभाजन ऋण १५७-५८

विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी संस्थायें ६०६

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर ८७६--७८

विस्थापितों के विश्वविद्यालय-प्रमाण-पत्र ३९६-९७

शस्त्रों का तस्कर व्यापार ४०२

सीमा निर्धारण १३५३

सीमा प्रदेशीय घटना १२--१४

सीमान्त घटनाएं ६५-६६

सीमान्त पुलिस ६९३--९४

स्लीपर ११०२-०३

पाकिस्तानी राष्ट्र जन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पाकिस्तानी राष्ट्रजन १२७७

भारतीय नागरिकता १२८०

पाकिस्तानी रुपया (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- का अवमूल्यन १०३२--३५

पाटिल, श्री कानावाड़े--

के द्वारा प्रश्न--

सरकारी कर्मचारियों के लिये पहाड़ भत्ता १२३

पाण्डुलिपि (यां)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

साहित्यिक कर्मशाला (सिटरेरी वर्कशाप) २०८-०९

पान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पान ११०७

पारपत्र (त्रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पासपोर्ट १०७७--७९

पाल चौधरी, श्रीमती इला--

के द्वारा प्रश्न--

आशु लिपिक १०४७-४८

इस्पात संयंत्र ५५-५६

उत्तर पूर्वी रेलवे ५५९

कीनिया में भारतीय २७१

केन्द्रीय सचिवालय १२८०-८१

खनिज तेल के निक्षेप १०३८

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम ७५४-५५

चीनी का आयात ५५२-५३

जनता गाड़ी ९८४-८५

जर्मन युद्ध क्षतिपूर्ति मशीनरी १३५२

नमक ८९६

पान ११०७

प्रिंस आफ वेल्स सैनिक कालेज १२७७-७८

बिजली के सामान का भारी संयंत्र २७९

भारतीय चलचित्र (निर्यात) ४८

भारतीय विमान बल दुर्घटनायें २२४

मंत्री की स्वविवेकाश्रित निधि ८४५

यात्रियों के लिये सुविधायें ३४७

पाल चौधरी, श्रीमती इल—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
रेलों का पुनर्वर्गीकरण १२०
लाटरी ४३४
वैंदूर्य अयस्क की खानें ६१५–१६
श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ११७७–७८
संयुक्त सेवा पार्श्व परीक्षा २२३
सूर्यग्रहण ५६३

पालम हवाई अड्डा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पालम हवाई अड्डा ३५०–५१

पिछड़ी हुई जाति के विद्यार्थी (र्थियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छात्रवृत्तियां ८२७–२८

पिछड़े वर्ग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें २३६—४१

पिछड़े वर्ग आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गौरखे ३६६—४०१
पिछड़े वर्ग आयोग १६५–६६

पिछड़े हुए क्षेत्र (त्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का विकास १०१३–१४

पिम्परी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पैनिसिलीन कारखाना ६६०—६३

पिले, श्री सिवशन्मुगम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
संघ लोक सेवा आयोग ६१३–१४

पीपल कोटी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बद्रीनाथ जाने वाली सड़क ५८३

पीलीभीत बस्ती योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पीलीभीत बस्ती योजना ९३३—३५

पुर्ननियोजन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पुर्ननियोजन १०१८–१९
सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का पुनः नियुक्ति १०४६–५०

पुनर्वास—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आदिम जातियों का — ७७९–८०
आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का— १०५१—५३
भूतपूर्व फौजी ८१३–१४
मुस्लिम विस्थापित व्यक्तियों का— ७०४
विस्थापित व्यक्तियों का — ४०—४२

पुनर्वास तथा प्रशिक्षण केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
के० इ० एम० अस्पताल, बम्बई ३४१–४२

पुनर्वास मंत्रणा बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पुनर्वास मंत्रणा बोर्ड ८९०

पुर्नविलोकन समिति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
केन्द्रीय विश्वविद्यालय १०३८

पुन्नूस, श्री--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
अखबारी कागज के कारखाने २५४
अमरीकी सहायता १७०
चलती गाड़ी में डाके ११३१
दुर्घटना समितियां १०७, १०८
निर्यात संवर्धन परिषद् २२९७--२२३०
बारापोल जल-विद्युत योजना २७
बिजली के भारी सामान का संयंत्र १०५५
मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७७
मोटर गाड़ियों आदि के लिये ट्यूब २५
रेल परिवहन ८९
वनमहोत्सव ७०
सबेया विमान-क्षेत्र १७१, १७२
के द्वारा प्रश्न--
अमरीकी सहायता १५४--५६
आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ५५१
इस्पात का मूल्य ४९-५०
गोआ और हम नामक पुस्तिका ६९६-९७
घड़ियों का तेल ४१५
चक्रवात में रेडियो सक्रियता ९०१
नाहन ढलाईघर २७४
मशीनी औज़ार २३१-३२
यात्री यातायात की गणना ७२-७३
संयंत्र और मशीनरी ७-८

पुरस्कार--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
हिन्दी पुस्तकों पर -- २२१

पुरातत्वीय स्थान--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राजस्थान में पुरातत्वीय स्थान १२८९-९०

पुर्तगाल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
गोआ के लिये अनुज्ञा-पत्र ९१२-१३

पुर्तगाली बस्ती--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- के लिये पाकिस्तानी चावल ३८१
देखिये "गौआ" भी

पुर्तगाली सैनिक न्यायाधिकरण--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
गोआ के सत्याग्रही ९०६-०७

पुल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तुंगभद्रा -- १२९-३०
बेटवा नदी का -- ५६१-६२
सागर ज़िले में -- ९५१-५२
सोन नदी पर -- ११७५

पुलिस--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
दिल्ली सड़क दुर्घटनार्थें १०००-०१
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ६३-६४
मनीपुर -- १०४५
सीमान्त -- ६९३-९४
हैदराबाद को ऋण १०१६-१७

पुस्तक (कें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अश्रु तारा सन्तान २२२
गोआ और हम नामक पुस्तिका ६९६–९७
नव साक्षरों के लिये — ८३१
भारत कार्यालय पुस्तकालय ६९७–९८, ९९८—१०००
भारतीय — की भेंट ८३७
हिन्दी की —, नक्शों तथा रेखा चित्रों की प्रदर्शनी ६२६
हिन्दी — पर पुरस्कार २२१

पुस्तकालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आंध्र में — १२५४–५५
इलाहबाद विश्वविद्यालय १२३२–३३
— आन्दोलन का विकास ८४८
भारत कार्यालय — ९९७–९८, ९९८–१०००
श्रव्य दृश्य शिक्षण — ६३२–३३
सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं १३०१–०२

पूंजी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विदेशी सहायता १०४६–४७

पूंजी विनियोजन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पूंजी विनियोजन २२०

पेचिश—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अगरतला में — का व्यापक रोग ७३७–३८

पेट्रोलियम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तेल की खोज ६३५–३६
नहरकटिया तेल क्षेत्र १८१
पश्चिमी बंगाल में — ८३२
पेंट्रोल २४९
पेट्रोल संयंत्र ९००–०१
भूतत्वीय परिमाप १२४९–५०

पेनिसिलिन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पैनिसिलीन २८४
पैनिसिलीन कारखाना ६६०—६३

पेरिस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वृहद बांध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ४५४

पैकारा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बनावटी हीरे ६६८–६९

पैरम्बूर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अभिन्न रेल डिब्बों का कारखाना ७३८–३९

पोत—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पूर्वी नौ-वहन निगम ५५५

पोत-गोदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लागत लेखा आगणन प्रणाली ४०७–०८

पोत-प्रांगण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना १०७२

पोरबिलया कोयला खान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में आग ३१५–१६

पोस्टकार्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पोस्ट कार्ड ११८०

पोस्ट मास्टर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पोस्ट मास्टर १४१५

पौड़ी गढ़वाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पर्यटक केन्द्र उत्तर प्रदेश ११६५—६७

पौण्ड पांवना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पौण्ड पावन १२५८–५९

पौधा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पौधा ९२७

प्याज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी व्यापार २३३–३४

प्रकाशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ज्ञान गंगा (इन्साईक्लोपीडिया) ४११—१३

प्रजनन केन्द्र (न्द्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रादेशिक गवेषणा संस्थायें ५०२—०४

प्रतिनिधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के — ४८५

भारतीय ओलिम्पिक संथा १०२०–२१

प्रतिनिधि मंडल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बीमा कम्पनियों के कर्मचारी ५०४–०५

प्रतीक्षालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पालम हवाई अड्डा ३५०–५१

प्रदर्शनी (नियां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय ग्राम — १८६ ५८१–८२

अन्तर्राष्ट्रीय — ११२०

औद्यौगिक पदर्शनी ८८८–९०

प्रदर्शनियां ११२२–२३

शिल्प — ९०२

हिन्दी की पुस्तकों, नक्शों तथा रेखा-चित्रों की — ६२६

प्रधान मंत्री की रूस यात्रा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पत्रकार १३०४—०६

प्रबन्ध पद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रबन्ध पद ६६५–६६

प्रभाकर श्री नवल—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
विद्युत परियोजनाएं ६५६
के द्वारा प्रश्न—
अम्बर चर्खा २८६
इंजनों की मरम्मत १४१
केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली १४० ३६५
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १४३२
केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था १२२१
कोलार की सोने की खदानें १८६-८७
खादी वाणिज्य कक्ष (एम्पोरिया) १७–१८
ग्रामोद्योग गवेषणा केन्द्र २४२—४४
चारे सम्बन्धी गवेषणा ७७०
चीन को भेजा गया सांस्कृतिक मंडल १६२—६४
ज्ञान गंगा (इन्साईक्लोपीडिया) ४११—१३
डी० डी० टी० कारखाना ६५४—५७
दिल्ली नगरपालिका समिति ६६५
दिल्ली परिवहन सेवा ७११–१२
दिल्ली बिजली सम्भरण ६०–६१
दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी ६२८–२६

प्रभाकर, श्री नवल–(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा ६७३
दिल्ली मे विस ापितों को बास्तियां ६५६–६०
दिल्ली-रिवा ी रेल सम्पर्क ५५०
पहाड़ भत्ता ५६५
ब ीनाथ धाम हवाई अड् ा ८३–८४
महात्मा गांधी की समाधि २७५–७६
यात्री शड ५६८–६६
योग्यता छात्रवृत्तियां ६३०–३१
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण १२६८–६६
राष्ट्रीय भोतिक प्रयोगशाला १८६–६०
रेल कारें ५६६–७०
रेलवे इंजिन, आदि १४१
रेलवे क्वाटर ६७३
रेशम उद्योग ४४२—४४
लोक साहित्य समिति १२७१–७२
विश्व ैक फो ो ाफर ७८५—८७
विस्थापित हरिजन ८६८
बिस्थापि ों के लिये मकान ८६२
विस ापितों को बसाना ४६२
ैक्सीन ३६६—७१
शिल्प शिक्षकों का प्रशिक्षण २१६
साहित्यिक कर्मशाला (लिटरेरी वर्कशाप) २०८–०६
स्वयंचालित तुला ५५५
हिन्दी एन्साईक्लो ीडिया ४०५—०७
हिन्दी पाठ्य पुस्तक (ीडर) ३८६—८८
हिन् ी बोध परीक्षा ६२५
हिन् ी शब्दावली १२७२—७४

प्रमाण पत्र (त्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विस्थापितों के विश्वविद्यालय — ३६६–६७

प्रमाप एकड़—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
माप कड़ ४६५–६६

प्रयोगशाला (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इलाहबाद विश्वविद्यालय १२३२–३३
राष्ट्रीय भौतिक — ८३०
विलिंगडन अस्पताल ११२–१३

प्रलेख चित्र तथा समाचार फिलम—
देखिये "चलचित्रों"

प्रविधिक मिशन पदाधिकारी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जापान में — ६४५–४६

प्रशिक्षण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् १००७–०८
अणु-शक्ति २४१–४२
असैनिक उड्डयन का — ५८३–८४
आयुर्वेद स्नातकोत्तर — ५५१
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ६४६—५२
केन्द्रीय शिक्षा कार्यालय २०३–०४
गव्यशाला सम्बन्धी — ३४८–४६
चमड़ा उतारना ५६२–६३
छोटे उद्योग २८४

प्रशिक्षण— (जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
जहाज़ निर्माण सम्बन्धी — २८२–८३
तृणक नियन्त्रण ३०१–०२
नर्सों का — ११४२–४३
प्राविधिक — केन्द्र २६—३१
प्रौढ़ अंघ- – केन्द्र ५६८–६६
फलाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब ११६६–१२००
भारतीय नौ-सना का बेड़ा १००६–०७
भारतीय नौवहन ६५५–५६
भारतीय शासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा १८५–८६
मत्स्य ग्रहण शिल्प — ५२०–२१
राइफल — ३६१—६३
राज्य औद्योगिक उपक्रम ६४७—४६
राष्ट्रीय छात्र-सेना २२०–२१
राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था, करनाल ३३६—३८
राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ४१५–१६
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना ६३६
विमान-उड्डयन का — ३३५–३६
विस्थापित स्त्रियों को व्यावसायिक — १३०२–०३
शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी १०२१–२२
शिल्प शिक्षकों का — २१६
सशस्त्र दलों के कर्मचारियों का विदेशों में — ६३७
सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड १११४
स्थानीय स्वायतशासन १३०
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड १३४४

प्रशिक्षण केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुटीर उद्योग — १३५६–५७
भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना २८०

प्रशिक्षण शिविर (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना १५६—६१

प्रशिक्षण संस्था (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रशिक्षण संस्थायें ४६८–६६
विदेशी सहायता १०४६–४७

प्रशुल्क आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इस्पात मूल्य ८७१—७३
कच्चा रेशम (मूल्य) १३०६–०७

प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र १२६

प्रसूति तथा शिशु कल्याण योजना (एं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रसूति तथा शिशु कल्याण योजनाएं ६६३

प्रहसन, भयप्रद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भयप्रद प्रहसन ८२६

प्राक्कलन समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आकाशवाणी ४८१
केन्द्रीय ँकटर संगठन ७१६—१८, ७४१–४२
प्रादेशिक गवेषणा संस्थायें ५०२—०४

प्राणिकीय सर्वेक्षण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत का — ४३२

प्रादेशिक भाषा (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
डाक तथा तार के फार्म ५६०–६१
पोस्ट कार्ड ११८०

प्रादेशिक रूपांकन केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रादेशिक रूपांकन केन्द्र ८६४

प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र २६—३१

प्राविधिक मंत्रणा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
निर्वाह व्यय देशनांक १२६१—६३
होन्नेमराडु परियोजना ४७

प्राविधिक सहयोग योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नैपाली विद्यार्थियों के लिये स्थानों का रक्षण ८४६

प्रिंस आफ वेल्स सैनिक कालेज—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रिंस आफ वेल्स सैनिक कालेज १२७७–७८
सैनिक स्कूल ४३०

प्रिंसेज और विक्टोरिया गोदियां—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रिंसेज और विक्टोरिया गोदियां, बम्बई ३५८

प्रेस आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रेस आयोग ४४–४५
— प्रतिवेदन १९—२१

प्रोन मछली—
देखिये "मछली (लियों)"

प्रौढ़ अंध-प्रशिक्षण-केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रौढ़ अंध-प्रशिक्षण-केन्द्र ५९८–९९

प्राद्योगिक संस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रौद्योगिक संस्था १३४४–४५

प्लास्टिक सर्जन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्लास्टिक सर्जन १४२३–२४

फ

फफुंदी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फफूंदी ५१३–१४

फसल (लों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खाद्य ९७८–७९
बिहार में सूखे की स्थिति १३८२–८४

फसल प्रतियोगिता योजना —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फसल प्रतियोगिता योजना ३४६, ३८०

फसल बीमा योजना —
के सम्बन्ध में इन—
फसल बीमा योजना १४१७–१८

फायर सर्विस कालिज—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फायर सर्विस कालेज १०१२

फालतू सामान —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फालतू सामान ८९८

फासफेट —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फासफेट उर्वरक ९०५

फेरों मेंगनीज़ संयंत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कच्ची मेंगनीज ११२६–२७

फोटोग्राफर —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विश्व बैंक — ७८५—८७

फोर्ड प्रतिष्ठान —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छोटे पैमाने के उद्योग ८५२–५४, १०९२

फोर्ड प्रतिष्ठान अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छोटे पैमाने के उद्योग ९९१

फ्रांस —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पांडिचेरी ८७३—७५

फ्रांसीसी दंतचिकित्सक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सुरक्षा युक्ति ७५०–५१

फ्रांसीसी बस्तियां, भूतपूर्व —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत में — ६३–६४, ६८९, १११९–२०
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ६३–६४, २८८, ६८९
भारत स्थित — ४८५–८६
भूतपूर्व फ्रांसीसी भारत के सरकारी कर्मचारी ७०१–०२

फ्रांसीसी भाषा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ६३–६४

फ्रांसीसी मकालू अभियान —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मकालू अभियान ८६६–६७

फ्रांसीसी सिक्के —
देखिये "चलार्थ"

फ्लइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब ११९९—१२००

ब

बंगलौर —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था — ९६५–६६
प्रादेशिक रुपांकन केन्द्र ८९४
राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था, करनाल ३३६—३८
सांख्यकीय गुण नियंत्रण पाठ्यक्रम ४२७

बंगाल की खाड़ी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र १२१०–१२
पाक जल डमरू मध्य १३२

बंसल, श्री —
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
कृषि ४५४
भीलाई इस्पात संयंत्र ४७०–७१

बकरी (रियों) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सूखे की हालत ८४—८६

बख्शी टेक चन्द समिति —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रमाप एकड़ ४६५–६६

बड़ौदा —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास १०१३–१४

बद्रीनाथ —
के सम्बन्ध में प्रश्न--
— को रेल से जोड़ना ५६२
बद्रीनाथ धाम हवाई अड्डा ८३–८४
— जाने वाली सड़क ५८३
बनारस —
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारत का प्राणिकीय सर्वेक्षण ४३२
बन्दर (रों) —
के सम्बन्ध में प्रश्न---
— का निर्यात ४३७--३९. ९१०
बम्बई —
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी १८६
उपनगरीय रेलवे सेवा ९३८–४०
के० इ० एम० अस्पताल,— ३४१–४२
खादी वाणिज्य कक्ष (एम्पोरियम) १७–१८
गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण १८४–८५
गोआ और हम नामक पुस्तिका ६९६–९७
चर्चगेट रेलवे स्टेशन ३०५–०६
टाटा स्मारक अस्पताल, — ७३०–३१
टूटेफूटे यात्री डिब्बे १४२१
टेलेक्स सेवा ११४०--४२
नाभिकीय रीएक्टर ११०८–०९
पत्तन ३७४–७५
प्रादेशिक रुपांकन केन्द्र ८९४
— पत्तन ५२८–२९, ७५६–५७
— पत्तन से माल का यातायात ३४५
— मंगलौर रेलवे लाइन ९४०–४१
बम्बई— जारी
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
— में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र ७०८–०९
बाल पक्षाघात (पोलयो) गवेषणा केन्द्र--५६८
माल-डिब्बों की कमी ९८३–८४
वस्तु भाड़े पर अधिभार ७४३—४६
विध्वंसक जहाजों की दुर्घटना १२३५--३७
श्रम मंत्रियों का सम्मेलन १३१–६५
होमियोपैथी १०३–०६
बम्बई–दिल्ली वायु चर्चा---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
बम्बई-दिल्ली वायु-चर्चा १४१०–११
बम्बई पत्रकार संघ—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
प्रेस आयोग प्रतिवेदन १९—२१
बम्बई पुलिस अधिनियम--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
बम्बई पुलिस अधिनियम ४१६
बर्थ (र्थो)—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
बम्बई पत्तन ५२८–२९
बर्मन, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
योरोपीय पटसन निर्माता संघ ६६६
हिन्दुस्तान एयर क्राफट लिमिटेड ४१७

बर्मन, श्री— (जारी)
के द्वारा प्रश्न—
अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को आयु सम्बन्धी रियायतें १५३–५४
गोदाम १८४
चित्तरन्जन इंजिन कारखाना १३६
जिप्सम (आचूर्ण) २११–१२
पट्टा उद्योग ५६
प्रबन्ध पद ६६५–६६
प्रादेशिक गवेषणा संस्थायें ५०२—०४
बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र ७०७—०६
बृटिश इस्पात मिशन २७३–७४
भाखड़ा नंगल परियोजना ५७,३६०
भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा २१२–१३
भूमि कृष्यकरण ३६०
मंडी की नमक की खानें २२७–२८
राज्य औद्योगिक उपक्रम ६४७—४६
वनमहोत्सव ६८—७१
साहीवाल के ढोर २६६—६८
सिलाई की मशीनों के पुर्जे ३—५
हीराकुड बांध परियोजना २८१–८२

बर्मा —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नेफा (उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण) १०८४–८५, १०८५—८७
— का चावल ३१६–२०

बल्लारी जिला —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सीसा निक्षेप ५६७–६८

बसु, श्री के० के०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण) ३८
बिहार में बाढ़ १४०७

बस्ती (स्तियां) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्दमान ८२७
कोढ़ियों की — ६६०–६१
झाड़ग्राम परियोजना खण्ड ८८१–८२
दिल्ली में विस्थापितों की — ६५६–६०
दूध वालों की — ५३७—३६

बस्ती, गंदी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—की समाप्ति (मद्रास) ४८४–८५

बहुमुखी परियोजना (ओं) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं ६३

बहुरंगा चलचित्र संयंत्र —
देखिये "संयंत्र"

बांडुंग —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— सम्मेलन १२६५–६७

बांध (धों) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विदेशी विशेषज्ञ ४५८

बागान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रबड़ और चाय के — ६६२.

बागान जांच आयोग —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बागान जांच आयोग १०५७–५८

बाढ़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर प्रदेश में — ५४५—४६
कोसी परियोजना ८७९
ग्यान्त्सी दुर्घटना ११२३–२४
चीन को गया हुआ इंजीनियरों का शिष्टमंडल १३२३
दूसरी पंचवर्षीय योजना २७३
बाढ़ नियंत्रण ११०८
बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४५—४७
बाढ़ें ११८८–८९
बिहार में — १४०३—०८
ब्रह्मपुत्र में — ९०५–०६
हीराकुड बांध परियोजना २८१–८२

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड १३८१–८२

बारापोल जल–विद्युत योजना —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बारापोल जल-विद्युत योजना २६–२७

बारूद —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

युद्ध सामग्री के कारखाने ६०४—०६

बारूपाल, श्री पी० एल० —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

विस्थापित हरिजन व्यक्ति १५

बाल पक्षाघात —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाल पक्षाघात ५५०

बाल पक्षाघात गवेषणा केन्द्र —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाल पक्षाघात (पोलियो) गवेषणा केन्द्र बम्बई ५६८

बालनगीर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सम्बलपुर — तितिलागढ़ रेल लाइन ५६३–६४

बालापहरण —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अपहरण १२८४–८५

बाल्मीकी, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना २८५–८६
गन्ना सम्बन्धी गवेषणा ३६४
रेलों में अपराध १३९–४०
विस्थापित हरिजन व्यक्ति १४–१५
सामुदायिक रेडियो सैट १३३६–३७

बासप्पा, श्री —

के द्वारा प्रश्न—

राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था, करनाल ३३८

बिजली के भारी सामान का संयंत्र—

देखिये "संयंत्र (ओं)"

बिना टिकट यात्रा—

देखिये "रेलवे यात्रा"

बिलासपुर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एक्सप्रेस रेल १२२०

सामुदायिक परियोजनायें २८५

बिशनपुर (मनीपुर) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चुंगी ८३०

बिहार —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयला खान भविष्य निधि ९७४

खाद्य का उत्पादन १८१

खाद्यान्नों का क्रय ५२९—३१

गन्ने की कृषि की भूमि ११३४—३५

चावल की खेती का जापानी तरीका १४३८

चीनी मिल १३५—३६

छोटे पैमाने के उद्योग ६६४—६५

ट्रैक्टर ११९९

तिलैया बांध ८५५—५६

नल-कूप १४२१—२२

बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४५—४७

—में अन्न के भाव में वृद्धि १२१७

— में टेलीफोन एक्सचेंज १३७४—७५

बिहार —(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

— में डाक तथा तार कार्यालय ३७१

— में बाढ़ १४०३—०८

— में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ३१०—११

— में सूखे की स्थिति १३८२—८४

बेकारी ११८२

भूमि पर खेती ७४३

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ४३३

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ४०—४२

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय १४२९—३०

सिंदरी उर्वरक ११९८

सीमेंट १०५५—५७

सीमेंट के कारखाने १११३

सूती मिलें ४९३

बी० सी० जी०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— आन्दोलन ३६१—६२

बी० सी० जी० के टीके १५०—५१

मध्य प्रदेश में — का टीका १४३५—३६

बीडी के पत्ते —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माल डिब्बों का संभरण ११८७—८८

बीनपुर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तारघर — ९९१—९२

बीमा —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खाद्य भंडार ९८५–८६
जहाज से भेजे गये माल का —
१२३३–३४
फसल — योजना १४१७–१८
बेकारी — ३५२

बीमा कर्मचारी संधान —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बीमा कम्पनियों के कर्मचारी ५०४–०५

बीमा नियंत्रक —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण
१२७५–७६

बीमा समवाय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बीमा समवाय ४१८–२०
— का राष्ट्रीयकरण १२७५—७६

बीरेन दत्त, श्री —
के द्वारा प्रश्न—
अगरतला में पेचिश का व्यापक रोग
७३७–३८
अगरतला-सियना सड़क १२१९–२०
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३८–३९
आदिम जातियों का पुनर्वास ७७९–८०
उत्पीड़ित व्यक्तियों की सहायता १२८१
त्रिपुरा को विस्थापित व्यक्तियों का
प्रव्रजन १३५३
त्रिपुरा में अनन्नास १४८
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति ५५
दाण्डिक मामले १२८७–८८
दाम्बरू जल–प्रपात २६३

बुकोरा —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अस्पताल ९६६

बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षण —
देखिये "शिक्षा"

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी
समिति —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी
समिति ६२९

बुरही —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दामोदर घाटी निगम ५८

बुश एण्ड कम्पनी, अमेरिका —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चन्दन की लकड़ी का निर्यात १३५४

बृहद बांध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय
सम्मेलन —
देखिये "सम्मेलन (नों)

बेकारी भत्ता —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पांडिचेरी ८७३—७५

बेटवा नदी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का पुल ५६१–६२

बेतार के तार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ४८५

बेरोजगारी —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बेकारी ५७४, ११८२

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण १२६८—६९

रोज़गार पुस्तिका १३३१—३२

शिक्षितों की — १७९—८०

बेलजियम —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुष्ट रोग की रोकथाम ७३—७४

बैंक (कों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का एकीकरण १२४४—४५

— की नयी शाखायें ८३३

बैंक आफ जयपुर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बैंकों का एकीकरण १२४४—४५

बैंक आफ जोधपुर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बैंको का एकीकरण १२४४—४५

बैंक आफ बीकानेर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बैंकों का एकीकरण १२४४—४५

क आफ राजस्थान —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बैंकों का एकीकरण १२४४—४५

बैंक पंचाट —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बैंक पंचाट ८२४—२६

बैनगंगा नदी —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आंभोरा बांध १३१०

बोगावत, श्री —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

गांवों में बिजली लगाना २२—२३

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग १२३१

रेल परिवहन ८८

वनमहोत्सव ७०

श्रीलंका में भारतीय २३८, २३९

सीमा प्रदेशीय घटना १३

के द्वारा प्रश्न—

आय-कर पदाधिकारी ४०२—०३

नहरकटिया तेल क्षेत्र १८१

नहरी जल विवाद २७१

पैट्रोल संयत्र ६००—०१

सरकारी कर्मचारियों के लिए पहाड़ भत्ता १२३

बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई—

के द्वारा प्रश्न—

आंभोरा बांध १३१०

कुही रेलवे स्टेशन १४३१—३२

भंडारा रेलवे स्टेशन १४३१

बोर्ड —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय काफी बोर्ड २७२

रेडियो तथा केवल— ११७४—७५

बोर्नियो—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पौधा ९२७

बोस, श्री पी० सी०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
खान दुर्घटनायें १३६७
शिव राव समिति ११०

के द्वारा प्रश्न—
अमलाबाद कोयला खान ९८–९९
कोयले का नियंत्रण ४५१
कोयले का नियंत्रण ४९५
कोलार की सोने की खदानें १२६–२७
पैट्रोल २४६
पोरबिलिया कोयला खान में आग ३१५–१६

बौद्ध विश्वविद्यालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अमरावती और नागार्जुन कोंडा ११९१

बोरिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे आय ९२९—३१

ब्याज—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विस्थापित व्यक्तियों को ऋण १११५–१६

ब्रह्मपुत्र नदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गंगा-ब्रह्मपुत्र, जल परिवहन १३७९–८०, १४१४–१५
ब्रह्मपुत्र में बाढ़ ९०५–०६

ब्रह्माणी नदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नदी गेज़ (मापक) ६८३–८४

ब्रिटिश इस्पात मिशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ब्रिटिश इस्पात मिशन २७३–७४

ब्रिटिश कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विदेशी समवाय ४३०–३१

ब्रिटिश जेट लड़ाकू विमान—
देखिये "वायुयान (नों)"

ब्रिटिश हाकी टीम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय हाकी फेडरेशन १२५९—६१

ब्रिटेन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अणु-गवेषणा ४२—४४
अणु-शक्ति ४५८–५९
औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८—९०
तृणक नियंत्रण ३०१–०२
निवृत्ति वेतन १७७
— को कपड़े का निर्यात १३३६
भारत कार्यालय पुस्तकालय ९९८—१०००
भारत—व्यापार करार २७५
श्री वी० के० कृष्ण मेनन का चीन, इंगलिस्तान और अमरीका का दौरा ११०५–०६

भ

भक्त दर्शन, श्री —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां १०२६
असैनिक स्कूल अध्यापकों की छंटनी ८०७
केंद्रीय औषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ ६०८
कन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ५८७
खादी वाणिज्य-कक्ष (एम्पोरियम) १८
गावों में डाक घर ३२८
तिब्बत म चीनी डाकघर ११३३
द्वितीय पंच वर्षीय योजना १०७१
पर्यटन उद्योग ७२७
पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास १०१३–१४
बद्रीनाथ धाम हवाई अड्डा ८३,८४
भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र १२६४
भूतत्व शास्त्री तथा खनिज विज्ञान वेत्ता ७६०
रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र ८०६
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ३६१
वन-आयोग ५२०
सीसा ३६५
सनिक कर्मचारियों को शिक्षा १२७०
होटल तथा होस्टल १३१६

के द्वारा प्रश्न—

अखबारी कागज के कारखाने २५३–५४
अतिरिक्त विभागीय डाकघर ७२३—२६
अन्तरिक्ष शास्त्रीय वेधशालायें १२०५—०६

भक्त दर्शन, श्री— (जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

आज़ाद हिन्द फौज की अस्तियां ४५६—६१
ऐतिहासिक स्मारक ६१७–१८
औषधीय जड़ी बूटियां ५५६–५७
गोचर हवाई अड्डा ६६७
छावनी की भूमि ६०२—०४
डाक तथा तार विभाग ५२१—२३
डाक व तार विभाग के भवन ६७८
तिब्बती छात्र ४०६–१०
नाहन फाउन्ड्री लिमिटेड १३२१—२३
निष्क्राम्य सम्पत्ति करार ८१५—१७
परिसीमन आयोग ३६७—६८
पर्यटक केन्द्र, उत्तर प्रदेश ११६५—६७
पर्यटक सूचना कार्यालय १२०५
पीलीभीत बस्ती योजना ६३३—३५
प्लास्टिक सर्जन १४२३—२४
भूतपूर्व भारतीय नैशनल आर्मी (आजाद हिन्द फौज) के सैनिक ८३८
भौगोलिक नाम ७६५–६६
मद्यनिषेध जांच समिति ३२–३३
मुख्याध्यापकों की गोष्ठी ८१७–१८
राजनैतिक पीड़ित १२३७—३६
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना १६०–६१
शिव राव समिति १०६—११
संस्कृत शिक्षा १०१०—१२
सशस्त्र सेना चलचित्र ६६६–६७
सहायक सेना छात्र दल १२८४
सिक्किम १२६७–६८
सीमान्त क्षेत्रों का विकास ८६७—६६
स्थानीय स्वायतशासन १३०
स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास १०३०—३२

भत्ता (त्ते) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक विभाग के कर्मचारी १४२७–२८

पहाड — ५६९

मंहगाई — १४७

विस्थापितों को भरण-पोषण — ४९३–९४

सरकारी कर्मचारियों के लिए पहाड़ — १२३

भर्ती —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर रेलवे में — ३६२–६३

भर्ती १२२१–२२

राज्य औद्योगिक उपक्रम ६४७—४९

रेल इंजीनियरिंग सेवायें ११७२–७३

शिल्पिक कर्मचारियों की — ७५७–५८

भवन (नों)—

देखिये "मकान (नों)"

भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना २८०

भांडार —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अतिरेक — ९०९–१०

खाद्य — ९८५–८६

गोदाम १८४

चावल ५७६

चावल- — ७३३- ३४

देशी — का क्रय ५१२–१३

भांडार— (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न —(जारी)

भंडारागार ५१६—१८

भाण्डार स्थान ३८८—९०

स्टाक की जांच पड़ताल ५८९–९१

स्टोरों का क्रय ४६१–६२

भांडार क्रय समिति —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामान क्रय समिति (स्टोर्स परचेज कमेटी) २७६–७७

भाखड़ा नंगल परियोजना —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भाखड़ा नंगल परियोजना ५७, ३६०, ९१३

भाखड़ा परियोजना में राजस्थान का अंश ४९०–९१

विद्युत परियोजनाएं ६५७—५९

भाड़ा —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इमारती लकड़ी पर — की दरें ९६६–६७

खाद्यान्नों का आयात ५०९

नौवहन — ८३७

विमान — ३७७–७८

भारत का राज्य बैंक —

देखिये "स्टेट बैंक आफ इंडिया"

भारत का राज्य बैंक अधिनियम —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत का राज्य बैंक अधिनियम ६१८–१९

भारत-जापान विमान संचालन समझौता--
देखिये "समझौता"

भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारत-तिब्बत गवेपणा केन्द्र १२६३--६५

भारत-पाक कार्य संचालन समितियां--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारत-पाक कार्यसंचालन समितियां ४६६--६८

भारत-पाकिस्तान रेल यातायात --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारत-पाकिस्तान रेल यातायात ३५०, १३७२--७४

भारत बर्मा स्टीमर सेवा --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारत-बर्मा स्टीमर सेवा ७७३--७४

भारत भण्डार विभाग, लदन --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
इण्डिया स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत भण्डार विभाग), लन्दन २८३--८४

भारत सिक्युरिटी प्रेस --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
त सिक्युरिटी प्रेस १०३९-४०

भारतीय (यों) --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अवैध आप्रवासी ४९१
कोनिया में -- २७१
कैंटन (चीन) में -- २६८
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक २५५--५७
श्रीलंका में -- २३५--३९, २६६--६८, ६९१--९२, १११७
श्रीलंका में -- आप्रवासी मजदूर ४९१--९२

भारतीय आयुक्त --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जातिविभेद ६७३--७५

भारतीय इंजीनियर सेवा --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अखिल ारतीय इंजीनियर सेवा १३४२

भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
पाकिस्तान में -- १३५१--५२

भारतीय एयर लाइन्स निगम--
देखिये "इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन

भारतीय औलिम्पिक संस्था --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारतीय औलिम्पिक संथा १०२०--२१

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी १२६
काली मिर्च १३३७--३९
पशु पालन १४०८
-- दुग्ध सम्भरण योजना ११९२

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चारे सम्बन्धी गवेषणा ७७०

— साहीवाल के ढोर २९६—९८

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गन्ने का मूल्य ११८२

भारतीय खान अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय खान अधिनियम ३४५–४६

भारतीय चलचित्र उत्पादन संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चलचित्र-उद्योग १३४१–४२

भारतीय चलचित्र समारोह—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय चलचित्र समारोह ४५२—५४

भारतीय पुलिस सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आई० ए० एस० आई० पी० एस० ४२३–२४

भारतीय प्रशासन सेवा तथा— २१२–१३

भारतीय प्रशासन सेवा, — १८५–८६

भारतीय प्रशासन सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० ४२३–२४

— तथा भारतीय पुलिस सेवा २१२–१३

—, भारतीय पुलिस सेवा १८५–८६

भारतीय प्राणकीय सर्वेक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय प्राणकीय सर्वेक्षण १२७९–८०

भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

रेलवे न्यायाधिकरण ७५८

भारतीय विनियोजन—

केसम्बन्ध में प्रश्न—

पाकिस्तान में — ४२६–२७

भारतीय वैज्ञानिक संस्था, बंगलौर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पौष्टिक भोजन ६१४–१५

भारतीय सैनिक अकादमी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय सैनिक अकादमी १२८६–८७

भारतीय हाकी फेडरेशन —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय हाकी फैडरशन १२५९—६१

भार्गव, पंडित ठाकुर दास —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

गेहूं का मूल्य ९२–९३

भावनगर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जिप्सम (आचूर्ण) २११–१२

भाषा (यें) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

न्यायालय की — १०४८–४९

रेलवे स्कूल ७७७–७८

संस्कृत शिक्षा १०१०—१२

सशस्त्र सेना चलचित्र ६६६—६८

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास १०३०—३२

भाषा, तुरकी —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आकाशवाणी ९०९

भाषा (ओं), प्रादेशिक —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नव साक्षरों के लिये पुस्तकें ८३१

भीलाई इस्पात संयंत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— इस्पात संयंत्र ४६९—७१

भूकम्प किरणवक्रता सर्वेक्षण —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भूकम्प किरणवक्रता सर्वेक्षण ८४५–४६

भूतत्वशास्त्री (यों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— तथा खनिज विज्ञान वेत्ता ७९०–९१

भूतत्वीय परिमाप —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तेल १७२—७४

भूतत्वीय परिमाप १२४९–५०

भूतत्वीय सर्वेक्षण ८३५–३६, १२८५–८६

सामुदायिक परियोजनाओं का विकास १००४—०६

भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां—

देखिये फ्रांसीसी बस्तियां, भूतपूर्व"

भूमध्य सागर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय नौसेना का बेड़ा १००६–०७

भूमि —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय — सर्वेक्षण ५१०—१२

अतिरिक्त सैनिक शिविर ६३८–३९

आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १०५१—५३

कृषि फार्म ९१९—२२

केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, जम्मू ३५३–५४

खाद्य फसलें ९७८–७९

खाद्यान्नों की कृषि ३७१

गन्ना ९३२–३३

गन्ने की कृषि की — ११३४–३५

चावल की खेती का जापानी ढंग ३६३

छावनी की — ६०२—०४

प्रमाप एकड़ ४६५–६६

मांखड़ा नंगल परियोजना ३६०

भूमि—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
भूतपूर्व फौजी ८१३–१४
भूमि कृष्यकरण ३६०
— पर खेती ७४२–४३
भोपाल में — का कृषि योग्य बनाया जाना ७४६–४७
मनीपुर में बंजर — ३७६–७७
सैनिक फार्म १९०

भूमि अधिरक्षण —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूमि अधिरक्षण ९७९–८०

भूमि कटाव—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मचकुण्ड परियोजना ५५४
हवा और पानी से कटाव ९६८–६९

भूमि संरक्षण केन्द्र —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूमि सरक्षण केन्द्र १३८९–९०

भूमि संरक्षण बोर्ड —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूमि संरक्षण बोर्ड ९३—९६

भूमिहीन श्रमिक —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूमिहीन श्रमिक ९६७

भेड़ पालन —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भेड़ पालन ११८३

भेषजिक जांच समिति —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भेषजिक (औषधि) जांच समिति १३२९–३०

भोजन —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पौष्टिक — ६१४–१५

भोपाल —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कृषि फार्म ९१९—२२
— में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना ७४६–४७

भोपाल के नवाब —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भोपाल के नवाब ६०६

भौगोलिक नाम —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भौगोलिक नाम ७९५–९६

भ्रष्टाचार —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बचत बैंक में जालसाजी का मामला ३७८–७९
रेलवे कर्मचारियों में — १३४
रेलवे के टिकटों को पुनः बेचना ७०९

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भ्रष्टाचार विरोधी विभाग १२२९—३२

म

मंगलौर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गाड़ियों का देर से चलना ५७२–७३
बम्बई—रेलवे लाइनें ९४०–४१

मंडी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—की नमक की खानें २२७–२८

मंत्रालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विज्ञापन ६६७—६६
शिक्षा मंत्री की अनवस्थिति ८०६

मंत्री (त्रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोटा हाउस ८५८–५६
श्रम—का सम्मेलन १३६१—६५
शिक्षा—की अनवस्थिति ८०६

मंत्रीमंडल की नियुक्त समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय सचिवालय १२८०–८१

मंहगाई भत्ता—
देखिये "भत्ता"

मकान (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित जातियां और अनसूचित आदिम जातियां ४२०–२१
अभिन्न रेल डिब्बों का कारखाना ७३८–३६
आवास योजनायें २६०
आवास स्थान १३३४—३६
कालकाजी स्थित हाई स्कूल की इमारत ४६२
कुरनूल मुख्य डाक-घर ५०८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०१४—१६
कोसी परियोजना २७—२६
ग्राम्य डाक घर ५८३
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था ६५२—५४

मकान (नों)—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास ६१२
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ६८८
डाक तथा तार विभाग का भवन १४२२–२३
डाक व तार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ११७६–८०
निवास स्थान १३५४–५५, १३५६
प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र २६—३१
म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ४८२
युवकों के आवास २१८
रहने के लिये स्थान ६१७–१८
राजेन्द्र नगर में — ४५६–५७
रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर ६६६-७०, ११६७
रेलवे क्वार्टर ६७३
रेलवे स्कूल, लल्लागडा १२१७–१८
विस्थापित हरिजन व्यक्ति १४–१५
विस्थापितों के लिये— ४७३—७५, ८६२
हैदराबाद को ऋण १०१६–१७

मक्खन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आयात किये गये दुग्ध उत्पाद ४३१

मचकुण्ड परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मचकुंड परियोजना ५५४

मछली (लियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कार्प मीनक्षेत्र ७२२–२३
झींगा —का निर्यात ३१६—१६
बम्बई में गहरे समुद्र में—पकड़ने का केन्द्र ७०७—०६
मत्स्य ग्रहण जलयान ७४७–४९
मीन क्षेत्र ७७२
मीन क्षेत्र के लिये आर्थिक सहायता १३६०–६१

मजदूरी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उड़ीसा की नमक की फैक्टरियां २९४—९६

मतदाता (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना ९४०

मत्स्य ग्रहण उद्योग यंत्रीकृत—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मत्स्य ग्रहण शिल्प प्रशिक्षण ५२०–२१

मत्स्य ग्रहण जलयान—
देखिये "नौका"

मद्य निषेध जांच समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मद्य-निषेध जांच समिति ३२–३३

मद्रास—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
असैनिक सम्भरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी ६३६
इस्पात संयंत्र २६३–६४
उपनगरीय रेलवे सेवा ९३८—४१
कच्चा लोहा ८४६–४७
कुनीन १३७
कुष्ट रोग की रोकथाम ७३–७४
गंदी बस्तियों की समाप्ति (—) ४८४–८५
गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण १२४–२५
गैर-सरकारी वन १११–१२
दिल्ली मद्रास जनता एक्सप्रेस १३६७–६९
पत्तन ३७४–७५
पौधा ९२७

मद्रास—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
मीन-क्षेत्र के लिये आर्थिक सहायता १३६०–६१
मूंगफली की खली ६१
रेल सामान प्रदर्शनी ५५७
लक्क द्वीप से बाध्य नौका सेवा ७२८–२९
वस्तु भाड़े पर अधिभार ७४३—४९

मध्य प्रदेश—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित आदिम जातियां १०२८–२९
आंभोरा बांध १३१०
कच्ची मैंगनीज ११२६–२७
काम दिलाऊ दफ्तर १४३५
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ५३२–३३
—में बी० सी० जी० टीका १४३५–३६
रेल लाइनें ११९५
शिव राव समिति १०९—११
सड़कों की लम्बाई १३४५
सागर जिले में पुल ९५१—५२
हाथ-करघा कपड़ा विपणन समिति ८४९—५१

मध्य भारत—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ११७९–७०
प्रौद्योगिक संस्था १३४४–४५
भूतत्वीय सर्वेक्षण १२८५–८६
—में मलेरिया नियंत्रण ११७५–७९

मध्य वर्ग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
निर्वाह व्यय देशनांक १२६१—६३

मध्यपर्व के देशों—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के साथ व्यापार १९०१
मध्यपूर्व को व्यापार प्रतिनिधि मंडल ११००–०१

मनीआर्डर फार्म—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पोस्ट कार्ड ११८०

मनीपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित आदिम जातियां ८३१–३२
कोढ़ियों की बस्तियां ९९०–९१
गोरखे ३९९—४०१
जस्ती लोहे की चादरें ७०२–०३
तार घर ५७५
नियुक्ति बोर्ड, — ६२७–२८
—पुलिस १०४५
—में कैदी ६३१
—में चावल की खेती ५७५–७६
—में डाकघर ९९१
—में बंजर भूमि ३७६–७७
मनीपुर सांविधानिक अधिनियम, १९४७ २०७
मीन क्षेत्र ७७२
युद्ध प्रतिकर ८४७–४८

मनीपुर सांविधानिक अधिनियम १९४७–
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मनीपुर सांविधानिक अधिमियम, १९४७ २०७

मंदिर (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न
मन्दिर ८९०
बर्गभीम—१२८३–८४

मलमल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ढाके की — ५८

मलिकपुर —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औरंगनगर रेलवे स्टेशन १२१५–१६

मलेरिया —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मध्य भारत में — नियंत्रण ११७५–७६
राष्ट्रीय — नियन्त्रण प्रोग्राम ५६७–६८

मशीन (नों?)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जर्मन युद्ध क्षतिपूर्ति मशीनरी १३५२
जल-विद्युत परियोजनायें ४५–४६
जाली मु ा १२५५—५७
पानी ठंडा करने को मशीन ३७९
बटन दबा कर टिकट प्राप्त कर की मशीन १३६५—६६
बहुप्रयोजनीय परियोजनायें ६३
भूमि पर खेती ७४२–४३

सं त्र और — ७–८
संयंत्र और मशीनरी समिति ५०
देखिये "संयंत्र" भी

मशीनी औजार —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मशीनरी औजार २३१–३२, २८७

मसुलीपटाम —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गा ियों का देर से चलना ९८९

महता, श्री बलवन्त सिंह—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
राजस्थान में अभाव परिस्थिति ९५४
के द्वारा प्रश्न—
कुंभलगढ़ किला १२८२–८३
राजस्थान में पुरातत्वीय स्थान १२८९–९०
राजस्थान में महाराज प्रमुख १०४३–४४
रेलवे सर्वेक्षण ११६७–६८

महबूब नगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शटल रेलवे सेवा ९४५–४६

महल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रानी लक्ष्मीबाई का— १७८–७९

महसाना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास १०१३–१४

महाकुम्भाषिर्कम् मेला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विशेष गाड़ियां ९८८–८९

महाकोशल व्यापार मण्डल, जबलपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
माल डिब्बों की कमी ७७०–७१

महात्मा गांधी की समाधि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
महात्मा गांधी की समाधि २७५–७९

महानदी परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
महानदी परियोजना ४८३–८४

महाविद्यालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न —
केन्द्रीय कृषि कालिज ११३
जनता कालिज १६६–६७
पंजाब में कृषि कालिज ७३९—४१
प्रिंस आफ वेल्स सैनिक कालिज १२७७–७८
भारत में डाक्टरी शिक्षा के कालिज ९९०

महिला (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अपहृत स्त्रियां १५–१७
प्रौढ़ अंध-प्रशिक्षण-केन्द्र ५९८–९९
राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ४१५–१६
राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय २१०–११

माओ (मनीपुर)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चुंगी ८३०–३१

माचदा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे आय ९२९—३१

मात्तन, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह १०२५
दिल्ली उपनगरीय सेवा ७०६
पश्चिमी कमान प्रधान कार्यालय ६१२
बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण १२७५
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ३५१
लवकद्वीप से वाष्प से नौका सेवा ७१२

मात्तन, श्री--(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)
वस्तुभाड़े पर अधिभार ७४५-४६
के द्वारा प्रश्न--
टिटानियम (रंजातु) २५७-५९
रेलवे पर काम १२१२-१३
लोहे की सलाखें ४८-४९
विदेशी सार्थों में भारतीय कर्मचारों रखा जाना १३१४-१६

माधोपुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
पठानकोट- — रेल सम्पर्क ११८१-८२

मानी, प्रोफेसर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कैंटिकीय सर्वेक्षण ७९८-९९

मार्ग परिवहन निगम--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
मार्ग परिवहन निगम ७७४-७५

मार्टन ऐण्ड कम्पनी कलकत्ता, मैसर्ज--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
गैर-सरकारी रेलवे १४०९
समवायों द्वारा प्रबन्धित रेलवे १४१३

मालवीय, पंडित सी० एन०--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
गेहूं का मूल्य ९३

माही--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
माही १३४३
हाथ करघा उद्योग १३३९-४०

मिदनापुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तामलूक में खुदाई १००९-१०
मेचदा संयुक्त डाक तथा तारघर १४५-४६
वर्गमीम मन्दिर १२८३-८४

मिर्च--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विदेशी व्यापार २२३-२४

मिलान--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
— नगर में नमूनों का मेला ४७१-७२

मिशन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारतीय विमान दल के दया के — १०४६
विदेशों में भारतीय — ३५-३६

मिशनरी संस्था (ओं) --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
मिशनरी संस्थायें ६३३-३४

मिश्र, श्री एल० एन०--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
उर्वरक १३८५
कराधान जांच आयोग १२५३
कोलम्बो योजना ६००
गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र ६२१
जूट के थैले ३४
नदी घाटी योजनायें २
पुनर्नियोजन १०१९
बिहार में बाढ़ १४०७
भारतीय उर्वरक ११४५
राज्य औद्योगिक उपक्रम ६४९
सम्पत्ति शुल्क १०१८
स्थानींय विकास कार्य १३०८

मिश्र, श्री एल० एन०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

जूट जांच आयोग ८८०–८१
दामोदर घाटी निगम १३५५
नया रेलवे स्टेशन १४३०
पटसन जांच आयोग ९०४–०५
बिहार में टैलीफोन एक्सचेंज १३७४–७५
सम्पदा शुल्क ८४४
सहरसा रेलवे स्टेशन १४३०–३१
सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय १४२९–३०

मिश्र, श्री बी० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३४
दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी ९२८, ९२९
भारत सिक्युरिटी प्रेस १०३९–४०
विश्व बैंक फोटोग्राफर ७८६, ७८७

मिश्र, श्री विभूति —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अतिरिक्त विभागीय डाकघर ७२५
कृषि विकास कार्यक्रम ५०६
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७१७
चीनी उत्पादन ३०९

के द्वारा प्रश्न—

अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी १८६
इस्पात २४९–५०
कृषि ४५४–५५
चीनी उत्पादन शुल्क ३१३–१४
चीनी का परिवहन ९४६––४८
छोटे पैमाने के उद्योग ८६१––६३
ट्रैक्टर १४०१-०२
दरभंगा मैडिकल कालेज १४०२–०३
देश भाण्डारों का क्रय ५१२–१३

मिश्र, श्री विभूति—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

नल-कूप १४२१–२२
नैपाल को सहायता ६६३–६४
नौवहन समवाय १३६७–६८
भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना २८०
भारतीय पुस्तकों की भेंट ८३७
मध्यपूर्व को व्यापार प्रतिनिधि मंडल ११००–०१
युवकों के आवास २१८
रबड़ और चाय के बागान ६९२
रबड़ और चाय बगान ६९४
शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें १७४––७५
संग्रहालय ६००–०१
सहकारिता सम्मेलन ७१८–१९
सोन नदी पर पुल ११७५
होमियोपैथी १०३––०६

मिस्टियर लड़ाकू विमान—

देखिये "वायुयान (नों)"

मिस्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अणु-शक्ति २४१–४२

मुकर्जी, श्री एच० एन० —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

उपनगरीय रेलवे सेवा ९३९
नन्दी कोंडा परियोजना २४
प्रैस आयोग प्रतिवेदन २१
भारतीय चल-चित्र समारोह ४५
रेलवे इंजन तथा डिब्बे आदि ९५०
रेलवे उपकरण ३०५
विश्व बैंक फोटोग्राफर ७८७
हिन्द-चीन में घटनायें २०१

के द्वारा प्रश्न—

आवास योजनायें २९०

मुकर्जी, श्री एच० एन०—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
मोरफनगंज मार्केट, कलकत्ता ६०७–०८
कलकत्ता पत्तन ११६८–६९
चीन को डाक भेजना ९६९
ब्रिटिश जेट लड़ाकू विमान ११०९–१०
भारतीय नौहवन ९५५–५६
भारतीय नौहवन टनभार ९६८
राष्ट्रीय छुट्टियां १४३६–३७
रेलों का पुनर्वर्गीकरण १८०
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ४०—४२
शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति ८०६

मुक्तेश्वर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पशु-चिकित्सा अन्वेषण संस्थायें ११६–१७

मुख्याध्यापक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— की गोष्ठी ८१७–१८

मुजफ्फरपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्वयं चालित टेलीफोन प्रणाली ११४–१५

मुद्रण यंत्र —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मुद्रण यंत्र ७६४–६५

मुद्रणालय, ब्रेल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्धों की शिक्षा ७९९—८०१

मुद्रणालय (यों), सरकारी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छापेखाने ११२१

मुनिस्वामी, श्री एन० आर०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
पांडिचेरी ८७४
भ्रष्टाचार विरोधी विभाग १२३२
के द्वारा प्रश्न—
दिल्ली जल तथा नाली बोर्ड १३९९–१४००

मुरारका, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
बैंकों का एकीकरण १२४५
के द्वारा प्रश्न—
करा ान जांच आयोग १२५२–५३

मुर्गी के बच्चे —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का आयात १४८–४९

मुसलमान (नों) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मुस्लिम विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ७०४

मुहम्मद शफी, चौधरी —
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
भूतपूर्व फौजी ८१४
के द्वारा प्रश्न—
अपहरण १२८४–८५
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड ४६२—६४
कोरिया युद्ध के बन्दी ८६४—६६
कोलार की सोने की खानें १२६–२७
ग्रामोद्योग ५४
चलती गाड़ी में डाका ११२९—३१
चावल ५२७–२८, ५७६
नमक ४७७–७८
फसल प्रति ेगता योजना ३४६

मुहम्मद शफी, चौधरी—(जारी)

के द्वारा प्रश्न (जारी)

फायर सर्विस कालेज १०१२
बम्बई पुलिस अधिनियम ४१६
रक्षित बैंक के कर्मचारियों का दल ६२८–२९
रेडियो की अनुज्ञप्तियां १३६९
रेलवे पर डकैती १२१४
विदेशी भाषा छात्रवृत्ति २२१–२२
सूर्य ग्रहण ५६३
सोडा १३३३–३४

मुहीउद्दीन, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति १३८६–८७
जन डिब्बे आदि ९६०
इंजन डिब्बे आदि का संधारण १३७२
डी० डी० टी० कारखाना ६५६
द्वितीय पंच वर्षीय योजना १०७१

मूंगफली —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मूंगफली १३४२

मूंगफली का तेल —

देखिये "तेल (लों)"

मूंगफली की खली —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मूंगफली की खली ६१

मूर्त्ति, श्री बी० एस० —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ४२१
इण्डियन लिसनर १९
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ६५१
उर्वरक उत्पादन समिति १०

मूर्त्ति श्री बी० एस०—(जारी)

के द्वारा अनुपरक प्रश्न—(जारी)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ ५०२
कुरनूल तथा अदोनी रेलवे स्टेशन १०९
कुरनूल मुख्य डाक-घर ५०८
गोरखे ४०१
दूध वालों की बस्तियां ५३८
नन्दीकोंडा परियोजना १३२६
बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षण ६२३–२४
यात्री यातायात की गणना ७३
राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना २४०-४१
रेल दुर्घटना ८३
रेल सुरक्षा संस्था २९९
वस्त्र जांच समिति ३१
विस्थापित विद्यार्थी १२९५
व्यपहरण ५४४
संघ लोक सेवा आयोग ६१४

मूर्त्ती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पश्चिमी बंगाल में खुदाई ३९८–९९

मूल्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अफीम का चोरी छिपे लाया ले जाना १२८६
अभ्रक अयस्क १३४६–४७
आयात किये गये सामान की खरीद ९१४–१५
इंजन ११७–१८, ११९७–९८
इंजन डिब्बे आदि ९५९–६०
इस्पात का प्रतिधारण— ८९१–९२
इस्पात का — ४९–५०
इस्पात — ८७१—७३

मूल्य -- (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

कच्चा रेशम -- १३०६-०७
कोयले की खानें १६८-६६
कोयले की लागत ८६३-६४
खाद्यान्नों का क्रय ५२६--३१
गन्ने का -- ११८२
गन्ने के दाम ३११--१३
गुड़ ४३६
गुड़ और खांडसारी ११३३-३४
गेहूं का -- ६०--६३
चाय २६०-६१
चावल ५२७-२८, ७७८
चीनी का भाव २६५-६६
छपाई का काम ७६५-६६
जर्मन युद्ध क्षतिपूर्ति मशीनरी १३५२
टेलीफोन उपकरण १४२
डकोटा विमान ११७६
तस्कर-व्यापार ४१०-११
तांबे का तार १३४६
नारियल और टेपियोका ७५१-५२
नौवहन ७७३
पैट्रोल २४६
प्रमाप एकड़ ४६५-६६
फ्रांसीसी सिक्के ७०३-०४
बन्दरों का निर्यात ४३७--३६
बिहार में अन्न के भाव में वृद्धि १२१७
मुद्रण यंत्र ७६४-६५
मोटर कारें ६६६
राइफलें ६२५-२६
रेडियो सेट ४६४
रेल के यात्री डिब्बे ६७५-७६
रेलवे मिस्त्रीखानों में चोरियां ६८२-८३
सिगरेट १३४७-४८

मूल्य--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

सैनिक फार्म १६०
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड ४१६-१७
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड १३१६-१७

"मूल्य संरक्षण" नीति --

के सम्बन्ध में प्रश्न--

"मूल्य संरक्षण" नीति १४०६-१०

मृत्यु--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अमेरिका में एक भारतीय की हत्या ६७५-७६
कोलार स्वर्ण क्षेत्र में दुर्घटनायें ६८०-८१
जापान में प्रविधिक मिशन पदाधिकारी ६४५-४६
दुर्घटनायें ३८२
भारतीय विमान बल दुर्घटनायें २२४
रेल दुर्घटना ८१-८३, ५१४-१५

मेचदा संयुक्त डाक तथा तार घर --

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मेचदा संयुक्त डाक तथा तार घर १४५-४६

मैडिकल कालेज --

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दरभंगा -- १४०२-०३
मेडिकल कालेज १५०

मेनन, श्री दामोदर --

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

रेल परिवहन ८७

मेरीन आयल टरमिनल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बम्बई पत्तन ५२८–२९

मेला, नमूनों का —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मिलान नगर में — ४७१–७२

मेहता, श्री जे० आर०—

के द्वारा प्रश्न—

सैनिक कर्मचारियों को शिक्षा १२६९–७१

मेक्सीको —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोरिया युद्ध के बंदी ८६४–६

मैंगनीज —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अकलुष इस्पात ६३४

कच्ची मेंगनीज़ ११२६—२७

— की खानें ३९३, ४३५

मैथ्यू, श्री —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

नौवहन आयोग ७१३

मैसूर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० ४२३–२४

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड

चन्दन की लकड़ी का निर्यात १३५४

चामराजानगर-सत्यमंगलम रेलवे

मैसूर—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

लाइन ११५६—५८

प्रौद्योगिक संस्था १३४४–४५

भूमि संरक्षण केन्द्र १३८९–९०

भोजन व्यवस्था ७७०

— चीनी कारखाना १९३–९४

राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था, करनाल ३३६—३८

रेशम १०५८–६०

रेशम कृमि-पालन २०६

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूस के लिये इस्पात प्रतिनिधिमंडल ८७९–८०

मोगलसराय —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खराब हुये इंजन १४६–४७

मोटर सर्विस स्टेशन —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मोटर सर्विस स्टेशन ४७२–७३

मोटर गाड़ी (ड़ियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली परिवहन सेवा ५४०–४१

दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा ७७४, ९७२, ९७३

परिवहन मंत्रणा परिषद् ५५९–६०

मोटर कारें ६९९

— आदि के लिये ट्यूब २४–२५

मोनाजाइट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अणु-शक्ति २४१—४२

मोरे, श्री एस० एस०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन ७१८

मौसम सम्बन्धी भविष्य वाणी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र १२१०—१२

य

यातायात—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चीनी का परिवहन ६४६—४८
धर्मशाला को पर्यटक—— ७५६
पर्यटक——११६, १२८, १२८—२६
बम्बई पत्तन से माल का—— ३४५
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ६३—६४
संचार का विकास ३३८—४१

यातायात मंत्रणा परिषद्—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
परिवहन मंत्रणा परिषद् ५५६—६०

यात्री (त्रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्टीमर सेवा ७५३

युद्ध—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जर्मन——— क्षतिपूर्ति मशीनरी १३५२

युद्ध प्रतिकर —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
युद्ध प्रतिकर ८४७—४८

युद्ध बन्दी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोरिया युद्ध के बन्दी ८६४—६६

युरोपीय पटसन निर्माता संघ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
यूरोपीय पटसन निर्माता संघ ६६५—६६

युवक (कों) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
———के लिये होस्टल २२१

युवक शिविर —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
युवक शिविर ४३२
हैदराबाद में——२२६१—६२

यूगांडा —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार १११२

यूगोस्लाविया —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रूस के लिये इस्तपात प्रतिनिधि मण्डल ८७९—८०

यूरेनियम —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
यूरेनियम ७००—०१

यूरोप—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यूरोपीय देशों को रेलवे शिष्ट मण्डल ६६३–६४

योजना आयुक्त—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति ६२६

र

रंग उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रंग उद्योग ६०

रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र ८०८–८०९

रक्षा बचत बैंक लेखा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रक्षा बचत बैंक लेखा ५६१

रक्षा मंत्रालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अतिरिक्त सैनिक शिविर ६३८–३९

रक्षा सेवाओं—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयव्ययक बनाने में दोष ८१८–२०

रघुनाथ सिंह, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अखबारी कागज के कारखाने २५४

असैनिक पदाधिकारी ६२५

नैपाल को सहायता ६६३

नौवहन आयोग ७१३

रघुनाथ सिंह, श्री—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न— (जारी)

भोपाल के नवाब ६०६

रेल दुर्घटना ८२

रेलों में बिजली लगाना ७९

वस्तु भाड़े पर अधिभार ७४५

विमानों का विवश हो कर उतरना ७३७

वृत्त चित्र १३२५

सोने के डिब्बे ३२६

होमियोपैथी १०६

के द्वारा प्रश्न—

अस्पताल ३७२

आज़ाद काश्मीर २५२–५३

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ११५२–५३

इस्पात ५३

उत्तर प्रदेश में बाढ़ ५४५–४६

ऊष्मरोधक ईंटों का कारखाना २५–२६

कपड़ा उद्योग में हड़ताल १४२–४३

कानपुर की हड़ताल १४५

कोलार की सोने की खदानें १२६–२७

खनिज तेल ७९२–९३

गन्ने की खेती १४०९

गोआ के लिये अनुज्ञापत्र ९१२–१३

चीन-नैपाल सन्धि १११४

जलपोत ५६२

जहाज से भेजे गये माल का बीमा १२३३–३४

डिड्डियां ३५८–५९

तटीय नौवहन ३५५–५६

रघुनाथ सिंह, श्री--(जारी)
के द्वारा प्रश्न---(जारी)
द्वार के खम्भे १३५
दामोदर घाटी निगम ६०३–०४
नाहन फाऊंड्री १११७
पुर्तगाली बस्तियों के लिये पाकिस्तानी चावल ६८१
बद्रीनाथ को रेल से जोड़ना ५६२
बांडुंग सम्मेलन १२६५–६७
बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण १२७५–७६
बृहद् बांध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ४५४
ब्रिटिश इस्पात मिशन २७३–७४
भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र १२६३–६५
भारत पास्कितान रेल यातायात ३५०
भारत-बर्मा स्टीमर सेवा ७७३–७४
भारतीय नौसेना ६०७–०८
भारतीय विमान निगम के विमान की दुर्घटना ५५५–५६
मन्दिर ८६०
मिलान नगर में नमूनों का मेला ४७१–७२
मिशनरी संस्थायें ६३३–३४
मेंगनीज़ की खानें ३६३
यूरेनियम ७००–०१
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
रेल के यात्री डिब्बे ६२५–२६
रेल दुर्घटना ३८०–८१, ५१४–१५, ७१६–२०, ११८४–८५, ११६०–६१, ११६३–६४
रेलवे दुर्घटना १४१२–१३
लंका में भारतीय १११७

रघुनाथ सिंह, श्री—(जारी)
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
विमानों का बाध्य हो कर उतरना ३१४–१५
विशेष रेलें १२२४
श्रीलंका में भारतीय ६६१–६२
सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना २१०
स्लीपर ११०२–०३

रघुरामैय्या, श्री ——
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
रूसी प्रकाशनों का विक्रय ६४५

रघुवीर सहाय, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
भारत कार्यालय पुस्तकालय ६६६

रघुवीर सिंह, चौ०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६८
के द्वारा प्रश्न--
केन्द्रीय विश्वविद्यालय १०३८
बुनियादी शिक्षा की निर्धारण समिति ८१५
बुनियादी स्कूल ८०१

रतलाम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १४६
——गोधरा रेलवे १३२–३३

रबड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
——और चाय के बागान ६६२
——और चाय बागान ६६४
——का कारखाना ४८, ७६३–६५
रबड़ उद्योग ६३५

रसीद (दों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
डाक तथा तार के फार्म ५६०–६१

रांगिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तेजपुर——रेल लाइन १४३३–३४
रेलगाड़ियां १४३३
रेलवे इंजन डिब्बे इत्यादि ११६९–७०

रांची—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तिलैया बांध ८५५–५६
पशुमरी नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्रीय समिति ५५६

राइफल (लों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राइफलें ६२५–२६

राइफल प्रशिक्षण—
देखिये "प्रशिक्षण"

राघवाचारी, श्री —
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
दूर संचार गवेषणा केन्द्र ११७२

राघवैया, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
जम्मू तथा काश्मीर में ऐतिहासिक स्मारक १९४
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला १८९
शिक्षितों की बेकारी १८०
के द्वारा प्रश्न—
अन्तर्राज्यीय गोष्ठियां ५—७
अन्दमान ८२७, १०३६–३७

राघवैय्या, श्री —(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
उत्तर-पूर्व सीमा अभिकरण २७८
कालकाजी स्थित हाई स्कूल की इमारत ४९२
माल डिब्बों की कमी ११५१–५२
राष्ट्रीय नमूना परिमाप संगठन का कर्मचारिवर्ग ४२९–३०
रेलवे सुरक्षा सस्था २९८–३००
संयंत्र और मशीनरी समिति ५०
सैनिक इंजीनियरी सेवा के पदाधिकारी १०४१

राचय्या, श्री एन० —
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
रेशम १०६०
के द्वारा प्रश्न—
आई० ए० एस०, आई० पी० एस० ४२३
केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ४३६
चन्दन की लकड़ी का निर्यात १३५४
चामराजानगर-सत्यमंगलम रेलवे लाइन ११५६–५८
प्रैस आयोग ४४–४५
बिना टिकट यात्रा ११८३–८४
भारतीय काफी बोर्ड २७२
भोजन व्यवस्था ७७७
मैसूर चीनी कारखाना १२३–१२४
राज्य बैंक की शाखायें ६४१–४२
होन्नमर्द परियोजना ८९५–९६

राजधानी (नियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संचार का विकास ३३८–४१

राजनैतिक पीड़ित—

केसम्बन्ध में प्रश्न—

राजनैतिक पीड़ित १२३७–३९

राजभोज, श्री पी० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को आयु सम्बन्धी रियायतें १५३–५४

पिछड़े वर्ग आयोग १९६

के द्वारा प्रश्न—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां ४२०–२१

धौलपुर का शासक ४२३

पठानकोट-माधोपुर रेल सम्पर्क ११८१–८२

रेलवे शिल्पिक कर्मचारी ७५२

विस्तार तथा प्रशिक्षण निदेशालय १४८

श्रव्य-दृश्य शिक्षा १०४२

संसद् सदस्यों के लिये चिकित्सा सुविधायें ११५–१६

सामान क्रय समिति (स्टोर्स परचेज़ कमेटी) २७६–७७

राजस्थान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काम दिलाऊ दफ्तर ५६५

जिला मुख्यालयों वाले नगरों को टेलीफोन द्वारा जोड़ना ७६३–६४

राजस्थान—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न— (जारी)

देहातों में विद्युतीकरण ६९५

नलकूप ५६४

भाखड़ा परियोजना में — का अंश ४९०–९१

——— की पलना कोयला खदान १२८२

—में अभाव परिस्थिति ९५३–५५

—में औद्योगिक विकास ४९०

—में पुरातत्वीय स्थान १२८९–९०

—में महाराज प्रमुख १०४३–४४

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों सड़क निर्माण ४८९

विस्थापित हरिजन व्यक्ति १४–१५

सीमान्त घटनायें ६५–६६

सूखे क्षेत्र मत्रणा समिति १०२६–२७

राजामुन्द्री—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८५४–५५

राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राजेन्द्र नगर में मकान ४५६–५७

राज्य (ज्यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कच्चा रेशम ६७९–८०

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय २१०–११

वेक्सीन ३६६–७१

राज्य औद्योगिक उपक्रम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रबन्ध पद ६९५–९६
राज्य औद्योगिक उपक्रम ६४७–४९

राज्य कल्याण मंत्रणा बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आंध्र में कल्याण परियोजनायें १२८८–८९

राज्य पुनर्गठन आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
साधारण निर्वाचन ४०१–०२

राज्य बैंक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— की शाखायें ६४१–४२

राज्य भाग 'ग'—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भाग 'ग' राज्य ५९१–९३
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ११७९

राज्य मंत्रियों का सम्मेलन—
देखिये "सम्मेलन (नों)"

राज्य विधान सभा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
साधारण निर्वाचन ४०१–०२

राज्य व्यापार निगम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राज्य व्यापार निगम ४७८–७९

राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना, ४८१–८२, १३५७–५८

राधा रमण, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
सीमा प्रदेशीय घटना १३
के द्वारा प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा शिविर ६९५–९७
असैनिक अस्पताल १२१४–१५
आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १०५१–५३
औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८–९०
औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, ५०२
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ५८५–८७
गेहूं ७७१–७२
घरेलू नौकर संघ ११९६
चीनी का भाव २९५–९६
दिल्ली उपनगरीय रेलगाड़ी सेवा ३५६
दिल्ली उपनगरीय सेवा ७०५–०७
दिल्ली के लिये विकास बोर्ड ११३९–४०
दिल्ली परिवहन सेवा ५४०–४१
नगल में उर्वरक कारखाना ६४३–४५
नई रेलवे लाइनें ५६५–६६
नव साक्षरों के लिये पुस्तकें ८३१
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक २५५–५७

राधा रमण, श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—

पालम हवाई अड्डा ३५०–५१
प्रदर्शनियां ११२२–२३
प्रौद्योगिक संस्था १३४४–४५
बहुप्रयोजनीय परियोजनायें ६३
वेटवा नदी का पुल ५६१–६२
भारत का राज्य बैंक अधिनियम ६१८–१९
मूंगफली १३४२
यात्री सुविधायें ७४८–४९
राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन १११
रेशमी कपड़ा १२९८–९९
वित्त निगम १०२३–२४

राम दास, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

खादी वाणिज्य स्थान ९१६–१७
दुर्घटनायें ३८२
नल-कूप १२२६
नस्ली साँड १२२७–२८
निर्वाचक नामावली ६४०
बी० सी० जी० के टीके १५०–५२
भ्रष्टाचार १२२६–२७
विमान उड्डयन का प्रशिक्षण ३३५–३६
विमानों का विवश होकर उतरना ७३६, ७३७
शिक्षा विशारदों का विशेषज्ञ दल ६०९–१०

राम शंकर लाल, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

अन्न उत्पादन ७३४–३५
उर्वरक १३४–३५, ५५३–५४
कृषि ऋण ९४३–४४

राम शंकर लाल, श्री—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ ६०८–०९
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन प्रशिक्षण योजना १२०–२१
केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, जम्मू ३५३–५४
चावल की खेती का जापानी ढंग ७७१
नल-कूप १३३
फसल प्रतियोगिता योजना ३८०
भूमि कृष्यकरण ३६०
भूमिहीन श्रमिक ९६७
रूस के लिये इस्पात प्रतिनिधि मण्डल ८७९–८०
रेल दुर्घटना ३२२–२४
विमान समवाय ११५३–५४

राम सुभग सिंह, डा०—

के द्वारा अनूपूरक प्रश्न—

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्ष समिति १३८७
अमलाबाद कोयला खान ९९
पोरबिलिया कोयला खान में आग ३१६
प्राकृतिक संकट में सहायता ४०४
बिहार में सूखे की स्थिति १३८३
रानी लक्ष्मी बाई का महल १७९
विदेशी सार्थों में भारतीय कर्मचारी रखा जाना १३१५
विद्युत परियोजनायें ६५७–५८
सीमा प्रदेशीय घटना १३–१४

के द्वारा प्रश्न—

अस्पताल ९६६
इस्पात ८६०–६१

रामसुभग सिंह, डा०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण में तावंग मठ १११८

औद्योगिक वित्त निगम १२३९–४१

गव्यशाला सम्बन्धी प्रशिक्षण ३४८–४९

गारो पहाड़ियां ७६१–६२

गेहूं का मूल्य ९०–९३

गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र ६२०–२२

ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति ४१३

चीनी उत्पादन ३०८–१०

चीनी तथा गुड़ ३५५

जनता गाड़ियां १४२२

जम्मू और काश्मीर में कोयला २०९

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी ७००

निजी स्कूलों का प्रबन्ध २१७–१८

निर्यात प्रत्यय प्रत्याभूति निगम १०९३

नौवहन आयोग ७१२–१३

पंजाब विश्वविद्यालय १३२८–२९

पत्तन समुद्रीय जांच समिति ९३१–३२

पाक जलडमरू मध्य १३२

पैनिसिलीन कारखाना ६६०–६३

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ ६०५–०६

भारतीय नौवहन टन भार ९७०–७१

भीलाई इस्पात संयंत्र ४६९–७१

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज अधिकारी ६१५–१६

मुख्य अध्यापकों की गोष्ठी १०३७

राम सुभग सिंह, डा०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

राष्ट्रीय मूल भूत शिक्षा केन्द्र १९१–९३

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ३९०–९१

रूसी सहायता ५९५–९७

रेशम कृषि पालन २७६

लंका में भारतीय १११७

वस्तु भाड़े पर अधिभार ७४३–४६

वायु बल अकादमियां ४०८–०९

विस्थापित व्यक्तियों के लिये उद्योग १३५०–५१

श्रव्यदृष्य शिक्षण पुस्तकालय ६३२–३३

सूर्यग्रहण ५६३

सेना छात्र निकाय ४४५–४७

सैनिक स्कूल ४३०

हिन्दी में संधि तथा करार २८०–८१

होटल तथा होस्टल १३१८–१९

रामगढ —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अस्पताल ९६६

रामपुर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फायरसर्विस कालेज १०१२

रामस्वामी, श्री एस० वी० —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें २४१

के द्वारा प्रश्न—

इंजन ११७–१८

इस्पात संयंत्र २६३–६४

तूतीकोरिन पत्तन ११८७

रामस्वामी, श्री एस० वी०—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
नियंत्रक महालेखा परीक्षक ८०१–०२
रेलवे इंजन तथा डिब्बे आदि ६४६–५१
विमान भाड़ा ३७७–७८

रामस्वामी, श्री पी० —
के द्वारा प्रश्न—
अखिल भारतीय ग्राम प्रदर्शनी ५८१–८२
कुरनूल तथा हैदराबाद में ११७८
कुरनूल रेलवे स्टेशन ७५५–५६
कृषि सम्बन्धी गवेषण १४२४–२५
गोदी कर्मचारी जांच समिति ३५६–५७
चावल ७७८
नन्दीकोंडा परियोजना ६०४
पूंजी विनियोजन २२०
प्रादेशिक रूपांकन केन्द्र ८९४
बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति ६२६
भारतीय चल-चित्र समारोह ४५२–५४
भारतीय भाषाओं में तार १४२४
"मूल्य संरक्षण" नीति १४०६–१०
रेलवे स्कूल, लल्लागुडा १२१७–१८
शटल रेलवे सेवा ६४५–४६
सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ३५१
हैदराबाद को ऋण १०१६–१७
हैदराबाद में संस्थायें ७७६

रामेश्वरम् द्वीप—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चूने का पत्थर २१३–१४

राय, श्री विश्व नाथ —
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
डी० डी० टी० कारखाना ६५५, ६५६
[illegible] में सहायता ४०४
सहकारी संस्थाएं ७२१
के द्वारा प्रश्न—
अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण ५१०–१२
उस्तरे ८९९–९००
कुष्ट ७४–७५
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७१६–१८
गन्ने की कृषि भूमि ११३४–३५
गन्ने के दाम ३११–१३
गेहूं ७६६
चीनी की खपत ६७७
जम्मू तथा काश्मीर में ऐतिहासिक स्मारक १९३–९५
तेल १७२–७४
दूसरा डी० डी० टी० कारखाना ६५४
पर्यटक यातायात १८८
भारत का प्राणिकीय सर्वेक्षण ४३२
भूतत्व शास्त्री तथा खनिज विज्ञान-वेत्ता ७६०–६१
मोटर गाड़ियों आदि के लिये ट्यूब २४–२५
विधि कार्य ३४६–५०
श्रीलंका में भारतीय ६९१–९२
सामुदायिक परियोजनाओं का विकास १००४–०६
सूत कातने के और सावयव मिल ८५६–६०

राय गढ़ —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— रेलवे बस्ती ३३०–३१

रायपुर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामदायिक परियोजनाओं का विकास १००४-०६

राव, डा० रामा —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसवा शिविर ९९७

अन्धों की शिक्षा ८००

ऋण तथा अनुदान १२६५

कुटीर उद्योग के लिये अग्रगामी परियोजनाएं १०५३-५४

कुष्ट ७४

कृषि फार्म ९२१

केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ ६०८

खाद्यान्नों का क्रय ५३१

चिकित्सक छात्रसेना उड़ान दल १२४३

छोटे पैमाने के उद्योग ८५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ९७

नन्दीकोंडा परियोजना १३२६

नन्दीकोंडा में सीमेंट का कारखाना १३११

नौ-सेना के अस्पताल १००३

पर्यटन उद्योग ७२७-२८

फफूंदी ५१४

भैषजिक (औषधि) जांच समिति १३२९

रेशम १०६०

रेशम उद्योग ४४३

रेशमी कपड़ा १२९९

विशाखपटनम में सूखी गोदी (डाक) १०७४

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ४१

व्यापार प्रबन्ध तथा औद्योगिक प्रशासन ८२१

राव, डा० रामा—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न— (जारी)

साल्क पोलियो वैक्सीन ५००-०१

हिन्दी शब्दावली १२७४

'होरोन' विमान ३२१-२२

के द्वारा प्रश्न—

अमरावती और नागार्जुन कोंडा ११९१

ऊपरी पुल ११८४

कच्ची मेंगनीज ११२६-२७

काकिनाड़ा कोटिपल्ली रेल-सम्पर्क ३८१-८२

कुष्ट रोग की रोकथाम ७३-७४

कोलार की सोने की खदानें १२६-२७

कोलार स्वर्ण क्षेत्र में दुर्घटनायें ९८०-८१

कोसी परियोजना २७-२९

क्षय रोग ७५८

खरबूजा ७६२-६३

खाद्य भंडार ९८५-८६

गेहूं का आयात १४३७

चाय १०८१-८२

जनता रलगाड़ी १४३८

जाति विभेद ६७३-७५

टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई, ७३०-३१

दामोदार घाटी निगम ६०३-०४

नर्सों का प्रशिक्षण ११४२-४३

नीवेली लिग्नाइट परियोजना १०६३-६५

भारतीय नौ-सेना का बेड़ा १००६-०७

राजेन्द्र नगर में मकान ४५६-५७

राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था, करनाल, ३३६-३८

रूसी प्रकाशनों का विक्रय ९४४-४५

लिगनाइट का खनन २७८-७९

विध्वंसक जहाजों की दुर्घटना १२३५-३७

राव, डा० रामा— जारी
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
विमान सेवाएं ३५४–५५
सांख्यिकीय गुण नियंत्रण पाठ्यक्रम ४२७
साहीवाल के ढोर २९८
हिन्दी ८०३–०५
राव, श्री गोपाल —
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
नंगल में उर्वरक कारखाना ६४४
भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज अधिकारी ६१६
राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र १९२
के द्वारा प्रश्न—
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां २१९
कटिकीय सर्वेक्षण ७९८–९९
गंदी बस्तियों की सम्पत्ति (मद्रास) ४८४–८५
छोटे पैमाने के उद्योग २७७
ढाके की मलमल ५८
बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं ६३
राव, श्री टी० बी० विट्ठल —
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
इस्पात १०९०
कलाई कुंडा हवाई अड्डा ८२३
खान दुर्घटनायें १३६७
चावल का आयात १३९६
तम्बाकू उत्पादन शुल्क ८१०
तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९९
दिल्ली परिवहन सेवा ७११
नोट आदि का कागज बनाने का कारखाना ७८४
बम्बई-मंगलौर रेलवे लाइन ९४०–४१
बागान जांच आयोग १०५८
राव, श्री टी० बी० विट्ठल—(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)
भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ ९४९
माल डिब्बे ११३८–३९
श्रम मंत्रियों का सम्मेलन १३६५
के द्वारा प्रश्न—
अपीलीय न्यायाधिकरण ३७३–७४
इस्पात मूल्य ८७१–७३
उपनगरीय रेलवे सेवा ९३८–४०
उस्मानिया विश्वविद्यालय १२६६–६८
कोयला धोने के कारखानों सम्बन्धी समिति २६९–७०
कोलार स्वर्ण क्षेत्र ११४९–५०
खान निरीक्षक का प्रतिवेदन ५५८
खानों का निरीक्षण ३७३
चांदी परिष्करणों परियोजना १२४५ ४८
डाक विभाग के कर्मचारी १४२७—२८
दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस १३६७-६९
दिल्ली मार्ग परिवहन
दिल्ली सड़क दुर्घटनायें १००१
निर्वाह व्यय देशनांक १२६१–६३
न्यूटन चिकोली कोयला खान की दुर्घटना ५५२
पैट्रोल संयंत्र ९००–०१
बचत बैंक में जालसाजी का मामला ३७८–७९
बेकारी बीमा ३५२
बेतार दस्युता-विरोधी कार्य १३९२–९३
भारत-बर्मा स्टीमर सेवा ७७३–७४
भारतीय खान अधिनियम ३४५–४६

राव, श्री टी० बी० विट्ठल—— (जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

महंगाई भत्ता १४७
मेडिकल कालेज १५०
म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ४८२
रेडियो अनुज्ञप्तियां १३८८–८९
रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार १३४
रेलवे न्यायाधिकरण ७५८
रेलवे साईडिंग १३१–३२
लक्कद्वीप से बाष्प नौका सेवा ७२८–२९
लिगनाइट का खनन २७८–७९
वर्कशाप पुनरीक्षण समिति ७६२
विद्युत परिपथ ११५
श्रम सम्बन्ध समिति ३५७–५८
हीरे की खानें २१६
हैदराबाद में नगरीय जलसंभरण योजनायें १४२७
होन्नेमरादु परियोजना ४७

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम १३२६–२८

राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन ——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन १११

राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम १०४३

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

छात्र सेना निकाय २०६
राष्ट्रीय छात्र सेना २२०,२१ ६२९–३०
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय २१८
राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय २१०–११
सेना छात्र निकाय ४४५–४७

राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न——

दिल्ली नगरपालिका समिति ६६५

राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था —

के सम्बन्ध में प्रश्न——

— करनाल, ३३६–३८

राष्ट्रीय धातु कार्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर ——

के सम्बध में प्रश्न——

अकलुष इस्पात ६३४

राष्ट्रीय नमूना परिमाप विभाग——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

राष्ट्रीय नमूना परिमाप संगठन का कर्मचारी-वर्ग ४२९–३०

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ——

के सम्बन्ध म प्रश्न——

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ३८५–८६, ४३३–३४, १२६८–६९

राष्ट्रीय निर्माण निगम ——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

इंजीनियरों की गोष्ठी १०७४–७६

राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

राष्ट्रीय प्रात्रिलेख संग्रहालय १२७९

राष्ट्रीय प्रयोगशाला (ओं) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सीसा निक्षेप ५९७–९८

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला —
के संम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला १८९–९०, ८३०

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण प्रोग्राम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण प्रोग्राम ५६७–६८

राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र १९१–९३

राष्ट्रीय योजना ऋण —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय योजना ऋण २२४

राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय योजना पत्र ८४३–४४

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रिंस आफ़ वेल्स सैनिक कालेज १२७७–७८
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ३९०–९१

राष्ट्रीय विकास परिषद् —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १३२०–२१

राष्ट्रीय विस्तार सेवा —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पहली पंचवर्षीय योजना २७४–७५
जनता कालिज १६६–६७

राष्ट्रीय विस्तार सेवा— जारी
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
— खंडों सड़क निर्माण ४८९
— योजनायें २३९–४१
सड़कों की लम्बाई १३४५
सामुदायिक परियोजनायें और — ८८२–८४
सामुदायिक परियोजनायें तथा — खंड २६१–६३
सीमान्त क्षेत्रों का विकास ८६७–६९

राष्ट्रीय श्रम बल —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय श्रम बल १३१९–२०

राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ४१५–१६

राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना १५९–६१, ६३९

राष्ट्रीयकरण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गैर-सरकारी रेलवे १४०९
बीमा समवायों का — १२७५–७६
रबड़ और चाय बागान ६९४

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति १३८५–८७
कृषि सम्बन्धी ऋण ५९३–९५
जाली मुद्रा १२५५–५७
बैंकों की नयी शाखायें ८३३
रक्षित बैंक के कर्मचारियों का दल ६२८–२९

रिवाड़ी —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली — रेल सम्पर्क ५५०

रिशांग किशिंग, श्री —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां ८३१–३२, ८४०–४१

आदिम जातियों का कल्याण ४३३–३४

आसाम की सड़कें ३२९–३०

इम्फाल —से मिंगलौंग सड़क ३५३

इम्फाल —में चावल के भाव ९९१

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण ८८४–८६

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १०६६–६८

कोढ़ियों की बस्तियां ९९०–९१

गोरखे ३९९–४०१

चुंगी ८३०–३१

जस्ती लोहे की चादरें ७०२–०३

तार घर ५७५

नियुक्ति बोर्ड, मनीपुर ६२७–२८

निवृत्ति-वेतन २०४–०६

नेफा (उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण) ३६–३८, १०८४–८५, १०८५–८७, ११२५

मनीपुर में कैदी ६३१

मनीपुर में चावल की खेती ५७५–७६

मनीपुर में डाकघर ९९१

मनीपुर में बंजर भूमि ३७६–७७

मनीपुर सांविधानिक अधिनियम, १९४ २०७

मीन क्षेत्र ७७२

युद्ध प्रतिकर ८४७–४८

समाज कल्याण केन्द्र ८२८

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ११७९

रुओवोलफिया सर्पेटाइना —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रुग्रोवोलफिया सेंपटाइना २२५–२७

रूरकेला इस्पात संयंत्र —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूरकेला इस्पात संयंत्र ३९

रूस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अणु गवेषणा ४२–४४

अणु शक्ति ४५८–५९

औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८–९०

— के लिये इस्पात प्रतिनिधि मंडल ८७९–८०

— से सहायता १०८३–८४

रूसी इस्पात संयंत्र ११०२

रूसी सहायता ५९५–९७

विश्व की आर्थिक स्थिति ४९५-९६

सोवियत — का दौरा ४३६

रूसी प्रकाशन (नों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का विक्रय ९४४–४५

रूसी भाषा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास १२८५

रूसी विशेषज्ञ (ज्ञों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भीलाई इस्पात संयंत्र ४६९–७१

रूसी शिल्पिक (कों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भीलाई इस्पात संयंत्र ४६९–७१

रेडियो, अखिल भारतीय —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आकाशवाणी ४८१, ६०६, १११६
आकाशवाणी की पत्रिकायें २८६
आकाशवाणी के कलाकार १३५०
पटेल भाषण ४८०–८१
शिमला का आकाशवाणी केन्द्र ४८७—८६
रेडियो एण्ड एलैक्ट्रिक मैन्यूफैक्चिरिंग कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेडियो के पुर्जे ५०–५१
रेडियो तथा केबिल बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेडियो तथा केबिल बोर्ड ११७४–७५
रेडियो सक्रियता—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चक्रवात में — ६०१
रेडियो सेट —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बिना अनुज्ञप्ति रेडियो का प्रयोग १२२
— रेडियो अनुज्ञप्तियां ७५२–५३ १३८८–८६
रेडियो उद्योग ११०४–०५
रेडियो की अनुज्ञप्तियां ६६१, १३६६
रेडियो के पुर्जे ५०–५१
रेडियो सेट ४६४
सामुदायिक — १३३६–३७, १३४६–५०
रेडियो स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चंडीगढ़ — ८५१–५२
रेड्डी, श्री ईश्वर—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
स्टारों का क्रय ४६२
के द्वारा प्रश्न—
अमेरिका में एक भारतीय की हत्या ६७५–७६
उर्वरक १३७८–७६
कुनीन १३७
गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण १२४–२५
गैर-सरकारी बन १११—१२
चलचित्र विवाचन २६६
चावल भांडार ७३३–३४
चूने का पत्थर २१३
छोटे पैमाने के उद्योग ८५२–५४
जल-विद्युत परियोजनायें ४५–४६
नाविक संघ, ट्यूटीकोरीन ३६१
बम्बई मंगलौर रेलवे लाइन ६४०–४१
भोपाल के नवाब ६०६
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ३८५–८६
रेड्डी, श्री रामचन्द्र—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
उद्योगों का विकास १०६४
करनूल तथा अदोनी रेलवे स्टेशन १०६
कोयले की खानें १३६
चीन को भेजा गया सांस्कृतिक मंडल १६३
चीनी उत्पादन ३०६
डी० टी० टी० कारखाना ६५७
धान कूटने सम्बन्धी समिति ३३४
नमक ४७८
पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास १०१४
पैनिसिलीन कारखाना ६६२
राइफल प्रशिक्षण ३६२
वनमहोत्सव ७०–७१
सहकारी दूध संघ ६३६

रेड्डी, श्री राम चन्द्र --(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड १३१७
के द्वारा प्रश्न--
नन्दीकोंडा परियोजना १०७६–७७
पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३२—३५
रेड्डी श्री विश्वनाथ --
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
नन्दीकोंडा परियोजना १०७७
के द्वारा प्रश्न—
आंध्र को ऋण १०६८–७०
किराया तथा भाड़ा संरचना समिति ३४८
खाद्य का उत्पादन १२१
छोटे पैमाने के उद्योग ६९१, १०९२
डकोटा विमान ११७६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १०८७–८९
माल डिब्बे ७५४
रबड़ का कारखाना ४८
सम्पदा शुल्क ४३४–३५
सामान क्रय समिति (स्टोर्स परचेज़ कमेटी) २७६–७७
स्थानीय विकास कार्य १३०७–१०
स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास २०६
रेपल्लि --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
गाड़ियों का देर से चलना ९८९
रेलगाड़ी (ड़ियों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
इंजन डिब्बे आदि का संधारण १३७१–७२.
एक्सप्रस रेल १२२०
गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना ११९०

रेलगाड़ी (ड़ियों)--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
गाड़ियों का देर से चलना ५७२–७३, ९८९
ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस १४१२
चलती गाड़ी में डाके ११२९--३१
जनता गाड़ी ९८४–८५, १४२२
जनता -- १४३८
दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस १३६७--६९
यात्री यातायात की गणना ७१–७३
यात्री सुविधायें १३८७–८८
रेलगाड़ियां १४३३
— की गति ३८०
—में जगह १४३६
—में सोने का स्थान १२२३-२४
— सर्विस १२२२
रेलों का देरी से चलना १२१८
विशेष गाड़ियां ९८८–८९
विशेष रेलें १२२४
शयन-स्थान ९६९
रेलवे —
के सम्बन्ध में प्रश्न--
— की ओर आने वाली सड़कें १३०–३१
रेलों में बिजली लगाना ७८–७९
रेलवे अल्पाहार गृह —
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भोजन व्यवस्था ७७०
रेलवे आय --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलवे आय ९२९—३१, १२१५
रेलवे की आय १३५९–६०

रेलवे इंजन (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इंजन ११७–१८, ७७०, ११९७–९८
इंजन, डिब्बे, आदि ९५९–६०, ९८४
इंजन तथा डिब्बे ५४१—४३
इंजनों की मरम्मत १४१
कोसी परियोजना २७—२९
खराब हुये इंजन १४६–४७
रेलवे इंजन ७६७
— आदि १४१
— डिब्बे इत्यादि ११६९–७०
— तथा डिब्बे आदि ९४९—५१
विदेशों से संविदायें ३५१–५२

रेलवे इंजीनियरिंग सेवाओं—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे इंजीनियरिंग सेवायें ११७२–७३

रेलवे, उत्तर —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में भरती ३६२-६३
कोयले की चोरी—७७६
नया रेलवे स्टेशन १४३०
यात्री सुविधायें ७४८–४९
रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर ११९७

रेलवे, उत्तर-पूर्वी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर-पूर्वी रेलवे ५५९
चलती गाड़ी में डाके ११२९—३१
यात्री डिब्बे ५५७-५८
रेल दुर्घटना ५३९–४०
वाच एण्ड वार्ड विभाग ११५५–५६
सोने के डिब्बे ३२५—२७

रेलवे उपकरण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे उपकरण ३०३—०५

रेलवे कर्मचारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित आदिम जातियां ९९२–९३
कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १४९
क्षय रोग के मरीज़ ३६२
छपाई का काम ७६५–६६
दुर्घटनायें ५७६—७९
पहाड़ भत्ता ५६९
भ्रष्टाचार १२२६–२७
मंहगाई भत्ता १४७
रेलवे कर्मचारी ५६६
— के क्वार्टर ९६९–७०, ११९७
— में भ्रष्टाचार १३४
रेलवे का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ११८१
रेलवे क्वार्टर ९७३
रेलवे में काम १२१२–१३
रेलवे शिल्पिक कर्मचारी ७५२
रेलवे सुरक्षा संस्था २९८—३००
शिल्पिक कर्मचारियों की भर्त्ती ७५७–५८
समवायों द्वारा प्रबन्धित रेलवे १४१३
सम्पत्ति का प्राप्त करना ८८१–८२

रेलवे कर्मशाला (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे वर्कशापों में सुरक्षा प्रथम समितियां ५१५–१६

रेलवे कार (रें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे कारें ५६९–७०

रेलवे कारखाना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इंजनों की मरम्मत १४१
जगाधरी का वर्कशाप ५३५–३६
दुर्घटना समितियां १०६—०८
माल डिब्बे ११३७—३९
रेलवे वर्कशाप १२२–२३

रेलवे कार्यालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर-पूर्वी रेलवे ५५९
दक्षिण–पूर्वी रेलवे विभाग
१३७५—७७
रेलवे पर काम १२१२–१३
विधि कार्य ३४९–५०

रेलवे गोदाम —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गोदाम ११९२

रेलवे चिकित्सालय (यों) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे अस्पताल ११७६–७७

रेलवे टाइमटेबिल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विशेष गाड़ियां ९८८–८९

रेलवे टिकट (टों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बिना टिकट यात्रा ११८३–८४
रेलवे के टिकटों को पुनः बेचना
७०९

रेलवे टिकट घर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
इटारसी रेलवे स्टेशन १२२३

रेलवे टिकट छापने की मशीन —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बटन दबा कर टिकट प्राप्त करने की
मशीन १३६५–६६

रेलवे डिब्बा (बों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अभिन्न — का कारखाना
७३८–३९
इंजिन, डिब्बे, आदि ९५९–६०
इंजन, डिब्बे, आदि का संधारण
१३७१–७२
इंजन तथा डिब्बे ५४१—४३
टूटे फूटे यात्री डिब्बे १४२१
यात्री डिब्बे ५५७–५८
रेल के यात्री डिब्बे ९२५–२६
रेलवे इंजन डिब्बे इत्यादि ११६९–७०
रेलवे इंजन तथा डिब्बे आदि
९४९—५१
विदेशों से संविदायें ३५१–५२
विद्युत चालित रेल के सवारी डिब्बे
७५०
सोने के डिब्बे ३२५—२७

रेलवे, दक्षिण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे वर्कशापों में सुरक्षा प्रथम
समितियां ५१५–१६
शिल्पिक कर्मचारियों की भर्ती
७५७–५८

रेलवे, दक्षिण (मैसूर मण्डल)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बिना टिकट यात्रा ११८३–८४

रेलवे, दक्षिण–पूर्वी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दक्षिण-पूर्वी रेलवे विभाग
१३७५—७७

रेलवे दुर्घटना (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दुर्घटनायें ३८२, ५७६—७६

प्रतिकर दावे ७५५

रेल दुर्घटना ८१—८३, ३२२—२४, ३८०–८१, ५१४–१५, ५३६–४०, ७१६–२०, ११८४–८५, ११६०–६१, ११६३–६४

रेलवे दुर्घटनायें १४३–४४, १४१२–१३, १४१६–२०

रेलवे वर्कशापों में सुरक्षा प्रथम समितियां ५१५–१६

रेलवे न्यायाधिकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे न्यायाधिकरण ७५८

रेलवे पदाधिकारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के विरुद्ध शिकायत ६८०

रेलवे परिवहन —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल परिवहन ८६—६०

रेलवे, पर्लाकिमेडी लाइट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाइन ७७५

रेलवे, पश्चिम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रतलाम-गोधरा रेलवे १३२–३३

रेलवे पुल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ऊपरी पुल ११८४

गुन्टूर रेलवे लाइन के ऊपर पुल ६५२–५३

नर्मदा पर पुल ११६५–६६

रेलवे पुस्तक स्टाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूसी प्रकाशनों का विक्रय ६४४–४५

रेलवे, पूर्वी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिजली लगाना १३५

रेलवे इंजन ७६७

रेलवे कर्मचारी ५६६

रेलवे यातायात ६६४

रेलवे स्कूल ७७७–७८

रेलों का पुनर्वर्गीकरण १२०

रेलवे, पूर्वोत्तर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का ठीक समय पर आना। जाना ११६०

यात्रियों को सुविधायें १४१५–१६

रेलवे दुर्घटनायें १४१६–२०

रेलवे प्लेटफार्म १४२५

रेलवे प्रतिकर दावे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रतिकर दावे १४३

रेलवे प्रतीक्षालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

करनूल तथा अदोनी रेलवे स्टेशन १०८–०६

कुही रेलवे स्टेशन १४३१–३२

यात्रियों को सुविधायें १४१५–१६

रेलवे प्लेटफार्म—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे प्लेटफार्म १४२५

रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, दक्षिण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छपाई का काम ७६५–६६
मुद्रण यंत्र ७६४–६५

रेलवे बस्ती—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रायगढ़ — ३३०–३१

रेलवे बोर्ड —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उड़ीसा में रेलवे लाइनें ५३६–३७
रेलवे शिल्पिक कर्मचारी ७५२

रेलवे भाड़ा —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
किराया तथा भाड़ा संरचणा समिति ३४८

रेलवे भाण्डार —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
देशी भाण्डारों का क्रय ५१२–१३

रेलवे भूमि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे की जमीन १२१६

रेलवे भोजन व्यवस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भोजन व्यवस्था १२१०

रेलवे मकान (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १४६

रेलवे, मध्य—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
माल डिब्बों की कमी ७७०—७२
रेलगाड़ियों में जगह १४३६
स्टेशनों पर सुधार १४३४

रेलवे माल डिब्बा (बों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
माल के डिब्बे ५७०
माल डिब्बे ७५४, ११३७—३६
माल डिब्बों का संभरण ११८७–८८
माल डिब्बों की कमी ७७०—७२, ६८३–८४, ११५१–५२

रेलवे में अपराध—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलों में अपराध १३६–४०

रेलवें में चोरी (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे पर डकैती १२१४
रेलवे मिस्त्रीखानों में चोरियां ६८२–८३
रेलवे में अपराध ११८१
वाच एण्ड वार्ड विभाग ११५५–५६

रेलवे में भ्रष्टाचार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भ्रष्टाचार १२२६–२७

रेलवे यातायात—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे यातायात ६६४

रेलवे यात्रा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बिना टिकट यात्रा ३४४–४५, ११८३–८४

रेलवे यात्री (त्रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का देर से चलना ५७२–७३
यात्रियों के लिये सुविधायें ३४७
यात्री यातायात १२०३–०४
यात्री यातायात की गणना ७१—७३
रेल कारें ५६९–७०

रेलवे यात्री शेड —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्री शेड ५६८–६९

रेलवे यात्री सुविधायें —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्रा सम्बन्धी रियायतें ६१९–२०
यात्रियों के लिये सुविधायें ३४७
यात्रियों को सुविधायें १४१५–१६
यात्री सुविधायें ७४८–४९, १३८७–८८
रेलगाड़ियों में सोने का स्थान १२२३–२४
शयन-स्थान ६६६

रेलवे लाइन (नों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इन्दोर-दोहद-रेलवे ११८–१९
उड़ीसा में — ५३६–३७
उपनगरीय रेलवे सेवा ९३८–४०
काकिनाड़ा कोटिपल्ली रेल-सम्पर्क ३८१–८२
खंडवा-हिंगोली रेल सम्पर्क ५५०–५१
गुन्टूर — के ऊपर पुल ६५२–५३
गैर–सरकारी रेलवे १४०९

रेलवे लाइन (नों)— जारी

के सम्बन्ध में प्रश्न— जारी

चामराजानगर-सत्यमंगलम् — ११५६—५८
तेजपुर-रांगिया रेल लाइन १४३३–३४
दामोदर घाटी निगम ५८
दिल्ली-रिवाड़ी रेल सम्पर्क ५५०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ९६—९८
नई — ५६५–६६
पठानकोट-माधोपुर रेल सम्पर्क ११८१–८२
बद्रीनाथ को रेल से जोड़ना ५६२
बम्बई मंगलौर — ९४०–४१
बाढ़ें ११८८–८९
रतलाम-गोधरा रेलवे १३२–३३
रेलवे परिवहन ८९–९०
रेल लाइनें ११९५
रेलवे लाइन ७७५
लोंडा–मार्गगोवा रेल सम्पर्क १३७०–७१
शटल रेलवे सेवा — ९४५–४६
सम्बलपुर-बालनगीर तितिलागड़ रेल लाइन ५६३–६४

रेलवे लोको शेड, लक्सर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भर्ती १२२१–२२

रेलवे शिल्पिक कर्मचारी—

देखिये "रेलवे कर्मचारी"

रेलवे शिष्ट मंडल —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यूरोपीय देशों को — ९६३–६४

रेलवे सर्वेक्षण —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे सर्वेक्षण ११६७–६८

रेलवे साइडिंग —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे साइडिंग १३१–३२

रेलवे सामान प्रदर्शनी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेल सामान प्रदर्शनी ५५७

रेलवे सुरक्षा तथा प्रतिपालन विभाग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे सुरक्षा संस्था २९८—३००
वाच एण्ड वार्ड विभाग ११५५–५६
सुरक्षा युक्ति ७५०—५२

रेलवे स्कूल —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे स्कूल ७७७–७८

रेलवे स्टेशन (नों) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औरंगनगर — १२१५–१६
कुरनूल तथा आदोनो — १०८–०९
कुरनूल ७५५–५६
कुही — १४३१–३२
चर्चगेट — ३०५–०६
दिल्ली उपनगरीय रेलगाड़ी सेवा ३५६,
दिल्ली उपनगरीय सेवा ७०५–०७
नया — १४३०
पानी ठंडा करने की मशीनें ३७९
भंडारा — १४३१
भोजन व्यवस्था १२१०

रेलवे स्टेशन (नों)— (जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न— जारी
यात्री शेड ५६८–६९
रेल दुर्घटना ३२२—२४
रेलवे आय ६२९—३१
रेलवे स्टेशन ६३७–३८
विद्युत परिपथ १२५
सहरसा — १४३०–३१
स्टेशनों पर सुधार १४३४
स्वयंचालित तुला ५५५

रेलवे हाई स्कूल, लल्लागुडा, सिकन्दराबाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे स्कूल, लल्लागुडा १२१७–१८

रेशम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कच्चा — ६७९–८०
कच्चा — (मूल्य) १३०६–०७
रेशम ९१२, १०५८—६०
— उद्योग ४४२—४४

रेशम क्रमि-पालन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेशम क्रमि-पालन २७[illegible]

रेशम बोर्ड —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छोटे पैमाने के उद्योग ८६१—६३

रेशम व्यापारी संघ —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेशमी कपड़ा १२६८–६९

रोग (गों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अगरतला में पेचिश का व्यापक रोग ७३७–३८

कुष्ट ७४–७५

बाल पक्षाघात ५५०

हैज़ा ७१४–१५

रोगी (गियों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली १२००–०२

क्षयरोग के मरीज़ ३६२

रोज़गार —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आगरा में काम दिलाऊ दफ्तर १२१६–१७

पीलीभीत बस्ती योजना ९३३—३५

'रोजगार पुस्तिका'—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रोज़गार पुस्तिका १३३१–३२

रोयापुरम —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपाई का काम ७६५–६६

ल

लंका सुन्दरम्, डा०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

बैंक पंचाट ८२५

लकड़ी —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इमारती — पर भाड़े की दरें ९६६–६७

चन्दन की — का निर्यात १३५४

लक्कद्वीप —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

——से वाष्प नौका सेवा ७२८–२९

लक्ष्मीबाई रानी —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—— का महल १७२–७९

लखनऊ —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था — ६०८–०९

खरबूजा ७६२–६३

चमड़ा उतारना ५६२–६३

विस्थापित स्त्रियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण १३०२–०३

लखनऊ, सरोजनी नगर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना २८०

लखपत तालुक —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लिगनाइट (लगुजांगार) २९१

लखीमपुर खेरी —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पीलीभीत बस्ती योजना ६३३–३५

लद्दाख —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तिब्बत और——के मध्य व्यापार १३५१

लन्दन —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय चल-चित्र समारोह ४५२–५४

लल्लागुडा, सिकन्दराबाद —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे स्कूल, लल्लागुडा १२१७–१८

लाख —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लाख ८६४–६५

लागत लेखा आगणन प्रणाली —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लागत लेखा आगणन प्रणाली ४०७–०८

लाटरी —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लाटरी ४३४

लाभ —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मार्ग परिवहन निगम ७७४–७५

लाहौर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पाकिस्तान को सिख यात्री ४४७–४६

लाहोल (पंजाब)

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—— में डाकघर १४२५–२६

लिंगम, श्री एन० एम० —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

उत्तुंग शिखर गवेषणा ६०२

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७१७

डाक-घर ७१५

भारतीय नौसेना का बेड़ा १००६

भूमि संरक्षण बोर्ड ६४

विद्युत परियोजनायें ६५८

अणु गवेषणा ४२–४४

पैट्रोल संयंत्र ६००–०१

बिना अनुज्ञप्ति रेडियो का प्रयोग १२२

भारत कार्यालय पुस्तकालय ६६८–१०००

भारतीय चाय नीलाम समिति २७२

समाचार चित्र ५७

सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ८८२–८४

लिगनाइट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
——(लगुजांगार) २१९
——का खनन २७८–७९, ६४२
——के निक्षेप १०४४

लुधियाना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सिलाई की मशीनों के पुर्जे ३—५

लेखा परीक्षण विभाग —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ११८१

लोंडा–मार्गगोवा रेल सम्पर्क —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लोंडा-मार्गगोवा रेल सम्पर्क १३७०–७१

लोक निर्माण विभाग, आसाम —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ट्रैक्टरों की महंगी खरीद ७१०

लोक लेखा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भाण्डार स्थान ३८८—९०
स्टाक की जांच पड़ताल ५८९–९०

लोक साहित्य समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लोक साहित्य समिति १२७१–७२

लोसर (पंजाब)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्पीती में डाकघर १४२६–२७

लोहा और इस्पात मंत्रालय —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लोहा और इस्पात मंत्रालय ४९८

लोहा कच्चा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कच्चा लोहा ८४६–४७

लोहे की सलाख—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लोहे की सलाखें ४८–४९

लोहा तथा इस्पात—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अकुलष इस्पात ६३४
इस्पात ५३, २४९–५०, ८६०–६१, १०८९–९०
इस्पात का प्रतिधारण मूल्य ८९१–९२
इस्पात का मूल्य ४९—५०
इस्पात मूल्य ८७१–७३
इस्पात संयंत्र ५५–५६, २६३–६४
जस्ती लोहे की चादरें ७०२–०३
लोह अयस्क सर्वेक्षण १५६–५७
लोहा ८७८–७९
लोहे की सलाखें ४८–४९
सीमेंट, —— आवंटन १३९०–९१

व

वंशधरा परियोजना —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वंशधरा परियोजना ४८४

वजीराबाद —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा शिविर ९९५—९७

वन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गैर-सरकारी—— ११—११२

वनमहोत्सव ६८—७१, १०४५—४६

वन आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वन-आयोग ५१८—२०

वन विद्या—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वन विद्या ११४६—४७

वन विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय भूसंरक्षण बोर्ड १३८१—८२

वन्य पशु—

देखिये "पशु (ओं)"

वर्कशाप पुनरीक्षण समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वर्कशाप पुनरीक्षण समिति ७६२

वर्गमीम मन्दिर —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वर्गमीम मन्दिर १२८३—८४

वर्दी (दियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कर्मचारियों की—— १८७—८८

——के लिये खादी ५८७—८९

वर्धा, मध्य प्रदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्रामोद्योग गवेषणा केन्द्र २४२—४४

वर्षा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नदी-गवेषणा केन्द्र १०—१२

वर्षा और बादल भौतिक गवेषणा विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ८३०

वस्तु भाड़ा —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—— पर अधिभार ७४३—४६

वस्त्र उद्योग—

देखिये "उद्योग"

वाऊचर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का खाया जाना ६३१–३२

वाड़ी बन्दर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माल-डिब्बों की कमी ९८३–८४

वायु डाक सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्काईमास्टर विमान ११६

वायु दुर्घटना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय विमान निगम के विमान की दुर्घटना ५५५–५६

भारतीय विमान बल दुर्घटनायें २२४

वायु मार्ग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वायु मार्ग ११९३

वायु सेना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खोये हुये कागज ३८३–८५

भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें १८४–८५

भारतीय विमान बल के दया के मिशन १०४६

भारतीय विमान बल दुर्घटनायें २२४

रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र ८०८–०९

वायु सेना (जारी)—

के सम्बन्ध में प्रश्न— (जारी)

वायुबल अकादमियां ४०८–०९

वायु सेवा (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बम्बई-दिल्ली—— १४१०–११

वायु सेवायें ७७५–७६

विमान सेवायें ३५४–५५

संचार का विकास ३३८–४१

वायुयान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ११५२–५३

डकोटा विमान ११७६

नये विमान १४९–५०

ब्रिटिश जेट लड़ाकू विमान ११०९–१०

मिस्टियर लड़ाकू विमान ८२८–२९

वायु मार्ग ११९३

विमान उड्डयन का प्रशिक्षण ३३५–३६

विमान द्वारा निर्यात ११२०–२१

विमानों का बाध्य हो कर उतरना ३१४–१५

स्काईमास्टर विमान ११६

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, लिमिटेड ६१६–१७

'हीरोन' विमाम ३२०–२२

वायु-यान क्षेत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सवेया विमान क्षेत्र १७१–७२

वायुयान चालक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
असैनिक उड्डयन का प्रशिक्षण ५८३–८४
उड्डयन क्लब १४२८–२९
फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब ११९९–१२००

वायुयान समवाय (यों)—
"देखिये समवाय (यों)"

वाष्प नौका सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लक्कद्वीप से —— ७२८–२९

वाष्प पोत "सर टी० वाहनी"—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वाष्प पोत "सर टी० वाहनी" १३९८–९९

विकास आयुक्त—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुटीर उद्योगों के लिये अग्रगामी परियोजनायें १०५३–५४

विकास ईंधन गवेषणा संस्था, धनबाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम १०४३

विकास बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दिल्ली के लिये—— ११३९–४०

विकास योजना (यें) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १०७०—७२
विकास परियोजनायें ९०९
सीमान्त क्षेत्रों का विकास ८९७—९९

विक्रय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सवेया विमान क्षेत्र १७१–७२

विक्रय कर —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तटीय नौवहन ३५५–५६

विजया नगरम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे लाइन ७७५

विजाग शिपयार्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नौवहन आयोग ७१२–१३

विज्ञान केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तरिक्ष— १२१०—१२

विज्ञापन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आकाशवाणी की पत्रिकायें २८९
विज्ञापन ६९७—९९

वित्त निगम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
वित्त निगम १०२३–२४

विदेश (शों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अणु गवेषणा ४२-४४

अन्नपूर्ण की शाखायें ७७७

चाय ४९५

चावल का निर्यात ९२३-२५

जहाज निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण २८२-८३

टिड्डियां २९३-९५

पंचशील ६७६-७९

प्रदर्शनियां ११२२-२३

प्रलेख चित्र ६२

बन्दरों का निर्यात ४३७-३९, ९१०

बैंकों की नई शाखायें ८३३

भारतीय चलचित्र (निर्यात) ४८

माल डिब्बे ७५४

राइफलें ६२५-२६

रेलवे इंजन तथा डिब्बे आदि ९४९-५१

------में शिष्ट मण्डल ८४४-४५

वृत्त चित्र १३२४-२५

सशस्त्र दलों के कर्मचारियों का------ में प्रशिक्षण ६३७

स्टोरों का क्रय ४६१-६२

हिन्दी में संधि तथा करार २८०-८१

विदेशी (शियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण ८८४-८६

विदेशी (शियों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली १४०

छोटे पैमाने के उद्योग ८५२-५४

पर्यटक परिवहन ११९६

बम्बई पत्तन ५२८-२९

रबड़ और चाय बागान ६९४

रबड़ उद्योग ६३५

------नागरिक ८४२-४३

विदेशी विशेषज्ञ ४५८

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड १११४-१५

विदेशी आस्तिया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भोपाल के नवाब ६०६

विदेशी नौवहन समवाय (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वस्तुभाड़े पर अधिभार ७४३- ४६

विदेशी पूंजी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रंग उद्योग ६०

सूती मिलें ४९३

विदेशी भाषा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

------छात्रवृत्ति २२१-२२

विदेशी विशेषज्ञ (जों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १०७२

बिजली के भारी उसामान का संयंत्र १०५४–५५

विदेशी विशेषज्ञ ४५८

सूखे क्षेत्र मंत्रणा समिति १०२६–२७.

विदेशी व्यापार——

देखिये "व्यापार"

देखिये "विशेषज्ञ (ज्ञों)

विदेशी शिष्ट मंडल——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

विदेशों से शिष्ट मण्डल ९१६

विदेशी समवाय——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

जहाज से भेजे गये माल का बीमा १२३३–३४

विदेशी समवाय ४३०–३१

विदेशी सहायता—

देखिये "सहायता"

विदेशी सार्थ (र्थों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

चाय बागान ४७–४८

चीनी के कारखाने ११३–१४

पट्ठा उद्योग ५९

बनावटी हीरे ६६८–६९

बहुरंगा चलचित्र संयंत्र ४३९–४०

रेडियो के पुर्जे ५०–५१

साबुन १३४८

विद्यार्थी (थियों)——

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अफ्रीकी——८४०

कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र १३५६–५७

कोलम्बो योजना १६१–६२

तिब्बती छात्र ४०९–१०

दरभंगा मैडिकल कालेज १४०२–०३

दिल्ली मार्ग परिवनह सेवा ११९८

नेपाली——के लिये स्थानों का रक्षण ८४६

प्रिंस आफ वेल्स सैनिक कालेज १२७७–७८

भारत में डाक्टरी शिक्षा के कालेज ९९०

भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां १११९–२०

मैडिकल कालेज १५०

यात्रा सम्बन्धी रियायतें ६१९–२०

राष्ट्रीय प्रात्रिलेख संग्रहालय १२७९

विस्थापित —— १२९३–९५

समुद्र पार के देशों में—— ७८७–८९

साहित्य गवेषणा छात्रवृत्तियां १७५ ७६

साहित्यिक कर्मशाला (सिटरेरी वर्क-शाप) २०८–०९

सैनिक स्कूल ४३०

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ७६०

हिन्दी छात्रवृत्तियां १६४–६६

विद्यालंकार, श्री ए० एन०—

के द्वारा प्रश्न—

इंजन डिब्बे आदि का संधारण १३७१–७२

बाढ़ नियंत्रण ११०८

राष्ट्रीय पात्रिलेख संग्रहालय १२७९

सेवा निवृत पदाधिकारियों की पुर्नानियुक्ति १०४९–५०

विद्यालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ६४९–५२

कालकाजी स्थित हाई स्कूल की इमारत ४९२

न जी स्कूलों का प्रबन्ध २१७–१८

बुनियादी स्कूल ८०१

वायुबल अकादमियां ४०८–०९

विद्युत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आन्ध्र को ऋण १०६८–७०

गांवों में बिजली लगाना २१–२३

ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाना १३००

तिलैया बांध ८५५–५६

दिल्ली बिजली का संभरण ६०–६१

दूसरी पंचवर्षीय योजना २७३

देहातों में विद्युतीकरण ६७१–७२ ६९५

नगर——संभरण ४५५–५६

रेलों में बिजली लगाना ७८–७९

राष्ट्रीय तापशक्ति विकास निगम १०४३

विद्युत—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

रेलवे आय ९२९–३१

बिजली लगाना १३५, १२२१

विद्युत परिपथ परियोजनायें ११५ ६५७–५९

——विकास योजनायें ११२२

होन्नमई परियोजना ८९५–९६

विद्युत का भारी सामान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिजली के भारी सामान का संयंत्र १०५४–५५

विधि आयोग —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विधि आयोग १८८–८९

विधि कार्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विधि कार्य ३४९–५०

विन्ध्य प्रदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामुदायिक रेडियो सेट १३४९–५०

हीरे की खानें २१६

वियतनाम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्द चीन में घटना १९७–२०३

विलिंगडन अस्पताल—

देखिये "चिकित्सालय"

विवाह अधिनियम १९५४— विशेष

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विशेष विवाह अधिनियम ४०४–०५

विशाखापटनम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आन्ध्र में छोटे पत्तन ११४७–४९

मत्स्य ग्रहण जलयान ७४७–४८

——में सूखी गोदी (डाक) १०७३

१०७३–७४

विशेषज्ञ (ज्ञों)

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तेल और गैस डिवीजन १२५०–५२

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला १८९–९०

रूस से सहायता १०८३–८४

विदेशी—— ४५८

सूखे की हालत ८४–८६

सूडान को सहायता १०७९

विशेषज्ञ समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तम्बाकू उत्पादन शुल्क ८०९–११

नदी घाटी योजनायें १–३

भारी जल संयंत्र ६८६–८८

लोह अयस्क सर्वेक्षण १५६–५७

विश्व बैंक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इस्पात १०८९–९०

टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय १३३०–३१

——फोटोग्राफर ७८५–८७

विश्व स्वास्थ्य संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्राम्य जल संभरण योजना ५०६–०८

विश्वविद्यालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इलाहाबाद—— १२३२–३३

उस्मानिया—— १२६६–६८

केन्द्रीय—— १०३८

पंजाब—— १३२८–२९

यात्रा सम्बन्धी रियायतें ६१९–२०

विस्थापितों के—— ३९६–९७

सैनिक कर्मचारियों को शिक्षा १२६९–७१

विस्तार तथा प्रशिक्षणनदेशालय—

देखिये "सरकारी कार्यालय"

विस्थापित व्यक्ति (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आसाम में——का पुनर्वास १०५१–५३

तपेदिक के अस्पताल १२०२

त्रिपुरा को—— का प्रव्रजन १३५३

त्रिपुरा में आदिम जातीय परिवार ११२७–२८

त्रिपुरा में—— ५५

दिल्ली में विस्थापितों की बस्तियां ६५९–६०

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक २५५–५७

विस्थापित व्यक्ति (यों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

प्रतिकर १११९–१२

मुस्लिम—का पुनर्वास ७०४

राजेन्द्र नगर में मकान ४५६–५७

विस्थापित विद्यार्थी १२९३—९५

——का पुनर्वास ४०—४२

——की सहकारी संस्थायें ९०६

——के लिये उद्योग १३५०–५१

—— को ऋण २११५–१६

—— को प्रतिकर २८८, ६९३, ८७६—७८

विस्थापित हरिजन ८९८

विस्थापित हरिजन व्यक्ति १४–१५

विस्थापितों के लिये मकान ४७३—७५, ८९२

विस्थापितों के विश्वविद्यालय—प्रमाण-पत्र ३९६–९७

विस्थापितों को बसाना ४९२

विस्थापितों को भरण-पोषण भत्ता ४९३-९४

शिल्प प्रदर्शनी ९०२

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, १९५४—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पुनर्वास मंत्रणा बोर्ड ८९०

विस्थापित स्त्रियों—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

——को व्यावसायिक प्रशिक्षण १३०२–०३

वीर स्वामी, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षण ६२३

भूमि पर खेती ७४३

रेल परिवहन ८८

लोह अयस्क सर्वेक्षण १५७

के द्वारा प्रश्न—

अन्नपूर्ण की शाखायें ७७७

कच्चा लोहा ८४६–४७

कोलार की सोने की खदानें १२६–२७

दूध वालों की बस्तियां ५३७–३९

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा १८५–८६

विशेष गाड़ियां ९८८–८९

वृक्ष (क्षों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वनमहोत्सव ६८—७१, १०४५–४६

वृत्त चित्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वृत्त चित्र १३२४–२५

वेंकटरामन, श्री एस० ए०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

श्री स० ए० वेंकटरामन २१६–१७

वेंकटेश्वर, श्री स्ट्रा-बोर्ड कारखाना —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८५४–५५

वेतन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र १२१०—१२

वेतन--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

ग्रामीण डाक घर ६७६-७७

तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०६७-११००

पांडीचेरी का प्रशासन १११८-१६

मनीपुर पुलिस १०४५

वेलायुधन, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७७

वैक्सीन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली ३६५

वैक्सीन ३६६--७१

वैज बैंक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वैज बैंक ११४

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ७६६-६७

वैज्ञानिकन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उद्योगों का----- २७०

वैदूर्य अयस्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-----की खानें ६१५-१६

वैदेशिक सेवा (एं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वैदेशिक सेवाएं ६६६--७१

वैद्य (द्यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आयुर्वेदिक प्रणाली के----- ३६२

वेधशाला (यें)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तरिक्ष शास्त्रीय----- १२०५--०६

वेधशालायें १२००

वैष्णव, श्री एच० जी०--

के द्वारा प्रश्न--

औद्योगिक वित्त निगम १२६०

बम्बई-दिल्ली वायु-चर्या १४१०-११

राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना १३५७-५८

रेलगाड़ियों में जगह १४३६

हैदराबाद में युवक शिविर १२६१-६२

वोडयार, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

होन्नमर्दू परियोजना ८६५-६६

व्यय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अंदमान द्वीप समूह ८३५

अखिल भारतीय ग्राम प्रदर्शनी ६६२

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

अनुसूचित आदिम जातियां ३९५–९६, ४३१, १०२८–२९

अन्न उत्पादन ७३४–३५

आगरा में काम दिलाऊ दफ्तर १२१६–१७

आवास योजनायें २९०

इन्दौर दोहद रेलवे ११८–१९

इबोनायड ब्लाक ६९२

इस्पात समकारी निधि २८९

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ६४९—५२

औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८—९०

करारोपण सम्बन्धी गवेषणा १०२७–२८

कर्मचारियों की वर्दियां १८७–८८

कोडला पत्तन ११५

कुटीर उद्योग के लिये अग्रगामी परियोजनायें १०५३–५४

कुम्भलगढ़ किला १२८२–८३

कुरनूल तथा अदोनी रेलवे स्टेशन १०८–०९

कुरनूल मुख्य डाक-घर ५०८

के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई ३४१–४२

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०१४—१६

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली ९७४–७५

केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, जम्मू ३५३–५४

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ४३०

कोटा हाउस ८५८–५९

कोयले की खानें १९८–९९

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

क्षय रोग ७५८

खादी १०६५–६६

खादी वाणिज्य-कक्ष (एम्पोरिया) १७–१८

गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग (होम इकानोमिक्स डिपार्टमेंट) ७९—८१

गोदाम ५४९

ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना १३४५–४६

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर ३७५–७६

ग्रामोद्योग गवेषणा केन्द्र २४२—४४

चंडीगढ़ रेडियो स्टेशन ८५१–५२

चर्चगेट रेलवे स्टेशन ३०५–०६

चावल की खेती का जापानी ढंग ५५१–५२

चीन को भेजा गया सांस्कृतिक मण्डल १६२—६४

जहाज निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण २८२–८३

ज्ञान गंगा (इन्साईक्लोपीडिया) ४११–१३

टिड्डियां २९३—९५

डाक व तार विभाग के भवन ९७८

तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९७—११००

तेल और गैस डिवीजन १२५०—५२

दूसरा डी० डी० टी० कारखाना ६५४

देहातों में विद्युतीकरण ६७१–७२

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६०, १०७०—७२, १०८७—८६

नल-कूप १३३

नाभिकीय रीएक्टर ११०८—०६

नारियल जटा बोर्ड १०८०

नीलोखेड़ी उपनगर २६१—६२

नोट आदि का कागज बनाने का कारखाना ७८३-८४

नौसेना के अस्पताल १००२—०३

पहली पंचवर्षीय योजना २७४—७५

पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३२—३५

प्रलेख चित्र तथा समाचार फिल्में ६१३—१४

प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र १२६

प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र २६—३१

प्रौढ़ अंध-प्रशिक्षण—केन्द्र ५६८—६६

फायर सर्विस कालेज १०१२

बम्बई पत्तन ५२८—२६

बांडुंग सम्मेलन १२६५—६७

बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ३१०—११

बी० सी० जी० आन्दोलन ३६१—६२

बीमा समवाय ४१८—२०

बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षण ६२२—२४

भंडारागार ५१६—१८

भाखड़ा नंगल परियोजना ५७

भाखड़ा परियोजनाओं में राजस्थान का अंश ४६०—६१

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां ६३—६४

भेड़ पालन ११८३

महा नदी परियोजना ४८३—८४

मिलान नगर में नमूनों का मेला ४७१—७२

यात्री सम्बन्धी रियायतें ६१६—२०

यात्री सुविधायें ७४८—४६

युवक शिविर ४३२

राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना १३५७—५८

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय २१८

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना १५६—६१

रेलवे आय १२१५

रेलों में बिजली लगाना ७८—७६

लोक साहित्य समिति १२७१—७२

लोहा और इस्पात मंत्रालय ४६८

वन विद्या ११४६—४७

वन महोत्सव ६८—७१

वन्य पशु ५२४—२५

विज्ञापन ६६७—६६

विद्युत चालित रेल के सवारी डिब्बे ७५०

विद्युत परियोजनायें ६५७—५६

विशाखपटनम में सूखी गोदी (डाक) १०७३—७४

विस्तार तथा परिशिक्षण निदेशालय ७६०

शिमला का आकाशवाणी केन्द्र ४८७—८६

सहकारी संस्थायें ७२०—२१

व्यय — (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

सामुदायिक परियोजनायें २८५, २८७—८८
सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २६१—६३
सीमा निर्धारण १३५३
सैनिक कर्मचारियों को शिक्षा १२६९—७१
सैनिक गाड़ियां ११८९
सैनिक फार्म १९०
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ७६०
हिन्दी छात्रवृत्तियां १६४—६६
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड १३४०—४१
हैदराबाद में युवक शिविर १२९१—९२
होटल तथा होस्टल १३१८—१९
होन्नमर्दू परियोजना ८९५—९६

व्यापार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तिब्बत और लद्दाख के मध्य——— १३५१
पूर्वी अफ्रीका के साथ ——— १११२
भारतीय नौवहन टनभार ९७०—७१
मध्य पूर्व के देशों के साथ——— ११०१
विदेशी——— २३३—३४
———प्रबन्ध तथा औद्योगिक प्रशासन ८२०—२१

व्यापार प्रतिनिधि मंडल —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मध्य पूर्व को——— ११००—०१

व्यापारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जापान में——— ४४४—४५
तस्कर व्यापार ८३३—३४

व्यायामशाला (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खेल के अखाड़े तथा——— २०७

श

शर्मा, श्री डी० सी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

तम्बाकू उत्पादन शुल्क ८११
हिन्द चीन में घटनायें २०१

के द्वारा प्रश्न

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ७८०
अधिक अन्न उपजाओ योजना ११९७
अवैध आप्रवासी ४९१
असैनिक पदाधिकारी ६२४—२५
आकाशवाणी ९०९
आयु वार्धक्य प्राप्त अधिकारी ९०८
आयुर्वेद मंत्रणा समिति ९२२—२३
आयुर्वेदिक प्रणाली के वैद्य ३६२
आयुर्वेदिक संस्था ७६६—६७
इंजिन डिब्बे आदि ९५९—६०
इंजन तथा डिब्बे ५४१—४३
इण्डिया स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत भण्डार विभाग), लन्दन २८३—८४
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ६४९—५२
उत्तर रेलवे में भरती ३६२—६३
उर्वरक १३८४—८५
कर्मचारियों की वर्दियां १८७—८८
कांगड़ा जिले में डाक घर ७६७—६८

शर्मा, श्री डी० सी०— (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

कांगड़ा डाक घर १४१७

काफी के बागान के मजदूर ७६८

काम दिलाऊ दफ्तर १३७–३८

कुटीर उद्योग ४९६—९८

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी ५९

केन्दीय सचिवालय कर्मचारिवृन्द ४२८

क्षयरोग के मरीज़ ३६२

गेहूं ७६९

गोदाम ५४९

ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना १३४५–४६

चंदीगढ़ रेडियो स्टेशन ८५१–५२

चाय का निर्यात २८५

चावल का आयात १३६६–६७

चावल की खेती का जापानी ढंग ३६३

चोरी-छिपे लाया गया सोना ६४०–४१

छोटे उद्योग २८४

छोटे पैमाने के उद्योग ४४१–४२

जहाज़ निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण २८२–८३

डाक तथा तार के फार्म ५६०–६१

तस्कर व्यापार ८३३–३४

तार की सुविधायें ७६९

नज़रबन्द १०४४

नदी-गवेषणा केन्द्र १०—१२

नाव का सहायता कार्यक्रम १२५–२६

नीलोखेड़ी उपनगर २९१–९२

पंजाब में कृषि कालिज ७३९—४१

पंजाब में डाकघर १४२८

पर्यटक परिवहन ११९६

पश्चिमी कमान प्रधान कार्यालय ६१०—१२

पुनर्वास मंत्रणा बोर्ड ८९०

पेनिसिलीन २८४

फसल बीमा योजना १४१७–१८

बी० सी० जी० आन्दोलन ३६१–६२

भाखड़ा-नंगल परियोजना ९१३

भारत-जापान विमान संचालन समझौता ३००–०१

भारत-पाक कार्यसंचालन समितियां ४९६—९८

भारत-पाकिस्तान यात्रा ८३४–३५

भारतीय नौवहन टनभार ९७०–७१

भारी जल सयंत्र ६८६—८८

भूतपूर्व फौजी ८१३–१४

मेंगनीज़ की खानें ४३५

यूनेस्को ७८१–८२

रंग उद्योग ९०

रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र ८०८–०९

रहने के लिये स्थान ९१७–१८

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण प्रोग्राम ५६७–६८

राष्ट्रीय योजना ऋण २२४

रेलवे इंजन ७६७

रेलवे कर्मचारियों के क्वाटर ९६९–७०, ११९७

रेलवे कर्मचारी ५६६

रेलवे के टिकटों को पुनः बेचना—७०९

रेलवे मिस्त्रीखानों में चोरियां ९८२–८३

रेलों में बिजली लगाना ७८–७९

वर्दियों के लिए खादी ५८७–८९

वायु सेवायें ७७५—७६

विदेशी नागरिक ८४२—४३

विभाजन ऋण १५७—५९

शर्मा श्री डी० सी०—— (जारी)

के द्वारा प्रश्न——(जारी)

बिस्थापित विद्यार्थी १२६३—६५

बिस्थापित व्यक्तियों की सहकारी संस्थायें ६०६

वृत्त चित्र १३२४–२५

श्रीलंका नागरिकता अधिनियम २३५

श्रीलंका में भारतीय २३५——३६

श्री लंका में भारतीय आप्रवासी मजदूर ४६१–६२

सशस्त्र दलों के कर्मचारियों का विदेशों में प्रशिक्षण ६३७

सामुदायिक विकास कार्यक्रम ५१

सीमेन्ट, लोहा तथा इस्पात आवंटन १३६०–६१

सेवा नियोजन सर्वेक्षण २७६-८०

सोवियत रूस का तेल ४३६

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ७६०

हवा और पानी से कटाव ६६८–६६

हवाई अड्डे ३५३

हिन्द-चीन ११०६–०७

हिन्दी शब्द २१५

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड १३१६–१७

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड १११४–१५

होशियारपुर ज़िला डाकघर १४१६

शस्त्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न——

— का तस्कर ब्यापार ४०२

शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न——

— किरकी १०२१–२२

शहद—

के सम्बन्ध में प्रश्न——

शहद ११६३–६४

शान्ति निकेतन—

के सम्बन्ध में प्रश्न——

लोक साहित्य समिति १२७१–७२

शास्त्री, श्री अलगू राय—

के द्वारा प्रश्न——

उत्तर प्रदेश में बाढ़ ५४५——४६

शास्त्री, श्री बी० डी०—

के द्वारा प्रश्न——

असैनिक उड्डयन का प्रशिक्षण ५८३-८४

कलकत्ता पत्तन ५५४

पट्रोल संयंत्र ६००–०१

शाह, श्रीमती कमलेदुमति—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न——

छोटे पैमाने के उद्योग ८५८

टेलेक्स सेवा ११४१

तेल और गैस डिवीजन १२५१

पटसन की बनी हुई वस्तुयें ४५०

पर्यटक केन्द्र, उत्तर प्रदेश ११६६

प्रादेशिक गवेषणा संस्थायें ५०४

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन १३६४

सहकारी दूध संघ ६३६

सीमान्त क्षेत्रों का विकास ८६८

शिकारपुर (पंजाब)—

के सम्बन्ध में प्रश्न——

यूरेनियन ७००–०१

शिक्षा—

के सम्बन्ध में प्रश्न——

अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह १०२४–२५

शिक्षा— (जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
अन्धों की — ७९९-८०१
बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षण ६२२—२४
बुनियादी — सम्बन्धी स्थाई समिति ६२९
भारत में भूतपूर्व फ़्रांसीसी बस्तियां ६३-६४
भारत स्थित भूतपूर्व फ़्रांसीसी बस्तियां ४८५-८६
महिला — १०३९
—सम्बन्धी अर्हतायें १७४-७५
काव्य-दृष्य — १०४२
संस्कृत — १०१०—१२
सैनिक कर्मचारियों को—१२६९-७१
स्नातकोत्तर चिकित्सा — ७६०

शिक्षा, बुनियादी —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बुनियादी — ८२९-३०
— की निर्धारण समिति ८१५

शिक्षा मंत्रालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आन्ध्र में पुस्तकालय १२५४-५५
वाऊचरों का खोया जाना ६३१-३२

शिक्षा मंत्री की स्वविवेकाश्रित निधि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— मंत्री को स्वविवेकाश्रित निधि ८४५

शिक्षा, माध्यमिक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मुख्याध्यापकों की गोष्टी ८१७-१८

शिक्षा विशारदों का विशेषज्ञ दल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शिक्षा विशारदों का विशेषज्ञ दल ६०९-१०

शिक्षा शिल्पि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
अखिल भारतीय—परिषद ८०२-०३
शिल्प शिक्षकों का प्रशिक्षण २१६

शिक्षा संयुक्त आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत में भूतपूर्व फ़्रांसीसी बस्तियां ६८९

शिक्षा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उस्मानिया विश्वविद्यालय १२६६-६८

शिक्षित व्यक्ति (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शिक्षितों की बेकारी १७६-८

शिमला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास ९१२
पश्चिमी कमान प्रधान कार्यालय ६२०—१२
पहाड़ भत्ता ५६९
रेल का " ५६९-७०
— का आकाशवाणी केन्द्र ४८७-८९

शिल्प प्रदर्शनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शिल्प प्रदर्शनी ९०२

शिव राव समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शिव राव समिति १०९—११

शिवनंजप्पा, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अखिल भारतीय शिल्प शिक्षा परिषद् ८०३

राइफल प्रशिक्षण ३९३

शविर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा— ९९५—९७

सहायक सेना छात्र दल १२८४

शिष्टमण्डल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीन को गया हुआ इंजीनियरों का — १३२३

विदेशों में — ८४४—४५

विदेशों से — ९१६

शीरा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शीरा १११७

शुल्क, विलम्ब—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक व तार विभाग की बिना दावों की वस्तुयें ३४२—४४

विलम्ब शुल्क ५७१—७२

शेर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शेर १४६

शोरनपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ियों का देर से चलना ५७२—७३

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ११७७—७८

श्रम-बल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंदमान द्वीप समूह ८३५

श्रम मंत्री (त्रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का सम्मेलन १३६१—६५

श्रम सम्बन्ध समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

श्रम सम्बन्ध समिति ३५७—५८

श्रमिक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उड़ीसा की नमक फैक्ट्रियां २६४—६६

औद्योगिक प्रबन्ध में — का भाग ७५६

काफी के बागान के मजदूर ७६८

काम के घंटे ३७२—७३

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन १४३२

कोयले का विनियंत्रण ४९५

कोलार की सोने की खदान १२६—२७

कोसी परियोजना २७—२९

ग्रामीण आवास तथा कृषि योजना १३४५—४६

नाहन फाउन्ड्री लिमिटेड १३२१—२३

पांडिचेरी ८७६—७५

पांडिचेरी में कपड़े की मिलें ९११

भूमिहीन — ९६७

रेल दुर्घटना ११९०—९१

वस्तुभाड़े पर अधिभार ७४३—४६

श्रमिक (कों) -- (जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
श्रीलंका में भारतीय आप्रवासी मजदूर ४६१-६२
सूती मिलें ४६३

श्रव्य-दृष्य शिक्षा--
देखिये "शिक्षा"

श्रीनगर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
इंजीनियरों की गोष्टी १०७४--७६
निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन १००३-०४

श्रीलंका--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अवैध आप्रवासी ४६१
चाय २६०-६१
नौघाट सेवा १४११
पाक जल डमरू मध्य १३२
रेशम १०५८-६०
लंका में भारतीय १११७
विदेशी व्यापार २३३-३४
-- में भारतीय २३५--३६, २६६--६८, ६६१-६२, १११७
-- में भारतीय आप्रवासी मज़दूर ४६१-६२

श्रीलंका नागरिकता अधिनियम--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
श्रीलंका नागरिकता अधिनियम २३५
श्रीलंका में भारतीय २३५--३६

स

संकल्प (ल्पों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस ७५६

संगण्णा, श्री--
के द्वारा प्रश्न--
"अमृत तारा सन्तान" २२२
उड़ीसा की नमक फैक्टरियां २६४--६६
उड़ीसा को ऋण २०७
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०१४-१६
केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक ११६-२०
"गांधी महापुराण" १८१-८२
परिवहन मंत्रणा परिषद् ५५६--६०
मचकुण्ड परियोजना ५५४
महानदी परियोजना ४८३-८४
रायगढ़ रेलवे बस्ती ३३०-३१
रूरकेला इस्पात संयंत्र ३६
रेलवे स्कूल ७७७--७८
वंशधरा परियोजना ४८४

संगीत, चलचित्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
---- का प्रसारण ६८१-८३

संगीत नाटक अकादमी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
संगीत नाटक अकादमी ८३६

संग्रहालय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
संग्रहालय ६००-०१
सिंचाई और जल विद्युत परियोजनायें १३०१-०२

संघ लोक सेवा आयोग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ३६०-६१

संघ लोक सेवा आयोग— (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

संघ लोक सेवा आयोग ६१३–१४

संयुक्त सेवा पार्श्व परीक्षा २२३

संचार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

——का विकास ३३८—४१

संथाल परगना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मिशनरी संस्थायें ६३३–३४

संधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी में—— तथा करार २८०–८१

संभरण तथा उत्सर्जन निदेशालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दामोदर घाटी निगम १३५५

संयंत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इमारती लकड़ी सुधारने का—— ६६१–६२

इस्पात —— ५५–५६

बहुरंगा चलचित्र—— ४३९–४०

बिजली के भारी सामान का—— १०५४–५५

बिजली के सामान का भारी— २७९

भारी जल—— ६८६–८८

रूरकेला इस्पात संयत्र—— ३९

विक्षार भस्म (सोडा ऐश)—— ११०४

——और मशीनरी ७–८

देखिये "मशीनरी" भी

संयंत्र और मशीनरी समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संयंत्र और मशीनरी समिति ५०

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दाइयां ३५९

युनिसेफ— १२८

संयुक्त राष्ट्र टैकनीकल सहायता बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रूसी सहायता ५९५—९७

संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीमा प्रदेशीय घटना १२—१४

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र १९१–९३

संयुक्त राष्ट्र संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली स्थित——के प्रतिनिधि ४८५

संयुक्त राष्ट्र संघ का निःशस्त्रीकरण आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संयुक्त राष्ट्र संघ का निःशस्त्रीकरण आयोग १११२–१३

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

——में एशिया के लोग १११०–११

संयुक्त सेवा पार्श्व परीक्षा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
संयुक्त सेवा पार्श्व परीक्षा २२३

संविदाओं के वैज्ञानिकन सम्बन्धी समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
संविदाओं के वैज्ञानिकन सम्बन्धी समिति ८९९

संसद् विधान सभा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
साधारण निर्वाचन ४०१–०२

संसद् सदस्य (स्यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
——के लिये चिकित्सा सुविधायें ११५–१६

संस्कृत—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—शिक्षा १०१०–१२

सक्सेना, श्री एस० एल०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९७—११००
स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास १०३१
के द्वारा प्रश्न—
गैर-सरकारी रेलवे १४०९
रेलवे पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत ९८०
समवायों द्वारा प्रबन्धित रेलवे १४१३

सड़क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अगरतला-सियना —— १२१९–२०
आसाम की—— ३२९–३०
इम्फाल तेमिंगलोंग—— ३५३
बद्रीनाथ जाने वाली——३८३
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों——निर्माण ४८९
रेलवे की ओर जाने वाली——१३०–३१
——की लम्बाई १३४५

सड़क कूटने के इंजिन—
देखिये "इंजन (नों)"

सत्यमंगलम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चामराजानगर—— रेलवे लाइन ११५६–५८

सत्यवादी, डा०—
के द्वारा प्रश्न—
अनुसूचित जातियां २११
अम्बाला छावनी ४२४
अम्बाला छावनी बोर्ड ४२१–२२
आकाशवाणी १११९
आकाशवाणी के कलाकार १३५०
काम दिलाऊ दफ्तर १३९
केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली ९७४–७५, ९७६, १२००—०२
केन्द्रीय सचिवालय सेवा ४२५–२६
गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग (होम कानोमिक्स डिपार्टमेंट) ७९–८१
ग्रामीण उद्योग ८९८–९९

सत्यवादी डा० (जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था ६५२—५४
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ६८८
चमड़ा उतारना ५६२—६३
छात्र वृत्तियां २१४
छावनी बोर्ड ८११—१३
छोटे पैमाने के उद्योग ८५७—५८
टेलीफोन तथा तारघर १३८—३९
तपेदिक के अस्पताल १२०२
तालाब का बै. जाना ४२४—२५
दाइयां ३५९
दिल्ली पुलिस ४२८—२९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६०
पहली पंचवर्षीय योजना २७४—७५
बाल पक्षाघात ५५०
बाल पक्षाघात (पोलयो) गवेषणा केन्द्र, बम्बई ५६८
बिना टिकट यात्रा ३४४—४५
बेकारी बीमा ३५२
राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें २३९—४१
राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय २१०—११
विज्ञापन ६९७—९९
शिमला का आकाशवाणी केन्द्र ४८७—८९
संगीत नाटक अकादमी ८३६
सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां ७८९—९०
सामुदायिक परियोजनायें २८५
सामुदायिक रेडियो सेट १३४९—५०
सीमाप्रदेशीय घटना १२—१४
स्थानीय विकास कार्यक्रम ५९

सत्याग्रही (हियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गोवा के—— ९०६—०७

सबायु—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तालाब का बैठ जाना ४२४—२५

सबेया (बिहार)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सबेया विमान क्षेत्र १७१—७२

समझौता (ते)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार ११०१—०२
चलचित्र संगीत का प्रसारण ६८१—८३
नहरी जल विवाद २७१
निवृत्ति वेतन १७६—७८
निष्क्राम्य सम्पत्ति करार ८१५—१७
पांडिचेरी ८७३—७५
बनावटी हीरे ६६८—६९
बहुरंगा चलचित्र संयत्र ४३९—४०
भारत जापान विमान संचालन — ३००—०१
भारत-ब्रिटेन व्यापार करार २७५
रेडियो के पुर्जे ५०—५१
विदेशों से संविदायें ३५१—५२
श्रीलंका में भारतीय २६६—६८

समवाय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नौवहन—— १३९७—९८
पट्टा उद्योग ५९
विदेशी—— ४३०—३१
विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण ९९—१०२

समवाय (यों)--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
विमान---- ११५३-५४
विमान सेवायें ३५४-५५

समस्तीपुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
तारघर १४०

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलों का देरी से चलना १२१८

समाचार चित्र--
देखिये "चलचित्र (त्रों)"

समाचार पत्र (त्रों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
पत्र-पत्रिकायें १२८६
पत्रकार १३०४--०६

समाज कल्याण केन्द्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
समाज कल्याण केन्द्र ८२८

समिति (यां)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण ---- १३८५--८७
कोयला धोने के कारखानों सम्बन्धी ---- २६६-७०
पशुमरी नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्रीय ---- ५५६
बुनियादी शिक्षा की निर्धारण---- ८१५
भारतीय चाय नीलाम--२७२
रेलवे वर्कशापों में सुरक्षा प्रथम ---- ५१५-१६

सम्बलपुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
----बालनगीर-तितिलागढ़ रेल लाइन ५६३-६४

सम्मेलन (नों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अखिल भारतीय मलनाड---- १०६१--६३
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम---- १४१३-१४
अन्तर्राष्ट्रीय---- ६९९-७००
कुटीर उद्योगों के लिये अग्रगामी परियोजनायें १०५३-५४
निर्वाचिक पदाधिकारियों का---- १००३-०४
बुनियादी शिक्षा ८२९-३०
बृहद् बांध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय---- ४५४
भारत पाकिस्तान रेल यातायात १३७२--७४
भूतपूर्व आजाद हिन्द सेना के सैनिक ८२६
मुख्य अध्यापकों की गोष्ठी १०३७
राष्ट्रीय कृषक ---- १११
श्रम मंत्रियों का---- १३६१--६५
सहकारिता---- ७१८-१९

सम्पत्ति (यां)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कैंटन (चीन) में भारतीय २६८
जापान में भारतीय व्यापारी ४४४-४५
--का प्राप्त करना ९८१--८२

सम्पत्ति शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सम्पत्ति शुल्क १०१७–१८

सम्पदा शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सम्पदा शुल्क ४३४–३५, ८४१–४२, ८४४

सरकारी कर्मचारी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंदमान १०३६–३७

अतिरेक भण्डार ६०९–१०

असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी ६३६

आयु वार्धक्य प्राप्त अधिकारी ६०८

आवास स्थान १३३४–३५

आशु लिपिक १०४७–४८

कर्मचारियों की वर्दियां १८७–८८

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०१४—१६, १०३५–३६

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली ९७४–७५

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था १२२१

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी ५९

केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारिवृन्द ४२८

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था ६५२—५४

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास ९१२

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ६८८

तृतीय श्रेणी के क्लर्क १०९७—११००

सरकारी कर्मचारी (रियों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न— (जारी)

नियुक्ति बोर्ड, मनीपुर ६२७–२८

पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयुक्त का कार्यालय १३५१–५२

भूतपूर्व फ्रांसीसी भारत के सरकारी कर्मचारी ७०१–०२

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग १२२९—३२

रहने के लिये स्थान ९१७–१८

राष्ट्रीय नमूना परिमाप संगठन का कर्मचारिवर्ग ४२९–३०

राष्ट्रीय प्रात्रिलेख संग्रहालय १२७९

लोहा और इस्पात मंत्रालय ४९८

वर्दियों के लिये खादी ६८७–८९

विस्तार तथा प्रशिक्षण निदेशालय १४८

वैदेशिक सेवायें ६६९—७१

— के लिये पहाड़ भत्ता १२३

सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड २६१–६३

हिन्दी प्रबोध परीक्षा ६२५

सरकारी कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी ६३६

केन्द्रीय आंगुलियक चिन्ह कार्यालय (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) ४१३–१४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०१४—१६, १०३५–३६

केन्द्रीय शिक्षा कार्यालय २०३–०४

सरकारी कार्यालय —(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

कोयला आयुक्त का विभाग ११२३

दामोदर घाटी निगम १३५५

पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयुक्त का कार्यालय १३५१–५२

भारत कार्यालय पुस्तकालय ६६७–६८, ६६८—१०००

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग १२२६–३२

विस्तार तथा प्रशिक्षण निदेशालय १४८, ७६०

स्टोरों का क्रय ४६१–६२

सरकारी पदाधिकारी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अतिरेक भण्डार ६०६–१०

असैनिक उड्डयन का प्रशिक्षण ५८३–८४

असैनिक पदाधिकारी ६२४–२५

आई० ए० एस०। आई० पी० एस० ४२३–२४

आय-कर पदाधिकारी ४०२–०३

इण्डिया स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत भण्डार विभाग), लन्दन २८३–८४

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन १०६६—६८

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था १२२१

नियंत्रक महालेखा परीक्षक ८०१–०२

निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन १००३–०४

निवास स्थान १३५४–५५, १३५६

नेफा (उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण) ११२५

पुनर्नियोजन १०१८–१६

भारतीय नौवहन ६५५–५६

सरकारी पदाधिकारी (रियों) —

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

यूनेस्को ७८१–८२

राष्ट्रीय नमूना परिमाप संगठन का कर्मचारी-वर्ग ४२६–३०

वैदेशिक सेवायें ६६६—७१

शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी १०२१–२२

सेवा निवृत्त पदाधिकारियों की पुनर्नियुक्ति १०४६–५०

सोवियत रूस का दौरा ४३६

स्टाक की जांच पड़ताल ५८६—६१

हिन्दी प्रबोध परीक्षा ६२५

सरकारी प्रतिनिधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय ओलिम्पिक संस्था १०२०–२१

सर्वेक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय भूमि — ५१०—१२

आसाम में नदी — १३१२—१४

कैंटिकीय — ७६८–६६

कोयले की खानें १६८–६६

गारो पहाड़ियां ७६१–६२

चिल्का झील १०४१

तेल १७२—७४

बम्बई-मंगलौर रेलवे लाइन ६४०–४१

भारत का प्राणिकीय — ४३२

भारतीय प्राणकीय — १२७६–८०

भूकम्प किरणवक्रता — ८४५–४६

भूतत्त्वीय — ८३५–३६

सर्वेक्षण—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

मशीनी औजार २३१–३२
मेंगनीज की खानें ३९३
राष्ट्रीय नमूना — ३८५–८६, ४३३–३४, १२६८–६९
रेलवे –११६७–६८
लिगनाइट (लगुजांगार) २१९
लोह अयस्क — १५६–५७
वस्त्र उद्योग ११०३
सेवा नियोजन — २७९–८०
हैजा ७१३––१५

सशस्त्र सेना चलचित्र—

देखिये "चलचित्र"

सहकारिता सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहकारिता सम्मेलन ७१८–१९

सहकारी दूध संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहकारी दूध संघ ९३५–३६

सहकारी बैंक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहकारी संस्थायें ७२०–२१

सहकारी संस्था (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहकारी संस्थायें ७२०–२१, १४१०

सहकारी समिति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी संस्थायें ९०६
सहकारिता सम्मेलन ७१८–१९
सहकारी संस्थायें ७२०–२१

सहगल, सरदार ए० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां ३९६
दक्षिण-पूर्वी रेलवे विभाग १३७६, १३७७
पाकिस्तान को सिख यात्री ४४८
पौष्टिक भोजन ६१५
प्रौढ़ अंध-प्रशिक्षण-केन्द्र ५९९
बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र ७०८
भंडारागार ५१७
शिव राव समिति ११०
श्रीलंका में भारतीय २३८

सहरसा रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहरसा रेलवे स्टेशन १४३०–३१

सहायक सेना छात्र दल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहायक सेना छात्र दल १२८४

सहायता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर ९९५–९६
अमरीकी— १५४—५६, १६९—७१
आयुर्वेदिक संस्थायें ७६६–६७
आवास स्थान १३३४––३६
आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १०५१—५३
उड्डयन क्लब १४२८–२९
उत्तर प्रदेश में बाढ़ ५४५—४९
उत्पीड़ित व्यक्तियों की — १२८१

सहायता--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

औद्योगिक वित्त निगम ४३३, १२६०

कुटीर उद्योग ४६६--६८

कुटीर तथा दस्तकारी उद्योग २६१

कुष्ट ७४-७५

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ४३६

कैटिकीय सर्वेक्षण ७६८-६६

कोलम्बो योजना ५६६-६००

खादी वाणिज्यस्थान ६१६-१७

खाद्य तथा जल का अभाव ११२

गंदी बस्तियों की समाप्ति (मद्रास) ४८४-८५

गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल) ६७-६८

ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाना १३००

ग्रामोद्योग ५४

चावल ५२७-२८

चिकित्सक छात्रसेना उड़ान दल १२४१—४४

छोटे पैमाने के उद्योग २७७, ४४१-४२, ६६४-६५, ८५३-५४, ८५७-५८

छोटे पैमाने के उद्योग निगम ४७५—७७

जूट मिल ८७५-७६

तूतीकोरिन पत्तन ११८७

त्रिपुरा को विस्थापित व्यक्तियों का प्रव्रजन १३५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८६३-६४

नैपाल को — ६६३-६४

पंजाब में कृषि कालिज ७३६—४१

पांडिचेरी ८७३—७५

सहायता— (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

पीलीभीत बस्ती योजना ६३३--३५

प्रसूती तथा शिशु कल्याण योजनायें ६६३

प्राकृतिक संकट में — ४०३-०४

बद्रीनाथ जाने वाली सड़क ५८३

बाढ़ नियंत्रण योजनायें २४५—४७

बिहार में बाढ़ १४०३—०८

बुनियादी स्कूल ८०१

भूमि संरक्षण बोर्ड ६३--६६

मीन-क्षेत्र के लिये आर्थिक — १३६०-६१

युनीसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि) १२८

राजनैतिक पीड़ित १२३७—३६

रूस से — १०८३-८४

रूसी — ५६५—६७

रेशम १०५८—६०

विकास परियोजनायें ६०६

विदेशी—१०४६-४७

समाज कल्याण केन्द्र ८२८

सहकारी दूध संघ ६३५-३६

— प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २७६

सिंचाई की छोटी योजनायें ३७८

सिक्किम १२६७-६८

सूडान को — १०७६

हथकरघा उद्योग २७२-७३

हथकरघा उद्योग १३३६-४०

हथकरघा कपड़ा विपणन समिति ८४६-५०

सांख्यकीय गुण नियंत्रण पाठ्यक्रम--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सांख्यकीय गुण नियंत्रण पाठ्यक्रम ४२७

सांड (डों)—
के सम्बध में प्रश्न—
नस्ल वृद्धि के लिये — ५७३–७४
नस्ली — १२२७–२८

सांस्कृतिक छात्रवृत्ति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां ७८९–९०

सांस्कृतिक शिष्टमण्डल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चीन को भेजा गया सांस्कृतिक मंडल १६२—६४

सागर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— जिले में पुल ९५१–५२

सातवर्षीय योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सिक्किम १२९७–९८

साबुन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
साबुन १३४८

सामन्त, श्री एस० सी०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अनुसूचित आदिम जातियां ३९६
आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास १०५३
कलकत्ता पत्तन ११६९
खनिजतेल ७९३
जम्मू तथा काश्मीर में ऐतिहासिक स्मारक १९४
तिलैया बांध ८५६
पटेल भाषण ४८१
प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र ३०
बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षण ६२३

सामान्त, श्री एस० सी०—(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)
भारत कार्यालय पुस्तकालय ९९९
भारत-पाकिस्तान रेल यातायात १३७३
मंडी की नमक की खानें २२८
मीन-क्षेत्र के लिये आर्थिक सहायता १५६१
मुख्याध्यापकों की गोष्टी ८१७
राइफल प्रशिक्षण ३९३
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण १२६९
सीमेंट १०५७

के द्वारा प्रश्न—
अकलुष इस्पात ६३४
अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र १२१०—१२
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ५३–५४
इबोनायड ब्लाक ६९२
कपड़े की मिलें ९१०–११
कलाई कुंडा हवाई अड्डा ८२२–२३
गावों में बिजली लगाना २१—२३
ग्राम्य जल संभरण योजना ५०६—०८
चिकित्सक छात्र सेना उड़ान दल १२४१—४४
छोटे पैमाने के उद्योग निगम ४७५—७७
जनता कालिज १६६–६७
डाक तथा तार विभाग की इमारतें १४२२–२३
तामलुक में खुदाई १००९–१०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १३२०–२१
नारियल जटा बोर्ड १०८०
पश्चिमी बंगाल में खुदाई ३९२—९९
पाकिस्तान को सिख यात्री ४४७—४९

सामन्त, श्री एस० सी० (जारी)—
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
बटन दबा कर टिकट प्राप्त करने की मशीन १३६५–६६
बीमा समवाय ४१८—२०
भूमि संरक्षण बोर्ड ६३—६६
भोजन व्यवस्था १२१०
माल डिब्बे ११३७—३९
मेचदा संयुक्त डाक तथा तारघर १४५–४६
युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मिले हुये जर्मन यन्त्र ८६९—७१
युरोपीय पटसन निर्माता संघ ६६५–६६
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ४१५–१६
रेलवे आय ६२६—३१
रेशम १०५८—६०
वर्गमीम मन्दिर १२८३–८४
वाऊचरों का खोया जाना ६३१–३२
विद्युत विकास योजनायें ११२२
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ७६६–६७
शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी १०२१–२२
सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं १३०१–०२
सूखे क्षेत्र मंत्रणा समिति १०२६–२७
सूर्यग्रहण ५६३
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड ४१६–१७
हैज़ा ७१३—१५

सामुदायिक परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राज्यीय गोष्ठियां ५—७

सामुदायिक परियोजना —(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
कुटीर उद्योगों के लिये अग्रगामी परियोजनायें १०५३–५४
पहली पंचवर्षीय योजना २७४–७५
राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें २३९—४१
सड़कों की लम्बाई १३४५
सामुदायिक परियोजनायें २८५, २८७–८८
— का विकास १००४—०६
— और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ८८२—८४
— तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड २६१—६३
सामुदायिक विकास कार्यक्रम ५१
सामुदायिक विकास परियोजनायें ४६

सामुदायिक पारितोषक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फसल प्रतियोगिता योजना ३४६

सारनाथ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पर्यटक यातायात १२८

सार्थ (थों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मालडिब्बे ११३७—३९

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उड़ीसा में डाक सम्बन्धी सुविधायें ३७९–८०
बिहार में — ३१०–११
सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ३५१, १४२९–३०

साल्क पोलियो वैक्सीन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
साल्क पोलियो वैक्सीन ४९९—५०१

साहा, श्री मेघनाद—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अणु-गवेषणा ४३
अमलाबाद कोयला खान ९९
टिटानियम (रंजातु) २५९
तेल १७३—७४
नदी-गवेषणा केन्द्र ११
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक २५६, २५७

साहित्य—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में तावंग मठ १११८

साहित्य-गवेषणा छात्रवृत्तियां—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
साहित्य-गवेषणा छात्रवृत्तियां १७५-७६

साहित्यिक कर्मशाला (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— (लिटरेरी वर्कशाप) २०८—०९

साहीवाल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— के ढोर २९६—९८

साहू, श्री भागवत—
के द्वारा प्रश्न—
दक्षिण-पूर्वी रेलवे विभाग १३७५—७७

सिंगरेनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे साइडिंग १३१—३२

सिंगापुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आज़ाद हिन्द फौज की अस्तियां ४५९—६१

सिंचाई—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तुंगभद्रा परियोजना २४७—४८
भाखड़ा नंगल परियोजना ३६०
— की छोटी योजनायें ३७८

सिंचाई और जल विद्युत परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सिंचाई और जल विद्युत परियोजनायें १३०१—०२

सिंधिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत-बर्मा स्टीमर सेवा ७७३—७४

सिंह, ठाकुर युगल किशोर—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
कोसी परियोजना २८—२९
के द्वारा प्रश्न—
अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस, ७५९
आयात नीति ८९७—९८
इम्पीरियल बैंक के हिस्से १०४२
औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग ७५६
कांडला पत्तन ११५
खली ११८५—८६
चीनी मिट्टी के दांत ११०५
नेपाली विद्यार्थियों के लिये स्थानों का रक्षण ८४६
भारत का राज्य बैंक १०४०
रासायनिक उर्वरक १०९०—९१
रेलवे यातायात ९६४
शहद ११६३—६४

सिंह, डा० एस० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन ११५३

सिंह, श्री आर० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
कृषि-फार्म ६२१

सिंह, श्री जी० एस०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन ११५३
भारतीय नौ-सैना का बेड़ा १००६
विध्वंसक जहाजों की दुर्घटना १२३६

सिंह, श्री झूलन—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
चीनी का भाव २९६
के द्वारा प्रश्न—
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३५५
कोटा हाउस ८५८–५९
कोलम्बो योजना ५९९–६००
गन्ने का मूल्य ११८२
गुड़ ३४९
गुड़ और खांडसारी ११३३–३४, १२०२–०३
घी का आयात १२७
चिकित्सा की देशी प्रणाली ५०९–१०
टेलीफोन कनेक्शन ५७१
दिल्ली परिवहन सेवा १२०२
नौवहन भाड़ा ८३७
बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ३१०–११
ब्रिटिश इस्पात मिशन २७३–७४
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् दुग्ध संभरण योजना ११९२

सिंह, श्री झूलन—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
भेषजिक (औषधि) जांच समिति १३२९-३०
यात्री जलयान ९७७
राइफल प्रशिक्षण ३९०–९१
विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण ९९—१०२
विलम्ब शुल्क ५७१–७२
सबेया विमान-क्षेत्र १७१–७२
सीमेंट १०५५—५७
सेवा नियोजन सर्वेक्षण २७९–८०

सिंह, श्री टी० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
गेहूं का मूल्य ९२
छोटे पैमाने के उद्योग ४४२
छोटे पैमाने के उद्योग निगम ४७६, ४७७
तेल १७३
प्रशिक्षण संस्थायें ४६९
विभाजन ऋण १५९
विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण १०२

सिंहासन सिंह, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
श्रीलंका में भारतीय २३७
के द्वारा प्रश्न—
धान कूटने सम्बन्धी समिति ३३३–३५
वाच एण्ड वार्ड विभाग ११५५–५६
सम्पत्ति का प्राप्त करना ९८१–८२
हथकरघा उद्योग २७२–७३

सिकन्दराबाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
डाक विभाग के कर्मचारी १४२७–२८
शटल रेलवे सेवा ९४५–४६

सिक्किम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें १२०५—०९
चिकित्सक छात्रसेना उड़ान दल १२४२–४४
सिक्किम १२९७–९८

सिख यात्री (त्रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पाकिस्तान को — ४४७—४९

सिगरेट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सिगरेट १३४७–४८

सिन्दरी
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छोटे पैमाने के उद्योग ६६४–६५

सिन्दरी कृषिसार कारखाना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सिंदरी उर्वरक ११९८
सिन्दरी उर्वरक कारखाना ४९२–९३
सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटिड १११४

सिन्हा, श्री ए० पी०—
के द्वारा प्रश्न—
बिहार में बाढ़ १४०३—०८

सिन्हा श्री के० पी०—
के द्वारा प्रश्न—
उष्मरोधक ईंट फैक्टरी ९०२
केन्द्रीय कृषि कालिज ११३
कोयला ८९२–९३
कोरबा कोयला क्षेत्र १३३९
चावल ३७३
चावल का निर्यात ९२३—२५
चावल की खेती का जापानी ढंग ५५१–५२, ७७२
चीनी का स्टाक ५७३–७४
तेल के कुंये १०३६
दामोदर घाटी निगम ५८
नस्ल वृद्धि के लिये सांड ५७३–७४
निवृत्ति वेतन १७६—७८
पिछड़े वर्ग आयोग १९५–९६
प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र १२९
बर्मा का चावल ३१९–२०
बिजली लगाना १३५
ब्रिटिश इस्पात मिशन २७३–७४
भोपाल में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना ७४६–४७
वनस्पति दूध १२७६–७७
विक्षार भस्म (सोडा ऐश) संयंत्र ११०४
विदेशी विशेषज्ञ ४५८
शीरा १११७
सहकारी संस्थायें ७२०–२१
सी० टी० ओ० प्रशिक्षण योजना १३३–३४

सिन्हा, श्री जी० पी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस १३६६
ट्रैक्टर १४०२
बिहार में सूखे की स्थिति १३८३
भूमि पर खेती ७४३

के द्वारा प्रश्न—

ट्रैक्टर १२१३–१४
श्री वी० के० कृष्ण मेनन का चीन, इंगलिस्तान और अमरीका का दौरा ११०५–०६

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद—

के द्वारा प्रश्न—

बिहार में सूखे की स्थिति १३८२—८४

सिलाई की मशीन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के पुर्जे ३—५

सिलामपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली उपनगरीय रेलगाडी सेवा ३५६

सीमा निर्धारण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीमा निर्धारण १३५३

सीमा शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तटीय नौवहन ३५५–५६

सीमान्त दुर्घटना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीमा प्रदेशीय घटना १२—१४

सीमान्त दुर्घटना —(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—जारी

सीमान्त घटनायें ६५–६६
सीमान्त दुर्घटनायें ४६

सीमान्त पुलिस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीमान्त पुलिस ६६३–६४

सीमेंट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अमरीकी सहायता १५४—५६
नन्दीकोंडा में — का कार ाना १३१०—१२
सीमेंट १०५५—५७
— के कारखाने ११११३
—, लोहा तथा इस्पात आवंटन १३६०–६१

सीसा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीसा ३६४–६५

सीसा निक्षेप—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सीसा निक्षेप ५६७–६८

सुरक्षा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दुर्घटना समितियां १०६—०८

सुरडिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे दुर्घटना १४३–४४

सुरेश चन्द्र, डा०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आज़ाद हिन्द फौज की अस्ति ४६१

सुरेशचन्द्र, डा०—(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७१७, १३९५
कोरिया युद्ध के बंदी ८६५
"गांधी महापुराण" १८२
चांदी परिष्करणों परियोजना १२४७
पर्यटन उद्योग ७२७
यूनेस्को ७८२
संघ लोक सेवा आयोग ६१३
समुद्र पार के देशों में विद्यार्थी ७८८–८९

सूखी गोदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विशाखपटनम में—(डाक) १०७३–७४

सूखे क्षेत्र मंत्रणा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सूखे क्षेत्र मंत्रणा समिति १०२६–२७

सूडान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— को सहायता १०७९

सूत —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— कातने के और सावयव मिल ८५९–६०

सूर्यग्रहण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सूर्यग्रहण ५६३

सेन, श्रीमती सुषमा—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
नर्सों का प्रशिक्षण ११४३
विस्थापितों के लिये मकान ४७४
होमियोपैथी १०६

सेना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तरपूर्वी सीमा अभिकरण ८८४–८६
रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र ८०८–०९
हिन्दी शब्द २१५

सेना पदाधिकारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सेना पदाधिकारी १९६–९७

सेवा नियोजन सर्वेक्षण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सेवा नियोजन सर्वेक्षण २७९–८०

सेवा योजनालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
१२१६–१७
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ५३४–३५
काम दिलाऊ दफ्तर १३७–३८, १३९, ५२५—२७, ५६५, १४३५
काम दिलाऊ दफ्तर, खड़गपुर १२१८–१९
काम दिलाऊ दफ्तर, हावड़ा १२२०
रोजगार पुस्तिका १३३१–३२
शिव राव समिति १०९—११

सैगोन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हिन्द चीन में घटनायें १९७—२०६

सैनिक (कों) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पत्र-पत्रिकाएं १२८६
वन महोत्सव १०४५–४६
सशस्त्र बलों के कर्मचारियों का विदेशों में प्रशिक्षण ६३७
सैनिक इंजीनियरी सेवा के सैनिक पदाधिकारी १०४१
सैनिक कर्मचारी को शिक्षा १२६६—७१

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— के पदाधिकारी १०४१

सैनिक गाड़ी (ड़ियां) —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सैनिक गाड़ियां ११८६

सैनिक प्रशिक्षण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनिवार्य — २०६–१०

सैनिक फार्म—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सैनिक फार्म १६०

सैनिक शिविर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अतिरिक्त — ६३८–३६

सैनिक सेवा चुनाव बोर्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
संयुक्त सेवा पार्श्व परीक्षा २२३

सैनिक स्कूल (लों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सैनिक स्कूल ४३०

सोडा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सोडा १३३३–३४

सोडा ऐश संयंत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विक्षार भस्म (सोडा ऐश) संयंत्र ११०४

सोदेपुर कांच कारखाना, लिमिटेड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सोदेपुर कांच कारखाना लिमिटेड ८८६—८८

सोधिया, श्री के० सी०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
असैनिक स्कूल अध्यापकों को छंटनी ८०७
पौण्ड पावना १२५६
भोपाल में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना ७४७
सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ८८३

के द्वारा प्रश्न—
इस्पात समकारी निधि २८६
एक्सप्रेस रेल १२२०

सोधिया, श्री के० सी०—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
एयर लाइन्स क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण ११६४–६५
खनिज निक्षेप १०५०
ग्यान्त्सी दुर्घटना ११२३–२४
ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर ३७५–७६
चीनी ९८७–८८
तेल और गैस डिवीजन १२५०—५२
नमक ९०३
पशु-चिकित्सा अन्वेषण संस्थाएं ११६–१७
पांडिचेरी ८७३—७५
पांडिचेरी में कपड़े की मिलें ९११
फ्रांसीसी सिक्के ६९०, ७०३–०४
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
विदेशों में भारतीय मिशन ३५–३६
विशाखपटनम में सूखी गोदी (डाक) १०७३–७४
सागर जिले में पुल ९५१–५२
सीमा निर्धारण १३५३
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ४८२–८३, १३४०–४१
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड १३४४

सोन नदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— पर पुल ११७५

सोना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चोरी-छिपे लाया गया — ६४०–४१
—का चोरी छिपे लाना ले जाना २१०

सोमानी, श्री जी० डी०—
के द्वारा अनुपूरक में प्रश्न—
पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३४

सौराष्ट्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कपड़ा उद्योग ६८९–९०
बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र ७०७–०९
रेल गाड़ियों की गति ३८०
विक्षार भस्म (सोडा ऐश) संयंत्र ११०४
सीमेंट १०५५—५७

स्काईमास्टर विमान—
देखिये "वायुयान (नों)"

स्केन्डिनेविया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नौवहन ७२१-२२

स्टेट बैंक आफ इंडिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बैंकों का एकीकरण १२४४–४५
भारत का राज्य बैंक १०४०
भारत का राज्य बैंक अधिनियम ६१८–१९

स्टेण्डर्ड वैकूअम आयल कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूतत्वीय परिमाप १२४९–५०

स्ट्रेप्टो हाइड्रेजिड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
क्षय नाशक औषधि ९७२–७३

स्थानीय विकास कार्य—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्थानीय विकास कार्य १३०७–१०
स्थानीय विकास कार्यक्रम

स्थानीय स्वायत शासन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्थानीय स्वायतशासन १३०

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ७६०

स्पीती (पंजाब)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्पीती में डाकघर १४२६–२७

स्पेन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विदेशों में भारतीय मिशन ३५–३६

स्मारक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ऐतिहासिक — ६१७–१८
जम्मू तथा काश्मीर में ऐतिहासिक — १९३—९५

स्यालदा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उपनगरीय रेलवे सेवा ९३९

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास १०५०
स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास २०६, १०३०—३२, १२८५

स्वयंचालित तुला —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्वयंचालित तुला ५५५

स्वयंसेवक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सेना छात्र निकाय ४४५—४७

स्वर्ण परिचायक यंत्र
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तस्कर व्यापार ४१०–११

स्वामी, श्री शिवमूर्ति–
के द्वारा प्रश्न—
कराधान जांच आयोग प्रतिवेदन ११७३–७४
कानपुर की हड़ताल १४५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १०३५–३६
ग्रामीण डाक घर ९७६–७७
डाक तथा तार घर ९७६
तुंगभद्रा परियोजना २४७–४८
राज्य पुनर्गठन आयोग २०८
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय २१८
सीमान्त दुर्घटनायें ४६
हथकरघा १११६–१७
हथकरघे ११०२

स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
सीमेंट १०५७

स्वास्थ्य कैंटीन (नें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्वास्थ्य कैंटीन १२२५

स्वास्थ्य योजनायें—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्वास्थ्य योजनायें ११८९–९०

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ११७९

स्लीपर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्लीपर ११०२–०३

स्वोडन —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण ७५—७८

ह

हंगरी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औद्योगिक प्रदर्शनी ८८८—९०

हड़ताल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कपड़ा उद्योग में — १४२–४३
कानपुर की — १४५
नाहन फाउन्ड्री लिमिटेड १३२१—२३
हड़ताल १२१३

हत्या (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नेफा (उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण) १०८४-८५

हथकरघा (घों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हथकरघे ११०२

हथकरघा उद्योग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हथकरघा उद्योग ६२–६३, २७२—७३, १३३९–४०
हाथ-करघा कपड़ा विपणन समिति ८४९—५१
हथकरघे के उत्पाद ६१

हथकरघा उपकर निधि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हथकरघा उद्योग ६२- ६३

हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी संस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी संस्था ७०१

हरिजन (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना २८५–८६
तपेदिक के अस्पताल १२०२
दिल्ली पुलिस ४२८
भर्ती १२२१–२२
राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें २३९—४१
विस्थापित — व्यक्ति १४–१५

हरिद्वार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बद्रीनाथ जाने वाली सड़क ५८३

हवाई अड्डा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलाई कुंडा — ८२२–२३
गोचर ६६७
पालम — ३५०–५१
बद्रीनाथ धाम — ८३–८४
हवाई अड्डे ३५३

हस्तशिल्प—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हस्तशिल्प ८६३

हांगू—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर ८७६—७८

स्लीपर—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

सीसा निक्षेप ५६७–६८

हानि—

देखिये "क्षति"

हावड़ा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काम दिलाऊ दफ्तर — १२२०

हावड़ा-खड़गपुर रेलवे खंड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिजली लगाना १२२१

हासदा, श्री सुबोध—

के द्वारा प्रश्न—

अनुसूचित आदिम जातियां ३६५–६६, ६६२–६३

हासदा, श्री सुबोध—(क्रमशः)

के द्वारा प्रश्न— (क्रमशः)

कलाई कुंडा हवाई अड्डा ८२२–२३
काम दिलाऊ दफ्तर, खड़गपुर १२१८–१६
काम दिलाऊ दफ्तर, हावड़ा १२२०
ोदी श्रमिक संघ, कलकत्ता पत्तन ६६४
तारघर (बीनपुर) ६६१–६२
द्वितीय पंच वर्षीय योजना १०७२
पश्चिमी बंगाल में भूमिगत जल ६२७
पेप्सू में इस्पात संयंत्र १०६२
प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र २६—३१
बिजली लगाना १२२१
रेलवे दुर्घटना २४३–४४
रेलवे शिल्पिक कर्मचारी ७५२
लिगनाइट (लगूजांगार) २१६
साहित्य-गवेषणा छात्रवृत्तियां १७५–७६

हिंगोली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खंडवा— रेल सम्पर्क ५५०–५१

हिन्द कुष्ठ निवारक संघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुष्ट ७४–७५

हिन्ट पटेल लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दामोदर घाटी निगम ६०३–०४

हिन्द-चीन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्द-चीन ११०६–०७
— में घटनायें १६७—२०३

हिन्दी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक तथा तार के फार्म ५६०–६१

हिन्दी— जारी

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

न्यायालय की भाषा १०४८–४९

वायुबल अकादमियां ४०८–०९

वैदेशिक सेवायें ६६९—७१

हिन्दी ८०३–०५

हिन्दी की पुस्तकों, नक्शों तथा रेखाचित्रों की प्रदर्शनी ६२६

— छात्रवृत्तियां १६४—६६

-- पाठ्य पुस्तक (रीडर) ३८६—८८

— प्रबोध परीक्षा ६२५

—म संघि तथा करार २८०–८१

—सम्बन्धी प्रादेशिक समितियां ४२४

हिन्दी एन्साईक्लोपीडिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी एन्साईक्लोपीडिया ४०५—०७

हिन्दी पाठ्यपुस्तक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— (रीडर) ३८६—८८

हिन्दी शब्दावली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी शब्द २१५

हिन्दी शब्दावली १२७२—७४

हिन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक समितियां—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक समितियां ४२४

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ४१६-१७, ६१६–१७

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड १३१६–१७

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ४८२–८३, १११४–१५, १३४०–४१

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड १३४४

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विस्थापितों के लिये मकान ४७३–-७५

हिमाचल प्रदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें १२०५–०९

काम दिलाऊ दफ्तर १३९

कुटीर उद्योग ४९६—९८

ग्रामीण उद्योग ८९८–९९

छोटे पमाने के उद्योग ८५७–५८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६०

सामुदायिक रेडियो सैट १३४९–५०

हिमालय के पहाड़ी प्रदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें १२०५—०९

हिमालय पर्वत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कैंटिकीय सर्वेक्षण ७९८--९९

हिम्मतनगर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे सर्वेक्षण ११६७-६८

हीरा (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बनावटी—६६८–६९
— की खानें २१६

हीराकुड परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विद्युत परियोजनायें ६५७
हीराकुड बांध परियोजना २८१–८२

होरोन विमान—
देखिये "वायुयान (नों)"

हुकम सिंह, सरदार—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
इस्पात २५०
चावल का आयात १३९७
ओवोलफिया सर्पेंटाइना २२६
सिलाई की मशीनों के पुर्जे ४–५

हेजमरी प्रतिवेदन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अण्डमान द्वीप समूह ४२२–२३

हेडा, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न —
अमरीकी सहायता १५५
उर्वरक १३७९
खादी १०६६
गांवों में बिजली लगाना ३२
चावल का निर्यात ९२४–२५
चीनी उत्पादन ३०९
निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन १००४

हेडा, श्री— (जारी)
के द्वारा अनु० प्रश्न —(जारी)
पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन १०३४
भारत कार्यालय पुस्तकालय १०००
यात्री यातायात की गणना ७२
विभाजन ऋण १५८
विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण १०२
विमान समवाय ११५४
सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड २६२
हाथ–करघा कपड़ा विपणन समिति ८५१
हैदराबाद को ऋण १०१७
के द्वारा प्रश्न—
अखिल भारतीय मलनाड सम्मेलन १०६१–६३
कृषि सम्बन्धी गवेषणा १४२४–२५
गोदी कर्मचारी जांच समिति ३५६–५७
टेलेक्स सेवा ११४०—४२
तिब्बत और लद्दाख के मध्य व्यापार १३५१
पूंजी विनियोजन २२०
भारतीय भाषाओं में तार १४२४
लोंडा–मार्गगोवा रेल सम्पर्क १३७०–७१
सहकारी दूध संघ ९३५–३६
सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ३५१
सोने के डिब्बे ३२५–२७
स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास १२८५

हमराज, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
ग्रामोद्योग २५२

हेमराज, श्री— (जारी)
के द्वारा अनु० प्रश्न —(जारी)
मंडी की नमक की खानें २२८
के द्वारा प्रश्न—
अन्धों की शिक्षा ७९९—८०१
कुटीर उद्योग ४९६—९८
कोयले की चोरी ७७६
तेल की खोज ६३५—३६
देहातों में विद्युतीकरण ६७१—७२
धर्मशाला को पर्यटक यातायात ७५९
निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन १००३—०४
पर्यटन उद्योग ७२६—२८
भूतत्वीय परिमाप १२४९—५०
भूमि अधिरक्षण ९७९—८०
भेड़ पालन ११८२
लाहोल में डाकघर १४२५—२६
वन विद्या ११४६—४७
विवरणिका ६३०
विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर ८७६—७८
सरकारी कर्मचारियों के लिये पहाड़ भत्ता १२३
सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड २६१—६३
स्पीती में डाकघर १४२६—२७
हैजा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हैजा ७१३—१५
हैदराबाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औद्योगिक वित्त निगम १२९०
करनूल तथा —में डाकघर ११७८
जनगणना ८३६
डाक तथा तार घर ९७६
नन्दीकोंडा परियोजना ९०४, १०७६—७७
हैदराबाद— (जारी)
के सम्बन्ध म प्रश्न—(जारी)
पाकिस्तानी राष्ट्रजन १२७७
मुख्याध्यापकों की गोष्ठी ८१७—१८
राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना १३५७—५८
शटल रेलवे सेवा ९४५—४६
— को ऋण १०१६—१७
— में नगरीय जल संभरण योजनायें १४२७
— में युवक शिविर १२९१—९२
— में संस्थायें ७७९
होटल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पर्यटक यातायात १२८—२९
— तथा होस्टल १३१८—१९
होन्नेमरादु परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
होन्नेमरादु परियोजना ४७८९५—९६
होपकिन एण्ड विलियस लिमिटेड, मैसर्ज—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
टिटानियम (रंजातु) २५७—५९
होम्योपैथी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
होमियोपैथी १०३—१०६
होशियारपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
छोटे पैमाने के उद्योग ४४१—४२
भारी जल संयंत्र ९८६—८८
— ज़िला डाकघर १४१९
होस्टल
के सम्बन्ध में प्रश्न
होटल तथा — १३१८—१९

लोक-सभा

शुक्रवार,
१९ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/4/83
Chamber Fumigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

Preservation Unit
Fumigated
On 11/1/83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर '१९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . .	१३४३–१३५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . .	१३५०–१३५१
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम	१३५१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१३५१
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव— असमाप्त . . .	१३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश	१४०९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१४१०
गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . .	१४१०–१४
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव— असमाप्त	१४१४–८९, १४८९–९२
सभा का कार्य	१४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन	१४९३–९७
राज्य-सभा से सन्देश	१४९७–९८, १५७७–७८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—	
बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४९८–१५०३
गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य	१५०३–१५०४
उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य .	१५०४–१५०७
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव— असमाप्त	१५०७–७६

स्तम्भ

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण . . . २१३९-४०

राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१

एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . . २१४१,४४—९४

खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३५—३९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९

मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०

खान नियम १९५५ . . . . २२४०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २२४०-४१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१

कशाघात उत्सादन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त . २२४४—२३३०

खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३

खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१

राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२, २४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२८

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . .

लोक-सभा

शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

कार्य मंत्रणा समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० आयंगार (तिरुपति) : मैं कार्य मंत्रणा समिति क तेईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियभ

याचिका का उपस्थापन

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चितूर): मैं जिला योजना तथा विकास समिति, चित्तुर के एक सदस्य, श्री सी० केशवैय्या नायडू द्वारा हस्ताक्षरित, भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम, १८७८ के संशोधन के सम्बन्ध में एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : ११ अप्रैल, १९५५ को सभा में पूछे गये

तारांकित प्रश्न संख्या २१५६ के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ने एक वक्तव्य दिया था, जिस का शोधन करना होगा । मैं ने कहा था कि चलचित्र विभाग द्वारा जिस भाषा में सब से अधिक चलचित्र तैयार किये गये थे, वह अंग्रेजी थी और उस के पश्चात् हिन्दी थी । ठीक स्थिति यह है कि सब से अधिक चलचित्र हिन्दी में तैयार किये गये हैं और उस के बाद अंग्रेजी का नम्बर आता है ।

समितियों के लिये निर्वाचन

रबड़ बोर्ड

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा ४ की उपधारा (३) के खण्ड (ङ) के अनुपालने में जैसा कि उसे १९५४ के अधिनियम संख्या ५४ द्वारा संशोधित किया गया है ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष महोदय निर्देश करें, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये, अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।"

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।)

काफ़ी बोर्ड

श्री कानूनगो : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य काफी बोर्ड १९४२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के खण्ड (१४) के अनुपालन में जैसा कि उसे १९५४ के अधिनियम ५० द्वारा संशोधित किया गया है ऐसे ढंग से, जैसा कि अध्यक्ष महोदय निदेश करें, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये, अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष महोदय : इन निर्वाचनों सम्बन्धी तिथियों की घोषणा संसदीय समाचार (बुलेटिन) में दे दी जायेगी । भविष्य में यही प्रणाली अपनाई जायेगी ।

समवाय विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय वित्त मंत्री वाद विवाद का उत्तर देंगे । यह विधेयक १-३० म० प० तक समाप्त हो जायेगा इस के पश्चात् प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा प्रारम्भ होगी ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं कल यह बता रहा था कि संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई योजना इन परिस्थितियों में सब से उपयुक्त थी । विधेयक पर खंडवार चर्चा होने के समय मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का ब्योरेवार उत्तर देने का अवसर मिलेगा ।

मध्य भारत के एक माननीय सदस्य ने एक विचित्र उपकल्पना प्रस्तुत की कि सरकार इन सभी शक्तियों को अपने हाथ में लेने की प्रस्थापना कर रही थी और वह भी अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये । इस का उत्तर एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा दिया जा चुका है और यह बताया जा चुका है कि यह प्रस्थापनायें सरकार की नहीं हैं अपितु संयुक्त समिति की हैं । इस टिप्पणी के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

जहां तक कुछ लोहा तथा स्टील समवायों को दिये गये ऋणों का सम्बन्ध है, उन का उल्लेखन करने का कारण सरकार की गति-विधियों के प्रति संशय उत्पन्न करना है और साथ ही यह दिखाना है कि सरकार का झुकाव बड़े पूंजीपतियों और बड़े उद्योगों की ओर है । इस विषय के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य मेरे सहयोगी वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा ३१ अगस्त, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या ३१३ के उत्तर के सम्बन्ध में बता दिये गये थे । उन्होंने बताया था सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दस करोड़ रुपये का ऋण देना क्यों स्वीकार किया था, जो कि १ जुलाई १९५८ या उस तिथि तक जो कि आपस में तय की जाये ब्याज से मुक्त होगा, ताकि समवाय अपना नवीनीकरण और विस्तार का कार्यक्रम पूरा कर सके, जिसका कुल अनुमानित व्यय लगभग ४३ करोड़ रुपये है । उन्होंने कहा है कि इरादा यह है कि संयंत्र के नवीनीकरण और विस्तार में सहायता देने के लिये निर्माण की अवधि में ब्याज न लिया जाय । उन्हों ने यह भी कहा है कि इन्हीं शर्तों पर इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को अपना विस्तार कार्य-क्रम आंशिक रूप से पूरा करने के लिये १० करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था । ये दोनों ऋण केवल जुलाई १९५८ तक ब्याज से मुक्त हैं । इस के बाद जो ब्याज लिया जायेगा, उस की दर का निर्णय सरकार प्रशुल्क आयोग के परामर्श से करेगी । फिर उन्हों ने बताया है कि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि और

अच्छी शर्तों पर इस के लिये ऋण देना देश के लिये कितना आवश्यक है क्योंकि लोहे और इस्पात के मूल्यों पर कड़ा नियंत्रण है और इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की तरह इतने संसाधन इकट्ठा करने का अवसर नहीं मिला जिस से कि वह विस्तार की बड़ी बड़ी योजनायें क्रियान्वित कर सके । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं कि वह यह सिद्ध करे कि इस्पात निर्माताओं के मामले में निजी पक्षपात से काम लिया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : क्या आप अन्य उद्योगों को इस प्रकार की सुविधायें दे रहे हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि परिस्थितियां एक जैसी हों तो सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी । ये बहुत विशेष मामले हैं और देश के लिए लोहे और इस्पात का जो महत्व है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

इसी सम्बन्ध में एक और माननीय सदस्य ने जो पूना के हैं, संधारण मूल्यों की ओर निर्देश किया है और कहा है कि उन की राय में यह पक्षपात है । संधारण मूल्य ऐसा है जिसे निर्माताओं के लिए उचित समझा जाता है और यह बाजार मूल्य नहीं है। बाजार मूल्य हमारे अपने उत्पादन के मूल्य और आयात इस्पात के मूल्यों को देख कर निश्चित किया जाता है और इस में एक अंश भी होता है जो कि आयात इस्पात के उपयोग के संबंध में उपभोक्ता के लिये साहाय्य होता है और इस प्रयोजन के लिये निर्माता एक ऐसा धारण मूल्य दिया जाता है जो कि बाजार मूल्य से कम होता है । अब होता यह है कि विभिन्न उत्पादकों के लिए एक ही धारण मूल्य काम नहीं देता । मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि एक ही समय पर दो निर्माताओं में से एक का धारण मूल्य दूसरे से अधिक था । फिर उस विशिष्ट कारखाने में, उत्पादन के बढ़ जाने से, उत्पादन मूल्य दूसरे से कम हो गया है । यह सब इस बात पर निर्भर है कि आप विभेदकारी धारण मूल्य निश्चित करते हैं या एक समान धारण मूल्य । पहले दोनों तरीके अपनाये गये हैं और अब यह निर्णय किया गया है कि एक समान धारण मूल्य निश्चित करने का तरीका अपनाया जाये । इस मामले में भी मतभेद हो सकता है किन्तु मेरा निवेदन है कि पूंजीपति के प्रति कोई पक्षपात न किया गया । माननीय सदस्य ने कहा है कि इस मामले में हमने दृढ़ता से काम लिया है । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उन्होंने आरोप लगाने में अदृढ़ता से काम लिया है ।

अगला महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम इस अवसर पर गैर-सरकारी क्षेत्र के गुणावगुण या लाभ या हानि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब माननीय सदस्यों ने समाज के समाजवादी ढांचे की ओर निर्देश किया है, तो उनके ध्यान में केवल गैर सरकारी क्षेत्र ही था । यह आर्थिक नीति का मामला है, जिस पर मेरे विचार में गत दिसम्बर में सदन में चर्चा हुई थी । इस अवसर पर प्रश्न यह है कि हम गैर सरकारी क्षेत्र को किस हद तक स्वीकार करना चाहते हैं और इस से अधिकतम लाभ उठाने के लिये हम समवाय विधि का कितना उपयोग कर सकते हैं । मेरे विचार में इस संकुचित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह संगत नहीं होगा कि हम इस बात की जांच करें कि इस विधेयक के प्रत्येक खंड में समाज का समाजवादी ढांचा स्थापित करने में हमारी इच्छा कहां तक पूरी की गई है। जहां तक यह मामला संगत है, मैं कह सकता हूं कि सरकार और संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया है । इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध हैं, जो प्रबन्ध अभिकर्ताओं को और प्रबन्ध के

[श्री सी० डी० देशमुख]

अन्य तरीकों के लिये दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। कुछ ऐसे प्रतिबन्ध भी हैं जिन का उद्देश्य यह है कि यदि आर्थिक शक्ति हानिकर रूप में संकेन्द्रित हो जाये, तो उसे रोका जाये इसी लिये मैं ने कहा था कि संयुक्त समिति द्वारा सुझाई गई योजना पर अंशधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये। मेरा अभिप्राय किन्हीं विशिष्ट अंशधारियों या वर्तमान अंशधारियों से नहीं है। मेरा अभिप्राय उन लोगों से है जो भविष्य में भी निजी उपक्रमों में अपना धन लगाने के लिये तैयार हैं। इस निश्चिय के वाद कि गैर सरकारी क्षेत्र होना चाहिये और इससे अधिकतम लाभ उठाना चाहिये, यह देखना हमारा कर्तव्य है कि निजी विनियोजकों को अपना रुपया संयुक्त स्कंध उपक्रमों में लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये। मेरे विचार में यह एक बहुत उचित और प्रशंसनीय उद्देश्य है। इस का अर्थ यह नहीं कि आर्थिक नीति के अन्य मामलों पर विचार नहीं हो सकता। अन्य अवसरों पर और अन्य स्थानों पर इन पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है।

लाभांश या लाभों को सीमित करने के प्रश्न को लीजिये। यह ऐसा मामला है जो कि राजकोषीय क्षेत्र में आता है। केवल बिजली आदि जैसे एकाधिपत्य के उपक्रम, जिन के मामले में स्वयं अधिनियम द्वारा कुछ अधिकतम सीमायें निर्धारित की गई हैं और उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने के लिये व्यवस्था की गई है, इस क्षेत्र में नहीं आते। किन्तु उद्योग के शेष क्षेत्र में लाभांश या लाभों के स्तर के विषय पर इस प्रकार के विधेयक में चर्चा नहीं की जा सकती। इन विषयों पर उचित समय पर चर्चा की जा सकती है। लाभांश परिसीमन, अतिरिक्त लाभ कर, पूंजीलाभ कर,—ये सब सुविदित साधन हैं और कोई भी सदस्य यह अनुरोध कर सकता है कि इन का उचित समय पर उपयोग किया जाय या उचित समय पर उपयोग न किया जाने के लिये सरकार की आलोचना कर सकता है।

एक और सामान्य बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि प्रबन्ध के विभिन्न तरीकों पर, निर्णय देने में माननीय सदस्यों को केवल ऐतिहासिक पहलू को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिये। यदि वे समझते हैं कि प्रवन्ध अभिकर्ताओं के कारण बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हुइ हैं, तो उन्हें यह भी सोचना चाहिये कि क्या प्रबन्ध अभिकर्ताओं के न होने से वहां बुराइयां पैदा न होतीं, मेरा अभिप्राय यह है कि कुछ ऐसी बुराइयां भी हैं जो कि इन्हीं परिस्थितियों में निदेशक बोर्ड या सचिव और कोषाध्यक्ष भी करते या जो अन्य प्रकार के प्रबन्ध के अधीन भी होतीं।

बहुत से सदस्यों ने समाज के समाजवादी ढांचे की ओर निर्देश करते हुए कहा है कि १९३६ से, जब कि विधि में व्यापक संशोधन किया गया था, १९५१ से जब कि इसमें अस्थायी रूप से संशोधन किया गया था और भाभा समिति की रिपोर्ट पर विचार के बाद और विधेयक के तैयार किये जाने के बाद, आर्थिक नीति के निर्धारण में और समाज का समाजवादी ढांचा बनाने का सिद्धान्त स्वीकार करने में देश में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। अब भारतीय अर्थ व्यवस्था का सब से प्रमुख पहलू योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, हम पहली पंच वर्षीय योजना लगभग समाप्त करने वाले हैं। और दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू करने वाले हैं। इसलिये यदि हम अपनी विधियों को वर्तमान घटनाओं की कसौटी पर रखना चाहें तो उस के लिये आवश्यक है कि दूसरी

पंचवर्षीय योजना के कारण सरकार पर जो आभार पड़ते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हम इस विधेयक के प्रस्थापित उपबन्धों पर विचार करें ।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि आगामी योजना की रूपरेखा में गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तगर्त भारी उद्योगों में नयी पूंजी लगाये जाने का उपबन्ध है । उन्हें यह भी ज्ञात होगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने गैरसरकारी क्षेत्र के परामर्श से योजना के विचारार्थ यह राशि बढ़ा दी है और अब यह ७५० करोड़ रूपये के लगभग हैं । अब हम यह चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र अपना कर्तव्य पूरा कर सकें । इसलिये हमारे लिए इसकी राह में कोई बाधा डालना उचित नहीं होगा । ऐसा करने से उस मंत्रालय का भार जो गैरसरकारी क्षेत्र से ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं, असहनीय रूप से अधिक हो जायगा ।

एक माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि हम ने सदन के सदस्यों को इतनी जानकारी नहीं दी, जिस से कि वे ठीक ठीक अनुमान लगा सकें कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को संशोधित रूप में जारी रखना किस हद तक उपयोगी हो सकता है । मेरे विचार में संयुक्त समिति को यह जानकारी दी गई थी । मुझे यह मालूम नहीं था कि इसे सदस्यों को परिचालित नहीं किया गया । इसलिये कल मैं ने उपलब्ध जानकारी का एक संक्षिप्त विवरण—जिस में योग आदि दिये हुए हैं—परिचालित किया है । मैं इन तथ्यों के बारे में फिर कहूंगा ।

किन्तु मेरा अभिप्राय यह है कि इन आंकड़ों से पता न चलेगा कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने समवाय शुरू करने और उन्हें वित्त देने में कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं किया । ऐसा कोई कारण नहीं जिससे कि हम उनकी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर उनकी सेवाओं से लाभ न उठायें । ये शर्तें मुख्यतः पारिश्रमिक के बारे में हैं । यदि हम संतुष्ट हों कि भविष्य में यह पारिश्रमिक अत्यधिक नहीं होगा, तो लोगों को इन अनुभवी लोगों की सेवाओं से और इस प्रकार की प्रबन्ध प्रणाली से वंचित क्यों किया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य समझते हैं कि निजी पूंजी रखना पाप है । मैं यह बताना चाहूंगा कि निजी उपक्रम से होने वाला लाभ किसी विशेष प्रकार के प्रबन्ध से नहीं होता । हम सब जानते हैं कि अमरीका या ब्रिटेन में कोई प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को जानता तक नहीं है । फिर भी अमरीका में ऐसे पूंजीपति हैं जिनके हाथ में कई उद्योग रहते हैं और पश्चिमी योरोप में मूल्य संघ (कार्टेल) हैं । जैसा कि मैंने कहा में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के फलस्वरूप नहीं बने हैं । इन्हें रोका जा सकता है । और इन देशों ने जहां तक आवश्यक समझा है, देश के समाजवादी ढांचे के अन्तगर्त समुचित उपायों से इन्हें रोका भी है । मेरा विचार है कि हमारे देश में भी बहुत से व्यापारी सचमुच यह चाहते हैं कि वे ऐसी प्रणाली के अधीन कार्य करें और बुद्धिमानी और राजनीति यही है कि हम उन्हें ऐसा करने में प्रोत्साहन दें ।

कम्पनियों के विकास सम्बन्धी तथ्यों को ही लीजिये । एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने कहा था कि हमने समवाय विधेयक का वही ढांचा रहने दिया है जो १८६७ से चला आता है वास्तव में मैंने ऐसा नहीं कहा था ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकौटे) : मैंने कहा था । ये शब्द आप ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहे हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री सी० डी० देशमख : यह बात ठीक नहीं है । मैंने तो यह कहा था कि संयुक्त समिति

[श्री सी० डी० देशमुख]

ने समवाय विधेयक का ढांचा लगभग वही रहने दिया है जिस रूप में कि यह पहिले पुरःस्थापित किया गया था, और यह कि उसने इसमें कोई ठोस या मूल सिद्धांत के परिवर्तन नहीं किये हैं। मैंने सृष्टि के प्रारम्भ की या प्रलयकाल की किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया था।

माननीय सदस्य ने कहा है कि कम्पनियों के परिसमापन के सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं उनसे स्पष्ट है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता किस प्रकार काम करते रहे हैं। मेरे पास १९१४-१५ से लेकर अबतक के आंकड़े हैं, परन्तु मैं इतनी पुरानी बात नहीं कहूंगा। मेरे पास १९४३-४४ से लेकर १९५४-५५ तक के अलग आंकड़े हैं। यह सच है कि हर साल बहुत सी कम्पनियों का परिसमापन होता है। मैं कुछ आंकड़े देता हूं। १९४३-४४ में ५३३ कम्पनियों का परिसमापन हुआ जिन की प्रदत्त पूंजी ५ करोड़ रुपये थी। दूसरी ओर इसी वर्ष में १४४३ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं जिन की प्रदत्त पूंजी ३ करोड़ रुपये थी।

उपाध्यक्ष महोदय : उनमें से कितनी कम्पनियों का प्रबन्ध प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में था?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह मान लेता हूं कि उनमें से अधिकतर का प्रबन्ध प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में था। मैं यह भी मान लेता हूं कि मुख्यतया ऐसा ही होता है। यही कारण है कि जब हम इस देश में उद्योगो के विकास पर अपना निर्णय देते हैं तो हम परीक्षा रूप से प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली के सम्बन्ध में भी अपना निर्णय दे रहे होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिनका परिसमापन हुआ उन कम्पनियों के साथ साथ अन्य कम्पनियों में भी प्रबन्ध अभिकर्त्ता रहे होंगे?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा ऐसा ही विचार है। मेरे पास दो वर्षों के आंकड़े हैं। सम्भव है कि किसी वर्ष विशष में स्थिति भिन्न हो। स्थिति तो प्रत्येक वर्ष में भिन्न हो सकती है।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दर्रांग) : प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के किसी सार्थ का भी परिसमापन हुआ?

श्री सी० डी० देशमुख : निश्चय ही ऐसी कम्पनी का प्रबन्ध इसके हाथ में नहीं रहेगा जिसका परिसमापन हो चुका हो। इस से आगे प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का क्या बनता है, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि उनके हाथ में कुछ ऐसी कम्पनियों का प्रबन्ध रहेगा जिन का परिसमापन हो गया हो और कुछ ऐसी कम्पनियों का जो चल रहीं हों। योजनाकाल के प्रारम्भिक वर्ष १९५०-५१ को ही लीजिये। इस वर्ष में २१०४ नई कम्पनियां रजिस्टर हुईं और ८३० कम्पनियों का परिसमापन हुआ। दूसरी ओर इन नई कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी ३ करोड़ रुपये थी जबकि जिन कम्पनियों का परिसमापन हुआ उनकी प्रदत्त पूंजी ९ करोड़ रुपये थी। यह सच है कि १९४३-४४ से १९५४-५५ तक रजिस्टर होने वाली कम्पनियों—जिन में से बहुत सी छोटी छोटी कम्पनियां थीं—की प्रदत्त पूंजी ६७ करोड़ रुपये थी और जिन कम्पनियों का परिसमापन हुआ उन की प्रदत्त पूंजी ८९ करोड़ रुपये थी। परन्तु मेरा तात्पर्य यह है कि हम इसी आधार पर इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं दे सकते। हमें देखना है कि....

श्री वल्लाथरास : मैं यह जानना चाहता हूं कि गबन, कदाचार और दुरुपयोग सम्बन्धी कौन सी मुख्य बातें थीं जिन के कारण इन का परिसमापन हुआ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस के लिये तो इतने विस्तार में जाना पड़ेगा जिस के लिये समय नहीं है। मैं केवल उस साक्ष्य की बात कर रहा हूं जिस के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष

निकाले हैं। अब वह नयी बात उठा रहे हैं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि केवल परि-समापन सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता। पहली बात तो हमें यह देखनी है कि कितनी नयी कम्पनियां रजिस्टर हुई हैं। दूसरी बात, जो अधिक महत्वपूर्ण है,--में अधिक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख. . . .

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : पुदुकोटै की कम्पनियों का परिसमापन तब हुआ जब वह भारत संघ में विलीन कर दिया गया।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य को सम्भवतः कारण मालूम हैं। १९४३-४४ में कम्पनियों की कुल संख्या १३,६८९ थी और १९५४-५५ में २९,७७९। १९५४-५५ के आंकड़े अभी अस्थायी हैं। इस का मतलब यह हुआ कि ११ या १२ साल में कम्पनियों की संख्या दुगुनी से अधिक हो गयी। काम करने वाली कम्पनियों की अर्थात् नयी कम्पनियों समेत और उन कम्पनियों को छोड़ कर जिन का परिसमापन हुआ प्रदत्त पूंजी १९४३-४४ में ३५४ करोड़ रुपये थी और १९५४-५५ में यह पूंजी ९८३ करोड़ रुपये थी। अब मैं माननीय सदस्य से और सारी सभा से पूछता हूं कि क्या किसी ऐसी प्रणाली को जिस के अधीन कम्पनियों की संख्या दुगुनी से अधिक हो गयी हो, और प्रदत्त पूंजी लगभग तिगुनी हो गई हो ऐसी प्रणाली कहा जा सकता है जो देश के हित में न हो? उन्हों ने यह कहा था कि केवल परिसमापन के आंकड़ों से ही हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं के काम के बारे में निर्णय कर सकते हैं कि यह अच्छा रहा था या नहीं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि उन का कहना कुछ शर्तों के अधीन ही ठीक हो सकता है। यह कहता हूं कि उन का तर्क गलत है।

अब मैं आप को ऐसे तथ्य बताऊंगा जिन से यह पता चल सके कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने कम्पनियों के लिये वित्त का प्रबन्ध करने या कम्पनियां प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में क्या किया है। सामने बैठे दो सदस्यों ने यह कहा था कि कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का योगदान या उद्योगों के लिये प्रबन्ध अभिकर्ताओं के द्वारा वित्त-घोषणा कपोल कल्पित बात है। दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि यह प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिये,—यह द्वंद्वात्मक तर्क हैं—चूंकि पूंजीपतियों का विचार है कि वे नयी प्रणाली के अधीन कार्य नहीं कर सकते इसलिये इसे समाप्त कर दिया जाय। जहां तक इस मामले के तथ्यों का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि हम ने १३४० प्रबन्ध अभिकरणों के प्रबन्ध के अधीन १७२० कम्पनियों के आंकड़ों की जांच की है। इन १३४० प्रबन्ध अभिकरणों में अधिकतर बड़े बड़े प्रबन्ध अभिकरण सार्थ आ जाते हैं। इन आंकड़ों की जांच से पता चला कि इन कम्पनियों की २५१·२१ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी में से, प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने २९·२६ करोड़ रुपये या कुल प्रदत्त पूंजी का १३·६० प्रतिशत भाग दिया था। जहां तक दिये गये ऋणों या प्रत्याभूत ऋणों का सम्बन्ध है इन कम्पनियों को मिले इस प्रकार के ऋणों की राशि ७६·४५ करोड़ रुपये थी जिस में से लगभग १८ करोड़ रुपये या २३·९५ प्रतिशत इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने दिया था। ये आंकड़े १९५१-५२ में १७२० कम्पनियों के सम्बन्ध में हैं। इसलिये मेरे विचार में यह कहना ग़लत है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा कम्पनियों का प्रारम्भ किया जाना या उन के लिये वित्त का प्रबन्ध किया जाना कपोल कल्पित बात है। मूल पूंजी के लगभग १५ प्रतिशत या ऋणों के २५ प्रतिशत भाग को कपोल कल्पित बात नहीं कहा जा सकता।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड़-सोरठ) : प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा दिये गये

[श्री सी० सी० शाह]
और प्रत्याभूत ऋणों के अलग अलग आंकड़े नहीं हैं। जो आंकड़े दिये गये हैं वे दोनों के लिये इकट्ठे ही हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : जी, हां। मैं अलग अलग आंकड़े दे रहा हूं। प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा दिये गये ऋणों की राशि १०·५४ करोड़ रुपये है और प्रत्याभूत ऋणों की राशि ७.७७ करोड़ रुपये है।

श्री कं० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच नहीं है कि आजकल सरकार जितनी पूंजी दे रही है वह प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली पूंजी से कहीं अधिक है?

श्री सी० डी० देशमख : मुझे इस में सन्देह है। माननीय सदस्यों ने विभिन्न निगमों—औद्योगिक वित्त निगम और विभिन्न राज्य-निगमों—का उल्लेख किया है। उन्होंने इन विशेष ऋणों की भी चर्चा की है। विशेष ऋणों का तो विशेष वर्ग है क्योंकि वे तो मूल्य समानीकरण निधि में से दिये जाते हैं जो कि विक्रय मूल्य और धारण मूल्य के अन्तर से बनती है। मेरा विचार है कि इन के अतिरिक्त भी सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की राशि इतनी अधिक नहीं होती है। ये आंकड़े एक वर्ष के हैं। यह समझ लेने का कोई कारण नहीं है कि ये आंकड़े इस वर्ष विशेष में असाधारण आंकड़े हैं। इसलिये यदि यह मान लिया जाय कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रति वर्ष १८ या २० करोड़ रुपये की पुंजी का प्रबन्ध करते हैं तो मैं कहूंगा कि सरकार जितनी पूंजी का प्रबन्ध करती है वह इस का चौथा या पांचवां भाग भी नहीं होती। मैं ये आंकड़े किसी विशेष बात को सिद्ध करने के लिये नहीं दे रहा। हम यहां इस मामले की पूरी जांच करने के लिये नहीं बैठे हैं।

मैं तो यह कह रहा हूं कि यह कपोल कल्पित बात नहीं है। और यदि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय तो इतनी पूंजी कहीं से लानी पड़ेगी या बैंकों को इस बात के लिये तैयार करना पड़ेगा कि वे १८ या २० करोड़ रुपये तक की पूंजी का प्रबन्ध करें। हमें नयी कम्पनियों की लगभग १५ प्रतिशत पूंजी कहीं से लानी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि चूंकि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं और मंत्री महोदय वह जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सदस्य इस सम्बन्ध में अपने प्रश्न इस कार्यालय में भेज दें और वह उन्हें मंत्री महोदय के पास पहुंचा दें जिस से कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली सम्बन्धी खंडों पर विचार आरम्भ होने से पहले यह जानकारी सदस्यों के पास पहुंच जाय।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं भरसक प्रयत्न करूंगा और जो भी जानकारी मेरे पास है, वह दे दूंगा। इसलिये मैं ने यह विवरण यहां परिचालित किया है। मैं गलत धारणा बना बैठा था नहीं तो यह पहले ही परिचालित कर दिया जाता। यह मेरी गलती है। मेरा विचार था कि संयुक्त समिति को जो जानकारी दी गई थी वह सब की सब छाप दी गई है। परन्तु कुछ बातें और ये विवरण छापे नहीं गये इसलिये मेरे पास जो भी आंकड़े हैं मैं खुशी से दे दूंगा क्योंकि उन में यहां बहुत समय लगता है। माननीय सस्दस्य आंकड़े देख सकते हैं और फिर मैं तथ्य बताने में सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा। सभा को अपने समय में तर्क को अधिक स्थान देना चाहिये।

इसलिये जहां तक प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली की सामान्य उपयोगिता का सम्बन्ध है निस्सन्देह हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं

कि यह प्रमाणित नहीं हुआ कि इस का कोई लाभ नहीं। हम इस सम्बन्ध में यही निर्णय चाहते हैं। यह निर्णय कर लिया जाये तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यदि यहां यह मालूम पड़े कि किसी विशेष प्रबन्ध प्रणाली से नयी कम्पनियों के बनने या उन के लिये पूंजी मिलने में कोई सहायता नहीं मिली है तो उसे जारी रखने को उचित बताना बड़ा कठिन है। मेरा कहना तो केवल यह है कि यह प्रणाली स्वाभाविक विकास का परिणाम है, इस अर्थ में कि व्यापार-प्रबन्ध का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति आकर जनता से कहता है—"मैं आप को कम्पनी आरम्भ करने में सहायता देना चाहता हूं। मुझे व्यापार प्रबन्ध का अनुभव है। मेरे पास कुछ रुपये भी हैं जो मैं अपनी सद्भावना के प्रमाण के रूप में इस कम्पनी में लगाना चाहता हूं। भला हो या बुरा, मैं आप के साथ रहूंगा। वह रुपया मामूली नहीं बल्कि लगभग १५ प्रतिशत होगा इस के बदले में मैं केवल इतना चाहता हूं कि मुझे १० या १५ वर्ष तक ऐसी शर्तों के अधीन जिन की मंजूरी विधि द्वारा समय समय पर दी जाय, आप की कम्पनी की देखभाल का विशेषाधिकार मिल जाय" और फिर वह यह कहता है कि "कम्पनी में मेरा भी कुछ रुपया है, मैं चाहता हूं कि मुझे सब की सहमति से यह अधिकार मिल जाय कि मैं दो तीन आदमियों को निदेशक बोर्ड के लिये नामनिर्देशित कर सकूं।" मुझे तो इस प्रकार के प्रबन्ध में कोई अस्वाभाविक बात दिखाई नहीं देती। हम भी कम्पनियों को ऋण देते समय ऐसी ही बात सोचते हैं। और सच तो यह है कि सभा यह कहती है कि जब हम किसी कम्पनी को ऋण दें हमें इस बात पर जोर देना चाहिये कि सरकारी निदेशक उस में नामनिर्देशित किये जायें; तो जो बात हमारे लिये अच्छी है वह उन के लिये भी अच्छी होगी।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं को इस से अधिक कुछ नहीं मिलता। उन्हें केवल प्रबन्ध करने और नामनिर्देशित करने का अधिकार मात्र मिलता है। कुछ और बा थीं जो कुविकास का परिणाम थीं। मैं यह नहीं कहता हूं कि बुराइयां नहीं थीं या कुविकास नहीं हुआ। मैं उन सदस्यों से होड़ नहीं लगाऊंगा जो सिद्धान्त घड़ रहे हैं और इसे पंचतन्त्र या हितोपदेश का रूप दे रहे हैं। **(अन्तर्बाधा)** मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रणाली में बुराइयां हैं परन्तु हम चाहते हैं कि जो लोग हमें अपने अनुभव से लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन से अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय। मैं यह कहता हूं कि यह हमारे देश की परम्परा के अनुकूल है। यह आर्थिक मामलों में अहिंसा के समान है।

मैं कम से कम इस ओर बैठने वाले सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस 'अहिंसा' के उपलक्षणाओं पर विचार करें, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनैतिक क्षेत्र में राज्यों का एकीकरण कर के एक अच्छा उदाहरण कायम किया था। वैषम्य की अत्यधिक सम्भावना होते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि आप को देश के आर्थिक विकास में सहायता देने के लिये अनुभवी लोग मिल सकते हैं तो आप इस स्थिति का फ़ायदा क्यों न उठायें? प्रवर समिति ने जिन उपबन्धों का सुझाव दिया है उस का सार यही है।

अब मैं पारिश्रमिक के प्रश्न पर आता हूं। माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है—यह कि अमेरिका में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को १–२ प्रतिशत मिलता है या कि, कर जांच आयोग के अनुसार, १४ प्रतिशत मिलता है, आदि आदि। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका और इंगलिस्तान का सम्बन्ध है, संभवतः माननीय सदस्यों की जानकारी ठीक नहीं है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं किन्तु समय नहीं है। वहां कुछ मामलों में पारिश्रमिक १० प्रतिशत तक है। कनाडियन समवायों में २४ प्रतिशत

[श्री सी० डी० देशमुख]

तक पारिश्रमिक दिया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि वहां पारिश्रमिक १० से ले कर २४ प्रतिशत तक दिया जाता है। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, "रिजर्व बैंक बुलेटिन" में दिये हुए आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी परिभाषा से जो शुद्ध लाभ हुआ, प्रबन्ध अभिकर्ताओं का १९५०, १९५१ और १९५२ में उसका कोई २७·७ प्रतिशत मिला। अब यह घटा कर १० प्रतिशत किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि २७·७ प्रतिशत वास्तविक आंकड़ा है और अब १० प्रतिशत अधिकतम राशि रखी गई है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि १९५५, १९५६ और १९५७ में १० प्रतिशत न हो कर ८ प्रतिशत ही रहेगा। पारिश्रमिक २७ प्रतिशत से ८ प्रतिशत रह जाना वास्तव में एक कमाल की चीज है जिस पर हमें गर्व होना चाहिये। यह चीज देश की उस समाजवादी व्यवस्था के सर्वथा अनुकूल रहेगी जिसे हम कायम करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

इस के अलावा, हम उन के पारिश्रमिक को केवल इसी उपबन्ध द्वारा सीमित नहीं कर रहे हैं अन्य उपाय भी हैं। उन्हें जो पारिश्रमिक मिलेगा वह आय समझी जायेगी, । सामान्य राजकोषीय नीति, जहां तक आय का ताल्लुक है, न केवल प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर ही बल्कि और सभी पर भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति शुल्क की व्यवस्था है और इसी प्रकार की अन्य चीजें हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे लिये यह उचित नहीं होगा कि चूंकि हमें प्रबन्ध अभिकर्ताओं के भावी व्यवहार के प्रति कुछ सन्देह है, इस कारण हम अपने राजकोष सम्बन्धी विधानों के सभी दंडों का उपबन्ध केवल इसी विधेयक में कर दें।

मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रबन्ध-अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले १० प्रतिशत पारिश्रमिक की तुलना में ५ प्रतिशत वेतन प्रबन्ध निदेशक ो तथा ७$^1/_2$ प्रतिशत सचिवों और कोषाध्यक्षों ो दिये जाने का उपबन्ध है। माननीय सदस्य पूछ सकते हैं: यह अन्तर क्यों रखा गया है? प्रबन्ध निदेशक एक अकेला व्यक्ति होता है और मैं समझता हूं कि उस के लिये ५ प्रतिशत और वेतन का उपबन्ध ठीक ही है। उस का वित्त-पोषण आदि के विषय में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यदि वह किसी एक पहलू में कुशल हो तो हो सकता है कि किसी दूसरे पहलू में उस में कुछ कमियां भी हों। यदि वह एक अच्छा प्रोडक्शन इंजीनियर है तो दूसरी ओर वह एक अच्छा वित्त-पोषक नहीं होता। परन्तु जहां तक सचिव तथा कोषाध्यक्ष का सम्बन्ध है, यह सब पहलुओं में कुशल होते हैं। आप ६ व्यक्तियों को एक साथ रखते हैं। हो सकता है कि उन में एक वित्तीय विषयों में विशेषज्ञ हो, एक प्रोडक्शन इंजीनियर हो, किसी न किसी स्कूल विशेष से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की हो, आदि, आदि। जिन युवकों ने कारबार प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उन्हें क्यों न एक साथ कार्य करने का अवसर दिया जाय और सचिवों तथा कोषाध्यक्षों के रूप में नियुक्त किया जाय? यह हो सकता है कि उन के पास धन न हो, परन्तु उन के पास योग्यता तो है। किसी एक अकेले व्यक्ति की तुलना में वे अधिक कुशलता तथा सूक्ष्मता से कार्य कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि सचिवों और कोषाध्यक्षों के लिये ७$^1/_2$ प्रतिशत पारिश्रमिक कोई अधिक नहीं है। इसको तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में २$^1/_2$ प्रतिशत का अन्तर है जो व्यक्ति १०–१५ प्रतिशत तक

लगाता है और जो न केवल समूह-पूंजी के लिये बल्कि कर्मवाहक पूंजी के लिये भी वित्त की व्यवस्था करने का दायित्व ले रहा है वह निश्चय ही २१/₂ प्रतिशत की अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का पात्र है क्योंकि वह ऋण आदि की प्रत्याभूति देता है। सापेक्ष दृष्टिकोण के अतिरिक्त इस दृष्टिकोण से भी यह योजना न्यायोचित है ।

इस प्रकार मैं ने विभिन्न प्रकार के प्रबन्धकों का भेद बता दिया है । प्रबन्ध निर्देशक का कोई विशेष उत्तर-दायित्व नहीं है वरन् वह समवाय में कार्य की देख-रेख करता है । सचिव तथा कोषाध्यक्ष का भी कोई उत्तरदायित्व नहीं है और वे निदेश बोर्ड में किसी निदेशक का नाम निर्देश नहीं कर सकता। हां यदि समवाय में उनके अंश आदि होने के नाते वे निदेशक रख सकें तो वह दूसरी बात है । ऐसा तो प्रबन्ध अभिकर्ता भी कर सकते हैं । यदि किसी समवाय में किसी व्यक्ति के ३०–४० प्रतिशत अंश हों तो क्यों न उसी अनुपात से समवाय के बोर्ड में उनके प्रतिनिधि भी हों ? प्रबन्ध अभिकर्तायों का पारि-श्रमिक निश्चित कर दिया जायगा और उन्हें एकमात्र अधिकार खंड ३७७ या किसी अन्य खंड के अन्तर्गत निर्देशक नाम निर्देशित करने का होगा । जब उन्हें यह अधिकार रहेगा तो वे समवाय में जहां उन्हें सहकारी नामनिर्देशित ने का अधिकार प्राप्त हों, अपने सहकारी नहीं रख सकेंगे । प्रवर समिति ने यह भी उपबन्ध किया है कि उस अवसर में सहकारियों का कोई भी प्रतिनिधित्व समवाय में नहीं होगा ।

मैं सामान्य प्रतिबन्धों की बात लेता हूं । ये विशेष रूप से प्रबंध अभिकर्ताओं के विरोध में ही नहीं हैं । बहुत से प्रतिबन्ध हैं जो निदेशक बोर्डों, प्रबन्धकों प्रबन्ध अभिकर्ताओं और उन लोगों पर लागू होंगे जो विवरण-पत्रिका आदि प्रकाशित करते हैं । कुछ विशेष प्रतिबन्ध भी हैं जो मुख्यतया प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं, प्रबन्ध निदेशकों और प्रबन्धकों पर लागू होते ह : यह १९५१ में जारी किये गये थे । संयुक्त समिति ने यह विचार किया है कि यह प्रतिबन्ध केवल तीन वर्ष ही नहीं, स्थायी तौर पर लागू होंगे । संयुक्त समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि यह प्रतिबन्ध अनुसूची में रखने के बजाय विधेयक के मुख्य भाग में रखे जाने चाहिये जैसा कि मूल विधेयक में था । यदि सभा यह सोचे कि निदेशकों के बोर्ड में सभी हितों, जैसे ऋण देने वालों, मजदूरों का एक प्रतिनिधि होना चाहिये तो क्या यह एक तर्कहीन बात नहीं होगी कि उन लोगों को, जिन का समवाय में महत्व-पूर्ण अंश होता है और जो समवाय के काम में दिलचस्पी लेते हैं समवाय में प्रतिनिधित्व करने से वंचित रखा जाय । यह तभी ठीक हो सकता है जब उन में कोई समझौता हो जाय । इस बात को ध्यान में रख कर मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति की योजना बहुत समझदारी की है । उन्हें यह बात पता है कि भूतकाल में बहुत से प्रबन्ध अभिकर्ता भ्रष्टाचार करते रहे हैं । उन्हें यह भी पता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य अब धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना और धन लगाना नहीं है । नये नये समवाय बन रहे हैं और उन की उन्नति के लिये नये तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं पर इन के विकास में थोड़ा समय लगेगा । राज्य वित्त निगम अभी शुरू हुआ है । शायद इन में से कुछ ने अपना प्रथम वर्षीय प्रतिवेदन भी निकाल दिया है पर उन को अपना काम पूरा करने में काफी समय लगेगा क्योंकि उन के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं । जिन का विभाजन विधि द्वारा नहीं हुआ है बल्कि राज्य वित्त निगमों और केन्द्रीय औद्योगिक वित्त निगम के

[श्री सी० डी० देशमुख]

बीच समझौते द्वारा हुआ है। इन दोनों बातों को देखते हुए संयुक्त समिति ने सम्पूर्ण उद्योगों के मामलों की विशेषज्ञों की सहायता से जांच करना ठीक समझा कि क्या उद्योग की दशा ऐसी है कि उसे विकास तथा वित्तीय सहायता के लिये विशेष प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। यदि किसी उद्योग की जांच करने के बाद मंत्रणा आयोग के परामर्श से सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है कि अमुक उद्योग को इस प्रबन्ध प्रणाली की आवश्यकता नहीं है तो सरकार घोषणा कर सकेगी कि अमुक में प्रबंध अभिकरण प्रणाली नहीं रहेगी। पर यदि दूसरे उद्योगों में इस प्रबंध में प्रणाली की उपयोगिता है तो उन में से इसे नहीं हटाया जायगा ।

इस के बाद दूसरा उपबन्ध बिना अधिसूचित उद्योगों तथा उन उद्योगों, जहां प्रबन्ध अभिकर्ताओं की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में है। संयुक्त समिति ने निश्चय किया कि प्रबन्ध अभिकर्ता के सम्बन्ध में हमें ध्यान रखना चाहिये कि इस का काम भूतकाल में कैसा रहा है, क्या उसकी अर्हतायें पर्याप्त हैं और क्या वह केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा निश्चित की गई शर्तों को पूरा करता है। पर इन सभी बातों पर विचार करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किस प्रकार उद्योग की प्रगति और देश का हित होगा। यदि सभी प्रकार की जांच करने के बाद यह उचित समझा जायेगा कि किसी विशेष उद्योग या संस्था में प्रबंध अभिकरण प्रणाली का रखा जाना उचित है तो मैं समझता हूं कि इस में कोई भी गलती नहीं है कि सरकार प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को उस में जारी रखे। माननीय सदस्यों ने पूछा है कि विधेयक की भाषा से क्या पता लगता है कि इस प्रणाली को मिटाने का इरादा है कि नहीं। मैं कहता हूं कि यह विचार बिल्कुल नासमझी का है कि सभी उद्योगों में से यह प्रबंध अभिकरण प्रणाली हटा दी जाये। विधेयक की भाषा से कुछ भी स्पष्ट पता नहीं लगता पर हर एक आदमी यह समझ सकता है कि अधिकतर लोग इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के विरुद्ध हैं अतः यदि इन प्रबन्ध अभिकरणों को जारी रहने दिया जाता है तो यह उत्तरदायित्व उन के ऊपर आ जायेगा कि वह देश की आर्थिक स्थिति का विकास करें। मैं समझता हूं कि इस मामले को यहीं छोड़ दिया जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि इस बीच में हम अन्य प्रकार के प्रबन्धों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या करने जा रहे हैं। मैं सभा का ध्यान सचिवों (सेक्रेटरियों) और कोषाध्यक्षों वाले विशेष उपबन्ध की ओर आकर्षित करता हूं। मैं बता चुका हूं कि ये सचिव और कोषाध्यक्ष सम्मिलित प्रबन्धकों के एक संगठन के सिवा और कुछ भी नहीं है। वे समवाय में कोई धन नहीं लगाते और न उन का कोई हित ही रहता है, अतः प्रबन्ध अभिकर्ताओं की तुलना में उन का पारिश्रमिक भी कम होगा। प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर लागू होने वाले अधिकांश प्रतिबन्ध उन पर भी लागू होंगे। कुछ अन्य प्रबन्ध भी उन पर लगाये गये हैं जैसे वे निदेशक नहीं नियुक्त कर सकते और वे विशेष संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार के बिना माल खरीद या बेच नहीं सकते, आदि। धारा ३८३ में इस की चर्चा की गई है। ऐसे तीन या चार प्रतिबन्ध और बहुत से सामान्य प्रतिबन्ध हैं। पर जिन के पास धन नहीं है या जो धन लगाना नहीं चाहते उन के लिये यह बहाना है और वह कह सकते हैं कि हमें तो इच्छा से काम करने वाले आदमी चाहिये। मैं उन्हें वैसे ही रहने देने में

कोई हानि नहीं समझता। मुझे आशा है और शायद सभी लोगों का यही मत होगा कि कुछ समय बाद हमारे सचिव (सेक्रेटरी) और कोषाध्यक्ष इस परम्परावादी वर्ग के नहीं होंगे। हमारे बुद्धिमान नवयुवक सचिव (सेक्रेटरी) और कोषाध्यक्षों के पदों को संभालेंगे।

सभी संस्थाओं को प्रगति करने में समय लगता है। मैं समझता हूं कि यह विधि १९६० से पूर्व लागू नहीं होगी क्योंकि हमें नियम बनाना होगा और प्रशासन व्यवस्था भी करनी होगी। इस के मानी हैं कि चार वर्ष से अधिक की अवधि है। इसी बीच लोगों को अच्छी तरह सोच लेने का अवसर रहेगा कि वे क्या करेंगे। मराठी में एक कहावत है जिस का अर्थ है कि बिना दवा के ही हमारी खांसी अच्छी हो गई। इस प्रणाली के अधीन आप को किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। १९६० में हम इस मामले पर फिर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि देश में कितना परिवर्तन हो गया है। कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में हम निश्चय कर चुके होंगे। उन के कामों की प्रगति को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आर्थिक शक्ति को किस प्रकार एक स्थान पर एकत्र किया जा रहा है। यदि हमें पता लगेगा कि कोई प्रबन्ध अभिकर्ता इतना खतरा होते हुए भी, अपने आर्थिक स्वार्थों में लगा रहता है तो सरकार को अधिकार होगा कि वह इस प्रबन्ध अभिकरण को बन्द कर दे। उस अभिकर्ता को अपील करने का कोई हक नहीं होगा। अतः मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने हमारे सामने जो सुझाव पेश किये हैं वे प्रशंसनीय हैं और उन में कोई खराब बात नहीं है

सचिव (सेक्रेटरी) और कोषाध्यक्षों के सम्बन्ध में एक बात और है। इन के सम्बन्ध में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण का कोई भय नहीं है क्योंकि उन के पास प्रबन्ध निदेशक या महा प्रबन्धक से अधिक कोई अधिकार नहीं होते। वह तो केवल सम्मिलित प्रबन्धक के रूप में हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह प्रबन्ध अभिकर्ता आर्थिक शक्ति को अपने हाथों में इकट्ठा न करने पावें। मैं एक सीमा निश्चित कर सकता हूं पर वह क्या होगी : ५० लाख रुपये, ५० करोड़ रुपये; हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है। १९४५ में १५ समवाय थे, १९५४ में ३० हैं। ऐसे पांच या छः उदाहरण हैं। अब उन प्रबन्ध अभिकर्ताओं को कुछ करना होगा चाहे वे अपने कुछ समवाय बन्द कर दें या कुछ को विलय कर दें या कोई अन्य उपाय काम में लायें। हम चार वर्षों तक स्थिति का निरीक्षण करेंगे। जो विभाग हम नियुक्त करने जा रहे हैं उस के द्वारा सभी प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने की तैयारी कर लेंगे। मैं समझता हूं कि एक ऐसी विधि है जिस के अनुसार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को किसी प्रकार के आंकड़े मंगाने का अधिकार है। यदि आवश्यकता हुई तो उस विधि को फिर से लागू किया जायेगा। अतः मुझे विश्वास है कि हम अगस्त १९६० तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा चलाये जाने वाले तथा अन्य प्रबन्धों द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों के मामलों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तब कोई निश्चय करना उचित होगा और उस से देश को लाभ भी होगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : तो क्या १९६० तक कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक उद्योगों को अधिसूचित करने का प्रश्न है, उस के लिये कोई सीमा नहीं है। आप कल या एक वर्ष में जब चाहें तब कार्यवाही कर सकते हैं। जांच करने में कुछ समय लगेगा। उस के बाद विधेयक के उपबन्ध के अनुसार आप को ३ वर्ष

[श्री सी० डी० देशमुख]

का समय देना पड़ेगा। यदि आप अभी जांच शुरू कर देते हैं तो भी उस समय तक पूर्व सूचना का समय बीत जायेगा। मैं समझता हूं कि इन तीन या चार वर्षों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि एक बड़ी योजना ले कर चलने के बाद, यदि कोई बहुत बड़ा कारण रास्ते में बाधा नहीं बनता तो योजना अवधि के बीच में ही सरकार इस प्रकार का कोई निश्चय नहीं करेगी कि अमुक उद्योग में प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होने चाहियें। यह इस बात पर निर्भर है कि संशोधित विधेयक कैसे कार्यान्वित होता है या योजना की प्रगति कैसे होती है।

श्री गाडगील : अमुक प्रबन्ध व्यवस्था रहती या नहीं रहती, इस से योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री सी० डी० देशमुख : यह मेरा ख्याल है और यही सरकार का भी ख्याल है। यही अधिकांश सदस्यों का भी विचार है।

श्री सी० सी० शाह : क्या वर्तमान खण्डों में सचिव (सेक्रेटरी) और कोषाध्यक्ष के सम्बन्ध में ऐसा कोई खंड है कि उन का उन समवायों पर वित्तीय नियंत्रण नहीं होगा या उन के सम्बन्ध में कोई आर्थिक शक्ति नहीं होगी?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि इस के प्रोत्साहित करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है, हां जब वह समवाय के अंश खरीदेंगे तो उन के हाथों में आर्थिक शक्ति आयेगी। ठीक प्रकार से खरीदी गई आर्थिक शक्ति पर आप आपत्ति नहीं कर सकते। मैं तो अन्य प्रकार से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण की बात कर रहा था।

श्री सी० सी० शाह : क्या प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बारे में ऐसी बात नहीं है? प्रबन्ध में उन का नियंत्रण होता है, यही उन की आर्थिक शक्ति है।

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं। बात यह है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का चाहे समवाय में बहुत ही थोड़ा अंश क्यों न हो, पर चूंकि वे निदेशकों को नियुक्त करते हैं, इस प्रकार समवाय पर उन का आर्थिक नियंत्रण रहता है। यदि उन्हें निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार न हो तो उन्हें कोई भी अधिकार न रहे। धन के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी आर्थिक शक्ति को अपनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मेरे मान्य मित्र अपनी मीठी जबान और तर्क शक्ति के सहारे आर्थिक शक्ति पर अधिकार पा सकते हैं। आर्थिक शक्ति पर कब्जा करने के तो वे अन्य साधन हैं। पर जहां तक विधेयक की योजना का संबन्ध है, किसी भी प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, सचिव (सेक्रेटरी) या कोषाध्यक्ष के पास आर्थिक शक्ति पर कब्जा करने का कोई रास्ता नहीं है। वह केवल यह कह सकता है कि हमारे सात आदमी हैं अतः हम कई उद्योगों का प्रबन्ध कर सकते हैं। हम प्रबन्ध निदेशक को दो समवाय दे सकते हैं। हो सकता है कि ५ या ६ बुद्धिमान व्यक्ति हों, वे कहेंगे कि वह १०, ११, १२ समवायों का प्रबन्ध कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सचिवों और कोषाध्यक्षों को बहुत से समवायों का प्रबन्ध सौंपने में कोई डर नहीं है।

श्री सी० सी० शाह : क्या इस विधेयक में ऐसा भी कोई उपबन्ध है कि सचिव और कोषाध्यक्ष केवल शिल्पिक योग्यता वाले व्यक्ति ही होंगे, पूंजी लगाने वाले नहीं?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं कहता हूं कि सभी सचिव और कोषाध्यक्ष नये व्यक्ति होते हैं। शिल्पिक योग्यता के लोग बहुत कम हैं, शायद दक्षिण में हों। दूसरे शब्दों में, मैं समझता

हूं कि शायद ही एक-दो अनुभवी हों और वह भी दक्षिण में ।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) : क्या यह मंत्री और कोषाध्यक्ष जिन समवायों का प्रबन्ध करेंगे उन का वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं लेगे ?

श्री गाडगील : यदि उन्हें एक निश्चित सीमा से अधिक अंश लेने का अधिकार न हो तो ठीक है । यदि प्रत्यक्षतः कोई सीमा नहीं होगी तो प्रबन्ध अभिकर्ताओं वाला हाल हो जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं वस्तुतः इस प्रश्न को नहीं समझ सका हूं । क्या माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि चाहे एक व्यक्ति ने ६० प्रतिशत अंश खरीदे हों, लेकिन क्योंकि वह समवाय का सचिव अथवा कोषाध्यक्ष है, अतः प्रबन्ध में वह अपना मत प्रगट नहीं कर सकता । मैं इस प्रमेय को स्वीकार नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति ने अंश खरीदे हों उसे उन अंशों से मिलने वाला अधिकार न दिया जाये ।

श्री गाडगील : तब यह आशंका उचित ही है कि दूसरे प्रकार के गठन में भी यही बुराइयां आ जायेंगी ।

श्री सी० डी० देशमख : ये दोनों बातें भिन्न प्रकार की होंगी । यहां हम उस के नैतिक पहलू से तथा एक सुव्यवस्थित समवाय के प्रबन्ध में उस के अनाधिकार मत से सम्बन्धित हैं ।

मैं ने इन में से कुछ मामलों को सामान्य रूप से हल कर दिया है । अब मैं कुछ अन्य बातों को लूंगा जिन की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है ।

अगला प्रश्न सरकार के अधिकारों के सम्बन्ध में है; क्योंकि उन का प्रशासन के तरीके पर, जिस में माननीय सदस्य विशेष रूप से रुचि रखते हैं, प्रभाव पड़ता है । केन्द्रीय सरकार को लगभग ९४ धाराओं के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करना है । हम ने उन्हें चार वर्गों में बांटा है । उन में से एक धारा के, यद्यपि कई धारायें पुरानी हैं, अधिकार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि वे प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं । उदाहरणस्वरूप जिला न्यायालयों का क्षेत्र निश्चित करने का अधिकार, किसी समवाय को अनुसूची ६ का प्रयोग करने से वंचित करने का अधिकार, आवेदन पत्र देने पर निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार तथा निरीक्षण के सम्बन्ध में अन्य धारायें । यह घोषित करने का भी अधिकार है कि एक समवाय के प्रबन्धक किसी अन्य समवाय के प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के आदी हैं । एक धारा ऐसी है कि जिस का निर्वचन बहुत कठिन है तथा वह निधि के अन्तःपाशन तथा विनियोग के सम्बन्ध में आती है । तत्पश्चात् एक सरकारी परिसमापन पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है । यह एक प्रकार की विधि तथा आदेश अधिकार है तथा मेरा सुझाव यह है कि ये किसी मंत्रणा आयोग अथवा संविहित आयोग को प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं ।

कुछ अन्य अधिकार भी हैं जो कि कार्यपालिका के अध्यक्ष को केवल एक सीमा तक ही दिये जा सकते हैं । इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि केन्द्र में कोई संविहित आयोग है अथवा कोई केन्द्रीय विभाग है ।

क्षमा कीजिये, मैं यह कहना भूल गया कि पहिले वर्ग में २१ धारायें हैं । मेरे विचार से इस बात पर सभी सहमत होंगे कि सरकार को ही उक्त धाराओं का प्रयोग करना चाहिये ।

दूसरे वर्ग में ३४ ऐसी धारायें हैं जिनमें अधिकार प्रदत्त किये जा सकते हैं, यथा यह घोषित करने का अधिकार कि अमुक संस्थापन को शाखा कार्यालय नहीं माना जायेगा ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है। हम साधारणतः पंजीयक को भी ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं। तत्पश्चात् लेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है, संभव है कि इस अधिकार को सरकार को ही प्रयुक्त करना चाहिये। प्रबन्धक की अनर्हतायें हटाने का अधिकार भी महत्वपूर्ण है जिसे कुछ सीमा तक प्रदत्त किया जा सकता है। इस के अलावा बहीखातों को नष्ट कर देने का अधिकार, पंजीयक को दिये गये शुल्क को प्राप्त करने का अधिकार, आदि अधिकार हैं।

तीसरे वर्ग में जहां अनुसूची को बदलने के अधिकार हैं, महत्वपूर्ण धारायें हैं। स्पष्ट है कि सभा इन अधिकारों का संविहित आयोग के द्वारा प्रयोग करना प्रसन्द नहीं करेगी। इन में नियम बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है। सदाशयता से किये हुए कार्य के लिये छूट भी है। यह एक सम्पूर्ण प्रभुत्वपूर्ण शक्ति है जिसे प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। पंजीयकों को नियुक्त करने का अधिकार भी है। स्पष्ट है कि आप संविहित आयोग को पंजीयक नियक्त करने की अनुमति नहीं दे सकते। ये २१ अधिकार हैं। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार ही इन का प्रयोग करे।

इस में वे अधिकार सम्मिलित नहीं है जिन को हम १९५१ के संशोधित अधिनिगम के अधीन पहिले से ही प्रयुक्त कर रहे ह। सभा को स्मरण होगा कि १९५१ में कथित दमन इत्यादि के आरोप में अल्पसंख्यकों के आवेदन-पत्र देने पर किसी समवाय के विरुद्ध मुकदमा चलाने पर प्रबन्ध अभिकर्ताओं की स्थिति में परिवर्तन अथवा समर्थन करने के लिये हम ने विभिन्न अधिकार प्राप्त किये। ये लगभग १८ अधिकार हैं। इस में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति का समर्थन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। इस में उद्योग की अधिसूचना देने का अधिकार भी सम्मिलित है। मैं नहीं सोच सकता कि सरकार किसी उद्योग को अधिसूचित करने का अधिकार संविहित आयोग को देगी। इसी प्रकार के अन्य अधिकार भी हैं

मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूंगा, जिस में इन दोनों उपबन्धों की सीमायें मिलती हैं। मेरे विचार से भाभा समिति के वे सदस्य जिन्होंने संविहित आयोग के लिये सिफारिश की थी, कदाचित यह आशा कर रहे थे कि संविहित आयोग में वाणिज्यिक हितों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा।

श्री गाडगील : आशा मात्र थी।

श्री सी० डी० देशमुख : इस के विपरीत अब जो सदस्य संविहित आयोग का समर्थन करते हैं वे आशा करते हैं कि वहां केवल अर्थशास्त्री, अधिकृत लेखापाल इत्यादि ही होंगे। मैं उन दोनों को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे विचार से मंत्रणा देने के लिये सर्वाधिक योग्य व्यक्ति मंत्रणा आयोग में हैं। ऐसा होने पर इसे संविहित आयोग में परिवर्तित करना गलत होगा। हम उन से किसी भी मामले में, जिस का हम उन्हें निर्देश करेंगे, सलाह ले सकते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्यों ने इस बात के लिये इतना आग्रह किया है। क्योंकि मेरे विचार से विभिन्न वर्ग के व्यक्ति संविहित आयोग से विभिन्न प्रकार की आशा करते हैं, अतः विचार का विषय यह होगा कि किसे नियुक्त किया जाय। यदि एक व्यापारी को नियुक्त किया जायगा तो लोग कहेंगे कि "हे ईश्वर! यह क्या किया गया है अब हम संविहित आयोग का विश्वास नहीं कर सकते हैं।" वही सदस्य पुनः आकर यह कहेंगे कि यह गलत है। यह अधिकार सरकार को प्राप्त कर लने चाहियें। यदि किसी अन्य व्यक्ति को

नियुक्त किया जाय तो सारा वाणिज्यिक जगत कमर कस कर यह कहेगा---क्या हमारा भाग्य संविहित आयोग की दया पर ही निर्भर करेगा ।" इसलिये मेरा यह सुझाव है कि संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई पूरी योजना बहुत अच्छी योजना है ।

अब मैं प्रशासन के प्रश्न पर आता हूं । मैं सभा को यह जानकारी दूंगा कि इस समय हम प्रशासन के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं, तथा इस के पूर्व प्रशासन का इतिहास क्या था, क्योंकि लोगों ने ऐतिहासिक आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि पहिले प्रशासन दुर्बल रहा है अतः भविश्य में भी वह कमजोर रहेगा

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : कमजोर क्यों, प्रशासन था ही कहां ?

श्री सी० डी० देशमुख : ठीक कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है । मेरा उद्देश्य पहिले के प्रशासन का समर्थन करना नहीं है । १ अक्तूबर, १९५३ तक भारतीय समवाय अधिनियम केन्द्रीय सरकार की ओर से अभिकरण के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित होता था । संयुक्त स्कंध समवायों के पंजीयक भी राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त होते थे । पंजीयक तथा कर्मचारी वर्ग टैक्नीकल रूप से राज्य सरकार के कर्मचारी थे किन्तु प्रशासन का व्यय केन्द्रीय राजस्व से किया जाता था । कई बार वे पूरे समय के पदाधिकारी भी नहीं होते थे । उनके अन्य दायित्व भी होते थे । केवल कलकत्ता, बम्बई, और लखनऊ में पूरे समय कार्य करने वाले पंजीयक थे । किसी किसी राज्य में राज्य सरकारों ने समवाय विधि के प्रशासन के लिये पृथक कर्मचारी दिये हुए थे । अन्य राज्यों में कर्मचारी भी कुछ ही समय कार्य करने वाले थे, जो साथ ही अन्य कार्य भी करते थे । भाग 'ख' राज्यों की स्थिति १ अप्रैल, १९५१ तक कुछ भिन्न थी क्यों-

कि उन की अपनी विधियां होती थीं जो न्यूनाधिक रूप में भारतीय समवाय विधेयक की ही तत्स्थानी थीं क्योंकि इन राज्यों में भी पूरे समय कार्य करने वाला पंजीयक अपवादस्वरूप ही होता था, तथा उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मचारी के अभाव मे प्रशासन त्रुटिपूर्ण रहता था । १ अप्रैल, १९५१ से केन्द्रीय विधि सभी भाग 'ख' राज्यों पर लागू की गई किन्तु प्रशासन राज्यों के हाथ में ही रहा, यद्यपि अब यह अभिकरण के आधार पर चलता है । १ अक्तूबर १९५३ से यह प्रणाली रद्द कर दी गई तथा अधिनियम का प्रशासन केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में लिया, जो कि तब से आज तक इस अधिनियम के अधीन सरकार के अधिकारों का प्रयोग कर रही है । किन्तु पंजीयकों तथा उन के कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण ले लेना संभव न था, जब तक कि विभिन्न स्थानों में उचित व्यक्तियों की व्यवस्था न होती । पंजीयक तथा उन के कर्मचारी १ जनवरी, १९५५ तक जब कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रशासन प्रणाली को संभाला राज्य सरकार के ही कर्मचारी रहे । उस दिन से--अर्थात् ७ दिन पूर्व से--सभी महत्वपूर्ण राज्यों के पजीयक तथा कर्मचारी समवाये विधि प्रशासन के निमित्त पूरे समय कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हो गये । अन्य राज्यों में पंजीयकों के पदों के लिये विज्ञापन दिया गया है तथा लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्तियां की जा रही हैं । पंजीयकों के कार्यालयों का मंत्रालय के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है तथा टेक्नीकल तथा अन्य प्रकार के आवश्यक पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था कर उस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है । समवायों तथा केन्द्रीय प्रशासकीय प्राधिकारी के बीच सम्पर्क बनाये रखने तथा समवाय द्वारा समवाय विधि के मामलों में मांगी गई आवश्यक जानकारी वितरित करने के लिये देश को

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस समय चार क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिस के मुख्यालय क्रमशः मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में रहेंगे । इन में से प्रत्येक क्षेत्र का प्रमुख एक निदेशक होगा, जिस के सहायतार्थ एक समवाय लेखापाल तथा समवाय अभ्यर्थी रहेंगे । विदेशालय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच न केवल घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखेगा बल्कि समवायों को विधि के उपबन्धों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी तथा सलाह भी देगा । मद्रास क्षेत्र के लिये निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है । अन्य क्षेत्रों में निदेशकों की नियुक्ति के लिये उपयुक्त ज्येष्ठ पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । नियुक्तियां होने के उपरान्त ये स्थानीय संस्थायें उस क्षेत्र में स्थित समवायों को हर सम्भव सहायता दे सकेंगी । केन्द्रीय संगठन को जिस की स्थापना केवल थोड़े से कर्मचारियों को रख कर की गई थी, इस महीने के प्रारम्भ से समवाय विधि शासन के नये विभाग को बना कर सुदृढ़ किया जा रहा है, तथा वहां आवश्यक टैक्नीकल तथा प्रशासनीय कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है । मैं आशा करता हूं कि इस विभाग के पूर्णतः बन जाने पर यह विभाग नये अधिनियमन के अधीन सरकार पर आये दायित्वों को संभाल सकने में समर्थ हो सकेगा । मेरे पास इस मामले की विस्तृत व्याख्या करने के लिये समय नहीं लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि ये अधिकार औपचारिक प्रकार के हैं । उन में से कुछ १९५१ के संशोधन से लिये गये हैं जिन्हें हम स्थायी बना रहे हैं, लेकिन विशेष मामलों का निपटारा करने के अधिकार सरकार के पास बहुत थोड़े हैं । उस का कारण यह है विधेयक की योजना के अनुसार हम ने यह अनुभव किया कि भले ही यह योजना साधारण मामलों के उपयुक्त हो, हमें कुछ मामलों को अपवाद मानना होगा । अब विकल्प यह था कि या तो सामान्य योजना को ही बदल दिया जाये जिस से यह विशेष मामलों के उपयुक्त सिद्ध हो सके । अथवा योजना की मूल कठोरता को वैसे ही रहने दिया जाय, किन्तु केन्द्रीय सरकार को ऐसे अधिकार दिये जायें कि वह उस विशेष मामले की परिस्थिति को ध्यान में रख कर आदेश दे सके । मेरे विचार से दूसरा विकल्प अधिक उपयुक्त था । क्योंकि पहिला विकल्प लेने पर उस विशेष उपबन्ध का सामान्य ढांचा, यथा एक ही गुट्ट के द्वारा सचालित होने वाले समवायों के विनियोग के सम्बन्ध में उपबन्ध, कमजोर पड़ जाता ।

हम ने कुछ प्रतिशत निश्चित किया है । हम से कहा गया था कि प्रतिशत पर जोर देने से ग़ैर-सरकारी उद्योग कम हो जायगा । समिति के सामने यह एक समस्या बन गई थी और यदि माननीय सदस्य सरकार की ईमानदारी पर विश्वास करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि समिति ने इस को भलीभांति सुलझाया है । मुझे आशा है कि वे इस का अनुमोदन करेंगे, अन्यथा यदि उन्हें विश्वास ही नहीं है तो फिर तर्क करना व्यर्थ है ।

हम ने लेखा तथा लेखा परीक्षा के बारे में भी उपबन्ध किये हैं जिन का खंडशः विचार किये जाने पर मैं अधिक बता सकूंगा । उन का विषय यह है कि लेखापरीक्षकों की संख्या कितनी होगी और उन की नियुक्ति सरकारी तथा अन्य समवायों में सरकार द्वारा होगी या नहीं । इन बातों पर वित्त मंत्रालय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बीच जो तय हुआ है उस विषय के संशोधन मैं यहां प्रस्तुत करूंगा, जिन से मुझे आशा है कि सभा अवश्य सन्तुष्ट होगी । हमारे सामने अनेक विषय हैं जैसे निदेशक, पूंजी, मतदान, विदेशी समवाय, व्यक्तिगत समवाय, आदि । माननीय सदस्यों ने इन पर जैसा प्रकाश डाला है उस के अनुसार मैं

इन पर विचार करूंगा। इस समय इन पर बोलने की अपेक्षा खंडश: विचार के समय बोलना श्रेयस्कर होगा। अभी मेरे पास समय भी अधिक नहीं है।

मैं एक और बात का उल्लेख किये देता हूं। वह मजदूरों द्वारा समवायों में हिस्सा लेने के बारे में है। सभा में यह बताया गया था कि श्रम मंत्रालय ने इस विषय में एक पत्र योजना आयोग के पास भेजा है जो वहां विचाराधीन है। उस पर कैबिनेट तभी विचार करेगी जब कि योजना आयोग की सिफोरिशें सरकार को उपलब्ध होंगी। तभी इस विषय में कुछ निर्णय किया जा सकेगा। अतः इस समय मैं यही कहने के लिये बाध्य हो रहा हूं कि नं मैं और न श्रम मंत्रालय इस विषय में कोई सूचना दे सकता है। हम इतना अवश्य महसूस करते हैं कि मजदूरों के लिये भी कुछ किया जाना चाहिये किन्तु हम केवल सिद्धान्तों का ही अनुकरण नहीं करते। हमें परिस्थिति को भी समझना पड़ता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या इस विधेयक के पारित होने से पूर्व ही योजना आयोग द्वारा इस विषय में कोई निश्चय किये जाने की संभावना है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे खेद है कि अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। योजना आयोग के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित हैं। वे ४३ अरब रुपये की योजना बनाने में व्यस्त हैं। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ उन की रोज बैठक होती है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य धैर्य से काम लेंगे और जब कोई निश्चय कर लिया जायगा तो हम उसे उचित रूप से कार्यान्वित कर सकेंगे।

अन्त में, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले जैसा मैं ने कल कहा था, मैं आज फिर यही कहता हूं कि यह विधेयक 'निगम चतुर्विंशतिचिन्तामणि' नामक पुस्तक की भांति है। 'निगम' का अर्थ समवाय से है। यादव राजाओं का विक्रम नामक एक प्रधानामात्य था जो मन्दिर-निर्माण कला का विशेषज्ञ था। इतना ही नहीं, वह एक विद्वान भी था और उस ने 'निगम चतुर्विंशति चिन्तामणि' नाम की एक पुस्तक लिखी जिस में जन्म से मृत्यु तक समस्त मानव संस्कारों का वर्णन किया गया है। ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत विधेयक का अभिप्राय निगम के अंशधारियों के विधिवत् संस्कारों का उल्लेख करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समवायों तथा कतिपय अन्य संथाओं से सम्बन्धित विधि को एकीकृत और संशोधित करने वाले विधयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० सी० शाह : मैं निवेदन करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री के भाषण की एक एक प्रति सब सदस्यों को दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : इस के लिये मैं दफ्तर में कहूंगा।

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।"

प्रतिवेदन से मेरा अर्थ केवल मुख्य प्रतिवेदन से हो नहीं, बल्कि उन दो अन्य पुस्तकों से भी है जो उस के साथ सदस्यों को दी गई हैं।

इन की प्रतियां राज्य सरकारों तथा कुछ संस्थाओं को भी भेजी गई हैं। इस विषय

[डा० केसकर]

पर विचार करने के लिये उन्हें काफी समय मिल गया होगा । सभा से इस पर विचार करने के लिये निवेदन करते समय मुझे अपना दृष्टिकोण अथवा इस के बारे में सरकार का दृष्टिकोण प्रकट करना ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि माननीय सदस्यों के विचारों से अवगत होने से पूर्व किसी निष्कर्ष पर पहुचना हमें शोभा नहीं देता । मुझे तो इस प्रतिवेदन के महत्त्व पर प्रकाश डालने के लिये इस की कुछ बातों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना है ।

जैसा कि सब को विदित है प्रेस आयोग की नियुक्ति अक्तूबर १९५२ में की गई थी । निर्देश पदानुसार आयोग को प्रेस सम्बन्धी सभी बातों पर विचार करने के लिये कहा गया था । उन्होंने इस प्रतिवेदन में प्रेस उद्योग के आर्थिक तथा प्रबन्धात्मक स्वरूप, पत्रों पर एकाधिपत्य, विदेशी प्रभाव, श्रमजीवी पत्रकारों की दशा, इस उद्योग का आवश्यक उपकरण, पत्रकारिता का उच्चस्तर, आदि बातों पर प्रकाश डाला है । आयोग ने अपना प्रतिवदन जुलाई १९५४ में प्रस्तुत किया । उन्होंने इस प्रतिवेदन को जितने सुन्दर ढंग से तैयार किया है उस की में मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि ब्रिटेन के प्रेस आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में इस से कहीं अधिक समय लग गया था । हमारे यहां तो आयोग का कार्य अपेक्षाकृत और भी कठिन था । यहां तो साधारण आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे । पत्रों की संख्या, उनकी प्रचार संख्या, आदि की सूचना प्राप्त करने में काफी समय लग गया । आयोग ने यथा-शीघ्र रीति से उन्हें हस्तगत किया । आर्थिक कारणों से तथा प्रेस के लिये शीघ्र ही उपबन्ध करन के लिये हम ने उन से यह प्रतिवेदन जल्दी मांगा था । उन्हों न अपना वादा पूरा किया और जुलाई १९५४ में उसे प्रस्तुत कर दिया । इस दो वर्ष के समय को हम अधिक नहीं कह सकते ।

प्रेस आयोग की प्रशंसा करते समय मैं उस के भूतपूर्व सभापति स्वर्गीय न्यायाधीश राजाध्यक्ष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने इतने कठिन कार्य को हाथ में ले कर इसे शीघ्र ही सम्पन्न किया । उन के चातुर्य और सुन्दर स्वभाव के कारण आयोग में सदैव एकमत रहा । प्रेस आयोग के सम्बन्ध में जब मैं उन के निकट सम्पर्क में आया तो उन की योग्यता और दक्षता के प्रति मेरे हृदय में अधिक से अधिक सम्मान बढ़ता गया । दुःख का विषय है कि आयोग का कार्य समाप्त करने के उपरान्त, जब उन्हें एक दूसरा काम सौंपा गया तो वे हमारे बीच में नहीं रहे । संभवतः आयोग में रह कर उन्होंने जो अथक परिश्रम किया वही उन के लिये प्राणघातक सिद्ध हुआ ।

दूसरी स्वर्गीय आत्मा प्रेस आयोग के प्रथम सचिव श्री चावला के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं जो आयोग का कार्य प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद ही हम से बिछुड़ गये । वे आल इंडिया रेडियो की समाचार सेवा के निदेशक थे और कुछ ही समय में आयोग के सदस्य उन के प्रशंसनीय कार्य के कारण उन का बड़ा आदर करने लगे थे । हमें खेद है कि वे इस कार्य को पूरा होता नहीं देख सके ।

प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त हम ने निश्चय किया कि उस के बारे में लोगों की जो भी राय हो वह यथाशीघ्र प्राप्त की जानी चाहिये । यह मैं इसलिय बता रहा हूं कि सरकार के ऊपर इस विषय. में विलम्ब करने का आरोप लगाया गया है । हम ने प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद एक महीने के भीतर सदस्यों के पास उस की प्रतियां भेज दीं ।

हमें स्मरण रखना चाहिये कि प्रेस आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध केवल केन्द्रीय सरकार से ही नहीं है। इस का सम्बन्ध समस्त समाज और समस्त जनता से है। इसका सम्बन्ध समस्त राज्यों से है क्योंकि प्रेस सभी जगह है और उस से सम्बन्धित नियम भी सब राज्यों में विद्यमान हैं। अतः सरकार के लिये यह आवश्यक था कि प्रेस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने से पूर्व सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का दृष्टिकोण जान लिया जाय। मुझे खेद है कि इस कार्य में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ, किन्तु जब हम यह विचार करते हैं कि हमें कितने लोगों से पूछताछ करनी पड़ी और इस विषय का विस्तार कितना अधिक रहा तो हमें इस विलम्ब की विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिये। उदाहरणतः, श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों से लेकर भारत में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने तक की बातें इन सिफारिशों में बताई गई हैं। प्रत्येक सम्भव पहलू इस में सम्मिलित हो चुका है। इन को अलग अलग श्रेणियों में रखा जायेगा और उन पर पृथक रूप से विचार किया जायेगा ; और इतना काम करना अर्थात् उन के सम्बन्ध में उन की प्रतिक्रिया जानना भी एक सरल काम नहीं। मुझे इस बात में सन्देह हो रहा है क्योंकि पिछली बार हमें अनेक निकायों से उत्तर और सम्मतियां प्राप्त करने के लिये कई बार उन्हें स्मृति-पत्र भेजने पड़े। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम ने यथासंभव शीघ्रता से इस मामले को समाप्त करने का प्रयत्न किया था, और उस सब के बावजूद हमें आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा सम्बद्ध हितों की राय जानने के लिये १९५४ के वर्ष भर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। केवल १९५५ के आरम्भ में की जाने वाली कार्यवाही के प्रश्न पर सरकार विचार कर सकी। अतः एवं मैं आशा करता हूं कि सभा मुझ से इस बात में सहमत होगी कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में हम ने उचित समय से अधिक न लगा कर कोई देर नहीं की है। निस्सन्देह, मैं और एक कदम आगे बढ़ंगा और यही कहूंगा कि ऐसे मामल में जल्दबाजी करना या पहले से ही ऐसी आशा करना और एक ऐसा गलत निश्चय करना जिसे बाद में बदलना पड़े, बिल्कुल गलत कदम होगा, और वह भी जब कि प्रेस के सम्बन्ध में कोई मामला तय नहीं होने जा रहा हो। इस सभा के सदस्य और बाहर की जनता इस बात के उत्साही हैं कि सरकार को प्रेस के स्वातन्त्र्य के साथ कोई अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये, प्रेस पर किसी भी प्रकार की रोक या पाबन्दी नहीं लगानी चाहिये; हम भी स्वयं इस बात के उत्साही हैं और इसी लिये हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस में सरकार का कम-से-कम हस्तक्षेप हो। यह भी इस बात का एक कारण रहा है कि क्यों हम इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई निश्चय करने में बहुत ही सावधान रहें।

यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं अब आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करूंगा। इस समय उन को सभा के समक्ष रखने का मुख्य कारण यह है कि यों तो प्रायः बहुत से सदस्यों ने उन सिफारिशों को पढ़ा है किन्तु जैसा मैं ने २२ दिसम्बर, १९५४ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया था, उन सिफारिशों की बहुत बड़ी संख्या है।

उन में से कुछ कम महत्व की हैं; कुछ ऐसी हैं जिन्हें मुख्य सिफारिशें नहीं कहा जा सकता, और इसी लिये मैं आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि सदस्य उन पर विचार करें और अपना मत दें जिस से सरकार किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके।

स्वभावतः, इन में से महत्वपूर्ण बातों में एक बात श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों

[डा० केसकर]

के सम्बन्ध में है। दूसरी शर्त प्रेस के पंजीयन के सम्बन्ध में विधि के पुनरीक्षण की है। प्राइस-पेज शेड्यूल (अखबारों की कीमत पन्नों के हिसाब से) द्वारा उद्योग के आर्थिक पहलू का विनियमन —यह भी एक और प्रश्न है जिस से प्रेस परिषद् के संविधान का भी प्रश्न पैदा होता है। मैं यहां इसी लिये इन सब बातों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि विधायिनी कार्यवाही किये जाने के नाते यह सरकार से सम्बन्ध रखने वाली बात है। आप को स्मरण होगा कि आयोग की कुछ एक महत्वपूर्ण सिफारिशें स्वयं उद्योग से सम्बन्ध रखती हैं। वे ऐसी सिफारिशें हैं जिन में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, किन्तु वे एक सामान्य परामर्श के रूप में हैं जो आयोग ने समाचार-पत्र उद्योग को दी हैं ताकि वे अधिक अच्छे आधार पर उद्योग का पुनर्गठन करने के लिये उन का अनुसरण करें। तो यह स्वाभाविक है कि सरकार विविध सम्बद्ध हितों (उद्योगों) तक उन को पहुंचाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। किन्तु मैं, जो चार या पांच बातें बता चुका, वस्तुतः वे ही हैं जिन में यदि आप कोई कार्यवाही करें तो वह विधायिनी कार्यवाही होगी, और उन में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की बात आयेगी। कई ऐसी सिफारिशें भी हैं जिन में कार्यपालिका कार्यवाही की आवश्यकता है—उदाहरणतः, सरकारी विज्ञापन नीति का प्रश्न और संवाददाताओं की मान्यता का भी प्रश्न तथा प्रेस के साथ सम्पर्क, अर्थात् मंत्रणा समितियों का प्रश्न। समाचार अभिकरणों के सम्बन्ध में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

तो अब ये सभी प्रश्न इस प्रकार के हैं जिन पर सभा में, निस्सन्देह, एक अच्छा वाद-विवाद हो सकेगा, और मैं इन सभी मामलों के सम्बन्ध में सभा के सदस्यों की राय जान कर कृतज्ञ भी हूंगा।

मैं यहां यह भी कहूं कि इस सभा के विगत सत्र में यह प्रश्न हमारे सामने आने वाला था और उस समय सरकार बहुत सी सिफारिशों के सम्बन्ध में किन्हीं अस्थायी निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकी थी, यद्यपि यह संभव है कि यदि विवाद हुआ होता तो सरकार को किसी निश्चय पर पहुंचने में सहायता मिली होती। कदाचित् इस के लिये कोई समय नहीं मिला। किन्तु मैं यह कह दूं कि आज सरकार आयोग की बहुत सी सिफारिशों के सम्बन्ध में कुछ एक अस्थायी निष्कर्षों पर पहुंची है। अभी भी दो एक मामले अनिर्णीत पड़े हैं। और उन पर चर्चा भी हो रही है। उन मामलों पर भी जिन के सम्बन्ध में हम ने कोई राय बनाई है और उन पर जिन के सम्बन्ध में हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, सभा की राय जान लेने से सरकार निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचेगी। वस्तुतः हमारे अनेक निष्कर्षों को अन्तिम रूप न देने का यह भी एक कारण था कि हम अन्तिम निश्चय करने से पहले दोनों सभाओं के गणमान्य सदस्यों की राय जानना चाहते थे। यह भी संभव है कि कई मामलों पर यद्यपि हम कुछ अस्थायी निष्कर्षों पर पहुंचे, हैं, सभा में यदि चर्चा हो तो हमें अपनी राय बदलनी पड़े, और इसीलिये हम ने निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये उन मामलों को चर्चा होने तक पड़ा रहने दिया है।

मैं इस समय और कुछ नहीं कहना चाहता। इन सिफारिशों के सम्बन्ध में मुझे जो कुछ कहना होगा वह मैं माननीय सदस्यों की सुविचारित और विद्वत्तापूर्ण रायें सुन लेने के बाद इस विवाद के अन्त में कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)	१
श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)	३
श्री डा० सी० शर्मा (होशियारपुर)	४
श्री डाभी (कैरा उत्तर)	६
श्री रघुरामैया (तेनालि)	७
श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व सन्थाल परगना)	८
श्री के० पी० त्रिपाठी	९

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन अब सभा के समक्ष हैं ।

श्री वी० वी० गिरि (पातपटनम्) : मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने प्रेस आयोग के निष्कर्षों पर बोलने का अवसर दिया है । मैं स्वर्गीय श्री राज्याध्क्ष की सेवाओं की प्रशंसा करता हूं कि उन्हों ने अपने सभापतित्व में इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इस के अनन्तर मैं अपने मित्र डा० केसकर को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी योग्यता से इस आयोग में इतने योग्य व्यक्तियों का समावेश किया था जो सभी क्षेत्रों में अनुभवी थे ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री इस विधान को पारित करा लेंगे तथा आयोग के निर्णयों को लागू करा लेंगे । परन्तु मालिकों तथा कर्मचारियों को भी इस का पूर्ण ध्यान रखना होगा कि इन को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं तथा इस के परिणामस्वरूप उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित हुआ है अथवा नहीं और कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर की गई हैं अथवा नहीं ।

उन्होंने कम से कम वेतन, सेवा की सुरक्षा, काम के घंटे, विश्राम काल, भविष्य निधि आदि समस्याओं पर विचार किया है तथा उन्होंने बड़ा ही न्याययुक्त और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है । इस में सन्देह नहीं कि कुछ व्यक्ति संतुष्ट न हो कर इस की आलोचना करेंगे । प्रायः देखा गया है कि जब कभी सरकार ने कर्मचारियों की कुछ भलाई करनी चाही, मालिकों ने सदा इसका विरोध किया कि काम के घंटे कम करने पर उत्पादन कम हो जायेगा और उद्योग असफल हो जायेगा । इस समय भी मालिक इसी प्रकार की बातें कह रहे हैं । परन्तु उन का विचार ठीक नहीं है । अच्छे वेतन, अच्छी सेवा शर्तें आदि के परिणामस्वरूप कर्मचारी अधिक कार्य करेंगे जिस से सभी को लाभ होगा । विभिन्न देशों में कम से कम वेतन नीति लागू करने से, उन देशों की स्थिति में सुधार हुआ है । हमें इतिहास पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये । तथा मेरा विचार है कि इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने से अधिक लाभ होगा ।

सरकार को सिफारिशें एक दम लागू कर देनी चाहियें तथा पांच वर्ष पश्चात् दूसरा आयोग नियुक्त कर दे जो आवश्यक हो तो सामान्य त्रुटियों की जांच करे तथा उन्हें दूर करने की सिफारिशें करे इसलिये माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह न्यूनतम वेतन को लागू कर दें तथा व्यक्त किये गये सन्देहों पर अभी कोई ध्यान न दें ।

अब मैं कर्मचारियों तथा मालिकों को चेतावनी देता हूं । सब से पहले कर्मचारियों को मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि कर्मचारीगण अपना उत्तरदायित्व समझें तो इनको स्वीकार करें अन्यथा वे सरकार अथवा मालिकों से उन को कुछ मिलने की आशा नहीं करनी चाहिये । कर्मचारियों को अपना ठोस और लोकतन्त्रवाद पर आधारित संगठन करना चाहिये तथा वे अपने मालिकों के प्रति शिष्टाचार तथा सम्मान प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समझें । किसी उद्योग विशेष में एक ही मजदूर संघ होना चाहिये । मालिकों को तब सरल हो जायेगा कि उन्हें किन

[श्री वी० वी० गिरि]

व्यक्तियों से काम लेना है। दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों को अपने संगठनों को सुचारू रूप से चलाना चाहिये। तभी मालिक उन का आदर करेंगे। प्रेस कर्मचारी संघ में कर्मचारियों को प्राविधिक विशेषज्ञों को अपने संघ के पदों पर रखना चाहिये जिस से मालिकों तथा कर्मचारियों दोनों के प्राविधिक विशेषज्ञ समय समय पर मिल कर अपने सभी प्रकार के झगड़ों को बिना हड़ताल आदि के निबटा सकें।

अब मैं मालिकों को यह बता देना चाहता हूं कि कर्मचारीगण अब पहले जैसे मामूली और गरीब व्यक्ति नहीं हैं। अब वह उद्योग के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। प्रेस का मालिक प्रेस में धन लगा सकता है परन्तु यदि प्रेस कर्मचारी कार्य करना बन्द कर देंगे तो उद्योग ही बन्द हो जायेगा। उन मालिकों को यह समझना चाहिये जो अब भी कर्मचारियों को अभी किराये के टट्टू समझते हैं।

आज कल यह भी एक फैशन हो गया है कि समाजवादी ढंग के समाज की बड़ी चर्चा है तथा विशेषतः पूंजीवादी लोग इस सम्बन्ध में बढ़चढ़ कर बातें करते हैं। परन्तु वह यह नहीं जानते कि समाजवादी ढंग क्या होता है। मैं प्रेस के कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं कि वह राजनैतिक दलों के झगड़ों में न पड़ें। उन्हें समय समय पर उत्पन्न समस्याओं को पक्षपात से रहित दृष्टिकोण से देखना चाहिये। मेरा विचार यह है कि यदि समाज वादी ढंग का समाज बनाना है तो उद्योग में भागिता होनी चाहिये। कर्मचारी हमारे गुलाम नहीं हैं वह केवल वेतन भोगी हैं प्रत्युत वे भी समाज के एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। प्रधान मंत्री ने यात्रा से लौट कर बताया कि युगोस्लाविया में कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों में भगिता है। इसलिये मेरा विचार है कि सभी उद्योगों तथा विशेषतया प्रेस उद्योग में इसी प्रकार की भागिता होनी चाहिये। यदि कर्मचारीगण उद्योग, उद्योग की आर्थिक स्थिति को समझेंगे, यदि उन पर विश्वास किया जायेगा, उन को लेखे दिखाये जायेंगे तभी कर्मचारी उद्योग में अपना सहयोग दे सकेंगे। इसलिये समाजवादी ढंग के समाज को समाजवाद की ओर ले जाना चाहिये तथा समाजवादी राज्य को बिना किसी श्रेणी के समाज की ओर ले जाना चाहिये। संविधान में हमारे लिये काम करने तथा जीवित रहने आदि मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गई है। परन्तु केवल अधिकारों की व्यवस्था मात्र से काम नहीं चलता। जनता को उन अधिकारों की व्यवस्था कार्य रूप में महसूस होनी चाहिये। इसलिये हमें एक स्थान पर बैठ कर इसका निर्णय करना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि विषय पर ठीक दृष्टिकोण से विचार किया गया तो औद्योगिक शान्ति हो जायेगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल होगी।

इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि वह प्रेस आयोग के सभी निष्कर्ष कार्यान्वित कर दें। तथा आवश्यकता होने पर ही इन में परिवर्तन करें। मालिकों को, बैंकरों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उद्योग पर इस का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। कर्मचारियों को जितने अधिक दाम आप देंगे, उन को भागीदार बनायेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा तथा देश के लिये अच्छा होगा।

(श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत किया।)

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): मैं प्रेस आयोग के सभापति तथा योग्य सदस्यों के सम्बन्ध में कहे गये प्रशंसा के शब्दों का अनुमोदन करता हूं। उन्होंने जनतन्त्र में प्रेस

के संगठन, इस के कार्य करने के ढंग, इस के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का विवेचनात्मक वर्णन किया है । इतने थोड़े समय में मेरे लिये इतने बड़े प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विस्तार से विचार प्रकट करना कठिन है । इस कारण इस की कुछ ही बातों, जैसे उद्योग का संगठन, समाचार अभिकरण, कार्य करने वाले पत्रकारों की दशाओं तथा सब से महत्त्वपूर्ण प्रैस काउंसिल का संगठन आदि के सम्बन्ध में में कुछ बताऊंगा ।

यहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हों ने भारत के प्रेसों का प्रारम्भिक हाल देखा है । भारत में प्रेस का आरंभ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार करने के लिये किया गया था । वर्तमान भारत के महापुरुषों के नामों का प्रेस से बड़ा सम्बन्ध रहा है । उस समय यह उद्योग एक प्रचारक उद्योग के रूप में था । तथा बहुत से समाचार पत्रों ने परि-स्थितियों का लाभ उठाकर पर्याप्त धन कमाया । उन दिनों म प्रेस का चलाना एक संकट का काम था । जरा जरा सी बात पर प्रेस का जब्त हो जाना तथा मालिक को कैद की सजा का मिलना आम बात थी । फिर भी इन की उन्नति जनता के कारण हुई क्योंकि जनता समाचारपत्रों को पढ़ती थी । उस समय भारतीय प्रेसों को विज्ञापन भी नहीं मिलते थे परन्तु फिर भी प्रेस ने प्रगति की । आज इन की क्या दशा है । आज प्रेस 'प्रेस जमींदारों' के हाथ में है तथा एक सामान्य उद्योग के समान ही इस का कार्य चल रहा है । यह स्वाभाविक भी है क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी है । परन्तु भारत के प्रेस का औद्योगीकरण कुछ विचित्र प्रकार का है । यह समझ में नहीं आता कि जब धन कमाने के लिये सीमेंट, वस्त्र, मोटर कार आदि अन्य उद्योग हैं तब पूंजी-पतियों को इस क्षेत्र में धन के कमाने के उद्देश्य से उतरने की क्या आवश्यकता है । वे ऐसा केवल इसलिये करते ह कि इस के द्वारा उन को राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । (**अन्तर्बाधा**) । इस के अतिरिक्त उन्हें अपने अन्य उद्योगों का विज्ञापन करने की भी सुविधा रहती है । इस प्रकार उन्हों ने एकस्वाधिकार की नींव प्रेस में डाल रखी है । जब किसी उद्योग में पूंजी का प्रश्न आ जाता है तभी उस का मूलभूत सिद्धान्त, सामाजिक सिद्धान्त समाप्त हो जाता है । केवल धन कमाना ही उद्देश्य रह जाता है । धन से वे 'कला' खरीद लेते हैं । स्कूलों कालिजों तथा धार्मिक संस्थाओं को चोर बाजार से कमाया हुआ धन दे कर हमारे सभी प्रकार से नेता बन जाते हैं ।

मैं अब प्रेस आयोग द्वारा वर्णित प्रेस की दशा के सम्बन्ध में बताता हूं ।

> "वर्तमान पत्रकारों का स्थान बहुत नीचा इस कारण हो गया है क्योंकि उनको पूंजीपतियों के अधीन काम करना पड़ता है । पहले सभी भारतीय प्रेसों का एक उद्देश्य यह था कि देश की राजनैतिक दशा का प्रदर्शन करना । उस समय के पत्रकार अधिकतर देश-भक्त थे तथा इसी उद्देश्य को सामने रखते थे हमें देशभक्ति का संदेश जनता को देना है ।"

परन्तु स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् उन का यह उद्देश्य समाप्त हो गया और सामा-जिक, बौद्धिक, नेतृत्व, भी समाप्त हो गया है । इसी कारण इस व्यापार का वह बौद्धिक स्तर अब नहीं रहा है । यह एक ऐसे उद्योग में पूंजी तथा औद्योगीकरण का परिणाम है, जिस से यह आशा की जाती है कि वह जनतन्त्र को सफल बनाने तथा जनता को शिक्षित करने में सहायक होगा । प्रतिवेदन की बहुत सी बातें जो जनता के लिये लाभदायक हैं पूर्णतया छोड़ दी गई हैं । प्रेस की परिस्थितियों का, जिन का उल्लेख प्रतिवेदन में है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है । कुछ पत्रों ने अत्र तत्र उद्धरण दिये हैं

[आचार्य कृपालानी]

परन्तु साधारणतया समूचे प्रेस ने, आलोचना के उद्देश्य और उन बातों को छोड़ कर जिन में स्वयं उन की वित्तीय अभिरुचि सन्निहित है, प्रतिवेदन को छोड़ दिया है । इस प्रकार एकाधिकारी उद्योग ने प्रेस आयोग के प्रतिवेदन को लिया है । यह एकाधिकार प्रेस के पूंजीपतियों के हाथ में रहता है और यह छोटे छोटे प्रतिस्पर्धियों को दबाने से होता है । एक और बात यह है कि बड़ा उद्योग मजदूरों के शोषण से पनपता है । मजदूरों का बहुत शोषण हुआ है और श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति सर्वथा दयनीय है। उन्हें अपने भरण पोषण के लिये भी पर्याप्त धन नहीं मिलता है, फिर वे कैसे अद्यतन योग्यता रख सकते हैं । न तो कोई पुस्तकालय है और न ही संदर्भ ग्रन्थ. है ।

अब हमें यह देखना है कि छोटे छोटे स्पर्धियों को कैसे दबाया जाता है । मिले हुए समाचारपत्रों के लिये सम्मिलित सेवायें प्राप्त कर के । यह सस्ता है क्योंकि मिले हुए समाचारपत्रों को उतने ही कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जितने कर्मचारियों की आवश्यकता एक अकेले समाचारपत्र को होती है । फिर, बहुत से मिले हुए समाचारपत्र अपना अखबारी कागज इकट्ठा लेते हैं और छोटे छोटे स्पर्धियों को दबाने के लिये कागज का मूल्य उत्पादन लागत से भी कम कर देते हैं, और बेकार कागज देते हैं । एक समाचारपत्र के पूंजीपति स्वामी ने हाल ही में यह उद्घोषित किया था कि अमुक अमुक कागज क्रय करना बहुत लाभप्रद होगा क्योंकि रद्दी कागज से व्यक्ति को उतना ही धन प्राप्त होता है जितना कि कागज पर व्यय होता है ।

वे समाचारपत्र माला के लियें इकट्ठे विज्ञापन लेते हैं । प्रत्येक पत्र के लिये पृथक पृथक विज्ञापन स्वीकार नहीं करते । इस के अतिरिक्त, वे सम्मिलित खाते रखते हैं । इस का परिणाम यह होता है कि मान लीजिये कि कोई समाचारपत्र कलकत्ता में पर्याप्त लाभ पर चल रहा है तो वे दिल्ली में एक और समाचारपत्र आरम्भ कर देंगे । यदि इस से लाभ नहीं होता है तो उसे एक दम बन्द कर देंगे । हाल में कलकत्ते में तीन समाचारपत्र बन्द हो गये हैं । प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के कारण कुछ और पत्र भी बन्द होंगे क्योंकि प्रेस के पूंजीपति किसी स्थान पर भी कोई घाटा नहीं चाहते । जैसा कि मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने अभी कहा प्रायकर अधिकारियों को धोका देने के लिये वे सम्मिलित लेखे रखते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या समाचारपत्रों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है ।

आचार्य कृपालानी : यदि राष्ट्रीयकरण का अर्थ सरकारीकरण है तो भगवान बचावे । परन्तु यदि उद्योग राष्ट्र और जनता के हाथ में आता है तो इस से अच्छा और क्या होगा । प्रेस आयोग ने यह भी सुझाया है कि प्रत्येक समाचारपत्र को अलग अलग रखा जाये और यह प्रबन्धकों, प्राविधिज्ञों और सम्पादकों, सभी कर्मचारियों के हित में आवश्यक है । खाते अलग अलग रखने से आय कर विभाग को भी लाभ होगा । पता नहीं कि बड़े बड़े समाचारपत्रों द्वारा पृष्ठानुसार मूल्य वाले सुझाव का विरोध क्यों किया जा रहा है । युद्धकाल में उन्हों ने इस से बहुत लाभ उठाया था । मैं नहीं चाहता कि सस्ते समाचारपत्रों के दाम बढ़ें । इसलिये मैं सुझाऊंगा कि दैनिक समाचार पत्रों का दाम दो आने से अधिक न हो, और उन की अधिकतम पृष्ठ संख्या दस हो । एक आने वाले समाचारपत्रों की पृष्ठ संख्या छः से अधिक न हो । मैं नहीं चाहता कि लोगों को सस्ते में अधिकाधिक पाठ्य सामग्री न मिले । मध्य वित्त लोगों के लिय एक आने

का समाचारपत्र मिलना सम्भव बना देना चाहिये । प्रेस आयोग ने यह भी सुझाया है कि विज्ञापनों का स्थान चालीस प्रतिशत से अधिक न हो ।

इस आयोग में प्रायः काफ़ी विद्वान् व्यक्ति थे, प्रायः जिस समिति में अधिक विद्वान् व्यक्ति हों उस के विचार उतने ही संतुलित से होते हैं । इसी प्रकार इस आयोग की सिफ़ारिशें भी न बहुत उदार न बहुत संकुचित हैं । अखबारी कागज के लिये उन्होंने एक सार्वजनिक व्यापार निगम बनाने का सुझाव दिया है । बड़े बड़े व्यापारी इस से काफ़ी मुनाफ़ा कमाते रहे हैं । मध्य प्रदेश में कुछ वर्ष पहिले नैपा मिल नामक एक कम्पनी चलाई गई थी । अब चार पांच वर्ष बाद बताया जाता है कि उस में उत्पादन आरम्भ हो गया है । पर उस से हमारी पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती । हमें इस कारण आयात निर्यात के मूल्य समान रखने के लिये आयात करना होगा । इस के लिये इस प्रकार का निगम बड़ा उपयोगी होगा ।

हमारे देश मे योरोपीय प्रजातंत्र देशों की भांति ज़िलों से स्थानीय दैनिक नहीं निकलते । पूंजीपतियों के एकस्व के कारण हमारे दैनिक राजधानियों से ही निकलते हैं । छोटे नगरों में उन की एजेन्सियां होती हैं और वहां के समाचार भी छापते हैं । अखबारी कागजों के लिये राज्य व्यापार निगम अवश्य बनना चाहिये ।

आयोग के सुझाव के अनुसार अखबारी कागज़ पर कुछ उपकर लगना ठीक है जो प्रेस परिषद के व्यय के काम आयेगा, परन्तु मैं समझता हूं कि आरम्भ में यह व्यय सरकार को ही सहन करना चाहिये ।

हमारे देश में पी० टी० आई० और यू० पी० आई० दो मुख्य समाचार एजेंसियां हैं । पी० टी० आई० के कर्मचारियों के आन्दोलन से कम से कम यह स्पष्ट हो गया था कि प्रेस के पूंजीपतियों ने कितना पैसा उधार ले कर इन में लगाया है । आयोग ने इस के बारे में जो बातें बताई हैं वे स्वयं बहुत कुछ स्पष्ट कर देती हैं । पी० टी० आई० ने अपने कुछ निदेशकों के बारे में चंदा वसूल करने के नियमों में कुछ ढील कर दी है । २८ फरवरी १९५४ को समाचार-पत्रों पर साढ़े तीन लाख रुपये बकाया थे जिन में से ९९ हज़ार तो निदेशकों पर ही बकाया थे । पता चला है कि उन में नब्बे हज़ार रुपये ऐसे हैं जो वसूल नहीं किये जा सकते । एक निदेशक 'क' वर्ग की सेवा का लाभ उठाते हुए भी 'ख' वर्ग की सेवा का मूल्य चुकाता था । दूसरा निदेशक अपने पत्र के कई संस्करण निकालता था और अन्य केन्द्रों के अंकों के सम्बन्ध में कुछ चन्दा नहीं देता था । आयोग का विचार है कि निदेशकों को एजेंसी की दैनिक कार्य प्रणाली का प्रभारी नहीं बनाना चाहिये । यू० पी० आई० के बारे में भी प्रेस आयोग का कहना है कि कुछ समाचार पत्रों के मालिक इस के निदेशक हैं जो राष्ट्र हित में वांछनीय नहीं है । इसी कारण आयोग ने ठीक ही सुझाया है कि समाचार एजेंसियों का प्रबन्ध सार्वजनिक निगमों के द्वारा चलाया जाना चाहिये और उस के लिये न्यासधारियों का एक बोर्ड होना चाहिये । परन्तु चूंकि आयोग ने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये किसी विधान का सुझाव नहीं दिया है, यह एक पवित्र आशा मात्र रह जाती है कि पी० टी० आई० और यू० पी० आई० अपने आप को एक साधारण निगम में बदल लें ।

आयोग ने इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली के बारे में भी कुछ बातें कही हैं । विदेशी समाचारों को बस भेज ही दिया जाता है । कोई यह नहीं देखता कि उन का उपयोग

[आचार्य कृपालानी]

किया जा रहा है या नहीं । ऐसे संगठनों को अपने समाचारों के लिये इंग्लैण्ड पर निर्भर न रह कर अपने स्वयं सम्वाददाता नियुक्त करने चाहियें ।

श्रमजीवी पत्रकारों की दशा मैं पहले बता चुका हूं । वित्तीय कठिनाइयों में रह कर श्रमजीवी पत्रकार देश को प्रकाश में लाने का कार्य कैसे कर सकते हैं । आयोग ने सवा सौ रुपये का न्यूनतम वेतन और बड़े नगरों में वेतन के अतिरिक्त सौ रुपये का भत्ता सुझाया है । कुछ और भत्ते व अन्य सुविधायें भी सुझाई गई हैं । सम्पादक वर्ग को बिना किसी नियुक्ति पत्र के रखा जाता है और मालिक जब चाहे घरेलू नौकरों की भांति निकाल देता है और उन को नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाता है । आयोग ने इस उद्योग के इतिहास में पहिली बार उन की भरती, प्रशिक्षण, वेतन, पदोन्नति, सेवा निवृत्ति, उपदान, भविष्य निधि, छुट्टी, काम के घंटे और पुस्तकालय संदर्भ ग्रन्थ, विश्राम घर और यात्रा आदि की अनेक सुविधाओं का सुझाव दिया है । अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं के पत्रों की कार्यप्रणाली आदि का उल्लेख करते हुए आयोग ने, देश और प्रजातंत्र के हित में, अन्तर को दूर करने का सुझाव दिया है । कहा जाता है कि भारतीय भाषाओं के पत्रों के पास पर्याप्त धन नहीं है परन्तु मेरा विचार है कि कर्मचारियों की दशा सुधरने से इन पत्रों की बिक्री बढ़ जायेगी । प्रेस आयोग ने सम्पादकों की स्थिति को भी स्पष्ट किया है । नियुक्तिपत्र में पत्रों की बुन्यादी नीति का भी उल्लेख होना चाहिये । अन्यथा, सम्पादकों को हानि उठानी पड़ती है । सम्पादक वर्ग की नियुक्ति, दंड और उन के निकाले जाने आदि के सम्बन्ध में सम्पादक से भी परामर्श लिया जाना चाहिये ।

प्रेस की कार्य प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आयोग ने उल्लेख किया है । सरकार सात प्रतिशत विज्ञापन देती है और बहुत कुछ तैयार समाचार भी प्रदान करती है । सरकारी समाचार प्रायः विशिष्ट व्यक्तियों के विज्ञापनमात्र होते हैं । प्रेस को उन विज्ञप्तियों का आधार भी नहीं बताया जाता । प्रेस पर अनेक कानूनी बन्धन भी हैं । हाल में दंड संहिता में संशोधन कर के यह उपबन्ध रखा गया है कि सरकारी कर्मचारी सामान्य नागरिकों से प्रथक माने जायें । न्यायालयों तक में उन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं मानी गई । ब्रिटिश सरकार ने जब प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम पारित किया था, तब प्रधान मंत्री भी उस के विरुद्ध थे, क्योंकि उन के पत्र 'नेशनल हैराल्ड' की ज़मानत कई बार ज़ब्त हुई थी । पर शायद उत्तरदायित्व के साथ वह भी बदल रहे हैं ।

एक अखिल भारतीय प्रेस परिषद् बनाने की सिफ़ारिश करते हुए आयोग कहता है कि "उस परिषद का कर्तव्य प्रेस की स्वाधीनता की रक्षा करना होना चाहिये और वह पत्रकारिता के उच्च आदर्श स्थापित करने का एकमात्र उपाय होगा । वह परिषद पत्रकारिता के पेश की आचार संहिता भी बना सकेगी और शिकायतों आदि को मिटा सकेगी । परिषद में पच्चीस सदस्य होने चाहियें और उन में से १३ पेश से ही लिए जायें ।" परन्तु मेरा सुझाव है कि नए पैदा हुए प्रबन्धक सम्पादकों को ही परिषद् में न रखा जाए जैसा कि अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन के बारे में है । उत्तेजक समाचार छापने वाले पत्र (यलो प्रेस) दो प्रकार के होते हैं । एक तो व्यक्तियों पर दोषारोपण करने वाले और दूसरे सरकार पर । पहिले वर्ग के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति अपना उपचार स्वयं कर लेंगे, यद्यपि उन के बारे में भी कुछ किया जाना चाहिए ।

दूसरे वर्ग के बारे में मैं समझता हूं कि चूंकि पूंजीपतियों के पत्रों में उच्च-अधिकारियों की धांदली आदि के बारे में कोई समाचार नहीं छपते, इसलिए इस प्रकार के पत्र प्रकाशित होते हैं । यदि सामान्य पत्र भी जनता की शिकायतें और सरकारी उच्च-पदाधिकारियों की धांदलियां प्रकाशित करने लगें तो इस वर्ग के पत्र सदा को बन्द हो जायेंगे । परन्तु सरकार ने दोषारोपण करने वाले समाचारपत्रों पर कभी कोई अभियोग नहीं चलाया और इस से जनता का सन्देह और भी बढ़ जाता है । यदि सामान्य पत्र जनता की शिकायतें प्रकाशित करने लगें तो दोषारोपण करने वाले पत्र स्वतः बन्द हो जायेंगे ।

श्री रघूरामैया : मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत कर रखा है जिस में प्रेस आयोग की सिफारिशों का समान्य रूप से अनुमोदन किया गया है । किसी 'वाद' के फेर में बिना पड़े मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में प्रेस आयोग की सिफ़ारिशों का स्वागत करता हूं । सामान्य नागरिक यही चाहता है कि उसे सस्ते से सस्ते में समाचार पढ़ने को मिलें और उस उद्योग के कर्मचारियों के साथ न्याय हो और उन को प्रशासन और नियंत्रण में हिस्सा मिलेत था छोटे मोटे समाचार पत्र भी जीवित रह सकें । इन दृष्टियों से हाल के वर्षों में दिये गये प्रतिवेदनों में इस से अधिक सन्तोषजनक प्रतिवेदन देखने में नहीं आता । अतः सभी चाहते हैं कि इसे तुरन्त कार्यान्वित किया जाए ।

इस प्रतिवेदन का सब से महत्वपूर्ण सुझाव श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में है जो उनको उचित वेतन और उद्योग के प्रशासन में उचित हिस्सा देता है । देश का प्रत्येक व्यक्ति तबतक बड़ा ही प्रजातंत्रवादी, समाजवादी और सत्यवादी बना रहता है जब तक स्वयं उस पर आंच नहीं आती । प्रेस के एक पूंजीपति महोदय जोतने वालों को जमीन दिये जाने के बड़े हामी थे परन्तु जब पत्रकारों को हिस्सा देने की बात आई तो वह नाना प्रकार के तर्क और आपत्तियां करने लगे ।

देश में सभी इस बात पर पूर्णतया एकमत हैं कि श्रमजीवी पत्रकारों को जीवन-यापन योग्य वेतन दिया जाए । जब तक वह भूखे रहेंगे । देश में न तो अच्छे समाचार-पत्र निकल सकेंगे और न देश में शान्ति व समृद्धि ही आ सकेगी । मैं ने देश में बहुत से लोगों से इस बारे में बात की है और प्रेस के उक्त पूंजीपति को छोड़ कर, किसी का भी यह कहने का साहस नहीं था कि इस सिफारिश को क्रियान्वित न किया जाय । हमें निश्चय ही कर्मचारियों का इस श्रेणी के प्रति न्याय करना चाहिए ।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रेस परिषद् तथा पी० टी० आई० में भाग दे कर श्रमजीवी पत्रकारों के सहयोग को स्वीकार कर लिया गया है ! यह उचित भी है कि पी० टी० आई० का पुर्नसंगठन किया जाए । कोई कारण नहीं कि पी० टी० आई० का कार्य-प्रबन्ध इने गिने धनी व्यक्तियों के हाथ में ही रहे । भले ही उन्हों ने कितना ही धन दिया हो । मैं स्वयं यह बात पसन्द करता हूं कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि स्वयं कर्मचारी चुनें अथवा उन की संस्थायें चुनें । इसी प्रकार से मालिकों के प्रतिनिधि मालिकों की संस्थाओं द्वारा चुने जायें । हमें नाम-निर्देशन का काम सवथा मुख्य न्यायाधीश पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए । अन्त में पी० टी० आई० को सरकारी वित्तीय सहायता पर ही निर्भर करना पड़ेगा ।

मुझे मालूम हुआ है कि विभिन्न पत्रों को समाचार विभिन्न दरों पर दिये जाते हैं । वे लोग इन दरों को वसूल करने में मन-मानी करते हैं । जिन लोगों ने 'ख' श्रेणी

[श्री रघुरामैया]

की सेवा के पैसे दिये हैं उन्हें 'क' श्रेणी की सेवा मिल रही है । मैं नहीं चाहता कि इन लोगों की मनमानी को चलने दिया जाए । सरकार को उन पर ऐसा स्पष्ट कर देना चाहिये ।

पृष्ठानुसार-मूल्य-सूची के बारे में काफ़ी आलोचना हो चकी है । प्रश्न यह नहीं कि कितने सस्ते दामों पर समाचार दिये जाते हैं, वास्तव में प्रश्न यह है कि ये किस प्रकार के समाचार हैं । फिर इस में विज्ञापन कितने हैं, यह भी सोचना होगा । सिवाय रविवार के समाचार पत्रों में लोग विज्ञापनों को प्रायः नहीं पढ़ते हैं । विज्ञापन समाचार पत्रों का वास्तविक अंग नहीं हैं । विज्ञापन अधिक देने से छोटे समाचारपत्र समाप्त हो जाते हैं । इस मामले में सरकार को समाचारपत्र उद्योग को अपने विश्वास का पात्र बनाना होगा । एक बार प्रतिपृष्ठ मूल्य-सूची के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद, वास्तविक सूची तथा दरों आदि का तय किया जाना सरकार का काम होना चाहिये ।

किसी ने कहा था कि ऐसे उपबन्धों से संविधान के अनुच्छेद १६(१) का उल्लंघन होता है । आप ऐसे विचार की सीमा निश्चित नहीं कर सकते तथा संविधान का वास्तविक उद्देश्य ही अन्त में आप को सामने रखना होगा । संविधान में छोटे व्यक्तियों को समाप्त करने की चेष्टा नहीं की गई है । संविधान में सभी को अवसर की समता दी गई है ।

वर्ग पहेलियां एक निन्दा का विषय बन चुकी हैं । वास्तव में कुछेक समाचारपत्रों में तो यह एक आकर्षण का विषय है । कुछ समय पहले मैं केवल इसी विचार से पत्र खरीदा करता था । कई लाख व्यक्ति इस के कारण तबाह हो जाते हैं और कई एक को तो मरने के बाद इनाम मिलता है । यदि हम पत्रकार कला को उन्नत करना चाहते हैं तो ऐसी पहेलियां बन्द होनी चाहियें ।

दूसरी बात ज्योतिष के पूर्वकथन हैं । विवाह सम्बन्धी पूर्वकथन तो विशेषतः हानिकारक हैं । कई बार लोगों को फुसलाया जाता है कि उन का विवाह अमुक सिनेमा एक्ट्रेस से होगा और वे इसी धुन में हजारों रुपये बरबाद करते चले जाते हैं । इस प्रकार की सभी चीज़ों को बन्द होना चाहिये । लोगों को अधिक उन्नति प्रकार की बातों पर ध्यान देना चाहिये ।

इन बातों के कहने में मैं किसी विशेष 'वाद' से प्रभावित नहीं हूं । मैं जनसाधारण के लिये उन्नत प्रकार के समाचारपत्र चाहता हूं । ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि जिस में छोटा पत्र भी पनप सके । पृष्ठानुसार मूल्य सूची से भद्दी प्रकार की स्पर्धा दूर हो जायगी । अन्त में मैं श्री टी० एन० सिंह तथा श्री जयपालसिंह के प्रशंसनीय कार्य की सराहना करता हूं ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : दुर्भाग्य से १६४७ के बाद भारतीय पत्रकारिता का स्वर्णयुग समाप्त हो गया है और प्रचारक की भावना के स्थान पर आज अर्थ-प्राप्ति की भावना आ गई है । आचार्य कृपलानी ने स्वर्णयुग के अनेक पत्रकारों के नाम लिये थे, पत्र भारतभूमि को ही अपने जीवन का अंग मानने वाले दो विदेशी पत्रकारों श्रीमती एनी बेसेंट और बेंजामिन गाई होर्नीमैन को हमें न भूल जाना चाहिये ।

आज हम रे प्रेस के एक प्रमुख ने हंसी से कहा था कि उन्हों ने हत्या को छोड़ कर बाकी सभी पाप किये हैं । प्रेस के ऐसे नियायकों के हाथ में हमारे देश का भविष्य

कैसा होगा, यह स्पष्ट है । संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक के समय प्रधान मंत्री ने इस आयोग की नियुक्ति का वचन दिया था । डा० केसकर ने उस की नियुक्ति की । उस में काम करते-करते श्री चावला का हृद्गति रुकने से दुखद अवसान हो गया । बाद में जस्टिस राजाध्यक्ष की भी मृत्यु हो गई । इन दो मृत्युओं के साथ-साथ इस आयोग की सिफारिशों के कारण कुछ और मृत्युयें भी होंगी ।

इंगलैंड में राष्ट्रीय पत्रकार संघ की मांग पर १९५२ में एक आयोग की मांग की गई थी और अचंभे की बात है कि संसद के पत्रकार सदस्यों ने उस का विरोध किया था । उस में १७ सदस्य थे, जिस में दो महिलायें थीं । हमारे आयोग के १० सदस्यों में से एक भी महिला नहीं है । हमारे आयोग की रिपोर्ट इंगलैंड वाले आयोग की रिपोर्ट से कहीं मोटी है । काश यह उतनी ही अच्छी छपी भी होती । अच्छा होता यदि इस का लेखक भी एक ऐसा व्यक्ति होता, जिसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कठोर दिनों का कुछ अनुभव होता । उस स्थिति मे वह इन तथ्यों को अपेक्षतया अधिक अच्छे रूप में लिख सकता ।

इस में पांच मुख्य सिफारिशें हैं । पहले तो पृष्ठों के अनुसार मूल्य वाली प्रणाली, जिस को ले कर सारे वाद-प्रतिवाद चल रहे हैं । फिर श्रमजीवी पत्रकारों का घोषणा-पत्र, पी० टी० आई०, यू० पी० आई० और हिन्दुस्तान समाचार एजेंसियों की समस्या, प्रेस परिषद्, और अखबारी कागज के आयात के लिये राज्य-व्यापार-निगम को स्थापना है । आशा है, योग्य सचिव के साथ मंत्री जी इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर सकेंगे ।

परन्तु पृष्ठानुसार मूल्य सूची सम्बन्धी सिफारिश के कारण बहुत से छोटे-छोटे पत्र बन्द हो जायेंगे और अन्त में बड़े बड़े पत्रों को भी परेशानी होगी । हम नहीं चाहते कि कोई एक पत्र इतना प्रभावशाली हो कि राष्ट्रीय सरकार या नीति को बदल सके । वह कुछ गिने चुने प्रेस-पूंजीपतियों के हाथ में न रहे और जैसाकि इंगलैंड के राष्ट्रीय पत्रकार संघ का कथन था, "समाचार पत्रों का उत्पादन केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं होना चाहिये । समाचारपत्रों के काम को एक लोक- न्यास के रूप में माना जाना चाहिये । इस उद्योग का प्रबन्ध लोक-हित में होना चाहिये ।"

क्या यही बात हमारे यहां भी शब्दशः लागू नहीं होती ? हमारे यहां भी कुछ बड़े-बड़े पूंजीपति प्रेस का नियंत्रण अपने हाथ में ले कर जनमत और संसद् तक को प्रभावित करने के लिये आगे आ गये हैं । ब्रिटन में जब होरेबेलिशा ने शान्ति काल में अनिवार्य भरती के बारे में एक क्रान्तिकारी विधान संसद् में रखा तो वहां का प्रेस इस के विरुद्ध था और सर चर्चिल ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि 'ब्रिटिश प्रेस ने उन का वक्तव्य तक प्रकाशित करने से इनकार कर दिया, यद्यपि उन के पदत्याग करने पर पत्रों ने उस की प्रशंसा की ।

हम एक लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं । हमारे देश में पी० टी० आई० आदि समाचार एजेंसियों का नियंत्रण कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हाथ में नहीं होना चाहिये और न अखबारी कागज का नियंत्रण ही इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी जैसी संस्था के ही हाथ में होना चाहिये जिस को सदस्यता-शुल्क ही १००० रुपये है। मुझे स्वयं टाइम्स आफ इंडिया और बैनेट कोलमैन एंड कम्पनी से चोर-बाजार से अखबारी कागज खरीदना पड़ा था । सरकार को यह चन्दा १००० रुपये से घटा कर १०० रुपये कर देना चाहिये

[श्री जोकीम आल्वा]

और इस संस्था को कोई विशेष रियायत न देनी चाहिये ।

आज इन प्रेस पूंजीपतियों और उन के द्वारा वर्ग पहेली आदि द्वारा अर्जित की गई विशाल राशि के समक्ष भारतीय भाषा समाचार पत्र संघ की भारी दुर्दशा हो रही है, यद्यपि उस में लोकमान्य तिलक और 'नवकल' के सम्पादक 'खादिलकर' जैसे व्यक्ति भी रह चुके हैं। १९२८ में श्री खादिलकर को न्यायाधीश ने दो वर्ष की सजा दी थी, यद्यपि भुलाबाई देसाई और श्री बी० जी० खेर ने उन की ओर से वकालत की थी । क्या राष्ट्रीय सरकार आज प्रेस-पूंजीपतियों के हाथों इन महान् पत्रों की हत्या होती हुई देखती रहेगी और उन की सहायता न करेगी ?

औद्योगिक वित्त निगम भी इन पूंजीपतियों को ही ऋण देता है। वे एक करोड़ रुपये लगा कर एक करोड़ इस निगम से ले लेते हैं और एक करोड़ सरकार से लेते हैं। उधर पूंजी की कमी के कारण छोटे-छोटे पत्र अकाल में ही काल कवलित हो जाते हैं। आज भारतीय समाचार-पत्रों के स्वामी ब्रिटिश और अमरीकी विज्ञापन-दाता हैं, जो जे० वाल्टर थौम्पसन जैसी पांच बड़ी-बड़ी एजेंसियों के द्वारा काम चलाते हैं । इन एजेंसियों में भारतीय व्यक्ति होने चाहियें । मैं ने इस बात का उल्लेख करते हुए जस्टिस राजाध्यक्ष से कहा था कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से कहा जाये कि वह एक करोड़ रुपये से अधिक की आय वाली कम्पनियों को १।। प्रतिशत विज्ञापन पर खर्च करने दे। इस से प्राय: ३ करोड़ रुपये विज्ञापनों से प्राप्त हो सकेंगे । आज प्रधान मंत्री और ५० अन्य सदस्य भी उस लीवर ब्रादर्स के वरुद्धि कुछ कहें, जो आज भारतीय साबुन उद्योग की एक मुसीबत हैं, तो कोई भी समाचार-पत्र उसे न छापेगा । अंग्रेजी पत्रों में ७० प्रतिशत स्थान विज्ञापन लेते हैं, ३० प्रतिशत समाचार आदि । पृष्ठानुसार मूल्य से भाषा-पत्रों को लाभ पहुंचेगा । तभी अंग्रेजी पत्र इस का विरोध कर रहे हैं । परन्तु भाषा-पत्रों के विकास के लिये यह उपयुक्त है और उन्हें प्रोत्साहन मिलना ही चाहिये । उन का परिचालन भी बहुत अधिक है ।

हमारा प्रेस कुछ पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहना चाहिये । इन सिफारिशों पर स्टेट्समैन के सम्पादक श्री जौनसन ने कहा था कि इन से इस उद्योग को हानि पहुंचेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

चौतीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है जो १७ अगस्त, १९५५ को सभा में प्रस्तुत किया गया था ।"

इस प्रतिवेदन में चार विधेयकों का वर्गीकरण है, जिन में से दो वर्ग 'क' और दो वर्ग 'ख' में रखे गये हैं । सभी विधेयकों का पुनर्वर्गीकरण भी किया गया है । परिशिष्ट ३ में २५ विधेयकों के लिये समय भी नियत किया गया है । आशा है, सभा इसे स्वीकार कर लेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि संशोधन नहीं रखे गये हैं, अतः मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है, जो १७ अगस्त, १९५५ को सभा में प्रस्तुत किया गया था ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब पुरःस्थापन के लिये कुछ विधेयक हैं । पहला विधेयक श्री बी० दास के नाम से है, वह उपस्थित नहीं हैं । दूसरा भी उन्हीं के नाम से है । तीसरा डा० एन० बी० खरे के नाम से हैं, वह भी अनुपस्थिति हैं ।

अतः हम विचाराधीन विधेयकों को लेंगे ।

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री सी० आर० नरसिंहन् द्वारा ५ अगस्त, १९५४ को प्रस्तुत विधेयक के विचार-प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णागिरि) : विधेयक के लक्ष्य और कारणों के विवरण में बताया गया है कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद १८ (२) के अनुसार विदेशी राज्यों से उपाधियां स्वीकार करना निषिद्ध है, तथापि इस के उल्लंघन के लिये वहां पर कोई दंड नहीं विहित किया गया है ।

227 LSD

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

हाल में विश्व में चलते हुए शीत-युद्ध के कारण बड़े-बड़े, बीच के और छोटे देशों और देशों के गुटों में यह होड़ चल रही है कि अन्य राष्ट्रों और वहां के नागरिकों को नाना प्रकार के लालच दे कर अपनी ओर मिलाया जाये, जिस से वे उन राज्यों के पक्ष में बात कर सकें । भारतीय नागरिकों के लिये इस प्रकार विदेशों के नेतृत्व में चलना वांछनीय न होगा । निर्धन नागरिक इन खिताबों आदि के शिकार बन सकते हैं । परन्तु खिताबों के ग्रहण पर ही रोक लगाना काफी नहीं है, अतः उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है कि विदेशों के उपहार ग्रहण करना हमारे लिये निन्दनीय है और देश के कल्याण और सुरक्षा में उस से बाधा पहुंच सकती है । अतः इस विधेयक का उद्देश्य पहले तो विदेशियों की उपाधियों के ग्रहण को दंड्य बनाना है और दूसरा इस रोक का क्षेत्र विस्तृत कर के विदेशी उपहारों को भी इस में शामिल कर लेना है ।

संविधान में इस उपबन्ध के रखे जाने के समय भी यह बात उठाई गई थी कि क्या इस का उल्लंघन दंडनीय रहेगा । उस चर्चा में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने भी भाग लिया और श्री कामत ने कहा था कि इस उपबन्ध के उल्लंघन के लिये दण्ड न रख कर इस उपबन्ध का यों ही रखा जाना व्यर्थ है । इस के उत्तर में डा० अम्बेदकर ने कहा था : "संसद् इस बारे में विधि बना सकेगी । प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर यह शर्त लगाई जा रही है कि यदि वह देश का नागरिक बना रहना चाहता है, तो उसे इस कर्त्तव्य का पालन करना होगा । उल्लंघन करने पर संसद् उस के लिये दंड विहित कर सकेगी । एक दंड नागरिकता का छीन लिया जाना ही होगा । यदि कोई व्यक्ति उपाधि ले कर संविधान के इस उपबन्ध का उल्लंघन

[श्री सी० आर० नरसिंहन]

करता है, तो यह स्पष्ट है कि संसद् को यह देखना होगा कि कोई व्यक्ति उस का उल्लंघन न करे ।"

संविधान के प्रमुख निर्माता का यह मत था । मैं नहीं समझता कि इस से अधिक और कुछ बात मेरे विधेयक के समर्थन में कही जा सकती है ।

श्री राने (भुसावल) : संविधान के प्रभावी होने के बाद कितनी उपाधियां दी गईं ?

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मैं उसे बाद में लूंगा । राजभक्त लोगों को ये खिताब देना इस देश पर कब्ज़ा बनाये रखने की एक प्रमुख नीति थी । डा० टैगोर ने वायसराय को वह चिर-स्मरणीय पत्र लिखते समय उन्हें "दासता का बैज" बताया था । असहयोग आन्दोलन में खिताबों का त्याग एक प्रमुख बात मानी गई थी । बहुत से लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था । इस कार्यक्रम में नेताओं को भारी सफलता मिली थी । असहयोग आंदोलन में सब से पहले खिताबों का बहिष्कार किया गया, फिर स्कूलों-कालेजों आदि का । इसी से संविधान में यह उपबन्ध आवश्यक हो गया था । संविधान के एक व्याख्याता ने भी अनुच्छेद १८(२) की व्याख्या में लिखा है कि नागरिकों में समानता रखने के लिये ही यह उपबन्ध रखा गया है, जिस से लोग बाहर से खिताब न ले सकें और उन की देशभक्ति विभक्त न हो जाये । स्पष्ट है कि संविधान के निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि कोई भी नागरिक किसी विदेशी शक्ति का आभारी न रहे और सर्वांश में भारतीय बना रहे ।

संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं के सम्मुख यह विचार अवश्य था कि इस प्रकार के ख़िताब भविष्य में नहीं दिये जायेंगे । वे अवश्य जानते होंगे कि धीरे धीरे हमें इन खिताबों को बन्द करना है । परन्तु जहां हम ने खिताब लेने पर प्रतिबन्ध लगाया, वहां इस सम्बन्ध में कोई दण्ड नहीं रखा । कुछ व्यक्तियों का ऐसा विचार होगा कि इस प्रकार का नियंत्रण लगाने से वैज्ञानिक इनामों पर इस का बुरा प्रभाव होगा । परन्तु संविधान में उप-बन्धित है कि यह प्रतिबन्ध केवल उन्हीं सरकारों के अभिस्वीकरण पर है जिन का अपनी जनता पर राजनैतिक नियंत्रण है ।

उपहारों के सम्बन्ध में स्वामी विवेका-नन्द ने लिखा है कि "उपहार लेने वाले के मन पर उपहार देने वाले का मन हावी हो जाता है और इस प्रकार उपहार लेने वाला उपहार देने वाले का सेवक हो जाता है । इसलिये उपहार नहीं लेना चाहिये ।" मेरा विचार है कि वर्तमान राजनैतिक वातावरण ऐसा है कि उपहार नहीं लेने चाहियें ।

मैं उन राज्यों तथा सरकारों का अनादर नहीं कर रहा हूं जो हमारे देशवासियों को इतना आदर देते हैं । प्रत्युत मेरा यह कथन है कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिये जिस से किसी विशेष राजनैतिक दल का हमारे नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ सके । जैसा कि श्री राने ने कहा कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि हमारी गुलामी की प्रवृत्ति अभी बदली नहीं गई है तथा हम विदेशी मान्यताओं के पीछे भाग रहे हैं । तथा इसी प्रकार के विचार 'हरिजन' के सम्पादक के भी हैं जो जनता के व्यक्ति हैं । उन का भी यही विचार है कि देश में अभी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं हुआ ।

मैं एक उदाहरण देता हूं। कुछ दिन पूर्व 'हिन्दुस्तान टाइम्स' क्या लगभग देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि ओरियन्टल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कम्पनी की ८०वीं सार्वजनिक बैठक में सर कोवास जी जहांगीर, वैसेमेट, सी० वी० ई०, के० सी० आई० ई० ने सभापति पद से भाषण दिया। ऐसे भाषणों के छपवाने के लिये भुगतान करना पड़ता है। आप अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार हम वैदेशिक खिताबों के पीछें दौड़ते हैं।

जब इस प्रकार का कोई अपराध होता है तो यदि वह अपराध बड़ा हुआ तो हमारे गृह उपमंत्री यह कह देते हैं कि यह अपराध नहीं है परन्तु जब इसी प्रकार के अपराध लगातार होने लगते हैं तब यह मामले इतने छोटे हैं जिन के लिये किसी विधान की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

मेरे विचार से हमें विधान अवश्य बनना चाहिये जिस से जनता को ज्ञात हो जाये कि राज्य के हित के लिये उन्हें क्या करना चाहिये। केवल किसी विधान को दण्ड के लिये ही प्रस्तुत नहीं किया जाता उस का उद्देश्य जनता को शिक्षित करने का भी होता है। जब किसी कर्मचारी को कोई खिताब मिलता है तो उस का यह कहना होता है कि उस को जबरदस्ती दे दी गई यद्यपि वह उस को नहीं लेना चाहता था। इसलिये हमें दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिये जिस से हमारे देश के नागरिकों को ही नहीं प्रत्येक विदेशों की सरकारों को भी यह ज्ञात हो जाये कि हमारे यहां किस प्रकार की व्यवस्था है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : यह विधेयक देखने में बहुत ही सीधा सा विधेयक प्रतीत होता है तथा मुझे खेद है कि इस प्रकार के विधेयक की मुझे आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती।

संविधान के अनुच्छेद १८ में मूलभूत अधिकारों की चर्चा है। इस अनुच्छेद को बनाते समय संविधान निर्माताओं के समक्ष यह उद्देश्य होगा कि भारत के नागरिक पर देश के कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करने का उत्तरदायित्व न आ जाये। अनुच्छेद १८ के द्वारा भी भारत की सरकार भी, भारत के नागरिक को कोई खिताब नहीं दे सकती है परन्तु सम्मानित अवश्य करती है। इस अनुच्छेद के बनाने वालों का एक उद्देश्य यह था कि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा न रखे। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिये जाने पर भी यह प्रश्न उठा था तथा विशेषज्ञों की राय यह थी कि किसी को सम्मान देना इस विधेयक के अधीन नहीं आता है। केवल इस का यही उद्देश्य था कि इंगलिस्तान के समान यहां भी, लार्ड, पीयर न बन पाये तथा एक नागरिक, तथा दूसरे नागरिक में कोई अन्तर, न हो कर, सब एक समान रहें। इस के पश्चात् मेरे मित्र ने यह बताया कि अनुच्छेद १८ को तोड़ने का कोई दण्ड निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिये कि हम अपने इन अधिकारों के लिये किसी भी न्यायालय में जा कर इन को लागू करने के लिये कह सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिये। इस विधेयक के खण्ड ४ में यह दिया हुआ है कि 'भारत का कोई भी नागरिक, यदि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट अथवा उपहार लेता है तो उस को जुर्माने अथवा दो वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जाये तथा दण्ड देने के पश्चात्

[श्री ए० एम० थामस]

न्यायालय उस भेंट तथा उपहार अथवा उस के अन्य किसी रूप को जब्त कर सकता है । अब यदि इस उपबन्ध को लागू किया जाता है तो स्वयं हमारे प्रधान मंत्री भी दोषी सिद्ध होते हैं क्योंकि समाचारों के अनुसार रूस में उन पर बहुत उपहार आदि निछावर किये गये ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : राज्य द्वारा नहीं ।

श्री ए० एम० थामस : इस उपबन्ध के अधीन सर्वप्रथम हमारे प्रधान मंत्री आते हैं । इस के अतिरिक्त नोबल प्राइज़ आदि के लिये मेरे मित्र यह कह सकते हैं कि यह सब खण्ड ५ के अधीन छोड़ दिये गये हैं परन्तु अन्य खण्डों तथा खण्ड ५ में कुछ विभिन्नता का पता लगाना बड़ा कठिन है ।

मैं अपने मित्र से इस बात में बिल्कुल एकमत हूं हमें देशभक्त अवश्य होना चाहिये तथा यदि इस प्रकार की खिताबों, भेंटों आदि से हमारी देशभक्ति में कोई अन्तर आता हो तो यह इस को प्रोत्साहन कभी भी नहीं मिलना चाहिये । इसलिये मेरा विचार है कि जब कोई विदेशी राज्य किसी भारतीय को कोई खिताब अथवा भेंट देना चाहता हो तो भारत सरकार की सलाह आवश्यक होनी चाहिये । वास्तव में सम्भावना यही है कि खिताब आदि के देते समय भारत सरकार से पहले ही विचार विमर्श कर लिया जायेगा ।

मेरा विश्वास है कि विभिन्न सरकारों में, सम्मान देने की एक परम्परा हो गई है अतः इस प्रकार के विधेयक से इस पर नियंत्रण लगाना हमारे लिये उपयुक्त न होगा । विदेश से, धार्मिक तथा पूर्त संस्थाओं को भी सहायता तथा भेंट आती है । इस पर भी नियंत्रण लग जायेगा । मेरे विचार से हमें इस प्रकार के प्रश्नों को विदेशों से सरकारी स्तर पर पत्र व्यवहार आदि के द्वारा निश्चित करना चाहिये । मैं इस विधेयक की आवश्यकता नहीं समझता हूं, अतः इस का विरोध करता हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : आज सभा में मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि विदेशों से उपाधि तथा भेंट स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है । परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि खिताबों और भेंटो आदि पूंजीवादी तथा प्रतिस्पर्धी समाज के प्रतीक हैं । हमें स्मरण रखना चाहिये कि हम ने एक वर्गहीन समाज बनाना है और फिर जब स्वयं भारत सरकार द्वारा दिये गये खिताब आदि विधिपूर्ण नहीं है तो विदेशी सरकार द्वारा दिये गये खिताब आदि कैसे माने जा सकते हैं, स्वीकार की जा सकती हैं ।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर-पूर्निया) : भारत रत्न, क्या है ?

श्री डी० सी० शर्मा : 'भारत रत्न' कोई खिताब नहीं है । मैक्सिको के संयुक्त राज्य ; फिलिपाइन, अमरीका, आयरलैंड, टर्की आदि में विदेशी उपाधियों पर प्रतिबन्ध हैं । मेरे विचार से इन देशों के संविधानों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपबन्ध है । इसलिये मेरे मित्र श्री सी० आर० नरसिंहन् का यह सुझाव कि सभी व्यक्तियों के उपाधि लेने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, ठीक ही है ।

मैं श्री थामस से सहमत हूं कि अन्य राष्ट्र के प्रति किसी भारतीय नागरिक की निष्ठा नहीं होनी चाहिये । श्री थामस ने यह भी कहा कि हमारे प्रधान मंत्री विदेशों

से इतनी भेंट लाये हैं। मैं उन को यह बात देना चाहता हूं कि उन्हों ने भारत के नेता, भारत के प्रतिनिधि के रूप में यह भेंट तथा उपहार स्वीकार किये थे।

इस के पश्चात् यह कहा गया कि इस विधेयक के द्वारा हम मनोवृत्ति को बदलना चाहते हैं। यह ठीक भी है। इस के द्वारा हमारे नागरिक अपने गुणों की मान्यता के लिये, भारत की ओर ही देखेंगे। कुछ उपाधि तथा भेंट राजनैतिक कारणों तथा अन्य कारणों से दिये जाते हैं तथा कुछ विद्वत्ता के कारण दिये जाते हैं। तथा इसी के लिये खण्ड ५ में अपवाद भी रखा गया है कि अपनी विद्वत्ता से यदि कोई भारतीय विद्वान कोई उपाधि लेता है तो मेरे विचार से इस में कोई हानि नहीं है तथा उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। मेरा मत है कि महत्वपूर्ण विधेयक को जिस के द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है, स्वीकार कर लेना चाहिये। परन्तु इस में दंड अधिक रखा गया है और मैं चाहता हूं कि इस के द्वारा निर्धारित दण्ड को कम कर देना तथा केवल जुर्माना ही रखना चाहिये। मेरे विचार से यह विधेयक संविधान की धाराओं के अनुरूप है। मैं सभा से इस की स्वीकृति की सिफारिश करता हूं।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : इस विधेयक के सिद्धान्त के सम्बन्ध में सभी एकमत हैं परन्तु केवल अब प्रश्न यही है कि क्या वर्तमान स्थिति में यह अत्यावश्यक है या नहीं।

अंग्रेजी काल में सभी जनता इन खिताबों की विरोधी थी तथा इन खिताबधारियों को बुरी नज़र से देखती थी। परन्तु कुछ व्यक्ति अब भी इन खिताबों का प्रयोग करते हैं।

श्री नरसिंहन यह भूल गये कि संविधान के अनुसार मित्र राष्ट्रों को विदेशी नहीं समझा जाता है। इस के अतिरिक्त राजा महाराजा अब भी अपनी खिताबों का प्रयोग करते हैं। तथा इसी ओर यह विधेयक कुछ लाभ कर सकता है परन्तु इस से हानि भी बहुत है।

विधेयक में दिया है कि 'कोई भी विदेशी संस्था हो'। परन्तु कुछ संस्थायें दूध का पाउडर भेजती हैं। मेरे विचार से इस प्रकार की लाभदायक वस्तुयें अवश्य आनी चाहियें।

माननीय सदस्य ने दासता की मनोवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ कहा था। इस प्रकार का सन्देह करना ही गुलाम मनोवृत्ति है क्योंकि जब भी कभी किसी व्यक्ति की इस प्रकार की मनोवृत्ति होती है जनता उस का स्वयं बहिष्कार कर देती है। इसलिये मुझे इस की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है।

मेरे मित्र श्री थामस ने धार्मिक उपाधियों के सम्बन्ध में कहा। देश में बहुत थोड़े ऐसे व्यक्ति हैं जिन का धार्मिक गुरु 'पोप' है वही कुछ उपाधियां देते हैं।

मैं नहीं चाहता कि इन खिताबों को पाने वाले व्यक्ति उन का प्रदर्शन मात्र भी करें। परन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि उन की निष्ठा विदेशों के प्रति है। मेरे माननीय मित्र श्री डी० सी० शर्मा ने विभिन्न देशों के संविधानों के उद्धरण देते हुए बताया था कि विश्व भर में उन पर रोक लगी हुई है। परन्तु दुनिया के सभी सभ्य देशों में विदेशी खिताब और सम्मान प्रचलित रहे हैं और हमें इस साधारण से मामले पर चर्चा में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री कामत (होशंगाबाद) : स्टालिन शान्ति पदक पर भी रोक लगनी चाहिये।

श्री पुन्नूस : वह एक समिति द्वारा शान्ति के लिये काम करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय

[श्री पुन्नूस]

नेताओं को दिया जाता है, पर उस पर भी रोक लग सकती है। जब ६५ करोड़ व्यक्तियों के एक आन्दोलन के प्रतिनिधियों द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो हमारे द्वारा मान्यता न देने से क्या होता है। पर इस बारे में ऐसा संकुचित दृष्टिकोण अपना कर हम दुनियां की आंखों में गिर जायेंगे। अतः मेरी समझ से इस विधेयक के पास होने की कोई जरूरत नहीं है।

कुमारी एनी मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का घोर विरोध करती हूं क्योंकि यह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री की भावना पर एक आक्षेप है, और विकास आदि के लिये हमें आज तक प्राप्त हुई भेंटों, उपहारों आदि के प्रति हमारी घोर अकृतज्ञता प्रकट करता है।

मुझे संविधान का अनुच्छेद १८(२) असंगत मालूम होता है। हमें संविधान भी संशोधित करना होगा। कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से सम्बद्ध हुए बिना रह नहीं सकता। इस विधेयक में दूरदर्शिता का अभाव है। हम ने अपनी पंचवर्षीय योजना में प्राविधिक सहयोग आदि की आवश्यकता मानी है, अतः यह विधेयक सर्वथा असंगत है।

इसी प्रकार यदि विदेश वाले समझते हैं कि खिताब विशेष को ग्रहण करने का गुण एक भारतीय में है, तो हमें वह खिताब किस कारण से ग्रहण नहीं करना चाहिये? संविधान से भी यह उपबन्ध निकाल दिया जाना चाहिये। हाल में हमारे इंगलैण्ड स्थित राजदूत को कानून में डाक्टरेट प्रदान की गई थी। बाहर के लोग भी कद्र करना जानते हैं। हम इसे प्रोत्साहित न करें, पर हमें रोक नहीं लगानी चाहिये।

सभापति महोदय : संविधान में संशोधन के लिये एक पृथक् विधेयक रखा जा सकता है। प्रस्तुत विधेयक के प्रसंग में भाषण देते हुए यह नहीं किया जा सकता।

कुमारी एनी मैस्करीन : किसी भी विधान आदि को बना कर हमें बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री में बाधा नहीं डालनी चाहियें।

मेरे मित्र श्री पुन्नूस ने पोप द्वारा दी गई दूध की भेंट और खिताबों का उल्लेख किया था। युद्ध या अकाल की स्थिति में यह ठीक है, पर सामान्यतः प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिष्ठा इसी में है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। यदि कोई राष्ट्र अकालग्रस्त हो, तो वह ऐसी भेंटें ले सकता है, पर वे भेंट देने वाले राष्ट्रों द्वारा होने वाले शोषण का साधन न बनने दी जानी चाहिये। पोप के द्वारा दिये गये खिताबों के बारे में मुझे यह कहना है कि यह खिताब पोप धर्मपिता के रूप में धार्मिक आधार पर अपने कैथोलिक परिवार के किसी भी सदस्य को, जो उन के पुत्र के समान हैं, देते हैं और उन का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस विधेयक पर विशेषतः खंड ४ पर चर्चा के लिये अवसर नहीं दिया जाना चाहिये था। खंड ५ छात्रवृत्तियों आदि को इस से विमुक्ति देता है। मैं नहीं समझती कि यह खंड विधेयक से कहां तक संगत है। श्री सी० वी० रमन जैसे व्यक्ति अपनी वैज्ञानिक खोज के कारण भारत की ही नहीं, सारी दुनियां की एक विभूति बन जाते हैं। मैं इस विधेयक को संकुचित भावना वाला मानती हूं। इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिये।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं विधेयक के प्रस्तावक की भावना से तो सहमत हूं, पर विधेयक के विधि-शब्दों के बारे में पूर्णतः असहमत हूं। आज कल लोग

विधान बना कर दंड विहित कर देना ही प्रत्येक रोग का एकमात्र इलाज समझने लगे हैं, जो ठीक नहीं है । कम्पनी विधेयक में ही हम दंड सम्बन्धी १६९ खंड रखने जा रहे हैं । यदि मनोवृत्ति यही रही तो प्रत्येक नागरिक अपराधी बन जाने के खतरे में रहेगा ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद १८ (२) के अनुसार कोई भी नागरिक विदेशों से खिताब ग्रहण नहीं कर सकता । सं० रा० अमरीका, जापान और आयरलैंड के संविधानों में भी ऐसे उपबन्ध हैं, पर कहीं भी उसे दंड्य नहीं बनाया गया है । यह विधेयक हमारे संविधान के उपबन्ध से भी आगे चला जाता है ।

संविधान के अनुच्छेद ३६७(३) के अनुसार विदेशी राज्य का अर्थ भारत को छोड़ किसी भी राज्य से है, पर इस विधेयक के खंड (२) में दी गई परिभाषा के अनुसार उस में विदेशी राज्य की कोई भी संस्था या संगठन शामिल किया गया है । इस से तो नोबेल पुरस्कार जैसे ज्ञान, विज्ञान और शान्ति के पुरस्कारों पर भी रोक लगानी पड़ेगी । खंड ५ की विमुक्तियों ने और भी गड़बड़ पैदा कर दी है । तदनुसार साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलना दंड्य नहीं है, पर खेल-कूद आदि में उस का मिलना दंड्य है । और दो वर्ष तक की सजा दी जा सकती है । हमारे देश का कोई नागरिक विदेश जा कर कुछ वीरता या साहस का कार्य करता है और उसे कुछ उपाहार मिलते हैं, पर देश में आने पर उसे इस विधेयक के अनुसार दो वर्ष की सजा मिलेगी । अतः भले ही इस विधेयक की भावना अच्छी हो, उस के शब्द उपयुक्त नहीं हैं । मुझे उस की भाषा पर आपत्ति है, भावों पर नहीं । उस से कुछ ऐसे प्रतिफल पैदा हो जायेंगे, जिन पर विधेयक के प्रस्तावक तक को बाद में खेद होगा । अपनी भावनाओं की झोंक में हमें एक उपहासास्पद और अव्यावहारिक विधान पास नहीं कर देना चाहिये ।

मान लो कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी दल के साथ पुनः एवरिस्ट विजय करता है और उसे विदेश जाने पर कुछ सम्मान और उपहार आदि मिलते हैं, तो देश में आने पर उसे विधेयक की भाषा के अनुसार दो वर्ष की जेल का पुरस्कार मिलेगा ।

भेंट और उपहार का भेद भी विधेयक में स्पष्ट नहीं किया गया है । विदेशी राज्य की परिभाषा में भी गड़बड़ की गई है । इस प्रकार की आलेखन की भूलों के कारण यह विधेयक सर्वथा अव्यावहारिक हो जाता है । मैं चाहता हूं इस विधेयक पर आगे कोई कार्यवाही न की जाये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : श्री सी० आर० नरसिंहन् का यह विधेयक मुझे अनावश्यक लगता है, क्योंकि उस का प्रयोजन तो संविधान से ही सिद्ध हो जाता है । अनुच्छेद १८ दंड तो विहित नहीं करता, पर स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी नागरिक कोई विदेशी खिताब स्वीकार न करेगा । उसे जेल भेजने का प्रश्न ही नहीं है । वह खिताब उसे मिला हुआ माना ही न जायेगा ।

पश्चिम की कुछ बुरी चीजों का हम अनुकरण करते जा रहे हैं । हर वर्ष राष्ट्रपति कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खिताब देते हैं, यद्यपि यह संविधान की भावना के विरुद्ध है । आज खिताब देने का अर्थ उस व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का अन्त कर देना है यदि हम किसी व्यक्ति को सम्मान दे कर उसे खिताब देना चाहते हैं, तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि खिताब देने में कोई बुराई नहीं है । पर संविधान इसे पसन्द नहीं करता । ब्रिटिश राज्य में खिताब लेना

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

एक फैशन था । आज स्थिति और वातावरण बदल गया है । आज हमें भारत में या बाहर खिताब दिये जाने को उचित न मानना चाहिये । पर इस के लिये दंड विहित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविधान के एक अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विदेशी खिताब लेता है, तो वह स्वतः उस से वंचित माना जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि व्यावहारिक जीवन में खिताब, भेंट और उपहार ग्रहण करना आवश्यक हो सकता है । श्री मोरे कभी-कभी बड़ी रुचिकर अन्तर्बाधायें करते हैं, इस के लिये उन्हें खिताब मिलना चाहिये और उन से आगे से मौन रहने को कहा जाये । मैं ने इस बारे में श्री मोरे से कहा, तो वह खिताब लेने को तैयार हो गये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : आप मेरी बात ठीक-ठीक नहीं बता रहे हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : उन्हें ठीक-ठीक न बताने के लिये खिताब दिया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पर उन्हों ने अन्तर्बाधा तो ठीक ही की ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इसी से मैं ने रुचिकर अन्तर्बाधा देने के लिये खिताब सुझाया था ।

५ म० प०

इस विधेयक का प्रयोजन संविधान से ही सिद्ध हो जाता है । इस में कई त्रुटियां भी हैं । 'विदेशी राज्य' की परिभाषा में भी त्रुटि है । यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय संघ हमारे किसी कवि को राष्ट्र कवि का खिताब दें, तो वह खंड २ की विमुक्तियों में नहीं आता । आशा है, माननीय सदस्य अपना विधेयक वापस ले लेंगे ।

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : यद्यपि सरकार और इस सभा के अनेक सदस्यों के मत से यह विधेयक अनावश्यक है, तथापि पूरे प्रश्न पर बड़ी अच्छी और रुचिकर चर्चा हुई है । इस प्रश्न पर कई दृष्टिकोणों से विचार किया गया है और इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है कि क्या हमें दंडात्मक विधियां बना कर किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा को दुरुत्साहित करना चाहिये ।

इन सब मामलों में, जैसा श्री टेकचन्द ने ठीक ही सुझाया था, हमें यह देखना है कि संविधान में दिये गये विशिष्ट निदेश का उल्लंघन क्या इतना सर्वसाधारण और इस सीमा तक हो गया है कि एक दंडात्मक विधान बना कर या दंड विहित कर के उस का रोकना आवश्यक हो गया हो । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह बहुत बड़ी कसौटी है ।

इसलिये एक छोटा सा प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद १८ का उल्लंघन इतना अधिक हो गया है कि एक दंडात्मक विधान पारित करना आवश्यक हो गया हो । इन सब मामलों में हमें सावधान रहना होगा जब तक कोई मामला लोकहित के लिये बड़ी भारी चिन्ता का विषय न बन गया हो, तब तक साधारणतः हमें ये सब प्रश्न जनता के सद्भाव के ऊपर छोड़ देने चाहियें ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

अतः प्रश्न यह है कि क्या यह बुराई इतनी अधिक बढ़ गई है कि इस प्रकार का विधान पास करना आवश्यक हो जाये ।

जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, उस में छोटी या बड़ी सभी बुराइयों के विरुद्ध उपबन्ध किये गये हैं । मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी अध्याय में कुछ विशिष्ट बातों का वर्णन किया गया है । जैसे अनुच्छेद

१७ में, जहां अस्पृश्यता के निषेध का प्रश्न लिया गया है । अनुच्छेद १८ में सरकार द्वारा खिताब देने या भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी विदेशी सरकार से खिताब ग्रहण करने पर निषेध लगाया गया है । ये दोनों निषेध बिलकुल निकट के अनुच्छेदों में हैं ।

जहां तक अस्पृश्यता का प्रश्न है, संविधान बनाने वालों का विश्वास था कि यह बहुत बड़ी बुराई है कि उस अधिकार विशेष का प्रयोग करने पर दंड दिया जाये । इसी कारण उस में ये शब्द प्रयुक्त किये गये हैं :

> "अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंड-नीय होगा ।"

इसलिये आप देखेंगे कि जहां तक अस्पृश्यता का, उस अध्याय में रखे गये एक निषेध का सम्बन्ध है, संविधान बनाने वालों का विचार था कि उस के बारे में न केवल निषेध या रोक होनी चाहिये, बल्कि उस रोक के विरुद्ध कुछ करने के लिये दण्ड का भी उपबन्ध होना चाहिये ।

उस अनुच्छेद के तुरन्त बाद अनुच्छेद १८ है, जिस में सरकार से खिताब न देने के लिये कहा गया है और एक भारतीय नागरिक पर भी यह रोक लगाई गई है कि वह विदेशी सरकार से खिताब स्वीकार न करे । जहां तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है, संविधान बनाने वालों ने कम से कम उस समय यह नहीं सोचा था कि इस का उल्लंघन दंडनीय बनाया जाये । अतः इस से यह स्पष्ट है कि बुराई और बुराई में ठीक ही भेद रखा गया, और कुछ मामलों में संविधान बनाने वालों का विश्वास था कि प्रश्न जनता की सद्बुद्धि पर छोड़ दिया जाये, और इसलिये संविधान में यह निषेध सरकार और जनता के बारे में रखा गया है ।

यहां जो प्रश्न उत्पन्न होता है यह है । क्या विगत पांच वर्षों में, जब से यह संविधान लागू हुआ है, भारतीय नागरिकों को ऐसी अनेकों खिताब, विभिन्न उपहार, सम्मान विदेशी सरकारों से प्राप्त हुए हैं या नहीं । अब हम ने विदेशी सरकारों के परामर्श से एक अभिसमय बना लिया है कि जब कुछ भारतीयों को कोई खिताब या अन्य वस्तु के देने का विचार हो तो दो सरकारों के बीच विचार विमर्श अवश्य होना चाहिये । अतः हम से पूछताछ होती है और केवल हमारे अनुमति देने पर ये खिताब या उपहार इन लोगों को दिये जाते हैं । सौभाग्य की बात है कि अभी हमारे लिये ऐसा समय नहीं आया है कि जब अनुच्छेद १८(२) के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो जाये कि इस सम्बन्ध में संसदीय विधि का होना आवश्यक हो जाये ।

इस सम्बन्ध में एक बात और है । यदि कोई विधि पारित हो जाती है, तो उस में अनेकों कठिनाइयां होंगी, और यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या उस कार्य के पीछे पर्याप्त अनुमति होगी जो भारत सरकार कर सकती है । उन भारतीयों के मामले पर, जो अन्य देशों में रहते हैं, उदाहरणार्थ अंग्रेजी बस्तियों में या अन्य स्थानों में, विचार करिये । वहां अनेकों वर्षों से अनेकों भारतीय रहते हैं । वे वहां उन बस्तियों तथा अन्य स्थानों के रहने वालों की भांति ही बहुत अच्छे या प्रशंसा योग्य कार्य कर रहे हैं । और मान लीजिये कि वहां की सरकारें उन्हें उन के अच्छे कार्य या प्रशंसनीय कार्य की मान्यता के उपलक्ष में, जो उन्हों ने किया है, कोई खिताब या उपहार या पारि-तोषिक देना चाहती हैं, तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि विधि को इतना दण्डनीय न बनाया जाये कि उन्हें ऐसे उपहार या अन्य वस्तुयें लेने से रोके ? प्रायः ऐसे भी

[श्री दातार]

मामले होंगे कि जिन में यह कठिनाई उत्पन्न होगी कि क्या विशिष्ट भारतीय, जो भारत का नागरिक था, उस विशिष्ट देश का नागरिक बन गया है या नहीं । मान लीजिये कि इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति उपाधि, उपहार, उपाधि प्राप्त करता है ।

तो वह वहां ही निवास किये जाता है । प्राविधिक दृष्टि से, कदाचित वह भारत का नागरिक हो । परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, क्या अभी तक कोई ऐसी अनुमति है जिस के अधीन हम इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकते हैं, क्योंकि उस ने, इस विधि का उल्लंघन किया है । अतः, ऐसे मामलों में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिये । यह ठीक है, जैसाकि कहा गया है, कि अन्य देश के प्रति निष्ठा को निरुत्साहित किया जाये । परन्तु हमें केवल ऐसी ही विधि बनानी चाहिये जिस का सम्बन्ध ऐसे प्रश्न से हो न कि अन्य प्रश्नों से जो लगभग उचित प्रकार के हों । अतः, जबकि बहुत से भारतीय विदेशों में रहते हैं--यदि मैं गलती पर न हूं तो लगभग पचास लाख --और यदि उचित रूप में वे उपहार या पारितोषिक या खिताब प्राप्त करते हैं, तो उस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये, हमारे ऊपर सामान्य प्रतिबन्ध को छोड़ कर जो हम ने भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया है, कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । अतः, सभा से मेरा निवेदन है कि अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जिन के कारण इस सम्बन्ध में विधि बनाना संसद् के लिये आवश्यक हो ।

जहां तक इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का सम्बन्ध है, यह सर्वथा स्पष्ट है । खिताबों के बारे में, उन पर पूर्ण प्रतिबन्ध हैं । आप देखेंगे कि संविधान में अनुच्छेद १८ के खंड (२) और (३) में एक भेद रखा गया है । खंड (२) में उपबन्धित है :--

"भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा ।"

यहां भारत सरकार से स्वीकृति या अनुमति लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है । परन्तु खंड (३) में यह लिखा है :--

"कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न करेगा ।"

फिर खंड ४ भी है :--

"राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न करेगा ।"

अब, वह भारतीय नागरिक या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है । ऐसे मामलों में, यह उल्लिखित है कि वह राष्ट्रपति की सम्मति के बिना किसी विदेशी राज्य से या अधीन कोई उपलब्धि, भेंट या किसी प्रकार का पद स्वीकार नहीं कर सकता । अतः, जहां तक इन दो खंडों का सम्बन्ध है, खिताबों के बारे में पूर्ण प्रतिबन्ध है और खिताबों की प्राप्ति को राष्ट्रपति की सम्मति से भी मान्यता नहीं दी जा सकती । परन्तु जहां तक औरों का सम्बन्ध है, जहां तक अन्य पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, वे केवल राष्ट्रपति की सम्मति से प्राप्त की जा सकती

हैं, अन्यथा नहीं । अतः खिताबों के बारे में यह बहुत स्पष्ट है कि खिताबों पर संविधान प्रतिबन्ध लगाता है और ये किसी भारतीय को स्वीकार नहीं करना चाहिए । मान लीजिये कि वह स्वीकार करता है--ऐसे मामले बहुत थोड़े हैं; आप देखेंगे कि विगत पांच वर्षों में ऐसे बहुत थोड़े मामलों का हमें पता चला है । कदाचित विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने अत्र तत्र कोई खिताब स्वीकार कर ली हो । परन्तु उन लोगों के सम्बन्ध में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं । परन्तु जहां तक भारत में रहने वाले भारतीयों और ऐसी विदेशी उपाधि प्राप्त करने का सम्बन्ध है, उन की संख्या केवल नाममात्र है--यदि मेरा कहना गलत हो तो इसे ठीक किया जा सकता है । इस से प्रकट होगा कि ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिस ने खिताब स्वीकार किये हों । तर्क के लिये मान लीजिये कि कोई व्यक्ति खिताब प्राप्त करता है, हम यह कर सकते हैं कि खिताब को तनिक भी मान्यता न दे कर अपनी अस्वीकृति प्रकट कर सकते हैं । जहां तक उस खिताब का सम्बन्ध है, हम उसे मान्यता नहीं देगें । सरकार एसे खिताब को मान्यता देने से मना कर देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता भी वैसा ही करेगी । अतः जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसाकि खिताबों पर संवैधानिक प्रतिबन्ध है, किसी भारतीय नागरिक को विदेशी देश से कोई खिताब स्वीकार नहीं करनी चाहिए । ऐसी स्वीकृति के लिए किसी दंड की आवश्यकता नहीं है । यदि किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को ऐसी कोई उपाधि मिलती है, तो सरकार उसे मान्यता नहीं देती, और सरकार उसे अस्वीकार करती है ।

जहां तक उपाधियों, सम्मानों और पारितोषिकों का सम्बन्ध है, उन उपाधियों, सम्मानों और पारितोषिकों को स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं है जो खिताब नहीं है । थोड़े से मामलों को छोड़ कर, सरकार ऐसे पारितोषिकों के लिए साधारणतया अनुमति नहीं देगी । कुछ अन्य मामलों का उल्लेख किया गया है । हमने जो किया है यह है कि हम ने भी कठिनाई बता दी है । यदि ऐसी विधि पारित की जाती है, तो मित्र राष्ट्रीय देशों तथा अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए उन ठीक या प्रशंसनीय कार्यों के लिए भी, जो उन्हों ने किये हैं, खिताब स्वीकार करना कठिन हो जायगा । अतः मेरा निवेदन है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कोई भी आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है ।

द्वितीय, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, जहां यह विधेयक बहुत असंगत हो जाता है और यह असंगति स्वयं एक बहुत आपत्तिजनक बात है । जैसाकि संकेत किया गया है, विदेशी राज्य की परिभाषा में कोई भी संस्था या संघ, जो विदेशी राज्य में हो, सम्मिलित होगी--उस में गैर सरकारी संस्थायें भी सम्मिलित होंगी । वहां बहुत अच्छी, अनापत्ति-जनक संस्थायें हो सकती हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हों और वे यह देख सकती हैं कि किसी उचित मामले में, किसी भारतीय को कुछ पारितोषिक दे कर प्रोत्साहित किया जाये । ऐसे मामले में, हम देखेंगे कि यह परिभाषा उस परिभाषा की अपेक्षा, जो स्वयं संविधान में दी है, बहुत विस्तृत प्रकार की है ।

अन्त में, जैसाकि बहुत ठीक ही बताया गया है, जहां तक खंड ५ का सम्बन्ध है, दण्ड विधि से जिस प्रकार के खिताब आदि को छूट दी गई है वह किसी विश्वविद्यालय या अन्य संस्था के नियमानुसार दिया गया सम्मान है, और ये अन्य संस्थायें ज्ञान के

[श्री दातार]

विकास में संलग्न विश्वविद्यालयों के अनुरूप है और विदेशी राज्य में स्थित हैं। अतः उदाहरण के लिये "नाबेल पारितोषिक" को लीजिये जो संसार में शान्ति सदृश्य स्थितियां उत्पन्न करने के लिये भरसक प्रयत्न करने वाले किसी भारतीय को दिया जा सकता है। यदि उस भारतीय का उस दिशा में प्रयत्न् इतना प्रशंसनीय समझा जाता है कि उसे वह पारितोषिक दे कर उस कार्य के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, तो उस के लिये यह सर्वथा कठिन होगा कि वह पारितोषिक स्वीकार कर सके क्योंकि ऐसी स्वयं उपलब्धि दण्डनीय होगी। अतः, आप देखेंगे कि जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है, वे लक्ष्य से पूर्णतया दूर हैं। दूसरी ओर, ऐसे विधेयक की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है। द्वितीय, यदि ऐसी विधि पारित हो जाती है, जैसाकि बहुत से माननीय सदस्यों ने संकेत किया है, इस से कठिनाइयां बढ़ जायेंगी, और हम आवश्यकता के बिना ही, कम से कम जहां तक वर्तमान परिस्थिति का सम्बन्ध है, एक दांडिक विधि संविहित-पुस्त पर रखेंगे।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक): जब संविधान सभा अनुच्छेद १८ बना रही थी, तब डा० अम्बेडकर ने दंड का उल्लेख करते हुए कहा था कि खिताब स्वीकार करने के दंड रूप में सम्बन्धित व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः इस उपबन्ध के समझने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि यह नागरिकता से सम्बद्ध एक शर्त है। परन्तु माननीय मंत्री इसे हटा रहे हैं। सम्भव है कि जिस रूप में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस रूप में वह सरकार को स्वीकार्य न हो, परन्तु सरकार को अन्य विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ताकि दंड के बारे में संविधान बनाने वालों की जो भावना थी वह संसदीय विधि द्वारा उपबन्धित हो जाये।

श्री दातार: उत्तर बहुत संक्षिप्त है। मैं सभा को बता चुका हूं कि जहां तक संविधान का सम्बन्ध है कुछ उपबन्धों में परस्पर अन्तर किया गया था। अनुच्छेद १७ में यह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, और अनुच्छेद ३५(२) में भी जिस में 'इस भाग के अनुसार अपराध घोषित होने वाले कार्यों के लिये दंड निर्धारण का' उल्लेख है। अतः, मैं यह बता रहा हूं कि जैसे कि अनर्हता की कार्यान्विति अनुच्छेद के अधीन अपराध मानी गई है, वैसे ही इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुच्छेद १८ का उल्लंघन अपराध नहीं माना गया है। अतः, जब तक हम विशेष पारित कर के इसे दंडनीय नहीं बनाते, तब तक यह दंडनीय नहीं होगी। अतः मैं यह कहूंगा कि संविधान के रचियता ने जो कहा है उस के बावजूद—कुछ भी हो यह लगभग उस का व्यक्तिगत मत होगा—संविधान में उस समय यह नहीं विचारा गया था कि अनुच्छेद १८ का उल्लंघन अपराध नहीं माना जायेगा।

जहां तक उठाई गई दूसरी बात का सम्बन्ध है, अर्थात् क्या इस क्रम पर सरकार स्वयं कोई विधेयक प्रस्तुत करेगी सरकार का मत यह है कि ऐसे विधेयक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उल्लंघन करने वालों की संख्या बहुत कम है।

श्री सी० आर० नरसिंहन्: मैं सभा का और माननीय गृह मंत्री को, जिन्हों ने मेरे विधेयक पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया, धन्यवाद देता हूं। मेरी एक इच्छा यह थी कि अन्य देश के प्रति निष्ठा को बढ़ने और पनपने न दिया जाये और मुझे बड़ी प्रसन्नता

है कि इस सम्बन्ध में यहां मेरी नियत पर शंका नहीं की गई है ।

इस मामले की वैधता के सम्बन्ध में, स्वयं संविधान से यह स्पष्ट है कि जब मूल अधिकारों के अधीन नागरिकों के अधिकार प्राप्त हैं, तो उन के कुछ आभार भी हैं । मेरा विचार था कि एक आभार यह होना चाहिये कि संविधान के इस महत्वपूर्ण उपबन्ध को दृढ़ता से माना जाये । इस के अतिरिक्त, विधेयक के दोषों का सम्बन्ध है, केवल यह एक छोटा सा है । स्वभावतः, जब किसी विधेयक पर सभा मे विचार किया जाता है, यह आशा की जाती है कि उस में सब की संयुत-बुद्धि से सुधार किये जायेंगे । सभा में विधेयक प्रस्तुत होने पर हमें इस बात से आराम नहीं होना चाहिये कि राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री जैसी विभूतियों पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा । यह एक ठीक दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर हम पक्षपातहीन हो कर चर्चा नहीं कर सकते । किसी भी प्रकार मेरे विधेयक के अधीन कोई गम्भीर बात नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्येक स्थान पर यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिये । मेरे विद्वान् मित्र ने कहा था दो वर्ष का कारावास, आदि आदि । इस का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में कारावास दो वर्ष का होगा । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि ऐसे लोगों का, जो वैधानिक समस्याओं पर बहस कर सकते हैं, ऐसी बात कहना उचित नहीं है । अच्छे कार्य करने के लिये विदेशियों से प्रशंसा की आशा करने के अनौचित्य की ओर साधारण ध्यान आकर्षित करने से मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है । गुण तो स्वयं एक पारितोषिक है और इसलिये विदेशों से पारितोषिक या मान्यता आदि पाना अवांछनीय है ।

सभा की यह साधारण इच्छा है कि अन्य देश के प्रति निष्ठा को प्रोत्साहित किया जाये । विधेयक की आवश्यकता के होने या न होने के बारे में मैं सरकार और माननीय गृह-कार्य उपमंत्री का निर्णय स्वीकार करता हूं । अतः मैं विधेयक वापिस लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सभा मुझे इस की अनुमति देगी ।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को विधेयक लेने की अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

विधेयक सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि बाल भिक्षा तथा आवारापन के निवारण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

यह एक छोटा सा विधेयक है जोकि बच्चों के बारे में है । यह आप भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में बच्चों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है । हम जब कभी दूसरे देशों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां बच्चों के सम्बन्ध में बहुत से कानून बन चुके हैं और बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था की जाती है । लेकिन हमारे देश में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । हम देखते हैं कि हमारे देश में तरक्की के और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे आबपाशी के लिये बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, देश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, खेती की उपज बढ़ाई जा रही है । लेकिन जो मानवीय शक्ति के श्रोत का सब से बड़ा आधार है, जिस से कि हमारा जीवन लहलहा उठता है, जिस से

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

देश को नेतृत्व मिलता है, उन बच्चों की तरक्की के लिये, उन में जो बुराइयां फैली हुई हैं उन के निवारण के लिये हम बिल्कुल सुस्त हैं, बहुत ढीले हैं ।

अभी १९५४ मे यू० एन० ओ० की जो रिपोर्ट आई है उस में लिखा है :

> "अपचारी, उपेक्षित, परावलम्बी, निराश्रित अथवा पीड़ित बालकों के सम्बन्ध में सामाजिक कल्याणकारी विधान बनाने में भारत की गति बहुत धीमी है ।"

यह नहीं है कि ऐसा केवल अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ही ने कहा हो । मेरे पास एक पुस्तक और है जिस का नाम है "रिपोर्ट आन डिलिनक्वेंट चिल्ड्रेन ऐंड जुविनाइल आफेंडर्स इन इंडिया" । यह पुस्तक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित की है । इस पुस्तक में भी कहा गया है कि अपचारी और प्रपीड़ित बालकों के लिये सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं का प्रबन्ध करना सभ्य समाज का कर्तव्य है । मेरे कहने का आशय यह है कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय भी इस बात को स्वीकार करता है और अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का भी यही कहना है कि हम देश में जहां जाते हैं वहां पर और अगर हम रेलों पर जायें तो छोटे छोटे बच्चे हम को भीख मांगते हुए मिलेंगे और ऐसे ऐसे कार्यों में व्यस्त पायें जाते हैं जिन को कि हम घृणित कहते हैं और जिन्हें कोई भी सभ्य समाज अपने छोटे बच्चों से कराया जाना पसन्द नहीं करता, वह काम हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ।

करीब दो साल हुए मैं ने इस सदन में एक विधेयक उपस्थित किया था जिस का कि नाम आर्फेनेजेज बिल था और जो कि अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में था । आज उस को दो साल से ज्यादा होने को आये, अनाथ बच्चों के लिये अभी तक देश में कोई प्रगति नहीं की गई है जबकि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र ही इस बिल के जो तमाम प्राविजन हैं, उन को चिल्ड्रेन बिल में शामिल कर के देश में चालू कर देंगे और सारे राज्य उसका अनुकरण करेंगे और उस से देश में अनाथों की व्यवस्था ठीक हो जायगी लेकिन हम देख रहे हैं कि बजाय हालत सुधरने के उलटे और ख़राब ही हुई है और उन की हालत आज और अधिक गिर ही गई है । राज्य सरकारों की ओर से उन को कोई ख़ास सहायता नहीं मिलती है और जो संस्थायें इस काम को चला रही हैं, वह उन को व्यवसाय के ढंग पर चला रही हैं और वह बच्चों के जीवन से खेलती हैं । आप को पता है कि दिल्ली में पिछले साल लगभग २०० छोटे छोटे बच्चों की जिन की कि उम्र ९ साल से १४ साल तक थी, वे ब्राथल हाउसेज में, वेश्यालयों में बुरी तरह से पकड़े गये और उस के अन्दर जो लोग उन से बुरा काम कराते थे, उन से पुलिस मिली हुई थी । बड़ी मुश्किल से और कुछ लोगों की सतर्कता से उन को पकड़ा गया और वहां से निकाल कर उन को एक विशेष स्थान पर रक्खा गया ताकि उन का सुधार हो सके ।

इस के अलावा मैं आप को बतलाऊं कि सोशल वेलफ़ेयर बोर्ड की एक कमेटी जो हैदराबाद गई हुई थी, उस ने यह रिपोर्ट पेश की है और जोकि अख़बारों में निकली है कि कई हजार बच्चे वहां दासता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । हमारे देश में बच्चों की ऐसी बुरी हालत है कि भारतीय संविधान की ४५वीं धारा में यह स्पष्ट लिखा गया है कि दस वर्ष के बाद हर एक चौदह वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जायगी ।

इस तरह आप देखेंगे कि हमारे विधान ने भी माना है कि दस वर्ष की अवधि के बाद चौदह वर्ष के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायगी लेकिन आप देखेंगे कि देश में छोटे बच्चों से वह काम लिये जा रहे हैं कि जो उन की अवस्था के उपयुक्त नहीं हैं और इस के परिणामस्वरूप वे बच्चे बहुत बुरे बुरे फंदों में फंस जाते हैं । उन के वालदैन की, उन के माता पिताओं की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि उन के लालन पालन और शिक्षा आदि की व्यवस्था वह नहीं कर पाते और उन से ऐसे काम लेते हैं जिन से वह बचपन में ही कुछ कमा कर लायें और आप जानते हैं कि बच्चे किस तरह से बुरी तरह काम में लगाये जाते हैं ।

दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन के कि मां, बाप तो मर जाते हैं और वह किसी न किसी के अधीन होते हैं, जो उन के गार्जियन्स या संरक्षक होते हैं, वे बच्चों को भीख मांगने भेजते हैं और उन से कहते हैं कि पैसा मांग कर लाओ, तो बच्चे ऐसे और इसी तरह के बुरेबुरे कामों में भेजे जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि जबकि राज्य की ओर से कोई ठीक व्यवस्था बच्चों के लिये नहीं होती है तो वह बच्चे बड़े बड़े दुर्गण सीख लेते हैं । उन को अच्छी शिक्षा देने के लिये तो हमारे पास समुचित व्यवस्था नहीं है, अलबत्ता बुरी शिक्षा के लिये हमारे देश में तरह तरह के साधन मौजूद हैं, मसलन् सिनेमाओं में जायें, रेलों में जायें और वहां पर भीख मांगें और इस तरह बुरे कामों को सीखें । हमारे देश की शिक्षा पद्धति में ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है कि वे गरीब बच्चे निशुल्क शिक्षा पा सकें । आज आप देश के किसी भी भाग में चले जाइये, हर जगह आप पायेंगे कि बच्चों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही चली जा रही है । आज हमारे देश के नेता इस बात पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि देश के नौजवानों को देशहित के काम में आगे आना चाहिये और उन को देश की अनेक जिम्मेदारियों को सम्हालना चाहिये । मैं समझता हूं कि उन की यह बात बहुत अच्छी है और स्वागत योग्य है, लेकिन आखिर हमारे नौजवान उन छोटे छोटे नवजात शिशुओं से ही तो बनते हैं और जब तक हम उन नवजात शिशुओं का जीवन सुधारने की ओर ध्यान नहीं देते तब तक यकीन रखिये कि हमारे देश का जो भावी ढांचा है वह अच्छे और योग्य नेतृत्व में पहुंच ही नहीं सकता । अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में भविष्य में अच्छा नेतृत्व स्थापित हो तो हमें अपने बच्चों की शिक्षा, सुधार, उन की आवारागर्दी और भीख मांगने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा, जिन बुरे कामों में वे आज फंसे हुए हैं, उन से हम को निकालना होगा ।

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट को देखने से ज्ञात होगा कि सन् १९५० में लगभग ५० हजार लड़कों को विभिन्न अभियोगों में सजायें दी गई और उन पर मुकद्दमे चलाये गये । अब हमारे देश में केवल चार ऐसे न्यायालय हैं जहां पर कि बच्चों के मुकद्दमे होते हैं । बच्चों के न्यायालय हमारे देश में बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता इन चार जगहों पर हैं और यह जो ५० हजार लड़कों की संख्या बतलाई गई है, वह इन चार न्यायालयों में बच्चों पर चले मुकद्दमे के आधार पर बतलाई गई है। अब आप अगर देश भर के तमाम बच्चों का ध्यान रख कर हिसाब लगायें तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसे अपराधी बच्चों की तादाद कितनी अधिक होगी । दुर्भाग्य से हमारे पास उस के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं । सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसे तमाम बच्चों

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

की संख्या हमें उपलब्ध हो सके ताकि हम लोग सही तौर पर जान सकें कि देश में आज बच्चों की क्या स्थिति है। लेकिन जब हम आज ४ न्यायालयों के आधार पर कहते हैं कि वहां पर ५० हज़ार बच्चों पर सन् ५० में मुक़द्दमे चले थे, इस साल की फ़ीगर्स अभी मौजूद नहीं हैं और इसलिये उन को मैं नहीं बतला सकता, लेकिन आप स्वयं अन्दाज़ कर सकते हैं कि जब केवल चार न्यायालयों में चलने वाले बच्चों की संख्या सन् ५० में ५० हज़ार पहुंच गई थी तो आज के दिन अगर आप सारे देश का नकशा अपने सामने रक्खें तो मेरे ख़याल में यह संख्या लाख से भी ऊपर पहुंच जायगी। आज के दिन हमारे देश में लाखों बच्चे आप को एसे मिलेंग जोकि आवारागर्दी करते हैं और परिस्थितियां उन को जुर्म करने के लिये बाध्य कर देती हैं। मुझे इस बात में बडा शक है कि हमारे देश की स्थिति सुधर सकेगी जब तक कि हम उन अपने बच्चों की दशा सुधारने की ओर ध्यान नहीं देते हैं और याद रखिये बच्चों को उस गिरी हुई हालत से न निकालना यह हमारा बड़ा अपराध होगा और जो हमारे देश की भावी पीढ़ी होगी वह कहेगी कि यह लोग पार्लियामेंट में बैठते थे और इन्हों ने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, इसलिये मैं ने सब से पहले इन अभागे बच्चों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया और अनाथ बच्चों के लिये मैं ने एक बिल पेश किया और यह मौजूदा बिल बच्चों की आवारागर्दी और भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में एक क़दम है।

मैं आप को बतलाऊं कि जहां हमारे उपाध्यक्ष महोदय रहते हैं, यानी चित्तूड़ में, वहां पर बाला जी का मन्दिर है, वहां पर मैं गया था तो मैं ने देखा कि कई हज़ार बच्चे वहां पर भीख मांग रहे थे और भीख मांगने के लिये वह तरह तरह के रंग रूप बनाते हैं, ऊपर से इस तरह के कपड़े पहनते हैं और शरीर रंगते हैं कि मालूम होता है कि हाथ टूटा है अथवा हाथ है ही नहीं, इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि मानों हाथ टूटा है अथवा पैर टूटा है और भीख मांगते हैं और भीख मांग चुकने पर उन का वह टूटा हुआ हाथ या पैर साबुत हो जाता है, इस तरह की जालसाज़ी वे बच्चे करने पर मजबूर होते हैं ताकि वे लोगों से भीख प्राप्त कर सकें। एक बालाजी के मन्दिर में ही यह चीज़ आप को देखने को नहीं मिलेगी, आप किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाइये आप को ऐसे सैकड़ों और हज़ारों बालक इस तरह भीख मांगते हुए मिलेंगे। आप को रेलगाड़ियों में इस तरह के आवारा घूमते हुए और भीख मांगते हुए बच्चे मिलेंगे और भीख मांगने के अलावा रेलगाड़ियों में जो और चोरी, डकैती के अपराध होते हैं, उन में भी यह शामिल होते हैं। हमारे गृह मंत्रालय की बड़ी चेष्टा है कि इस देश में डकैती बन्द हो जाय और जो और अपराध करने की प्रवृत्ति है वह बन्द हो जाय, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि हम रोग का सही निदान करने के बजाय ऊपरी इलाज करते हैं, हम पेड़ के पत्ते तो काटते हैं लेकिन उस को जड़ पर ध्यान नहीं देते। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर कोई एक विष वृक्ष है, उस के पत्ते तो हम काट दें लेकिन नीचे जड़ में उस को पानी मिलता रहने दें तो वह विष वृक्ष नष्ट नहीं हो पायेगा और वह हमेशा हरा भरा बना रहेगा, ठीक यही चीज़ इस सम्बन्ध में हो रही है और जब तक इस अपराध रूपी वृक्ष की जड़ में पानी मिलता रहेगा तब तक यह नष्ट नहीं होगा और हरा भरा बना रहेगा, हम ऊपर के पत्ते काट

रहे हैं लेकिन जो हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के अपराध करना सीख रहे हैं, उन को सुधारने की ओर सरकार द्वारा सक्रिय क़दम नहीं उठाया जा रहा है और जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे नौजवान आगे बढ़ कर देश की ज़िम्मेदारियां सम्हाल सकेंगे और देश को उन्नति पथ पर अग्रसर कर सकेंगे और यह कैसे आशा कर सकते हैं कि आगे चल कर वह देश के अच्छे और योग्य नागरिक बन सकेंगे। आज मूल आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के यह बच्चे जो देश की बुनियाद हैं उन में अपराध करने की जो प्रवृत्तियां विद्यमान हैं और दूसरे अवगुण हैं, उन अपराधों और दुर्व्यसनों को दूर करने के लिये क़दम उठाया जाय और मैं समझता हूं कि जब तक इस के लिये कोई क़दम नहीं उठाया जाता तब तक और सब बातें बिलकुल ग़लत हैं।

यू० एन० ओ० की रिपोर्ट में दिया हुआ है :

> "बाल अपचार के निवारण के लिये वस्तुतः बहुत कम विधान है और वह भी केवल बम्बई और मद्रास जैसे बड़े राज्यों में है।"

तो प्रिवेन्शन की दिशा में हमारे देश में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया और इस बात को हमारी सरकार तसलीम करती है, यू० एन० ओ० तक में इस का तजकिरा हो गया कि जापान में बड़ी तरक्की हो रही है, फिलिपाइन्स में बड़ी तरक्की हो रही है, एशिया में और सुदूरपूर्व के जो देश हैं वहां पर बच्चों के लिये बड़े अच्छे अच्छे कानून बन रहे हैं और जापान तथा फिलिपाइन्स उस के आदर्श हैं, लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्यों इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे देश के नेता बड़े बुद्धिमान हैं, उन की अक्लमन्दी की चर्चा आज हमारे भारत में ही नहीं, सारे संसार भर में चल रही है। आज इस देश में तरक्की का काम इतनी जल्दी चल रहा है, हमारे देश में दूसरे देशों के बड़े बड़े नेता और प्रधान मंत्री आये, उन्हों ने यहां के काम को देखा और आश्चर्य चकित रह गये तथा कहा कि भारतवर्ष में जितना काम पिछले सात, आठ वर्षों में हुआ उतना किसी दूसरे देश में नहीं हुआ, तमाम लोग इस की तारीफ करते हैं, इस की कद्र करते हैं, लेकिन सब से बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि आज हम अपने जीवन में जिस नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है परन्तु आगे क्या होगा। हम भविष्य की बात सोचते ही नहीं हैं। भविष्य में इस देश को गांधियन सिद्धान्तों पर, पंचशील के सिद्धान्तों पर और अहिंसा के सिद्धान्तों पर ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्या हम ने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमें आज के बच्चों को किस दिशा की ओर ले जाना है ? आप युनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों की तरफ देखिये। आज पटना में क्या हुआ ? बम्बई में क्या हो गया ? लखनऊ में जो पिछले साल विद्यार्थियों का स्ट्राइक हुआ, उस का क्या कारण था ? कारण यह था कि जो हमारी शिक्षा की नीति है वह गलत है। जब तक हम शिक्षा में परिवर्तन न कर के बच्चों को इनडिसिप्लिन अर्थात् अनुशासनहीनता सिखलाते रहेंगे, तब तक आप समझ लें कि आप के समाज का जो स्तर है, समाज का जो ढांचा है उस में सुधार नहीं हो सकता है। आज जो हमारा वर्तमान नेतृत्व है वह चाहे भला से भला काम कर जाये, लेकिन आगे का नेतृत्व हमारे उन नौजवानों पर आना है जो आज अनुशासन-

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

हीनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । यदि हम उन के सुधार के लिये अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं करते, उन की आवारागर्दी को रोकने की चेष्टा नहीं करते और उन को अपराधों से बचाने का प्रयत्न नहीं करते, तो हमारे देश के यह भावी नागरिक दिन पर दिन गिरते जायेंगे । ऐसी स्थिति में हमारे देश की सरकार का कर्तव्य है कि वह इस की ओर ध्यान दे । मैं जानता हूं कि सरकार यह कहेगी कि जेनरल डिलें-क्वेंसी को रोकने के लिये, बच्चों के अन्दर की अपराध करने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिये एक चिल्ड्रेन्स बिल बन रहा है, वह राज्य सभा में पेश भी किया गया था । लेकिन मैं आप को बतला दूं कि वह जो चिल्ड्रेन्स बिल है वह सिर्फ 'ग' भाग के राज्य के लिये बन रहा है । बाकी के सूबों के लिये नहीं है । साथ ही जो उस के अन्दर धारायें हैं वह इतनी कम हैं कि वह बच्चों की समस्या को हल नहीं कर सकतीं । जो बिल बन रहा है वह बच्चों को चोरी करने को और अन्य अपराध करने की प्रवृत्ति को कम करने में कुछ सफल अवश्य होगा, लेकिन उस में बच्चों की आवारागर्दी और भीख मांगने की जो प्रवृत्तियां हैं, उस दिशा में सरकार ने कोई सुझाव नहीं दिये हैं । इस चिल्ड्रेन्स विधेयक में तो खास तौर से उस का कोई जिक्र नहीं है ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : क्या माननीय सदस्य ने बाल विधेयक पढ़ा है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : उस में चाइल्ड डिलेंन्क्वेन्सी तो है, लेकिन आवारागर्दी नहीं है । मैं ने पूरा बिल देखा है, उस में अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकने के मार्ग तो बताये गये हैं, लेकिन आवारागर्दी और भीख मांगने की प्रवृत्ति के ऊपर उस में बहुत कम बातें हैं ।

डा० एम० एम० दास : कोई लड़का अथवा लड़की यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी के घर मांगता हुआ पाया गया तो सरकार अपने पास रख लेगी । वहां यह है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : लेकिन इस बात की क्या व्यवस्था उस में है कि उन बच्चों के बारे में रिपोर्ट कौन देगा ? आप को पता चले कि फलां बच्चा अपराध करता है, तब सरकार उस को अपने चार्ज में ले सकती है, लेकिन इस की कोई व्यवस्था नहीं है . . . . .

डा० एम० एम० दास : उस में यह व्यवस्था है ।

सभापति महोदय : यह विधेयक पारित हो चुका है ।

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : राज्य सभा ने पारित कर दिया है । यह अब हमारे पास विचाराधीन है । क्या आप ने 'उपेक्षित बाल' की परिभाषा पढ़ी है । इस से स्पष्ट हो जायगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : नेगलेक्टेड चाइल्ड वहां है । लेकिन नेगलेक्टेड चाइल्ड की मंशा यह है कि जिस बच्चे के माता पिता ने उस को छोड़ दिया हो और जिस का कोई संरक्षक न हो । लेकिन उन बच्चों के लिये कौन जिम्मेदार होगा जो गलियों में घूम घूम कर भीख मांगा करते हैं और आवारागर्दी करते हैं, उन के सम्बन्ध में क्या होगा ? जो बच्चे अनाथालयों में हैं वह नेगलेक्टेड चाइल्ड नहीं हैं । लेकिन सरकार की ओर से उन के सुधारने की और अनाथा-लयों को सहायता देने की कोई सुविधा नहीं

है । मैं ने अपने क्षेत्र में देखा एक अनाथालय है । उस अनाथालय को गांधी जी ने अपने हाथ से खोला था । उस अनाथालय में एक ८५ साल का वृद्ध आदमी है जो वारधा में गांधी जी के साथ रहा है । वही उस अनाथालय का काम सम्भालता है । मैं ने देखा है कि वह गांव गांव में भीख मांगता है और भीख मांग कर अपने अनाथालय के बच्चों को खिलाता है । जिस दिन वह मर जायगा, उसी दिन वह अनाथालय टूट जायगा। चूंकि सरकार की तरफ से उस की सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये वह चल नहीं सकता है । इस देश में इस किस्म के सैंकड़ों अनाथालय होंगे । सरकार उन बच्चों की मां-बाप है । हम लोग कहते हैं––जनता कहती है कि सरकार हमारी मां-बाप है । अगर सरकार हमारी मां-बाप है, तो अनाथ बच्चों की तो वह जरूर मां-बाप है । अगर अनाथ बच्चों की चिन्ता वह न करेगी, तो फिर कौन करेगा ? मां-बाप का फ़र्ज है कि वे बच्चों की देख-भाल करें । आप कहते हैं कि चिल्ड्रेन्ज बिल लायेंगे । मुझे याद है कि १९४९ में एक कमेटी बनाई गई थी जिस को यह काम सौंपा गया था कि वह इस बात पर विचार करे कि हमारे बच्चों का क्या होना चाहिये । उस ने अपनी रिपोर्ट शायद १९४९ के अप्रैल या मई में पेश की ।

एक माननीय सदस्य : दिसम्बर में ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : हां, दिसम्बर में उस ने रिपोर्ट पेश की और उस ने सलाह दी कि ये ये काम होने चाहिये । उस रिपोर्ट के आधार पर एक बिल भी बनाया गया । यह बिल बन कर तैयार हो गया और राज्य सभा में पेश किया गया । हो सकता है कि इस सदन में भी वह आये । लेकिन अनाथालयों के बारे में जो बिल १९५२ में पेश किया गया था, आज चौथा साल है, लेकिन उस के बारे में कुछ नहीं किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रैस कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो फ़ौरन उस को विचार करने के लिये इस सदन में लाया जाता है । क्यों ? इसलिये कि आप प्रैस से डरते हैं । बच्चे आप को डराने के काबिल नहीं हैं । वे आप को कैसे डरा सकते हैं ? इसीलिये उन से सम्बन्धित कानून चार साल तक पड़ा रहता है । कम्पनीज बिल भी फौरन आ जाता है, क्योंकि आप पूंजीपतियों से डरते हैं । मैं देखता हूं कि इस किस्म के बिल बड़ी जल्दी यहां पेश हो जाते हैं । बाज दफ़ा आर्डिनेन्स भी बन जाते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर बच्चों ने आप का क्या बिगाड़ा है ? कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । इस सदन में तीन तीन मर्तबा उस पर विचार हो चुका है । यहां पर सर्वसम्मति से कहा गया कि यह बिल बहुत अच्छा है और इस को मंजूर करना चाहिये । सरकार के आश्वासन देने पर हम ने बिल वापिस ले लिया । वह चिल्ड्रेन्ज बिल इस अधिवेशन में भी––इस सत्र में भी––पास हो सकेगा, मुझे इस में शंका है, क्योंकि आप के प्रोग्राम में उस का कहीं जिक्र नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो देश के भावी नागरिक हैं, जिन के ऊपर भविष्य देश की जिम्मेदारी आने वाली है, उन में के विषय मं जब सरकार इतनी असावधान है, इस तरह सुस्त है, तो दूसरे कामों में उस से क्या आशा की जा सकती है ? यह ठीक है कि गवर्नमेंट के दूसरे काम भी लाभदायक हो सकते हैं, जिन से देश तरक्की करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस देश के बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, जिस देश की सरकार बच्चों की चिन्ता नहीं करती, उस देश की स्थिति शोचनीय है ।

इस छोटे से विधेयक में मैं ने बहुत छोटी छोटी बातें रखी हैं । मैं ने इस में कहा है कि जिन माता-पिता या संरक्षकों ने अपने बच्चों को भीख मांगने के लिये छोड़ दिया

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

हो—कहां कहां, वह भी लिखा है और मैं अभी पढ़ कर सुनाता हूं—उन को सजा दी जाय । इस बिल में लिखा है :—

"जो आवारा घूम रहा हो, गाड़ियों, सार्वजनिक स्थानों पर या घर घर गाने गा कर अथवा अन्यथा भीख मांगता हो तो वह उस के मां बाप रक्षक या अभिरक्षक इस अधिनियम के अधीन अपराधी समझे जायेंगे ।"

मेरा कहना यह है कि अगर वे बच्चों को आवारागर्दी करने के लिये या भीख मांगने के लिये छोड़ दें, तो उन पर जुर्म आयद हो जायगा, और वह अपराध समझा जायगा और उन को सजा दी जायगी । अगर आप इस को मान लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसी कारण बहुत से माता-पिता और संरक्षक अपने बच्चों को भीख मांगने के लिये प्रोत्साहित नहीं करेंगे ।

पंडित डी० एन० तिवरी (सारन दक्षिण) : और जिन के पास खाने को नहीं है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : जिन के पास खाने को नहीं है, उन का इन्तजाम सरकार करेगी, लेकिन इस बिल का अधिकतर सम्बन्ध उन लोगों से है, जिन के पास है और जो फिर भी अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं । मैं जानता हूं कि झांसी में एक व्यक्ति रेलवे में कर्मचारी है । वह खुद नौकरी करता है और बच्चों को भीख मांगने के लिये भेजता है । वे दिन भर में एक दो रुपये इकट्ठा करते हैं और बाप को दे देते हैं, तब उन को खाना मिलता है । अगर वे कुछ नहीं देते, तो उन को खाना नहीं मिलता है । इस किस्म के सैंकड़ों बच्चे रेलों में मिलेंगे जो वहां भीख मांगते फिरते हैं और उन के माता-पिता और संरक्षक कमाते हैं । इस का कारण यह है कि रेलवे में भीख मांगना बड़ा आसान है । उस में बच्चे मुफ्त आ जा सकते हैं और लोग समझते हैं कि गरीब हैं, इन को कुछ दे दो । इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक हम इस प्रथा को कानूनन बन्द नहीं करेंगे, इस के लिये कोई सजा नहीं मुकर्रर करेंगे, तब तक यह बन्द नहीं होगी । यही छोटी सी बात मैं ने यहां रेज की है कोई बहुत बड़ी बात रेज नहीं की है । मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के द्वारा बच्चों से ऐसे अपराध कराये जाते हों, उन को सजा दी जाय । अगर सरकार इस को मान लेती है, तो मेरे ख्याल में यह बहुत अच्छा होगा ।

मेरे पास बच्चों के सम्बन्ध में बहुत सा मसाला है । मैं यह जानता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है, जिस में सदन के बहुत से सदस्य दिलचस्पी रखेंगे और इस के बारे में बोलना चाहेंगे । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस के पहले कि मैं इस बारे में और प्रकाश डालूं, यह अधिक अच्छा होगा कि दूसरे सदस्यगण भी अपने विचार प्रकट करें और अगर मैं ने कोई बात गलत कही हो, तो उस को साफ़ कर दें । उस को मैं स्वीकार करूंगा । मेरी मंशा केवल यह है कि इन बच्चों के सम्बन्ध में आप अवश्य कोई उपाय करें । वह अगर आप अपने बिल में कर रहे हैं, तो अच्छा है । प्रश्न यह है कि अब आगे क्या करेंगे ? मेरा विचार है कि इस बीच उस को फिर राज्य सरकारों के पास विचार करने के लिये भेज दीजिये । इस बीच में जो इन के विशेषज्ञ हैं, जो अनाथालयों को चलाने वाले हैं, जो उन के संरक्षक हैं उन की राय मांगनी चाहिये और उन से यह पूछना चाहिये कि जो बिल बना है और इस में जो धारणा

हमने बनाई है उस में वे लोग और कितना सुधार चाहते हैं । मैं यह इसलिये जरूरी समझता हूं क्योंकि बच्चों के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें हम कर सकें उतना ही अच्छा है । जो बिल हमारे सामने आया है उस में बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं और उन त्रुटियों व कमियों को हमें दूर करना चाहिये । इसलिये इस बारे में आप राज्य सरकारों से राय लीजिये, विशेषज्ञों से राय लीजिये और राय लेने के बाद इस बिल को अन्तिम रूप दीजिये और फिर अगले सेशन में, अगले सत्र में, इस बिल को पास करवाने के लिये शीघ्रतापूर्वक कदम उठाइये । यदि सरकार यह करती है तब तो मैं समझूंगा कि सरकार की मंशा ठीक है नहीं तो मुझे सरकार की मंशा पर शक ही होगा ।

इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि बाल भिक्षा तथा आवारापन के निवारण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मुझे प्रसन्नता है कि एक गम्भीर समस्या सभा के समक्ष रखी गई है । सरकार आज तक बालकों तथा मुख्यतः अनाथ बालकों की अत्यन्त उपेक्षा करती आई है । सभानेत्री जी, आप की तरह अनाथ बालकों के प्रति मेरी बहुत दृढ़ भावनायें हैं ।

हमारा एक सर्वकल्याणकारी राज्य है, परन्तु हम कई एक अनावश्यक बातों पर जैसे नई दिल्ली स्टेशन की सजावट पर कई लाख रुपये खर्च कर देते हैं । इस पर भी जब कभी आप से किसी अनाथालय के लिये धन मांगा जाता है तो आप न कर देते हैं । एक बर्मा देश के बारे में ही आप ने ७२ करोड़ रुपये छोड़ दिये हैं । उधर यह हालत है कि हमारे अनाथ बालक एक एक टुकड़े के लिये कुत्तों से लड़ाई करते हैं । हमारे राष्ट्र को यह अनुभव करना चाहिये कि बालक तथा विशेष कर अनाथ बालक उस का सर्वप्रथम उत्तरदायित्व हैं । मैं चाहता हूं कि एक विधि पारित की जाय जिस से प्रत्येक अनाथ बालक की देखभाल की व्यवस्था की जाय । यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ।

हम ने एक सामाजिक कल्याण बोर्ड बना रखा है, परन्तु इस ने एक भी अनाथालय नहीं चलाया । यह एक ऐसे अनाथालय को धन अवश्य देता है जिस के अनाथ बालक स्थान स्थान पर भिक्षा मांगते फिरते हैं । जब तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस समस्या को गम्भीरता से हल करने की चेष्टा नहीं करती हैं, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकेगी ।

वेश्यावृत्ति का अनाथ बालकों की समस्या से बहुत कुछ सम्बन्ध है । अनाथ बालक ही प्रायः वेश्यावृत्ति के शिकार बनते हैं । वे अपना पेट भरने के लिये ही इस पेशे का आश्रय लेते हैं । अगले दिन ही मद्रास में एक पिता ने गरीबी से तंग आ कर अपने दो पुत्रों को छुरा मार दिया था । परन्तु बहुत से पिता अपने पुत्रों तथा पुत्रियों से भिक्षा मांगने का काम कराते हैं ।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्र अपने बालकों और विशेषतः अनाथ बालकों की देख भाल नहीं करता है, वह एक दण्डनीय उपेक्षा का अपराधी है । दुर्भाग्य से

[डा० रामा राव]

हमारे समाज में बच्चों की सब से अधिक उपेक्षा की जाती है।

मैं प्रधान मंत्री के जन्म दिवस का भी कुछ कहना चाहता हूं। इसे समारोह रूप से दिल्ली और नई दिल्ली में मनाया जाता है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य उन के जन्म-दिन पर उन्हें एक अनाथालय को भेंट किया करे। हमें अपने बच्चों की दशा सुधारने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शनिवार, २० अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुक्रमणिका

लोक-सभा वाद-विवाद—भाग २

दशम् सत्र, १९५५

(खंड ६—संख्या १६–३०)

(१६ अगस्त, १९५५ से ३ सितंबर, १९५५)

अ

अचल सिंह, सेठ—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४१७–२३

अच्युतन, श्री—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५२४

अति आयु विवाह रोक विधेयक (श्री डी० सी० शर्मा द्वारा)—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अधिनियम (मों)—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक — के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी गई २३३१

अधिसूचना (ओं)—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत — की प्रति—पटल पर रखी गई २३३१

मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन तथा खान नियम सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखी गई २२४०

अधिसूचना (ओं)—(जारी)

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम के नियमों के संशोधन करने वाली —की प्रति—पटल पर रखी गई १७५९-६०

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत — की प्रतियां—पटल पर रखी गई १७५६, २२४०

अन्तर्दहन इंजिन (नों)—

— और यंत्र चालित पम्पों के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई १८४५–४६

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तेलकीकर द्वारा)—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अमृत कौर राजकुमारी—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बी० सी० जी० के टीके लगाने का आंदोलन २३३३–३९

अय्यंगार श्री एम० ए०—

कार्य मंत्रणा समिति—

तेईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन १५७९

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २५२५

अय्युंण्णि, श्री सी० आर०—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २२५५–५६, २५२७–२८, २५२९–३०, २५४५, २५७९

अलगेशन श्री—

अविलम्बनीय लोक महात्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना २२४२–४४

आ

आजाद, श्री भागवत झा—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७१७–२२

समवाय विधेयक—

खण्डों पर चर्चा २६५५–५६, २६६६

आधे घंटे की चर्चा—

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी — २४३२–४४

आबिद अली, श्री—

भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही के सारांश की प्रति—पटल पर रखी २५२३

आल्तेकर, श्री—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन १४१०

चौतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव १६४२

पैंतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन १९५३

पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव २१९५, २१९६

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५३८–४४

खंडों पर चर्चा २१२१, २४१५–१६, २४७१, २४८०–८१, २६५५–५६

आल्वा, श्री जोकीम—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १६३८–४२, १६८९–९२, १७०३, १७०९, १७८२, १८३२

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव २२३८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३५४

इ

इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग—

— के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई १६८७–८८

इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन—

— के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई १३५०–५१

इकबाल सिंह, सरदार—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १८६७–७४

खंडों पर चर्चा २८७९

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५५७–६९

उ

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण—

— के बारे में वक्तव्य १५०४–०७

उद्योग—

इंजीनियर स्टील फाइल — के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रति —पटल पर रखी गई १६८७–८८

ए

एम० सी० शाह—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २४१४, २४२०

एयर लाइन्स कार्पोरेशन, इंडियन—

देखिये "इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन"

औ

औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

क

करमरकर, श्री—

मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन आदि की प्रतियां—पटल पर रखीं २४४५–४६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२३२

कर्मचारी राज्य बीमा निगम—

— के प्राक्कलन की प्रति—पटल पर रखी गई २३३१

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य-सभा द्वारा पारित)—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

कानूनगो, श्री—

काफी बोर्ड के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव १५८०

रबड़ बोर्ड के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव १५८०

काफी नियम—

—, १९५५ की प्रति—पटल पर रखी गई १८४६

काफी बोर्ड—

देखिये "समिति(यां), संसदीय के अतिरिक्त" के नीचे

कामत, श्री—

— की मुअत्तली २१४१–४४

— की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव २२३५–३९

— द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण २६३१

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य १४११, १४१३, १४१४

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७५५–५८, १७६६–६९, १८२६, १८३०, १८४२

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (**श्री आर० नरसिंहन द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव १६५२

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २०६०, २०७०, २६५३, २६५५–५६, २६७२, २७१०, २७१२

कार्य मंत्रणा समिति—

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

कृपालानी, आचार्य—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १६२६--३५, १८१७, १८२१, १८३४

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (**श्री आर० नरसिंहन** द्वारा)—

विचार प्रस्ताव १६५०

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव २२३५--३६, २२३७

कृपालानी, श्रीमती सुचेता—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १८६२–६७

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४६५--६६

कृष्ण चन्द्र, श्री—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४३३--४६

खंडों पर चर्चा २४२२, २५२७–२८ २५२९–३०

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी०—

अन्तर्दहन इंजिनों और यंत्र चालित पम्पों के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी १८४५–४६

इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी १६८७–८८

काफी नियम, १९५५ की प्रति—पटल पर रखी १८४६

कृष्णमाचारी श्री टी० टी०—(जारी)

चीनी के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी १८४६

भारी रसायनों (अम्लों तथा उर्वरकों) के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति— पटल पर रखी १८४५

रबड़ नियम, १९५५ की प्रति—पटल पर रखी १८४६

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५९१

साइकिलों के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी १८४६

कृष्णस्वामी, डा०—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १८०३–०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३९६--१४०४

खंडों पर चर्चा २१६३–६५, २३०७--१२, २३२१--२२, २४८८

केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम—

— के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी गई २३३१

केंद्रीय रेशम बोर्ड—

— के कार्य के प्रतिवेदन तथा बुलेटिन संख्या २२ की प्रतियां—पटल पर रखी गई २२३९

केसकर, डा०—

तारांकित प्रश्न संख्या २१५६ के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १६१६--२३, १६६७, १७१५, १७१६, १७३२, १८०७--४२

ख

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—(श्री झुनझुनवाला द्वारा)

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

खान नियम—

मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन तथा — सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखी गईं २२४०

ग

गांधी, श्री वी० बी० —

लोक लेखा समिति----

तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन २३२२

समवाय विधेयक----

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४२८--३३

गाडगील, श्री—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७६९–७४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५११–२०, १६०५, १६०७, १६१०

खंडों पर चर्चा २१२९, २३५०–५३

गिरि, श्री वी० वी०—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १६२३–२६

गुप्त, श्री साधन—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७८४--८८

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा २४३६

समवाय विधेयक---

खंडों पर चर्चा २१०८–११, २२४७ ५१, २३२१--२२, २३६३--६६, २४२२, २४६७, २५२७–२८, २५२९--३०, २५५१, २५७५, २६५४, २६५५–५६, २६६६, २७१३–१६

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना २२४१–४२, २२४४

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य १४१३

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७१३–१७, १८३९, १८६६

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (श्री सी० आर० नरसिंहन द्वारा)----

विचार प्रस्ताव १६५६–५७

विशेषाधिकार का प्रश्न २२३५

सभा का कार्य १४८९

समवाय विधेयक----

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४६४–६९, १५८३

खंडों पर चर्चा १९४९, १९५०, २०४८–५२, २१५६–५८, २२७२, २३२१–२२, २३५७–६३, २३७१, २५२९–३०, २६५५–५६, २६६६–६९

गुह, श्री ए० सी०—

कर्मचारी राज्य बीमा नियम के प्राक्कलन की प्रति—पटल पर रखी २३३१

गुह, श्री ए० सी०—(जारी)

केन्द्रीय उत्पादन शल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रति --पटल पर रखी २३३१

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखीं २२४०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों ओर संकल्पों सम्बभी समिति—

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

गोआ—

— के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३--०४

— स्थिति के बारे में वक्तव्य १४१०-१४

गोआ स्वतंत्रता आन्दोलन—

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति १३४३--५०

गोपालन, श्री ए० के०—

मोटर परिवहन श्रम विधेयक (— द्वारा)—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव २५८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २१६८--२२०६

सभा का कार्य २४५२

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १८४२

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी आधे घंट की चर्चा २४३५--३६

चटर्जी, श्री एन० सी०—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा १९३७, १९३८, १९३९, १९६५--७१, २५६२, २६४२--४३, २६४५--४६, २६७२, २६७३, २६९१

चाड़क, ठाकुर लक्ष्मण सिंह—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १८८७--९३

चीनी—

— के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी १८४६

चेट्टियार, श्री टी० एस० ए०—

कार्य मंत्रणा समिति—

तेईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव १६८९

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४२३--२८

खंडों पर चर्चा १९४०, १९५१, १९५४--५७, २११४--१६, २१२९, २३२७--३०, २३४०--४२, २३८६, २५०३

चौधरी, श्री एन० बी०—

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९५

ज

जयपाल सिंह, श्री—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७७९--८४, १८२०, १८२१, १८२५, १८३९

जयश्री, श्रीमती—

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक **(श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा)**—

विचार प्रस्ताव २५८८--८९

जोशी, श्री एम० डी०—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७९१--९३

समवाय विधेयक----

खंडों पर चर्चा २६५३--५४, २६७६–७८

जोशी, श्रीमती सुभद्रा—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक----

विचार प्रस्ताव १८९३–१९०२

झ

झुनझुनवाला, श्री—

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक (—द्वारा)----

वापिस लेने का अनुमति प्रस्ताव २५८५–८६

समवाय विधेयक---

खंडों पर चर्चा २०३८--३९, २०७७–७८, २०९३--९४ २१२९, २१३५–३८, २१४४–४६, २२६४–६५, २४२२, २४५४--५६, २४७२, २६७४–७६

ट

टेक चन्द, श्री—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७५३--५५

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (**श्री आर० नरसिंहन द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव १६५४--५६

ड

डाभी, श्री—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव **१७८९–९१**

त

तिम्मय्या, श्री—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७५१–५३, १८४३

तिवारी, श्री डी० एन०—

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (**श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव १६८१

तुलसीदास, श्री—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४६९–७९

खंडों पर चर्चा १९३०--३६, १९३८, १९३९--४०, १९४९, १९५१, १९५८, १९५९, १९६०, १९६१, १९६२, २०२४--२९, २०३६, २०३७, २०३८ २०४२, २०६३, २०६५, २०८०–८१, २०८२–८६, २०८९, २१२८, २१२९, २१२९–३५, २१७१, २१७२, २१९३, २२५१–५३, २३२१–२२, २३६७–६९, २४०३, २४०४, २४१७–१८, २४२२, २४५९, २४६०, २५०८, २५०९, २५१७–२२, २५२७--२८, २५२९--३०, २५७२, २६५३–५६, २६६९--७४, २६८३, २६८६

तेलकीकर, श्री—

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (—**द्वारा**)----

परिचालित करने का प्रस्ताव २६२४–२७

त्रिपाठी, श्री के० पी०—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३९४, १५९०, १५९३, १६०४, १६१५

त्रिपाठी, श्री के० पी०—(जारी)

समवाय विधेयक—(जारी)

खंडों पर चर्चा २१२४, २१८७, २२६१–६२, २२७७, २३०१–०७, २३२१–२२, २५२७–२८, २६५५–५६

त्रिवेदी, श्री यू० एम०—

अति आयु विवाह रोक विधेयक (**श्री डी० सी० शर्मा द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव २६०७, २६०८–१०, २६११

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १८५१, १८७७–८१

सदस्य की मुअत्तली २१४३

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा १९३९, १९४९, १९५२, १९५८, १९६८, १९७९–८०, १९८३–८६, २०२९–३३, २०३४, २०३६, २०३७, २०८५, २०८६–८९, २१२०, २१२९, २१५५, २१५६, २४६२, २४८९, २५०१–०४, २५१९, २५६९, २५८२

थ

थामस, श्री ए० एम०—

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव २१९६

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा २४३८

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (**श्री सी० आर० नरसिंहन् द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव १६४७–५०

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२१२–१६

थामस, श्री ए० एम०—(जारी)

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव २२३७

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २०६०, २१३७

द

दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

दातार, श्री—

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (**श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव १६७८, २५९२–९७, २६०३

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (**श्री सी० आर० नरसिंहन् द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव १६५८–६५

दास, डा० एम० एम०—

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (**श्री तेलकीकर द्वारा**)—

परिचालित करने का प्रस्ताव २६२५

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (**श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव १६७७, १६७८, २५९०–९१, २५९२, २५९९

दास, श्री बी० के०—

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा २४३६

दास, श्री बी० सी०—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १८८१–८५

दास, श्री सारंगधर—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७३८–४०

दास, श्री सारंगधर—(जारी)
विशेषाधिकार का प्रश्न २२३३–३४
समवाय विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५३३–३८

दिल्ली जल तथा पानी व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

दुबे, श्री मूलचन्द—
समवाय विधेयक—
खंडों पर चर्चा २३७२-७३

देशपांडे, श्री जी० एच०—
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७९३

देशपांडे, श्री वी० जी०—
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार प्रस्ताव १९१०–१३
समवाय विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४८३–८९

देशमुख, श्री सी० डी०—
समवाय विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३७९, १३८३, १३८९, १३९४, १३९५, १४७४, १५१४, १५१७, १५७६, १५८१–१६१६
खंडों पर चर्चा १९३५–३६, १९३८, १९४१–४४, १९४५, १९४६, १९४८–५२, १९८०, १९८५, १९९३–२००९, २०२२–२४, २०३७–३८, २०८९-९०, २०९४–९५, २०९६–९७, २१०३–०५, २११०, २११८, २१२२–२८, २१३१, २१३२, २१३६, २१३७, २१३८, २१५०, २१५२–५६, २१६०, २१६१, २१६२, २१६५–८४, २१८६, २२४६–४७, २२५३, २२६८–८८, २२९३–९८, २३२३–२७, २३५८, २३५९, २३६०, २३६१, २३६७, २३८०–२४०७, २४११, २४२२–३२, २५२९–३१, २५३५–३६, २५४२, २५४५–७६, २५७७, २५८८, २६५९–६४, २६६५–६६, २६७१, २६७२, २६७३, २६७९–९१, २७१०–१३

देसाई, श्री खंडूभाई—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य के प्रतिवेदन तथा बुलेटिन संख्या २२ की प्रतियां—पटल पर रखीं २२३९
बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी १७६०
बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य १७६१–६५
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन तथा खान नियम सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां–पटल पर रखीं २२४०

द्विवेदी, श्री एम० एल०—
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (— द्वारा)—
विचार प्रस्ताव १६६८–८३, २५९१–९२, २५९८–९९, २६००, २६०१–०४

ध

धुलेकर, श्री—
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव २२३७

न

नंदा, श्री—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रति—पटल पर रखी १४६८–१५०३

नटेशन, श्री—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७००–०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १६०७

नथवानी, श्री एम० पी०—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा १९६३–६५, २१२९, २१४६-४८, २४२२, २४५६–५७, २५०४–१०, २५२७–२८, २५२९–३०, २५७९, २६५५–५६, २६६४–६५

नरसिंहन्, श्री सी० आर०—

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (—द्वारा)—

विचार प्रस्ताव १६४३–४७, १६४९, १६६६–६८

वापस लेने का संशोधन १६६६–६८

नायर, श्री वी० पी०—

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२०६, २२२८–३०

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५७५

निर्वाचन, समितियों के लिए—

काफी बोर्ड के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव १५८०

रबड़ बोर्ड के लिये निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव

नेवटिया, श्री—

समवाय विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३८०–८४

नेहरू, श्री जवाहरलाल—

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य १५०४–०७

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–०४

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य १४१०–१४

सदस्य की मुअत्तली २१४३–४४

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति १३४५–४६, १३५०

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९६–९७

नेहरू, श्रीमती शिवराजवती—

अति आयु विवाह रोक विधेयक (**श्री डी० सी० शर्मा द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव २६१०–१४

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १८८५–८७

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (**श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा**)—

विचार प्रस्ताव २५८९–९०

प

पटल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्दहन इंजिनों और यंत्र चालित पम्पों के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति १८४५–४६

इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रति १६८७–८८

पटल पर रखे गये पत्र—

इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति १३५०--५१

कर्मचारी राज्य बीमा नियम के प्राक्कलन की प्रति २३३१

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य-सभा द्वारा पारित) २२४१

काफी नियम, १९५५ की प्रति १८४६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रति २३३१

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य के प्रतिवेदन तथा बलेटिन संख्या २२ की प्रतियां २२३९

चीनी के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति १८४६

पराक्रम्य संलेख (संशोधन) विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) १६८७

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रति १४९८—१५०३

बक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन की प्रति १७६०

भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही के सारांश की प्रति २५२३

भारी रसायनों (अम्लों तथा उर्वरकों) के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति १८४५

मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन आदि की प्रतियां २४४५--४६

मैसूर की सोने की खानों संबंधी विनियमों में संशोधन तथा खान नियम सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां २२४०

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम के नियमों के संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति १७५९--६०

रबड़ नियम, १९५५ की प्रति १८४६

राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक १९५५ की प्रति २६३०—३१

लोक-सभा के द्वितीय सत्र, १९५२, तृतीय सत्र. १९५३, चतुर्थ सत्र, १९५३, पंचम् सत्र, १९५३, षष्ठम् सत्र, १९५४, सप्तम् सत्र, १९५४, अष्ठम् सत्र १९५४ तथा नवम् सत्र, १९५५ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३२, ३४, २९, २४, १९, १३, ९ तथा ५ २१३९--४०

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों, १९५५ की प्रति १३५१

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां १७५९, २२४०

साइकिलों के सम्बन्ध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन की प्रति १८४६

पराक्रम्य संलेख (संशोधन) विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित)----

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

पांडे, श्री सी० डी०—

समवाय विधेयक---

खंडों पर चर्चा २४८८, २५१४, २५६३, २६३८--४०, २६५५—५६

पाटस्कर, श्री—

अति आयु विवाह रोक विधेयक (**श्री डी० सी० शर्मा द्वारा**)----

विचार प्रस्ताव २६१५, २६१८--२२, २६२३

पाटस्कर, श्री——(जारी)
समवाय विधेयक——
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४५६, १५१५
खंडों पर चर्चा २५७०, २५७७
पुन्नूस, श्री——
विदेशी राज्य से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (श्री आर० नरसिंहन द्वारा)——
विचार प्रस्ताव १६५१--५३
सदस्य की मुअत्तली २१४३
पुर्तगाल——
स्वागत प्रस्ताव——
गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति १३४३—५०
पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३—९७
प्रतिवेदन——
अन्तर्दहन इंजिनों और यंत्र चालित पम्पों के सम्बन्ध में विकास परिषद् के —— की प्रति——पटल पर रखी १८४५—४६
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के—— की प्रति——पटल पर रखी १६८७--८८
इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के वार्षिक —— की प्रति--पटल पर रखी १३५०—५१
कार्य मंत्रणा समिति——
तेईसवें —— का उपस्थापन १५७९
तेईसवें —— से सहमति प्रस्ताव १६८८—८९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य के —— तथा बुलेटिन संख्या २२ की प्रतियां——पटल पर रखी गईं २२३९
प्रतिवेदन——(जारी)
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——
चौतीसवें —— का उपस्थापन १४१०
चौतीसवें —— से सहमति प्रस्ताव १६४२—४३
पैंतीसवें —— का उपस्थापन १९५३
पैंतीसवें —— से सहमति प्रस्ताव २१९४—९७
चीनी के सम्बन्ध में विकास परिषद् के ——की प्रति——पटल पर रखी गई १८४६
प्रेस आयोग के —— के बारे में प्रस्ताव १६१६--४२, १६८९--१७५८, १७६०, १७६५—१८४४
भारी रसायनों (अम्लों तथा उर्वरकों) के सम्बन्ध में विकास परिषद् के —— की प्रति——पटल पर रखी १८४५
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के —— आदि की प्रतियां——पटल पर रखी २४४५—४६
लोक लेखा समिति——
तेरहवें——का उपस्थापन २३३२
साइकलों के सम्बन्ध में विकास परिषद् के —— की प्रति——पटल पर रखी १८४६
प्रदर्शन——
स्थगन प्रस्ताव——
पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध —— १४९३—९७
प्रशुल्क आयोग——
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में——के प्रतिवेदन की प्रति——पटल पर रखी १६८७—८८

प्रशुल्क आयोग—(जारी)

मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में — के प्रतिवेदन आदि की प्रतियां–पटल पर रखी गईं २४४५–४६

प्रश्नोत्तर में शुद्धि—

तारांकित प्रश्न संख्या २१५६ के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३ के उत्तर में शुद्धि २५२४

प्रस्ताव—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में — (संशोधित रूप में स्वीकृत) १६१६–४२, १६८९–१७५८, १७६५–१८४४

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में — (स्वीकृत) २२३५–३९

प्राक्कलन—

कर्मचारी राज्य बीमा नियम के — की प्रति–पटल पर रखी गई २३३१

प्रेस आयोग—

— के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १६१६––४२, १६८९–१७५८, १७६५–१८४४

ब

बंसल, श्री—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३५२–६३

खंडों पर चर्चा २११२–१४, २२६०–६१, [illegible]२१–२२, २३६९–७२, २४२२, २४[illegible] २५३१–३७

बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

बर्मन, श्री–

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १९१३–१५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३७६–७९, १४३०–३१

खंडों पर चर्चा २३४७–४९, २५२७–२८

बसु, श्री के० के०—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव २१९६

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा २४३६

सदस्य की मुअत्तली २१४३

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा १९४२, १९४३, १९४५, १९४८, १९४९, १९५०, १९६०, १९७७–८२, २०००, २०१५, २०१८ २०३७, २०३८ २०३९–४१, २०४२, २०५६, २०८९, २०९१–९३, २१३२, २१५८–६०, २१७५, २१८१, २१८२, २२६२–६४, २२८१, २२८२, २२८३, २३२१–२२, २३८३, २३८७, २३९४, २४०५, २४२१, २४२२, २४५२–५४, २४७०, २४७१, २५०३, २५२७–२८, २५२९––३०, २५४९, २५५९, २५६३, २५७३-७४, २५७९, २५८४, २६४७-५३, २६५५–५६, २६८४, २६९७

बाढ़—

-- की स्थिति के सम्बन्ध म वक्तव्य की प्रति–पटल पर रखी गई १४९८–१५०३

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (**श्री एम० एल० द्विवेदी** द्वारा)—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

बी० सी० जी० के टीके—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

— लगाने का आन्दोलन २३३२–३९

बुलेटिन—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य के प्रतिवेदन तथा —संख्या २२ की प्रतियां—पटल पर रखी गई २२३९

बैंक पंचाट आयोग—

—- की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य १७६१–६५

— के प्रतिवेदन की प्रति–-पटल पर रखी गई १७६०

ब्रोगावत, श्री—

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२०६, २२३०–३२

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५५४–५७

खंडों पर चर्चा २२९८–२३००, २३२१–२२, २३४७, २३८२

भ

भगत, श्री बी० आर०—

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां–पटल पर रखीं १७५९

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (नकों)" के नीचे

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—

-- सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन १५७९

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे भी

भारतीय श्रम सम्मेलन—

-- के चौदहवें सत्र की कार्यवाही के सारांश की प्रति—पटल पर रखी गई २५२३

भार्गव, पंडित ठाकुर दास—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव २१९६

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में स्ताव २२३८–३९

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४४६–६४, १५१६

खंडों पर चर्चा १९३६, १९३७, २०४२–४४, २०८१, २०८२, २०८४, २०८५–८६, २०९७, २१५७, २१६१–६३, २१६६–६७, २२६५–६८, २४१८–१९, २४२०, २४४६–५०, २४६१, २४६२, २४६३, २४६८, २४७२, २५०३, २५३६, २५४१–४४, २५५०, २५६६, २५७४, २७१३

भूसीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे २२४१

भोंसले, श्री जे० के०—

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी १३५०–५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों, १९५५ की प्रति—पटल पर रखी १३५१

म

मजीठिया, सरदार—

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम के नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी १७५९–६०

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक, १९५५ **राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाया गया।**)

देखिये, "विधेयक (कों)" के नीचे

मशीनी पेच उद्योग—

— का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन आदि की प्रतियां—पटल पर रखी गई २४४५–४६

मात्तन, श्री—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३५५, १६११

मिश्र, श्री एम० पी०—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७२७–३५, १७३५–३८, १८४१

मिश्र, श्री एल० एन०—

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२१६–२०

मुकर्जी, श्री एच० एन०—

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य १४१४

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १६९२–१७००

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा २४३२–३५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९४, १४९५

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २३४२–४७, २५७५–७६

मुरारका, श्री—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा १९८९–९२, २१०५–०८, २११३, २५१०–१७, २५६८, २६३७, २६४४–४६, २६९१

मुर्शिदाबाद—

अविलम्बकीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

-- के निकट रेलवे दुर्घटना २२४१–४४

मुहीउद्दीन, श्री—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव २१९६

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४५३

मेनन, श्री दामोदर—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १८०१–०३, १८२९

मेहता, श्री अशोक—

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा १६३६, १६७१–७७, २००२, २०५२–५४, २०५७, २२५६–६०, २२७२, २३१२–२२, २३४५, २३६२, २३८२, २३६६, २४००, २४८८, २४६५–२५०१, २५२२, २५२७–२८, २५२६–३०, २६१४, २७१०

मेहता, श्री जे० आर०—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५५०–५४

खंडों पर चर्चा २४५०–५२

मैसूर—

— की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन तथा खान नियम सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां–पटल पर रखी गई २२४०

मैस्करीन, कुमारी एनी—

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक [श्री **आर० नरसिंहन** द्वारा]—

विचार प्रस्ताव १६५३–५४

मोटर परिवहन श्रम विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

मोरे, श्री एस० एस०—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७३६, १८२०

सदस्य की मुअत्तली २१४२

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३६२, १४५३, १५१६

श्री एस० एस० मोरे—जारी

समवाय विधेयक—जारी

खंडों पर चर्चा १६५६–६०, १६८६–८६ २००३, २००६, २०३३–३४, २०४१ –४२, २०६४–६५, २२६६, २५१४, २५४७, २५४८, २५५७–५८, २५६४–६५, २६८८–८६, २६६७, २७१०

य

यंत्र चालित पम्प (म्पों)—

अन्तर्दहन इंजिनों और — के सम्बन्ध में विकास परिषद के प्रतिवेदन की प्रति —पटल पर रखी गई १८४५–४६

याचिका (एं)—

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम सम्बन्धी — का उपस्थापन १५७६

र

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—

— नियमों के संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी गई १७५६–६०

रघुनाथ सिंह, श्री—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७६३–१८०१

रघुरामैया, श्री—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १६३५–३८

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२०६–०६

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन २३३२

रबड़ नियम—

—, १६५५ की प्रति–पटल पर रखी गई १८४६

रबड़ बोर्ड—

देखिये "समिति (यां) संसदीय के अतिरिक्त" के नीचे

राघवाचारी, श्री—

अति आयु विवाह रोक विधेयक [**श्री डी० सी० शर्मा** द्वारा]—
विचार प्रस्ताव २६१४–१८

राजबहादुर, श्री—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३ के उत्तर मे शुद्धि २५२४

राज्य सभा से सन्देश—

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधयक, १९५५ बिना सिफारिश के लौटाते हुए — १५७७–७८

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में कशाघात उत्सादन विधेयक को लोक-सभा को भेजते हुए — २२४१

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पराक्रम्य संलेख (संशोधन) विधेयक को लोक-सभा को भेजते हुए — १६८७

लोक सभा द्वारा पारित रूप में अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — २५२३–२४

लोकसभा द्वारा पारित रूप में औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — २१४०–४१

लोक सभा द्वारा पारित रूप में औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — २४४६

राज्य सभा से सन्देश—जारी

लोक सभा द्वारा पारित रूप में दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — २२४१

लोक सभा द्वारा पारित रूप में दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — २५२३–२४

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — २२४१

लोक सभा द्वारा पारित रूप में भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — २२४१

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — २३३२

लोक सभा द्वारा पारित रूप में भू सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमति का — २२४१

लोक सभा द्वारा पारित रूप में मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक, १९५५ को संशोधन सहित लौटाते हुए — २६२९–३०

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९०८ पर सदनों की संयुक्त समिति म सम्मिलित होने के लिये लोक-सभा की सिफारिश से सहमति का — १४९७–९८

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५४ पर सदनों की संयुक्त समिति को ९ सितम्बर, १९५५ को अथवा उस से पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करन की लोक-सभा की सिफारिश से सहमति का — १४०९

राने, श्री--

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक **[श्री सी० आर० नरसिंहन द्वारा]**--

विचार प्रस्ताव १६४५

समवाय विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३८७

खंडों पर चर्चा १९४६, १९५२, २०८६, २५२९-३०, २५३१

रामस्वामी, श्री एस० वी०--

समवाय विधेयक--

खंडों पर चर्चा १९४९, १९५०, २०४५-४८, २२४४-४५, २३२१-२२, २४११-१५

राव, डा० रामा--

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक **[श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा]**-

विचार प्रस्ताव १६८३-८६, २५८७-८८, २५९६

राव, श्री गोपाल--

समवाय विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५४४-५०

राष्टपति की अनुमति--

दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, १९५४ राष्ट्रपति की अनुमति-- प्राप्त १३५१

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक -- प्राप्त २२४०-४१

रे, श्री बी० के० -

समवाय विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४८९-९२, १५०८-११

रेड्डी, श्री रामचन्द्र--

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव २१९५-२१९६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२०६, २२२६-२८

समवाय विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४७९-८३

खंडों पर चर्चा २०५९-६०, २४१६-१७, २५१८, २५२७-२८, २५२९-३०

स्थगन प्रस्ताव--

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९७

रेड्डी, श्री विश्वनाथ--

समवाय विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५२०-२३

रेलवे दुर्घटना--

अविलम्बकीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मुर्शिदाबाद के निकट -- २२४१-४४

रेलवे पुनर्वर्गीकरण--

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा २४३२-४४

ल

लिंगम, श्री एन० एम०--

अविलम्बकीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बी० सी० जी० के टीके लगाने का आंदोलन २३३२-३३

लोक लेखा समिति—
देखिये "समिति (यां) संसदीय" के नीचे

व

वक्तव्य (व्यों)—
उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य — १५०४–०७
गोआ के सम्बन्ध में — १५०३–०४
गोआ स्थिति के बारे में — १४१०–१४
बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में — की प्रति—पटल पर रखी गई १४९८–१५०३
बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में — १७६१–६५

वल्लाथरास, श्री—
समवाय विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५६६–७५, १५७६, १५८८, १५९०

विकास परिषद्—
अन्तर्दहन इंजिनों और यंत्र चालित पम्पों के सम्बन्ध में — के प्रतिवदन की प्रति —पटल पर रखी गई १८४५–४६
चीनी के सम्बन्ध में — के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई १८४६
भारी रसायनों (अम्लों तथा उर्वरकों) के सम्बन्ध में —
— के प्रतिवेदन की प्रति—
पटल पर रखी गई १८४५
साइकिलों के सम्बन्ध में — के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई १८४६

विदेशी बस्ती (स्तियां)—
स्थगन प्रस्ताव—
गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति १३४३–५०

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (श्री सी० आर० नरसिंहन द्वारा)—
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

विधेयक (कों)—
अति आयु विवाह रोक विधेयक (**श्री डी० सी० शर्मा** द्वारा)—
विचार प्रस्ताव २६०४–२४
(स्वीकृत)
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (**श्री तेलकीकर द्वारा**)—
परिचालित करने का प्रस्ताव २६२४–२८
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार प्रस्ताव १८४४, १८४७–१९१८
खंडों पर चर्चा १९१९
पारित करने का प्रस्ताव १९१९
(पारित) १९१९
लोक-सभा द्वारा पारित रूप में — से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश २५२३–२४
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—
लोक-सभा द्वारा पारित रूप में— से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश २१४०–४१
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—
लोक-सभा द्वारा पारित रूप में—विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश २४४६
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में — को लोक सभा को भेजते हुए राज्य सभा से सन्देश २२४१

विधेयक (कों)—जारी

कशाघात उत्सादन विधेयक—जारी

पटल पर रखा गया २२४१

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण ड विधेयक (श्री झुनझुनवाला द्वारा)—

वापिस लेने का अनुमति प्रस्ताव (स्वीकृत) २५८५–८६

ड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, १९५४—

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त वि`यक १३५१

दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक—

लोकसभा द्वारा पारित रूप में विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य-सभा से सन्देश २२४१

दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में — से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश २५२३–२४

पराक्रम्य संलेख (संशोधन) विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित)—

राज्य सभा द्वारा, पारित रूप में — विधेयक को लोक-सभा को भेजते हुए राज्य सभा से सन्देश १६८७

पटल पर रखा गया १६८७

बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक—

लोक सभा द्वारा पारित रूप में—विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश २२४१

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा)—

विचार प्रस्ताव (वापिस लिया गया) १६६८–८६, २५८६–२६०४

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में —

विधेयक (कों)—जारी

विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश २२४१

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में—

विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश २३३२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५५

विधेयक को बिना सिफारिश के लौटाते हुए राज्य सभा से सन्देश १५७७–७८

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त २२४०-४१

भूसीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य-सभा से सन्देश २२४१

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक, १९५५—

लोक सभा द्वारा पारित रूप में — को संशोधन सहित लौटाते हुए राज्य सभा से सन्देश २६२९–३०

मोटर परिवहन श्रम विधेयक (श्री ए० के० गोपालन द्वारा)—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव (पुरःस्थापित) २५८६

राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक १९५५ की प्रति–पटल पर रखी गई २६३०-३१–

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दँड विधेयक (श्री सी० आर० नरसिंहन द्वारा)—

विचार प्रस्ताव (वापिस लिया गया) १६४३–६८

विधेयक (कों)—जारी

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९०८—

— पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक सभा की सिफारिश से सहमति का राज्य सभा से सन्देश १४९७–९८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव (स्वीकृत) १३५१–१४०८, १४१४–९२, १५०७–७६, १५८१–१६१६

खंडों पर चर्चा १६१९–५२, १९५३–२०४४, २०४५–२१३८, २१४४–९४, २२४४–२३३०, २३३९–२४३२, २४४६–२५२२, २५२४–८५, २६३१–२७१६

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन २३३२

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५४—

संयुक्त समिति को ९ सितम्बर, १९५५ को अथवा उस से पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमति का राज्य सभा से सन्देश १४०९

विनियम (मों)—

मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी — में संशोधन तथा खान नियम सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां–पटल पर रखी गई २२४०

विवरण—

लोक-सभा के द्वितीय सत्र, १९५२, तृतीय सत्र, १९५३, चतुर्थ सत्र, १९५३, पंचम सत्र १९५३, षष्ठम सत्र, १९५४, सप्तम सत्र, १९५४, अष्ठम सत्र, १९५४ तथा नवम् सत्र, १९५५ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के दर्शाने वाले अनुपूरक — संख्या क्रमश: ३२, ३४, २९, २४, १९, १३, ९ तथा ५–पटल पर रखे गये २१३९–४०

विशेषाधिकार का प्रश्न—

विशेषाधिकार का प्रश्न २२३३–३५

विश्वनाथ, श्री—

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन १५७९

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५—

— की प्रति—पटल पर रखी गई १३५१

वीरस्वामी, श्री—

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा)–विचार प्रस्ताव २५९४

वेंकटरामन, श्री—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७७४–७९

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९०८

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

व्यापार—

वैदेशिक — पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २१९७–२२३२

श

शर्मा, पंडित के० सी०—

अति आयु विवाह रोक विधेयक (श्री डी० सी० शर्मा के द्वारा)—

विचार प्रस्ताव २६०४–०७, २६१०, २६२२–२४

शर्मा, पंडित के० सी०—जारी

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १४०४–०८, १४१४–१७

खंडों पर चर्चा २५२७–२८, २५४६, २५४७

शर्मा, श्री डी० सी०—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७४८–५१

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (**श्री सी० आर० नरसिंहन** द्वारा)—

विचार प्रस्ताव— १६५०–५१

शर्मा, श्री नन्दलाल—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १६०२–०६

शास्त्री, श्री अलगू राय—

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (**श्री एम० एल० द्विवेदी** द्वारा)—

विचार प्रस्ताव २६००

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३६४–६५

शास्त्री, श्री एल० बी०—

रेलों के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा २४३६–४४

शाह, श्री एम० सी०—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३५६, १३७६–८०, १५२४, १५२५, १५२६

खडों पर चर्चा २०५४, २०६०—६४, २०७८, २०७६–८०, २०८१–८२, २०८५, २०८७, २०८८, २१५०–५१,

शाह, श्री एम० सी०—जारी

समवाय विधेयक—जारी

खंडों पर चर्चा—जारी

२१६३, २२६६, २३०४, २३०५, २४६२–७२, २४८६, २४६०–६१, २५१६, २५८५, २६३१–३८, २६४६–५०, २७१०

शाह, श्री सी० सी०—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७०७–१३

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५६२–६३, १६०५–०६

खंडों पर चर्चा १६३७, १६४४–४५, १६४६–४७, १६४८, १६५७–६३, १६६८, १६६६, २०१८, २०४३, २११६–२१, २१३०, २१३४, २१३५ २१६३, २१६४, २१७४, २१८६, २२५३–५५, २३१०, २३८३, २४०५, २४२०, २४५७–६२, २४८८, २४८६, २५२६, २५३७–४१, २५६५, २५७८, २६७८–७६

स

संकल्प—

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में — २१६७–२२३२

सक्सेना, श्री एस० एल०—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रति—पटल पर रखी गई १५०२

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १५२६–३३

सभा का कार्य—

सभा का कार्य १४८६, २४५२

समवाय विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

समिति (यां), संसदीय—

कार्य मंत्रणा समिति—

तेईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन १५७९

तेईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव १६८८–८९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन १४१०

चौतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव १६४२–४३

पैंतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन १९५३

पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव (स्वीकृत) २१९४–९७

लोक लेखा समिति—

तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन २३३२

समिति (यां), संसदीय के अतिरिक्त—

—रबड़ बोर्ड

रबड़ बोर्ड के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव १५८०, १५८१

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम—

—के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखी गईं १७५९, २२४०

सरकारी आश्वासन—

लोक-सभा के द्वितीय सत्र, १९५२, तृतीय सत्र, १९५३, चतुर्थ सत्र, १९५३, पंचम सत्र १९५३, षष्ठम सत्र, १९५४, सप्तम सत्र १९५४, अष्ठम सत्र, १९५४ तथा नवम सत्र, १९५५ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३२, ३४, २९, २४, १९, १३, ९ तथा ५—पटल पर रखे गये २१३९–४०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

साइकल (लों)—

पटल पर रखे गये पत्र—

— के सम्बन्ध में विकास परिषद के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई १८४६

सामन्त, श्री एस० सी०—

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार स्वीकृति पर दंड विधेयक (**श्री सी० आर० नरसिंहन** द्वारा)—

विचार प्रस्ताव— १६६५–६६

सिंघल, श्री एस० सी०—

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३८४–९६

सिंह, श्री एस० एन०—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७२२–२७

सिंह, श्री टी० एन०—

प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७४०–४८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३८८, १५२३–२९

सिंह, श्री सत्य नारायण—

इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी १६८७–८८

कार्य-मंत्रणा समिति—

तेईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव १६८८–८९

सिंह, श्री सत्य नारायण—जारी

लोकसभा के द्वितीय सत्र, १९५२, तृतीय सत्र, १९५३, चतुर्थ सत्र, १९५३, पंचम सत्र, १९५३, षष्ठम सत्र, १९५४, सप्तम सत्र, १९५४, अष्ठम सत्र, १९५४ तथा नवम सत्र, १९५५ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३२, ३४, २६, २४, १६, १३, ९ तथा ५—पटल पर रखे २१३६–४०

सिंहासन सिंह, श्री—

अति आयु विवाह रोक विधेयक—

विचार प्रस्ताव २६१५–१६

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २३७३–७९, २३९१, २३९५

सिन्हा, श्री ए० पी०—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रति—पटल पर रखी गई १५०२–०३

सुरेश चन्द्र, डा०—

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १७३७

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (**श्री एम० एल० द्विवेदी** द्वारा)—

विचार प्रस्ताव २६००

सेन, श्रीमती सुषमा—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १८७४–७७

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक (**श्री एम० एल० द्विवेदी** द्वारा)—

विचार प्रस्ताव २५९०, २५९३

समवाय विधेयक—

खंडों पर चर्चा २६४३–४४

सोने की खान (नों)—

मैसूर की — सम्बन्धी विनियमों में संशोधन तथा खान नियम सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखी गईं २२४०

सोमानी, श्री जी० डी०—

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२१०–१२

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव १३६३–७६

खंडों पर चर्चा २०५४–५९, २३५३–५७, २५२५, २६४०–४१

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति (अनुमति रोक ली गई) १३४३–५०

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

स्वर्णसिंह, सरदार—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

विचार प्रस्ताव १८४४, १८४७–६२, १८६५, १८७५, १८८४, १८८५, १९०४, १९१५–१८

पारित करने का प्रस्ताव १९१९

स्वामी, श्री शिवमूर्ति—

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प २२०६, २२२०–२६

ह

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे